



# महिलाओं से

[ नारी-जीवन की समस्याओं का विवेचन ]

लेखक—

महात्मा गांधी

प्रकाशक—

श्री गान्धी ग्रन्थागार

सी ७/१४० सेनपुरा

बनारस

प्रथम वार १९४३ ई० : द्वितीय वार १९४७ ई०  
तृतीय वार १९४९ ई० . चतुर्थ वार १९५१ ई०

मूल्य

४)

---

---

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

---

---

मुद्रक

दुर्गा प्रेस,

आदिविश्वेश्वर, बनारस ।

## महत्वपूर्ण सम्प्रति

श्री गांधी ग्रन्थागार के संस्थापक श्री रमाशंकरलाल श्रीवास्तव 'वशारद' महात्मा गांधी जी के व्यक्त विचारों का संग्रह कर बड़ा ही उपयोगी और प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। वर्तमान भारत के महात्मा जो युगकर्त्ता कहे जा सकते हैं और उनकी छाप राष्ट्र के सभी अङ्गों पर पड़ी है। श्री रमाशंकरलाल जी ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि देश के एक एक समूह के प्रति गांधी जी के क्या आदेश और उपदेश हैं, उसे पृथक्-पृथक् ग्रन्थों में संग्रह किया जाय। हमारे सामने ग्रन्थमाला का प्रथम खण्ड है, जिसमें विद्यार्थियों के प्रति महात्माजी के सन्देशों का संग्रह है। अवश्य ही प्रकाशक ने बड़े परिश्रम से भिन्न-भिन्न स्थानों से खोज कर इन लेखों और वक्तव्यों को एकत्र किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन सब अमूल्य शब्दों को दोहरा कर पढ़ने और मनन करने से हम सब का लाभ होगा। जैसी स्थिति इस समय देश की हो गई है और जैसी गलत-फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उनमें ऐसे ग्रन्थों का विशेष मूल्य और इनके अध्ययन की विशेष आवश्यकता है।

श्री प्रकाश वी० ए० एल० एल० वी० (कैटव)

वार-एट-लॉ, एम० एल० ए० (सेट्रल)

# दो शब्द

महात्मा गान्धी की ७४वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेंट्रल जेल बनारस में एकत्र भिन्न-भिन्न जगहों के नजरबन्द काँग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि जिस तरह महात्मा जी के लेखों एवम् वक्तव्यों का संग्रह अंग्रेजी में "गान्धी सीरीज" के नाम से प्रकाशित हुआ है उसी तरह उनकी कृतियों का हिन्दी अनुवाद भी "गान्धी ग्रन्थावली" के नाम से प्रकाशित कराया जाय। जिससे गान्धी-विचार के सम्बन्ध में फैली हुई गलतफहमियाँ दूर हों और सर्वसाधारण को गान्धी-साहित्य सुलभ मूल्य में एक ही जगह से मिलता रहे।

निर्धारित याजना के अनुसार गान्धी जी की सारा कृतियों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। ग्रन्थावली का पहिला खण्ड 'विद्यार्थियों से' प्रकाशित हो चुका है, और थोड़े ही समय में इसकी कई हजार प्रतियाँ विक्रि चुकी हैं। दूसरा खण्ड 'महिलाओं से' आपके हाथ में है।

बन्धुओं ! जीवन में अध्ययन का स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। पर अध्ययन होना चाहिए उन पुस्तकों का, जो प्रकाशक के आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं बल्कि मानव जाति के उत्थान में सहायक होने की दृष्टि से नकाली जाती हैं। गान्धी भारत के युगकर्त्ता और महान विचारक हैं। उनकी कृतियाँ जीवन-युद्ध में अग्रेसर होने के लिये प्रकाशस्तम्भ का काम देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री गान्धी ग्रन्थागार  
पुरास सोनवानी  
बलिया  
सन् १९४३ ई०



संचालक.—  
रमाशंकर

# विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

१.	हिन्दू पत्नी ( यज्ञ इन्डिया ३ अक्टूबर १९२६ )	६
२	एक महिला मित्र के प्रश्न (यज्ञ इन्डिया, २१ अक्टूबर १९३६)	१४
३	स्मृति में स्त्रियों का स्थान ( हरिजन २८ नवम्बर १९३६ )	१६
४	स्त्री और वर्ण ( हरिजन १२ अक्टूबर १९३४ )	२२
५	महिलाओं की स्थिति ( यज्ञ इन्डिया १८ अक्टूबर १९२६ )	२६
६	महिलाओं के प्रति व्यवहार (यज्ञ इन्डिया २१ जुलाई १९२१)	३१
७	स्त्रियों का पुनर्जीवन ( महात्मा गांधी का व्याख्यान २० फरवरी १९२८ ई० )	३५
८	स्त्री धर्म क्या है ( हरिजन २४ फरवरी १९४० )	४३
९	स्त्रियों का काम ( हरिजन १६ मार्च १९४० )	४८
१०.	स्त्रियों का विशेष कर्तव्य ( हरिजन ५ नवम्बर १९३८ )	५०
११	महिलाएँ और सैनिकता	५३
१२.	भारतवर्ष की महिलाओंसे (यज्ञ इंडिया १० अप्रैल १९३०)	५५
१३	मद्यपान का अभिशाप ( हरिजन २४ अप्रैल १९३७ )	६०
१४	नव विवाहितों से	६३
१५	आश्चर्यजनक निष्कर्ष ( यज्ञ इन्डिया २७ सितम्बर १९२८ )	६६
१६	सन्तान-निग्रह की एक समर्थक (हरिजन १ फरवरी १९३५)	७३
१७	श्रीमती सेगर और सतति-निग्रह (हरिजन २५ जनवरी १९३६)	७८
१८	अरण्य रोदन ( हरिजन २७ मार्च १९३८ )	८२
१९	संतति निग्रह ( हरिजन १४ मार्च १९३६ )	८७
२०	संतति निग्रह ( हरिजन २१ मार्च १९३६ ई० )	९१
२१	अमेरिका की साक्षी ( हरिजन २३ जून १९३६ ई० )	९५

## विषय

पृष्ठ

२२	कृत्रिम साधनों से सतति निग्रह	६८
२३:	सुधारक वहनों से ( हरिजन २ मई १९३६ ई० )	१०६
२४	आत्म संयम के विषय में और (हरिजन ३० मई १९३६)	११४
२५.	ब्रह्मचर्य ( हरिजन २० मार्च १९३७ )	११६
२६	धर्म संकट ( हरिजन २९ मई १९३७ )	१२२
२७	विवाह की मर्यादा (हरिजन ५ जून १९३७)	१२४
२८.	अश्लील विज्ञापन ( हरिजन १४ नवम्बर १९३६ )	१३०
२९	स्त्रियों में देवीत्व का झूठा आरोप ( हरिजन २१ नवम्बर १९३६ )	१३४
३०	आत्म रक्षा कैसे करें ?	१३६
३१	आधुनिक लढकियाँ ( हरिजन ४ फरवरी १९३१ ई० )	१४४
३२	एक वहन के प्रश्न ( हरिजन १ सितम्बर १९४० )	१४८
३३	एक त्याग	१५१
३४.	उदार वहिनें बनो ( गांधी जी इनसिलोन )	१५४
३५	छात्राग्रो को सलाह ( गांधी जी इनसिलोन )	१५६
३६.	बाल विवाह का शाप ( यज्ञ इन्डिया २६ अगस्त १९२६ )	१६०
३७	बाल-विवाह के समर्थन में ( यज्ञ इन्डिया ६ सितम्बर १९२६ ई० )	१६३
३८	बाल-विवाह के भयानक परिणाम	१७१
३९.	असहाय विधवायें ( हरिजन २२ जून १९३५ )	१७५
४०.	आरोपित वैधव्य ( हरिजन २० मार्च १९३७ )	१७७
४१	वीसवी सदी की सती (यज्ञ इन्डिया २१ मई १९३१ ई०)	१७९
४२	आदर्शों का दुरुपयोग ( यज्ञ इन्डिया ११ नवम्बर १९२६ ई० )	१८३

## विषय

पृष्ठ

४३	विधवाओं का पुनर्विवाह ( यज्ञ इन्डिया ४ फरवरी १९२६ ई० )	१८६
४४	दलित मनुष्य जाति ( यज्ञ इन्डिया १९ अगस्त १९२६ )	१८८
४५	बाल पत्नियों तथा बाल विधवाएँ ( यज्ञ इन्डिया, १५ सितम्बर १९२७ )	१९१
४६	रोपभरा विरोध ( यज्ञ इन्डिया ६ अक्टूबर १९२७ )	१९४
४७	विवाह को टटा दो ( ,, ३ जून ,, )	१९८
४८	एक विचार टोप ( ,, २६ सितम्बर ,, )	२०२
४९	एक युवती विधवा ( ,, २ मई १९१६ )	२०३
५०	स्त्रियों को मुक्त कर दो ( यज्ञ इन्डिया २३ मई १९२८ )	२०६
५१.	हमारी पतित बहनें ( ,, १५ सितम्बर १९२१ )	२१०
५२	हमारी अभागिन बहनें ( ,, १६ अप्रैल १९२५ )	२१४
५३	भारतवर्ष की महिलाओं से एक अपील ( यज्ञ इन्डिया ११ अगस्त १९२१ )	२१६
५४	महिलाओं का कर्त्तव्य ( यज्ञ इन्डिया १५ दिसम्बर १९२१ ई० )	२२१
५५.	स्त्रियों के हाथों स्वराज्य ( हरिजन २ दिसम्बर १०३६ ई० )	२२३
५६	चरखा और स्त्रियों ( यज्ञ इन्डिया १० फरवरी १९२७ )	२२५
५७.	बुढ़ापे में जवानी का उत्साह ( यज्ञ इन्डिया १० मई, १९२७ ई० )	२२७
५८	एक बहन की कठिनाई ( यज्ञ इन्डिया २ फरवरी १९२८ ई० )	२३१
५९	तामिल स्त्रियों के विषय में ( यज्ञ इन्डिया २५ अगस्त १९२१ ई० )	२३४



विषय

पृष्ठ

६०	तामिल बहनों के विषय में और ( यज्ञ इन्डिया २५ अगस्त १९२१ ई० )	२३६
६१	एक सुन्दर सेविका संसार से उठ गई	२३८
६२	स्त्रियों और जवाहिरात ( यज्ञ इन्डिया २ अप्रैल १९२८ ई० )	२४३
६३	स्त्रियों और आभूषण ( हरिजन २२ दिसम्बर १९२३ )	२४५
६४	सिंहाली स्त्रियों से	२४७
६५.	निश्चित त्याग करो ( हरिजन ५ जनवरी १९३४ )	२५०
६६	स्त्रियों का सच्चा आभूषण (हरिजन १२ जनवरी १९३४)	२५३
६७	कौमुदी का परित्याग ( हरिजन १९ जनवरी १९३४ )	२५५
६८.	कौमुदी का महत्वपूर्ण निर्याय ( हरिजन २६ जनवरी १९३४ ई० )	२५७
६९	कौमुदी का त्याग	२५९
७०.	महिलाएँ और अस्पृश्यता	२६१
७१	महिलाओं से दो बातें ( हरिजन ३१ अगस्त १९३४ )	२६५
७२	पदों को फाड़ फेंको ( यज्ञ इन्डिया ३ फरवरी १९३७ )	२६७
७३	पदों की कुप्रथा ( यज्ञ इन्डिया २९ जून १९२८ )	२७०
७४	विहार में पर्दा ( ,, २६ जुलाई १९२८ )	२७४
७५.	वर्मा की महिलाओं से ( ,, ११ अप्रैल १९२९ )	२७६
७६	पुरुष और स्त्रियाँ	२७७
७७	स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है	२७८
७८.	स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता	२७९
७९.	समाज में स्त्रियों की स्थिति	२८०
८०.	एक विधवा की कठिनाई	२८०

# महिलाओं से

## हिन्दू पत्नी

नीचे एक भाई के लम्बे पत्र का सारांश दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने अपने विवाहिता बहन के दुःख का वर्णन किया है —

“थोड़े समय पहले मेरी बहन का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया, जिसके चरित्र से हम अनजान थे। वह व्यक्ति बाद में इतना लम्पट और विषयी साबित हुआ है कि अनन्त व्यभिचार और विषय भोग करते हुए भी उसकी वासना तृप्त नहीं होती। मेरी अभागिन बहन को विवाह के बाद शायद ही पता चला कि उसके ‘स्वामी’ दिन दिन निर्वल होते चले जा रहे हैं, उसने उन्हें ममकाया। लेकिन वह इसके इस औद्धत्य को सह न सके और उसे ‘सबक सिखाने’ की गरज से उसके सामने ही व्यभिचार करने लगे। वह उसे बेटों से मारते, खड़ी रखते, औंधी टाँगते और भूखों मरने को विवश करते हैं। एक बार अपने ‘स्वामी’ की व्यभिचार लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहन एक खम्भे से बाँध दी गयी जिससे वह भाग न सके। मेरी बहन का

हृदय टूक टूक हो गया। उसकी निराशा की हद नहीं। उसके सन्ताप को देख कर हमारा हृदय जल उठता है। लेकिन हम लाचार हैं। कृपा कर कहिये हम या हमारी बहन क्या करें ? हिन्दू धर्म की शर्म भरी अवस्था का एक चित्र है—उस हिन्दू धर्म में जिसमें स्त्रियों को न अधिकार प्राप्त है, न रियायतें ही। अगर आदमी निर्दय और हृदयहीन है, तो बेचारी स्त्री का कोई सहारा इस दुनिया में नहीं। आदमी अपने जीवन में चाहे जितना व्यभिचार करे, चाहे जितनी शादियाँ करे, कोई उसकी ओर अँगुली उठाने वाला नहीं। लेकिन स्त्री जहाँ एक वार व्याही गयी, उसे सर्वथा अपने स्वामी की दया का पात्र बनकर रहना पड़ता है। एक दो नहीं हजारों बहनों इस अन्याय का शिकार बनकर रात दिन आर्त स्वर से रोती कलपती रहती हैं। जब तक हिन्दू धर्म से ये और ऐसी ही अन्य बुराइयों का नाश नहीं होता, क्या उन्नति की आशा की जा सकती है ?”

पत्र लेखक एक सुशिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने अपने सारे पत्र में अपने बहन के दुःखों का रोमाञ्चकारी चित्र खींचा है। इस सारांश में वे सब सारी बातें नहीं आ सकतीं। पत्र लेखक ने अपना पूरा नाम और पता भी भेजा है। उन्होंने हिन्दू धर्म की जो निन्दा की है, वह असीम दुःख वेदना का परिणाम होने से क्षम्य भले हो, किन्तु उनका यह सर्वव्यापी कथन उदाहरण के आधार पर खड़ा किया गया है, अतः अतिरक्षित है। क्योंकि आज भी लाखों हिन्दू ललनाएँ अपनी गृहस्थी की रानी बनकर पूर्ण सन्तोष और सुख की जिन्दगी बिताती हैं।

अपने पतियों पर इतना प्रभुत्व प्रेम के कारण उन्हें प्राप्त होता है। पत्र लेखक ने निर्दयता का जो उदाहरण पेश किया है, वह हिन्दू धर्म की बुराई का चिन्ह नहीं, बल्कि मनुष्य स्वभाव में निहित उस बुराई का नमूना है जो किसी एक ही जाति या धर्म के मनुष्यों में नहीं पायी जाती, बल्कि सब जातियों और सब धर्मों के मनुष्यों में मिलती है? क्रूर पति के खिलाफ तलाक दे देने की प्रथा से भी उन स्त्रियों की रक्षा नहीं हुई है जो न तो अपना अधिकार जताना चाहती हैं। अतएव सुधारकों को चाहिये कि वे और नहीं तो सुधारों के खातिर ही अतिरंजन करने या अतिशयोक्ति से काम लेने से बाज आयें।

तथापि इस पत्र में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वैसी घटना हिन्दू समाज के लिये सर्वथा असाधारण नहीं है। हिन्दू संस्कृति ने स्त्री को गुलाम बनाकर उसे पति के सर्वथा आधीन रखकर बड़ी भारी भूल की है! इसके कारण पति कभी कभी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और पशुवत् व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह के अत्याचार का उपाय कानून का आश्रय लेने में नहीं, बल्कि विवाहिता स्त्रियों को सच्चे अर्थ में सुशिक्षित बनाने और पतियों के अमानुषिक अत्याचार के विरुद्ध लोकमत जागृत करने में है। प्रस्तुत मामले में जिस उपाय से काम लेना चाहिए, वह अत्यन्त सरल है। इस संकटग्रस्त वहन के दुःख को देखकर रोने या अपने लाचारी का अनुभव करने के बजाय उसके भाई और दूसरे रिश्तेदारों को चाहिए कि वे उसकी रक्षा करें। उसे समझावें तथा विश्वास दिलावें कि एक

पापी दुराचारी पति की खुशामद करना या उसकी संगति की आशा रखना उसका कर्तव्य नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है उसका पति उसकी जरा भी चिन्ता नहीं रखता, तनिक भी पर्वा नहीं करता। अतएव कानूनी बंधन को तोड़े बिना ही वह अपने पति से अलग रह सकती है और अपने आप यह अनुभव कर सकती है कि उसका ब्याह कभी हुआ ही नहीं। अवश्य ही एक हिन्दू पत्नी के लिये जो तलाक नहीं दे सकती इस सम्बन्ध में कानून की रू से भी दो मार्ग खुले हैं—एक तो मारपीट करने के कारण पति को सजा दिलाने का और दूसरा उससे जीविका की सहायता पाने का। लेकिन अनुभव से मुझे पता चला है कि अगर सर्वदा नहीं तो बहुधा तो अवश्य ही यह उपाय निरर्थक से भी बुरा सिद्ध हुआ है। इसके कारण किसी की सती स्त्री को कभी सुख नहीं मिला, उल्टे पति का सुधार असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य जरूर बन गया है। समाज को इस रास्ते कदापि न जाना चाहिए। पत्नी को तो किसी हालत में भी नहीं। प्रस्तुत मामले में तो लडकी के माता-पिता उसको निवाह लेने में समर्थ हैं। लेकिन जिन सताई हुई स्त्रियों को आश्रय प्राप्त न हो, उन्हें भी आश्रय देनेवाली अनेक संस्थाएँ देश में दिन-दिन बढ़ रही हैं। एक और प्रश्न रह जाता है। ये युवती स्त्रियाँ जो अपने क्रूर पति का साथ छोड़कर अलग होती हैं या जिन्हें पति स्वयं घर से निकाल देते हैं। जो तलाक से मिलने वाली सुविधा नहीं प्राप्त कर सकती, अपनी विषयेच्छा को कैसे तृप्त करेंगी। मेरे विचार में यह कोई इतना गम्भीर प्रश्न नहीं है। क्योंकि जिस समाज ने युगों से तलाक

की प्रथा को त्याज्य मान रखा है उस समाज की स्त्रियाँ एक बार वैवाहिक जीवन का कटु अनुभव पा लेने पर दुबारा विवाह करना ही नहीं चाहती। जब किसी समाज का लोकमत इस तरह ही सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो मेरे विचार में वह उसे निःसन्देह मिल भी जाती है। पत्र लेखक के पत्र से जहाँ तक मैं समझ सका हूँ उनकी यह शिकायत तो नहीं है कि पत्नी अपनी विषयेच्छा तृप्त नहीं कर सकती। शिकायत तो पति की भयंकर और बेलगाम व्यभिचार की है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। मनोवृत्ति को पलट देना ही इसका उपाय है। हमारी अनेक और-और वुराइयों के समान ही बेवसी की भावना भी एक काल्पनिक वुराई है। दृष्टित कल्पना के कारण शोक और दुःख का साम्राज्य समाज में फैला हुआ है, वह थोड़े से मौलिक विचार और नये दृष्टिकोण के पाते ही नष्ट भ्रष्ट हो जायगा। ऐसे मामलों में मित्रों और रिश्तेदारों को चाहिए कि वे अत्याचार के शिकार को शिकारी के पंजे से छुड़ा कर ही सन्तोष न कर बैठें। बल्कि ऐसी स्त्री को समझा कर उसे सार्वजनिक सेवा के योग्य बनाने का प्रयत्न करें। इन स्त्रियों के लिए इस तरह की शिक्षा पति के शकारपट सहवास से कहीं अधिक सुखद और लाभप्रद होगी।

## एक महिला मित्र के प्रश्न

मेरी एक स्त्री मित्र ने जिन्हें मेरी बुद्धि और सत्यता पर कुछ विश्वास है, मुझसे पेचीदे प्रश्न किये हैं। मैं इन प्रश्नों को इस भय से टाल जाना चाहता था कि उनके उत्तर से ऐसे पति क्रुद्ध होकर विवाद के लिये न उद्यत हो जाँय जो अपने अधिकारों के लिये सशक्त रहा करते हैं। पर ऐसे सशक्त पति मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि मुझ में और मेरी स्त्री से कभी कभी खटपट होते हुए भी स्वयं विवाहित जावन के चालीस वर्ष सुख से व्यतीत किया है।

### पहला प्रश्न

पहिला प्रश्न उपयुक्त और समयानुकूल है ( वास्तविक प्रश्न मराठी भाषा में है और मैंने उसका स्वतन्त्र रूप से अनुवाद कर दिया है )।

“क्या किसी स्त्री अथवा पुरुष को केवल रामनाम कहने से ही और बिना राष्ट्र सेवा किये ही आत्मज्ञान हो सकता है ? मैं यह प्रश्न इसलिये करती हूँ कि कुछ बहिनों की धारणा है कि उन्हें घरबार के काम करने और कभी-कभी गरीबों की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।”

इस प्रश्न ने केवल स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बहुत से पुरुषों को भी उलझन में डाल रक्खा है और मेरे लिये तो भार स्वरूप हो ही गया है। मेरा दर्शन-शास्त्र के उस वाद के अनुयायियों से भी परिचय है जो निष्क्रियता और समस्त प्रयत्नों की निष्फलता की शिक्षा देता है।

मैं इस मत से उम्र समय तक सहमत नहीं हो सकता जब तक कि मैं स्वयं इसका विश्लेषण न कर सकूँ। मेरे विचार से उन्नति करने के लिये प्रयत्नशील होना आवश्यक है और यह प्रयत्न यह सोच कर ही न किया जाय कि उसका परिमाण लाभदायक ही होगा। 'रामनाम' अथवा इसी प्रकार का कोई नाम आवश्यक है, जपने के लिये नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिये जिससे आपके प्रयत्न में सहायता मिले और आप यह अनुभव करें कि आप कोई पथ-प्रदर्शक हैं, अतः 'राम नाम' अथवा कोई अन्य नाम 'प्रयत्न' का स्थानापन्न कदापि नहीं हो सकता। वह तो आपको ठीक मार्ग बताने में तथा आपके साहस को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यदि सारा प्रयत्न निष्प्रयोजन ही है तो कुटुम्ब की चिन्ता और कभी-कभी गरीबों की सहायता ही से क्या लाभ ? पर इसी प्रयत्न में ही राष्ट्र-सेवा के कीटाणु विद्यमान हैं और मेरे विचार से राष्ट्र-सेवा का अर्थ है—मानव-सेवा—कौटुम्बिक-सेवा की ओर अधिक ध्यान न देना भी राष्ट्र-सेवा है। नि स्वार्थ कुटुम्ब-सेवा करने से मनुष्य राष्ट्र-सेवा की ओर प्रेरित होता है। 'राम-नाम' मनुष्य को विरक्त तथा दृढ़ बनाता है और कठिन परिस्थितियों में चित्त को ढोवाढोल नहीं होने देता। मेरे विचार से सबसे अधिक गरीब की सेवा तथा अपने और उसके बीच कोई भेद मान कर मनुष्य को आत्मज्ञान हो सकता है, अथवा नहीं।

दूसरा प्रश्न

“हिन्दू धर्म के अनुसार सबसे महान आदर्श यह है कि स्त्री पूर्ण-



रूप से पति भक्त और पति से सम्बद्ध हो चाहे पति प्रेम का अवतार हो अथवा पिशाच ही क्यों न हो। यदि पत्नी के सम्बन्ध में यही चरित्र उत्तम माना जाय तो क्या पति की ओर से विरोध किये जाने पर भी पत्नी को राष्ट्र-सेवाकार्य करना चाहिये ? अथवा उतना ही करना चाहिये जितना करने के लिए पति उसे आज्ञा दे ?”

पति के सम्बन्ध में मैं राम को और पत्नी के सम्बन्ध में सीता को अपना आदर्श मानता हूँ। परन्तु सीता राम की दासी नहीं थी अथवा यूँ कहिये कि दोनों एक दूसरे के दास तथा दासी थे। राम ने सदैव सीता के विचारों का आदर किया। यदि प्रेम सच्चा है तो किया गया प्रश्न उठता ही नहीं और जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है वहाँ पति-पत्नी का कोई बन्धन ही नहीं है। पर आजकल का हिन्दू कुटुम्ब एक पहेली के समान है पति तथा पत्नी का जब विवाह होता है, दोनों एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। प्रथा के द्वारा सुरक्षित धार्मिक स्वीकृति और विवाहित जीवन के भली प्रकार चलने के कारण अधिकांश हिन्दू घरों में शान्तिमय समय व्यतीत होता है। परन्तु यदि स्त्री अथवा पुरुष के विचार असाधारण हुए तो आपस में खटपट होने की सम्भावना है। पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जाता। कर्तव्य के विचार से वह यह आवश्यक नहीं समझता कि अपनी पत्नी की इच्छाओं का भी उसे ध्यान रखना चाहिये, वह पत्नी को जिसे अपने पति के विचारों से ही सन्तुष्ट रहना पड़ता है प्रायः अपनी इच्छाओं को दवाना पड़ता है। मेरे विचार से यह समस्या हल की जा सकती

है। सीगवार्ड ने उसे इसका हल बताया है। पत्नी को अपने विचारों के अनुसार चलने का पूर्ण अधिकार है और मृदुल बनकर तथा निर्भय होकर किसी भी परिणाम के लिये उद्यत रहना चाहिये जब कि उसे विश्वास हो कि उसका निश्चय न्याययुक्त है और वह एक उच्च अभिप्राय के लिये पति के सम्मुख अट गयी है।

### तीसरा प्रश्न

यदि पति माँस भक्षी है और पत्नी माँस खाना पाप समझती है तो क्या पत्नी को अपने ही विचारों के आधार पर चलना चाहिये ?

क्या उसे प्रेमयुक्त उपायों से पति द्वारा माँसभक्षण अथवा दृग्गी प्रकार के उसके अन्य कार्य छुड़ाना चाहिये ? अथवा क्या वह पति के लिये माँस पकाने के लिये मान्य है या उससे भी परित्यक्त कार्य अर्थात् यदि पति उसे माँस खाने के लिये कहे तो क्या वह माँस खाने के लिये बाध्य है ? यदि आप यह कहते हैं कि पत्नी का अपने विचारानुकूल चलना चाहिये तो एक सम्मिलित कुटुम्ब इस दशा में कैसे चल सकता है जब कि एक तो दूसरे को विवश करता है और दूसरा विरोध करता है ?

इस प्रश्न का आंशिक उत्तर दूसरे प्रश्नोत्तर में दिया जा चुका है। पत्नी अपने पति द्वारा किये अपराधों में सम्मिलित होने के लिये मान्य नहीं है। यदि वह किसी कार्य को अनुचित समझती ही है तो उसे केवल उचित कार्य ही करना चाहिये। पर इस विचार से कि पत्नी का कार्य घर का प्रबन्ध करना है और भोजन बनाना है और पति का कर्तव्य परिवार के लिये धनोपार्जन है, और पति तथा पत्नी दोनों

जो स्त्री अपने पिता के परिवार पर गर्व करती है और अपने पति की आज्ञा का उलंघन करती है, राजा को चाहिये कि उसे बहुत से लोगों के सामने कुत्ते से नुचवाये । ( मनु ८—३७१ )

जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उलंघन करती है । उसके हाथ का खाना किसी को नहीं खाना चाहिये । ऐसी स्त्री को इन्द्रियलोलुप मानना चाहिये । ( अङ्गिरस, ६६ )

यदि पति दुराचारी हो अथवा मद्यप हो अथवा शारीरिक व्याधि से पीडित हो और पत्नी उसकी आज्ञाओं का उलंघन करे तो उसे तीन महीने तक अपने बहुमूल्य कपड़ों और गहनों से वंचित रखना चाहिये । ( मनु १०—७८ )

यह सोचकर दुःख होता है कि स्मृतियों में ऐसे श्लोक हैं, जिनपर उन पुरुषों की श्रद्धा नहीं हो सकती जो अपनी ही भौतिक स्त्री की स्वाधीनता की कामना करते हैं और उसे समस्त जाति की माता मानते हैं । दुःख यह सोच कर और बढ़ जाता है कि सनातनियों की ओर से प्रकाशित होने वाले एक पत्र में ये श्लोक इस प्रकार छपे हैं जैसे वे धर्म के अङ्ग हों । स्वभावतः स्मृतियों में ऐसे श्लोक हैं जो स्त्री को उसका उचित स्थान प्रदान करते हैं । और उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । प्रश्न उठता है कि उन स्मृतियों का क्या किया जाय, जिनमें ऐसे श्लोक हैं जो उसी में दिये हुए अन्य श्लोकों के विपरीत और नैतिक भावना के विरुद्ध हैं । मैं इन पृष्ठों में अनेक बार लिख चुका हूँ कि धर्मग्रन्थों के नाम पर जो कुछ छपता है, उसमें सभी को ईश्वर की

वाणी अथवा देववाणी के रूप में नहीं लेना चाहिये । लेकिन हर कोई यह तय नहीं कर सकता कि कौन-सी बात अच्छी और प्रामाणिक है तथा कौन-सी बात बुरी है । इसलिये एक ऐसी अधिकारी संस्था की आवश्यकता है, जो धर्मग्रन्थों के नाम पर जो सब छपा है उसका संशोधन करे, ऐसे श्लोकों को छोट दे जिनका नैतिक मूल्य नहीं है । और जो धर्म और नीति के विरुद्ध हैं । तथा ऐसा संस्करण हिन्दुओं के पथ-प्रदर्शन के लिये उपस्थित करे । यह विचार इस पवित्र कार्य के मार्ग में बाधक न होना चाहिये कि सर्व माधारण हिन्दू और धार्मिक नेता माने जाने वाले व्यक्ति ऐसी संस्था की बात प्रामाणिक नहीं मानेंगे । जो काम सचार्ह से और सेवा भाव से किया जायगा, वह समय वितने पर अपना प्रभाव डालेगा और निश्चय ही उन लोगों की सहायता करेगा जो इस प्रकार की सहायता तुरी तर्ह चाहते हैं ।

## स्त्री और वर्ण

“वर्ण का तात्पर्य अधिकारो अथवा विशेषाधिकारो का समूह नहीं है, यह केवल कर्तव्य और धर्म को निर्धारित करता है। वह स्त्री जो अपने कर्तव्य को जानती है और उसका पालन करती है, अपने उच्च पद का अनुभव करती है। वह घर की मालिक है, रानी है, दासी नहीं है।”

एक माननीय मित्र लिखते हैं

“वर्ण के सम्बन्ध में अभी हाल में जो कुछ आपने लिखा उससे पता चलता है कि वर्ण के सिद्धान्त पर जो आपने थोड़ा प्रकाश डाला है वह केवल पुरुषों के लिये ही लागू होता है। तो फिर स्त्री के लिये क्या है ? किस बात से स्त्री का वर्ण निश्चित किया जायगा ? कदाचित् आप यह कहेंगे कि विवाह के पूर्व स्त्री का वही वर्ण होगा जो उसके पिता का होगा और विवाह के पश्चात् उसका वर्ण पति के समान होगा। तो क्या इसका यह तात्पर्य है कि आप मनु की कुप्रसिद्ध कहावत का समर्थन करते हैं कि स्त्री अपने जीवन में किसी भी समय स्वतन्त्र नहीं हो सकती, अर्थात् विवाह के पूर्व वह माता व पिता के रक्षण में, विवाहोपरान्त पति के रक्षण में और विधवा होने पर अपने बच्चों के रक्षण में रहे ?”

“जो कुछ भी हो पर यह सत्य है कि यह युग स्त्री की सम्मति लेने का है और नि सन्देह उसने स्वतन्त्र धन्धे की खोज के लिये पुरुष के

साथ परावरी का पद ग्रहण कर लिया है। आजकल तो यह प्रायः देखा गया है कि स्त्री किसी स्कूल की अध्यापिका है और उम्मीद पति लेन देन का रोजगार करता है। इन परिस्थितियों से स्त्री का वर्ण क्या होगा ? वर्णमिश्र विभाजन के अनुसार पुरुष अपने माता-पिता के धन्धे को ही अपनायेगा, अतः उसका वर्ण माता पिता के समान होगा और इसी प्रकार स्त्री भी अपने माता-पिता के वर्ण को ही अपनायेगी, और उनसे शाशा भी ग्रही की जाती है कि विवाहोपरान्त भी वे अपने-अपने वर्णों अथवा धन्धों को नहीं छोड़ेंगे। उनके बच्चों का वर्ण क्या होगा ? अथवा वर्ण का चुनाव बच्चे स्वयं स्वतन्त्र रूप से करेंगे ? यदि ऐसा ही तो माता-पिता के वर्ण को अपनाने के सिद्धान्त का क्या होगा जिसका वर्णश्रम धर्म के अनुसार प्राप टावा करते हैं।'

आज कल की परिस्थितियों से यह प्रश्न करना मेरे विचार से व्यर्थ है, जैसा कि मैंने अपने लेख में बताया है आज कल वर्णों के सम्बन्ध में गट-बढी होने के कारण वास्तव में वर्ण हैं ही नहीं। वर्ण का सिद्धान्त चलता ही नहीं। आजकल का हिन्दू समाज अव्यवस्थित है और चारों वर्ग केवल नाम के ही हैं। यदि हम वर्ण के अनुसार विचार करें तो आज कल हर एक स्त्री अथवा पुरुष के लिए केवल एक ही वर्ण है, अर्थात् हम एक शूद्र हैं।

वर्ण धर्म के अंग पर जैसा कि मेरा विचार है, एक लटकी का वर्ण उसी प्रकार अपने पिता के समान होगा जिस प्रकार कि उसके भाई का। विभिन्न वर्णों के बीच विवाह बहुत कम होते हैं। अतः विवाहोपरान्त

की लडकी के वर्ण में कोई अन्तर नहीं होता । परन्तु यदि पति का वर्ण भिन्न हो तो विवाहोपरान्त पत्नी का वर्ण पति के समान हो जायगा और उसे पिता का वर्ण छोड़ना होगा । इस प्रकार वर्ण से बदलने से न तो किसी पर कलक ही और न तो किसी योग्यता पर ही सदेह होता है, क्योंकि इस नव जीवन के युग में वर्ण के अन्धकार पर चारों वर्ण सामाजिक विचार से बराबर हैं ।

मैं इसे नियम के रूप में नहीं मानता कि पत्नी अपने पति से स्वतंत्र होकर अपना कोई धन्धा अपनायेगी । उसके लिए यही काफी है कि वह बच्चों को देख भाल करे और घर संभाले । सुव्यवस्थित समाज में परिवार चलाने का अतिरिक्त भार उन पर नहीं होना चाहिये । पुरुष का धर्म है कि वह गृहस्थी चलाये और स्त्री घर का प्रबन्ध करे और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के कार्य में योग तथा सहायता देते रहेंगे ।

इस प्रकार स्त्री के अधिकारों का न तो हनन होता है और न उसकी स्वतन्त्रता ही छीनी जाती है । मैं मनु के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि स्त्री 'स्वतन्त्र नहीं हो सकती ।' इससे यही पता चलता है कि जिस समय उन्होंने यह नियम बनाया था, उस समय स्त्रियाँ पुरुषों के आधीन रक्खी जाती थीं । हमारे साहित्य में पत्नी को अर्द्धांग और 'सहधर्मिणी' के नाम से सम्बोधित किया गया है । इसलिए यदि पति-पत्नी को देवी कह कर सम्बोधन करे तो कोई हँसी की बात नहीं है । परन्तु अभाग्यवश एक समय ऐसा आया जब कि स्त्री के बहुत से अधिकार छीन लिए गये और उसका पद नीचा कर दिया गया । परन्तु उसका वर्ण ज्यों का त्यों

रहा, क्योंकि वर्ण का तात्पर्य अधिकारों अथवा विवेकाधिकारों का समूह नहीं है यह केवल कर्तव्य और धर्म को निर्धारित करता है। हमें कोई कर्तव्य-विहीन नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं ऐसा न चाहें। वह स्त्री जो अपने कर्तव्य को जानती है। और उसका पालन करती है वही अपने उच्च पद का अनुभव करती है। वह घर की मालिक है, रानी है, दासी नहीं।

अब मुझे इस सम्बन्ध में कदाचित् अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे कथनानुसार यदि समाज में स्त्री का उपरोक्त कर्तव्य माननीय है तो उसके वर्णों के वर्ण की समस्या का अन्त हो जाता है और उस दशा में पति अथवा पत्नी के वर्ण में कोई भेद नहीं रह जाता।



## महिलाओं की स्थिति

एक मित्र जिन्होंने सफलतापूर्वक अभी तक विवाह की इच्छा का विरोध किया है, लिखते हैं —

“कल मलाबारी हाल बम्बई में महिलाओं की एक समिति की बैठक हुई जिसमें कई सुन्दर व्याख्यान दिये गये और कई प्रस्ताव पास किये गये । शाम के लिये शारदा-द्विल का विषय निर्धारित था । हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि आप लड़कियों के लिए १८ साल की अवस्था विवाह के लिए उपयुक्त समझते हैं । दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जिस पर वाद-विवाद हुआ, उत्तराधिकार के नियम थे । यदि आप ‘नव जीवन’ या ‘यंग इण्डिया, में इस विषय पर एक जोरदार लेख लिखते तो वही ही सहायता मिलती । स्त्रियों को जन्मजात अधिकारों की प्राप्ति के लिए भीख माँगना या लड़ना क्यों पड़े ? यह एक अजीब करुण और हास्यास्पद बात है कि स्त्रियों से ही उत्पन्न पुरुष उनके विषय में ऊँची-ऊँची बातें करे और सज्जनता पूर्वक उनके लिये उचित भाग देने का वादा करे । यह देने की बात कितनी निरर्थक है ? किसी से छीनी गयी वस्तु को वापस देने में कौन-सी वीरता और सज्जनता है ? किस विषय में स्त्रियाँ पुरुषों से कम हैं ? उनका उत्तराधिकार पुरुषों से कम क्यों हो ? दोनों का अधिकार समान क्यों न रहे ? दो दिन पहले हम कुछ लोगों के साथ इसी बात पर वाद-विवाद कर रहे थे । एक महिला ने कहा,—

“हम लोग इस कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती

और पूर्ण सन्तुष्ट हैं। यह विलकुल उचित है कि लड़का जिसके पीछे पारिवारिक रीतियाँ और नाम चलते हैं उसे अधिक भाग मिलना चाहिये। वह परिवार का स्तम्भ है।” हम लोगों ने पूछा—और आपका लड़कियों के विषय में क्या विचार है, बीच ही में एक युवक बोल पड़े। ओह दूसरा उनकी देख-भाल करेगा” दूसरा। सदा दूसरा। यह दूसरा व्यक्ति ही सारे ऋणों की जड़ है। दूसरे की आवश्यकता ही क्यों हो? ऐसा क्यों मान लिया जाय कि कोई दूसरा रहेगा? लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे लड़कियों को कोई गट्टर हों, जिनका भार किसी दूसरे पुरुष के मिलने तक उनके पिता का परिवार उठाए और जब वह मिल जाय, तो उसे छुटकारे की सोस के साथ सोप दिया जाय। यदि आप लड़की होते, तो क्या सचमुच आपको इस बात पर क्रोध न आता।

पुरुष ने स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार किये हैं उन पर क्रोध आने के लिये मुझे लड़की होने की आवश्यकता नहीं। मैं ‘उत्तराधिकार’ को स्त्रियों के लिये बहुत कम मानता हूँ। उत्तराधिकार से कहीं बड़ी धुराई का वर्णन गारदाविल में है। लेकिन मैं स्त्रियों के अधिकारों के मामले में कोई सुलह नहीं करना चाहता। कानूनन उन्हें पुरुषों की अपेक्षा किसी प्रकार शक्तिहीन नहीं रखना चाहिये। मैं तो लड़कों और लड़कियों के साथ पूर्ण-समानता का व्यवहार करना चाहता हूँ। जैसे जैसे स्त्रियों को अपनी शक्ति का ज्ञान होता जायगा, (जैसा कि उनकी शिक्षा के अनुपात से अवश्य होगा) वे स्वयं जिस असमानता की दृष्टि से देखी जाती हैं, उससे घृणा करने लगेंगी।

किन्तु कानून की असमानता हटाना अपर्याप्त होगी। इस बुराई की जड़ जितना बहुत लोग समझते हैं, उससे कहीं गहरी है। वह मनुष्य के हृदय में शक्ति और समृद्धि के प्रति जो लालच की भावना है, उसमें तथा और नीचे पारस्परिक-वासना में है। मनुष्य ने सदा से शक्ति चाही है और सम्पत्ति पर उसका अधिकार होने से उसे शक्ति मिलती है। पुरुष अपनी मृत्यु के उपरान्त प्रसिद्धि भी चाहता है जो शक्ति पर निर्भर है। यदि सम्पत्ति उत्तरोत्तर टुकड़ों में बँटती जाय, (जैसा पुरुष और स्त्री के साथ समानता का व्यवहार करने पर अवश्य ही होगा) तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिये सम्पत्ति उत्तराधिकार अधिकांश रूप से सबसे बड़े लड़के को मिलता है। बहुधा स्त्रियाँ विवाहित हैं और कानून के विरुद्ध होने पर भी वे अपने पति की शक्ति और सुविधाओं में भाग लेती हैं। वे अपने पति की पत्नी होने में ही गर्व मानती हैं। और यद्यपि वे असमानता के व्यवहार के विरुद्ध जहाँ कहीं वाद-विवाद होता है, आवाज उठाती हैं। जब कार्यरूप में परिणत करने का प्रश्न आयेगा, तो वे अपनी इन वर्तमान सुविधाओं को छोड़ने के लिये प्रस्तुत न होंगी।

अतः मैं चाहूँगा कि भारतीय शिक्षित महिलाएँ अनुचित कानूनों के विरोध के साथ साथ इस बुराई की जड़ को ही नष्ट करने की चेष्टा करें। स्त्री त्याग और सहनशीलता का अवतार है और सामाजिक जीवन में उसके आगमन का परिणाम समान का परिणाम समान का परिशोधन और सम्पत्ति सग्रह तथा असंयत आर्कांक्षाओं का दमन होना चाहिये। उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि लाखों पुरुष ऐसे हैं जिनके पास

आने वाली पीढ़ी को देने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं। उनसे हमें यह सीखना चाहिये कि पैत्रिक सम्पत्ति का न होना और अच्छा है। चरित्र और शिक्षा के लिये जो सुविधाएँ माता-पिता सन्तान को देते हैं, वही ऐसी सम्पत्ति है जो वे अपनी सन्तानों के बीच समान रूप से बाँट सकते हैं। माता-पिता को चाहिये कि वे बालक-बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाएँ, जिससे वे अपने पसीने के बल से जीविका उपार्जन कर सकें। इस प्रकार छोटे बच्चों के पालन पोषण का भार स्वाभाविक रूप में बड़े बच्चों पर आएगा। अगर धनी लोग अपने बच्चों को खानदानी जायदाद के गुलाम बनाने की आकांक्षा की जगह पर ऐसी शिक्षा दें कि वे स्वतंत्र हो सकें, तो उनके बच्चों के स्वभाव से आदम्बर प्रियता जाती रहेगी। खानदान की जायदाद पर निर्भर रहने से उद्योग की प्रवृत्ति मर जाती है और ऐश्वर्य और आलस्य में पलने वाली कामनाएँ बल पाती हैं। जाग्रत महिलाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे युगों पुरानी इस प्रथा का पता लगा कर नष्ट करने का प्रयत्न करें।

पारस्परिक वासना भी स्त्रियों के विकास को रोकने वाले कारणों में से रही हैं, इस विषय में उदाहरण की आवश्यकता नहीं। अज्ञात रूप से स्त्री ने पुरुष को कई प्रकार से अप्रत्यक्ष सूक्ष्म तरीकों से घेर रखा है और पुरुष ने उसी प्रकार अज्ञात रूप से स्त्री पर अधिकार जमाने की व्यर्थ चेष्टाएँ की हैं और इसके परिणाम स्वरूप दोनों के विकास में बाधा पड़ी है। इस प्रकार यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके सुलझाने के लिये भारत माता की शिक्षित पुत्रियों की आवश्यकता है।

उन्हें पाश्चात्य ढङ्ग के अनुकरण की आवश्यकता नहीं, यह वही के लिये उचित है। उन्हें भारतीय वातावरण और भारतीय मेधावियों के अनुरूप ढङ्ग का उपभोग करना चाहिये। इनके हाथ बली, नियन्त्रणशील, शोधनकारी और दृढ होने चाहिये जिससे वे हमारी संस्कृति की अच्छी बातों को सुरक्षित रख सकें और निकृष्ट तथा अधोशील को बिना संकोच अलग कर सकें। यह सीता, द्रौपदी, सावित्री और दमयन्ती जैसी स्त्रियों का कर्म है, न कि पुरुषों की नकल करने वालों स्त्रियों का।

---

## महिलाओं के प्रति व्यवहार

कटक की श्रीमती सरला देवी लिखती हैं—

“क्या आप ऐसा नहीं मानते कि हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है, वह उतना ही भयानक रोग है जितना अस्पृश्यता ? मैं जितने राष्ट्रीयतावादी युवकों के सम्पर्क में आयी हूँ, उनमें ६० प्रतिशत का दृष्टिकोण पाशविक है। भारतीय असहयोगियों में से कितने ऐसे हैं जो स्त्रियों को भोग विलास का साधन नहीं समझते ? क्या आत्मशुद्धि जो सफलता के लिए अनिवार्य है, बिना स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन किये सम्भव है ?”

मैं यह मानने में असमर्थ हूँ कि स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है, अस्पृश्यता के बराबर ही भयानक रोग है। श्रीमती सरला देवी ने इस कुप्रथा के विषय में अधिक बढ़ा कर कहा है। और न तो अमहयोगियों के प्रति किया गया दोषारोपण ही माना जा सकता है। अतिशयोक्ति से किसी विषय का महत्व कम ही होता है। साथ ही मुझे यह स्वीकार करने में कोई अडचन नहीं कि पूर्ण-स्वराज प्राप्त करने के लिये पुरुषों के हृदय में स्त्रियों के लिए जो आदर पवित्रता की भावना है, उसे कहीं अधिक विकसित और परिष्कृत करना पड़ेगा। माननीय पेंड्रूज, ने श्रीमती सरला देवी की अपेक्षा कहीं अधिक सत्य बात कही है “अपनी पतित बहनों की मानहानि पर दृष्टिपात करने का हमारा साहस नहीं होता” कोई भी असहयोगी बड़े जोश के साथ कहता हुआ यह पाया जा सकता है

कि, कुमार्ग पर जानेवाली इन बहनों में से बहुतों ने अपने को असहयोग के लिये 'रिजर्व' कर रखा था, यह हमारे लिये एक अपमानजनक बात है ।

इस विषय में जो चारित्रिक संगठन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, सहयोगियों और असहयोगियों में कोई भेद नहीं हो सकता । हम पुरुषों को जब तक एक भी स्त्री हमारी वासना के वशीभूत रहे, लज्जा से अपना सिर नीचा किये रखना चाहिये । ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति को अपनी वासना का साधन बनाकर हम पशुओं से भी नीचे उतरें, इसकी अपेक्षा मैं पुरुष-जाति का सर्वनाश देखना चाहूँगा । किन्तु यह केवल भारतवर्ष ही का प्रश्न नहीं, बल्कि सारे संसार का प्रश्न है । और मैं इन्द्रिय सुख से पूर्ण आधुनिक कृत्रिम जीवन का विरोध करता हूँ और लोगों से प्राचीन सात्विक जीवन ग्रहण करने को कहता हूँ, ( जिसका द्योतक चरखा है ) क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना सादगी के हम अपनी इस पाशविक स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते । मैं अपनी महिलाओं के लिए अधिक से अधिक स्वाधीनता चाहता हूँ । बाल विवाह से मुझे घृणा है और विधवा बालिका को देख कर मैं काँपने लगता हूँ तथा स्त्री के देहान्त के पश्चात् तुरन्त विवाह करने वाले पुरुष को देखकर मैं क्रोध से पागल हो उठता हूँ । मैं ऐसे माता-पिता को जो अपनी बालिकाओं को बिल्कुल अशिक्षित रखते हैं और किसी धनाढ्य व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए उनका पालन पोषण करते हैं वही नीची दृष्टि से देखता हूँ । किन्तु इस दुःख और क्रोध के साथ-साथ मैं इसकी

कठिनाइयों को भी अनुभव करता हूँ। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार और कानूनी समानता अवश्य मिलनी चाहिये, परन्तु यह प्रश्न यहाँ नहीं समाप्त होता। केवल यह वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ स्त्रियों राष्ट्र के राजनीतिक निर्माण पर प्रभाव डालने लगती हैं।

मेरा क्या उद्देश्य है, इसके लिए मैं एक सज्जन मुमलमान मित्र के वाद विवाद को उद्धृत करूँगा जो उनके और के बीच हुआ था और जिम्मा वर्णन उन्होंने मुझसे बड़े सुन्दर रूप से किया था। वे स्त्रियों के समर्थकों की एक सभा में बैठे थे और उन्हें ऐसी जगह देव कर एक महिलामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसने उनमें वहाँ उपस्थित होने का कारण पूछा। मुमलमान मित्र ने बताया, "मेरे यहाँ आने के दो मुख्य और दो गौण कारण हैं। मेरे जैगव काल ही मैं मेरे पिता का देहान्त हो गया, अतः मेरे विकास का पूर्ण श्रेय मेरी माँ को है। फिर मेरा विवाह एक स्त्री से हुआ जो मेरे जीवन की सच्ची सहचरी थी। अब मेरे कोई पुत्र नहीं केवल चार लड़कियाँ हैं जो सभी बहुत छोटी हैं और उनसे मुझे पिता के रूप में बड़ा स्नेह है। क्या यह आश्चर्यजनक बात है कि मैं स्त्रियों का समर्थक हूँ। मुमलमानों पर यह सबमे बड़ा दोषारोपण किया जाता है कि वे स्त्रियों के प्रति उदासीन रहते हैं।

इस्लाम स्त्रियों के लिये समानता का व्यवहार सिखाता है और मेरा विचार है कि पुत्प ने अपनी वासना के लिये स्त्री को पतित किया है। और उसकी आत्मा के स्थान में उसने उसके शरीर की उपामना में



यहाँ तक सफलता पायी है कि आज स्त्री को यह भी ज्ञात नहीं की वह जो शारीरिक सौंदर्य की ओर इतनी झुकी रहती है, उसके गुलामी का चिन्ह है ?” इतना कहते कहते उनका गला भर आया। “यदि ऐसा नहीं है तो हमारी पतिव्रता वहनें शारीरिक सौंदर्य में इतना मन क्यों लगाती है ? क्या हमने उनकी आत्मा को कुचल नहीं डाला है ?” अपने को सम्भालने के वाद उन्होंने कहा, “नहीं, मैं स्त्रियों के लिये कृत्रिम स्वतन्त्रता ही नहीं चाहता बल्कि उन सभी सम्बन्धों को तोड़ देना चाहता हूँ जो उन्हें उनकी इच्छा से बाँधे हुए हैं।’ इसलिये वे सज्जन अपनी लडकियों को एक स्वतन्त्र पेशे के योग्य बनाना चाहते थे।

इस वाद विवाह को और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। मेरी इच्छा है कि मेरे सम्वाददाता इन मुसलमान मित्र की बात पर ध्यान पूर्वक विचार करे और फिर प्रश्न को सुलझाने की चेष्टा करें। स्त्रियाँ अवश्य ही यह अपने मन से निकाल दें कि वे पुरुषों की वासना के पात्र हैं। उनकी उन्नति पुरुषों की अपेक्षा उन्हीं के हाथों में है। यदि उन्हें पुरुषों की समानता प्राप्त करनी है, तो उन्हें अपने पति के लिये भी शारीरिक सौंदर्य की ओर मन न देना चाहिये। मेरे ध्यान से नहीं आता कि सीता ने एक भी क्षण शारीरिक सौंदर्य द्वारा राम को प्रसन्न करने में विताया होगा।

## स्त्रियों का पुनर्जीवन

बम्बई भगिनी समाज के वार्षिक अधिवेशन से व्याख्यान देते हुए गांधी जी ने कहा —

यह जानना आवश्यक है कि स्त्रियों के पुनर्जीवन में हमारा क्या तात्पर्य है। इसमें स्त्रियों के जीवन की पहले से ही कल्पना कर ली गयी है और यदि ऐसा है तो हमें देखना चाहिये कि पुनर्जीवन का प्रश्न उठा क्यों और कैसे ? इन बातों पर अधिक सोच विचार करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। समस्त हिन्दुस्तान की यात्रा करने में मैंने अनुभव किया है कि सभी वर्तमान आन्दोलन हमारी जनता के थोड़े से लोगों तक ही सीमित हैं, जो कि एक वृहत् प्रकाश कुंज से एक चिनगारी के समान हैं।

करोड़ों स्त्री और पुरुष इस प्रचार से अनभिज्ञ हैं। और हमारे देश के ८५ प्रतिशत लोग अपना जीवन उनके आस पास जो हो रहा है उनमें बिना हाथ धँटाए बिता रहे हैं। ये स्त्री और पुरुष अनजान होने पर भी अपने जीवन में कुशलता और सफलता पूर्वक भाग लेते हैं। दोनों को या तो एक ही शिक्षा मिलती है या मिलती ही नहीं। फिर भी वे एक दूसरे की यथोचित सहायता करते हैं। उनके जीवन में जो भी अपूर्णता है, उसका कारण शेष १५ प्रतिशत लोगों के जीवन में मिलेगा। यदि भगिनी-समाज की हमारी बहनें इन ८५ प्रतिशत लोगों के जीवन का निकट से अध्ययन करें, तो उन्हें एक सुन्दर सामाजिक कार्यक्रम मिलेगा।

अपने निरीक्षण को मैं ऊपर आये हुये १५ प्रतिशत लोगो तक ही सीमित रखूंगा, फिर भी स्त्रियों और पुरुषों की उभयनिष्ठ कमजोरियों पर विचार विनिमय करना संगत नहीं। हम जिस विषय को समझने जा रहे है वह पुरुषों के अपेक्षाकृत स्त्रियों का पुनर्जीवन है। नियमों के नियन्ता अधिकतर पुरुष रहे है। और पुरुषों ने इसमे सदा ईमानदारी और न्याय नहीं किया है। स्त्रियों का सुधार करते समय हमें सब से अधिक ध्यान उन चीजों को हटाने पर देना चाहिये जिन्हें शास्त्रो ने स्त्रियों के जन्मजात कहा है। इसे कौन और किस प्रकार करेगा? मेरी राय मे इस कार्य के लिसे हमे स्त्रीता, दमयन्ती और द्रौपदी की भाँति दृढ और आत्मसंगत नारियों का निर्माण करना होगा। इस प्रकार की स्त्रियों को समाज उसी आदर से देखेगा जिससे इनकी पुरातन प्रतिकृति को। उनकी वाण में वही शक्ति होगी, जो शास्त्रो में है। स्मृतियों मे उनके विषय मे जो उटपटाँग बातें कही है, उन पर हमें लज्जा आयेगी। और हम उन्हें भूल जाँयगे। इस प्रकार के विद्रोह हिन्दू समाज में पहले भी हुए है और आगे भी होंगे और इनसे हमारा विश्वास और बढ़ता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा यह संगठन शीघ्र ऐसी स्त्रियाँ पैदा करने मे सफल हो।

हम स्त्रियों के पतन के मुख्य कारणो पर विचार कर चुके है और उन आदर्शों पर भी हम प्रकाश डाल चुके हैं, जिनसे उनकी वर्तमान दशा मे सुधार हो सकता है। निश्चय ही इन आदर्शों को समझनेवाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम होगी, इसलिये हम साधरण स्त्रियाँ क्या कर सकती है, ( यदि वे करना चाहें ) इस पर विचार करेंगे। उनकी

सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिये कि अधिकर ने अधिक स्त्रियों के मन में उनकी वर्तमान स्थिति का सच्चा और उचित ज्ञान जगायें। मैं यह नहीं समझता कि ऐसा साहित्यिक शिक्षा ही के द्वारा किया जा सकता है। इससे तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जायगी और इतनी लम्बी अवधि आवश्यक नहीं, ऐसा सोने हर कदम पर अनुभव किया है। स्त्रियों बिना किसी प्रकार की साहित्यिक शिक्षा दिये, उन्हें उनकी शोचनीय दशा का ज्ञान कराया जा सकता है। स्त्री पुरुष की सहचरी है, उसमें पुरुष के समान ही तरह प्रकार की बौद्धिक शक्ति होती है और पुरुष के हर छोटे से छोटे कार्य में भाग लेने का और उसी की भाँति स्वाधीनता का अधिकार है। जिस प्रकार पुरुष को अपने क्षेत्र में प्रमुख स्थान मिला है उसी प्रकार स्त्री को अपने क्षेत्र में मिलना चाहिये। ऐसा लिखना पढ़ना सीखने के फलस्वरूप नहीं बरन् स्वाभाविकत होना चाहिये। किन्हीं प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के बल से कुछ मूर्ख और निकम्मे लोगों को स्त्रियों के ऊपर वे अधिकार प्राप्त हैं जिनके वे बिल्कुल अयोग्य हैं। हमारे बहुत से कार्य तो स्त्रियों के दुर्दशा के कारण बीच में ही समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार हमारी चेष्टाओं का समुचित फल नहीं मिलता। हम लोगों की वैसी ही दशा है जैसी छोटी बातों की ओर ध्यान देने वाले और बड़ी बातों की ओर लापरवाह रोजगारी की होती जो आपने व्यापार में प्रयास पूर्ण नहीं लगता।

वैसे तो बिना पढ़े लिखे इस दशा में काफी काम किया जा सकता है, फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना उसके सदा काम नहीं चल

सकता । पढ़ने लिखने से मस्तिक की वृद्धि और विकास होता है और हमारे अच्छे कार्यों के करने को चेतना आती है । ऐसा कह कर मैं पढ़ने लिखने की उचित उपयोगिता ही समझ रहा हूँ । स्त्रियों की अशिक्षा के कारण पुरुषों को उनसे अधिक अधिकारों का उपयोग करने में कोई न्याय नहीं । परन्तु इन स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा में समर्थ होने के लिये उनमें सुधार करके के लिये शिक्षा की आवश्यकता है, और फिर बिना शिक्षा के करोड़ों लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त होना असम्भव है । बहुत सी पुस्तकें निर्दोष आनन्द देनेवाली हैं, लेकिन बिना शिक्षा के उनका आनन्द हम नहीं प्राप्त कर सकते ।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना शिक्षा के पुरुष पशुओं से अधिक ऊँचे नहीं रहता । अतः शिक्षा स्त्रियों के लिये उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पुरुषों के लिये, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाय । सबसे पहले तो हमारी सरकार की शिक्षा-पद्धति में बहुत सी कमियाँ हैं और उससे बहुत कुछ हानि होती है । उससे दोनों को बचाना चाहिये । उसकी वर्तमान बुरा-इयाँ हट जाने पर भी, स्त्रियों के लिये हर दृष्टिकोण से वह उपयोगी और उचित नहीं होगी । स्त्री और पुरुष समान हैं, परन्तु एक दूसरे नहीं ले सकता उनका एक अनुपम जोड़ा है, और उनसे से एक दूसरे का पूरक और सहायक है । अतः एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस प्रकार किसी एक के लिये हानिकारक रीति का दूसरे पर भी समान रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा । स्त्रियों की शिक्षा के

विषय में विचार करते समय इस बात का गदा विशेष ध्यान रखना चाहिये। पुन्प का बाहरी बातों में प्रसुप्त स्थान है, अतः उसे उनका विशेष ज्ञान होना चाहिये और दूमरी और गृहकार्य स्त्री का क्षेत्र है, अतः उन्हें बाल बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा दृष्टादि गार्हस्थ्य सम्बन्धी कार्यों की विशेष शिक्षा मिलनी चाहिये। परन्तु हमसे यह अर्थ नहीं कि दोनों जानोपार्जन में कोई हड़ और निश्चित शीघ्रता रखती को जाय या किसी प्रकार के ज्ञान क्रिमी के लिये बन्द रख जाय। किन्तु जब तक दोनों की शिक्षा के मा'यम में उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तों का ध्यान न रखा जायगा, स्त्री और पुन्प के जीवन का पूर्ण विकास असम्भव है।

मैं कुछ शब्द इस बारे में भी कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की शिक्षा हमारी स्त्रियों के लिये आवश्यक है या नहीं। मैं हम निर्णय पर पहुँचा हूँ कि साधारण रूप में पुन्पों या स्त्रियों, क्रिमी के लिये अंग्रेजी की शिक्षा आवश्यक नहीं। मच पृछा जाय तो जीविका-उपार्जन तथा राजनैतिक क्षेत्रों के लिये अंग्रेजी आवश्यक है और मैं ऐसा नहीं मानता कि स्त्रियों की जीविका के लिये अथवा व्यापार के लिये उद्योग करना उचित है। जो थोड़ी बहुत स्त्रियों को अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहें या जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, पुन्पों के लिये नुले म्दलों में प्राप्त कर सकती हें। स्त्रियों के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रकार का प्ररिणाम यह होगा कि हमारी अममर्धता और भी बढ़ जायगी।

मैंने लोगों को बहुधा यह कहते सुना और पढा है कि अंग्रेजी स्त्रियों

रूप से चेष्टा की जाय, बड़े बड़े सुधार के कार्य इस समय स्थगित कर दिये जा सकते हैं और इस प्रकार स्वराज के लिये विना उसका नाम तक लिये बहुत बड़ी सेवा की जा सकती। जब छापे की कलें नहीं थीं और व्याख्यान देने के भी साधन बहुत सीमित थे और आज की तरह जब कि मनुष्य १००० मील प्रतिदिन यात्रा कर सकता है, वह नहीं चल सकता था (वह कठिनाई के साथ २४ मील जा पाता था)। उस समय हमारे पास प्रचार करने का एक ही साधन था— हमारे कार्य और उतने असीम शक्ति की आज हम वायु की गति से उधर से उधर व्याख्यान समाचार पत्रों के लिये लेख लिखते फिरते हैं, फिर भी हमें वसी का अनुभव होता है और हमारे निराशा से भरी आघात आकाश में गूँजती रहती है। मैं अकेले इस विचार का मानने वाला हूँ कि पुरातन काल की भाँति हमारे कार्यों का जनता पर कितने भी व्याख्यान और लेखों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपके इस एन्थोशियेशन से मेरी यह हार्दिक प्रार्थना है कि आपके सदस्य जो कुछ भी करें उसमें शान्त और ऐसे कामों को अधिक महत्व दें, जिनसे दूसरों को कष्ट न पहुँचे।

## स्त्री धर्म क्या है ?

एक बहुत पढी-लिखी बहन का पत्र, कुछ हिस्से निकाल देने के बाद यहाँ देता हूँ .—

आपने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिये दुनियाँ को आत्मा का गौरव दिखा दिया है। मनुष्य के पशु स्वभाव को जीतने की समस्या इन्हीं दो शब्दों से हल हो सकती है।

उद्योग के जरिये शिक्षा एक महान कल्पना ही नहीं है बल्कि हम अपने बच्चों को रबावलम्बी बनाना चाहते हैं तो शिक्षा का एकमात्र सही तरीका भी यही है। आप ही ने यह बात कही है और एक ही वाक्य में शिक्षा की सारी विशाल समस्या हल कर दी है। उसकी तफ-सील तो हालत और तजुबों से ही तय हो सकती है, मेरी अर्ज है कि स्त्रियों का सवाल भी जरूर हल कर दें। राजा जी कहते हैं कि हम स्त्रियों का कोई सवाल ही नहीं है। शायद राजनीतिकमानें में न हों। कदाचित् धन्ये के वारे में भी कानून द्वारा हमें निश्चित बनाया जा सकता है, अर्थात् सभी पेजे औरव, मर्द सबके लिये समान रूप में खोल दिये जा सकते हैं।

मगर फिर भी हम स्त्री हैं, और स्त्री के गुण-दोष पुरुष से भिन्न हैं, इस बात में अन्तर नहीं पड़ता। हमें अपने स्वभाव के दोषों को दूर करने के लिये अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा कुछ और सिद्धान्त भी चाहिये।



पुरुष की तरह स्त्री की आत्मा भी ऊँचा उठने की कोशिश करती है, मगर ऐसे नर को अपनी आक्रमणकारी भावना, काम-वासना और दुःख पहुँचाने की पशु वृत्ति आदि से छुटकारा पाने के लिये अहिंसा और ब्रह्मचर्य की जरूरत है, ठीक उसी तरह नारी को भी कुछ ऐसे उसूलों की आवश्यकता है जिनसे वह अपने स्वभाव के दोष दूर कर सके, क्योंकि वे दोष पुरुष के दोषों से अलग तरह के हैं और आमतौर पर कहा जाता है कि वे प्रकृति से ही स्त्री के साथ लगे हुए हैं। स्त्री होने के कारण ही उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका जिस तरह लालन-पालन और शिक्षण होता है, और उसके लिये जैसा वातावरण पैदा हो जाता है, वह सब उसके विरुद्ध पड़ता है।

और ये चीजे यानी उसका स्वभाव, उसकी तालीम और उसका वायु-मंडल, उसके काम में हमेशा खलल डालती, उसका रास्ता रोकती और आमतौर पर यह कहने का मौका देती है कि “आखिर तो औरत ही है” जब मैं कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गले का हार हो गया है, तो मेरा मतलब यही है। मेरे ख्याल से हमारी समस्या ठीक तौर पर हल हो जाये और अपने सुधार का सही तरीका हमारे हाथ लग जाये तो सहानुभूति और कोमलता आदि जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं उन्हें बाधक होने के बजाय हम साधक बना सकती हैं। जैसा आपने पुरुषों और बच्चों के बारे में हल बताया है उसी तरह हमारा सुधार भी हमारे ही भीतर से होना चाहिये। मैंने स्वभाव, शिक्षा और वातावरण की बात कही है। अपनी बात साफ समझानेके लिए मैं एक मिसाल देती हूँ।

कुदरत ने औरत को कोमल, नरम दिल, हमदर्द और बच्चों की मां बनाया है। इन चीजों का असर उस पर अनजान में भी बहुत होता है। इसलिये जब उम्मे कुछ करना पड़ता है तो वह बेहद भावुक हो जाती है। मर्दों के सम्पर्क में आने पर बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठती है। जिस वक्त उसे सरत रहना चाहिये उस वक्त उसका दिल पिघल जाता है। वह जल्दी ही खुश और नाराज हो जाती है, उसे आसानी में अपने पर गर्व हो जाता है और आमतौर पर भोलेपन के काम करती है।

जब मैं आपसे मिलने आयी तब हालाँकि उस मुलाकात की मुझे बड़ी उत्सुकता थी और पहली बात उसका विचार करते करते मुझे नींद भी नहीं आयी थी, फिर भी जब मैं आपके सामने गयी और आपने मुझे बैठ जाने को कहा तो मैं श्रीदेगार्ड की लम्बी-चौड़ी पीठ की छाट में जा बैठी। वहाँ से न मैं आपकी बात सुन सकती थी और न आपका मुँह देख सकती थी। यह मेरा कितना भोलापन था। इतना ही नहीं, मैंने देख लिया कि मैं अपनी बात भी नहीं समझ सकती, मेरी जगान ही नहीं चलती थी। इसकी वजह मैं यह समझती हूँ कि मेरे स्वभाव पर भावुकता सवार रहती है और आसानी से काबू के बाहर हो जाती है। अवश्य ही, यह रास डोप तो उचित तालीम से निकल जाता। मगर मैं कह सकती हूँ कि सम्भव है, मैं और कोई ऐसा ही भोलेपन का काम कर बैठूँ।

मेरी एक सखी ने मुझे वे उत्तर दिखाये थे जो उसने राष्ट्रीय योजना-उपसमिति की स्त्रियों के काम के बारे की प्रश्नावली पर लिख

भेजे थे। आप जरूर जानते होंगे कि ये सवाल नम्बरवार होते हैं और कुछ इस तरह के हैं—देश के जिस भाग में आप रहती हैं, वहाँ किस हद तक स्त्रियों को अपने हक से सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकार में मिलने, बेचने या दे डालने का अधिकार है ?

जिन अनेक काम धन्धों में अलग-अलग योग्यता की स्त्रियों को लगाने को जरूरत हो सकती है उसके लिए स्त्रियों को उचित शिक्षा और तालीम देने का क्या बन्दोबस्त और सुविधाएँ हैं ? वगैरः वगैरः।

मेरी सखी ने प्रश्नों का उत्तर न दे कर यह लिखा है—“यह कहना जरा भी सच नहीं है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा जैसी कोई चीज मिलती ही न थी।” उसने यह भी लिखा है कि “वैदिक युग में विवाह होने पर पत्नी को कुटुम्ब में तुरन्त प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता था और वह अपने पति के घर की मालकिन बन ज्हती थी” आदि आदि। उसने मनुस्मृति से भी प्रमाण दिये हैं।

मैंने उससे पूछा कि जब सवाल आज के जमाने के वारे में पूछे गये हैं तो पुराने रीति-रिवाज का हाल लिखने की क्या जरूरत थी ? वह यह सोच कर कि निबन्ध के रूप में उत्तर बढ़िया रहता है कुछ मुँह-ही-मुँह कहती रही और फिर तेज होकर बोली, “श्रीमती ...अमुक का जवाब तो मुझसे भी बुरा है।”

मेरी समझ से मेरी सखी को यह भूल ठीक तालीम न मिलने के कारण हुई है और तालीम उसे दी होने के कारण ही नहीं दी गयी। यह तो मुहरिरी भी जानता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके

जवाब में दूसरे ही विषय पर निवन्ध नहीं लिखना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे उदाहरण देते जाने और अपनी बात समझाते रहने की जरूरत नहीं है। आपको सब प्रकार की स्त्रियों का इतना विशाल अनुभव है कि आप जान गये होंगे कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि अत्यन्त महत्व पूर्ण सिद्धांत से स्त्रियाँ सुधर सकती हैं, वही उन्हें मालूम नहीं है।

आपने मुझे 'हरिजन' पढ़ने की सलाह दी थी। मैं शौक से पढ़ती हूँ। मगर अब तक अन्तरात्मा के लिए कोई सलाह मेरे देखने में नहीं आई। राष्ट्रीय आजादी के लिए कातना और लड़ना तो उस तालीम के कुछ पहलू ही हैं। उनमें समस्या का सारा हल समाया हुआ नहीं दीखता, क्योंकि मैंने ऐसी स्त्रियाँ देखी हैं जो कातती हैं और कांग्रेस के आदर्शों पर अमल करने की कोशिश तो जरूर करती हैं लेकिन फिर भी वही बड़ी बड़ी भूलें कर बैठती हैं जिनका कारण उनका स्त्री होना ही है। मैं पुरुषों के जैसी नहीं बनना चाहती। लेकिन जैसे आपने पुरुषों की पशु प्रकृति के सुधार के लिए अहिंसा दिखाई है, वैसे हमें भी वह पाठ पढ़ा दीजिये। जिससे हमारा भोलेपन का दोष दूर हो जाये। कृपा कर के बताइए, हम कैसे अपने स्वभाव का सदुपयोग करें और अपनी बाधाओं को सुविधा बना लें। यह स्त्री होने का भार हमेशा मेरे मन पर रहता है। जब कभी मैं किसी को नाक-भौं सिकोड़ कर यह कहते सुनती हूँ कि "आखिर स्त्री है" तो मेरी आत्मा में वेदना होती है (अगर आत्मा में भी वेदना हो सकती हो तो।) एक पुरुष से मैंने इन बातों की चर्चा की तो वह मेरी हँसी उड़ाकर कहने लगा, आपने हमारे मित्र

के घर उस बच्चे को देखा था ? वह गाढी बनाकर खेल रहा था और चग चग करता जब खम्भे के पास पहुँचा तो उसके चौरफ घूमने के बजाय उसने अपने कन्धों से धक्का दे कर उसे गिराने की कोशिश की। वह अपने बाल-स्वभाव से यह समझता था कि मैं उसे गिरा दूँगा। आपकी बात से मुझे वह याद आता है। आप जो कहती हैं, वह मनो-वैज्ञानिक बात है। आप उसे समझने और सुलझाने का जो प्रयत्न करती हैं, उस पर मुझे हँसी आती है।”

## स्त्रियों का काम

प्रश्न—आप कहते हैं—“स्त्री को घर छोड़ कर घर रक्षा के लिए कन्धे पर बन्दूक धरने के लिये कहना या प्रोत्साहित करने से स्त्री और पुरुष दोनों का ही नाश होगा। यह तो फिर जङ्गली बनना हुआ। लेकिन उन करोड़ों महिलाओं के लिये क्या कहिएगा, जो कृपि करती तथा कारखानों में मजदूरी करती हैं। उन्हें भी तो घर त्यागकर जीविका कमाना पडती है। क्या आप उद्योग-धन्धों को मिटा देंगे ? और फिर वही पाषाण-युग को खींच लावेगे ? क्या यह फिर से जङ्गली बनना या विनाश का आरम्भ नहीं होगा ? आपकी कल्पना से समाज की वह नयी व्यवस्था कौन-सी होगी, जिसमें स्त्रियों से काम लेने में पाप न होगा ?

उत्तर—करोड़ों स्त्रियों का अगर बरबस घर छोड़ कर अपनी जीविका पडती है तो यह बुरी बात है। पर यह उतनी बुरी बात नहीं है,

जितनी कन्धों पर बंदूक रखना । वास्तव में मजदूरी करने में कोई बर्बरता नहीं है । अपने घरों की देख-भाल करते हुए अगर स्त्रियाँ स्वेच्छा से सेतों पर भी काम करती हैं तो इसमें मुझे कोई बर्बरता दिखाई नहीं पडती । मेरी कल्पना में समाज की जो नई व्यवस्था है उसमें सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे और उन्हें अपने श्रम का उचित मूल्य मिलेगा । इस नई व्यवस्था में स्त्रियाँ थोड़े समय के लिए काम करेंगी, पर उनका मुख्य काम घर की देख भाल करना होगा । चूँकि मैं अपनी नयी व्यवस्था में बन्दूक को स्थायी चीज नहीं मानता । इसलिए जहाँ तक पुरुषों का सम्बन्ध है वहाँ भी उसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जायगा, जब तक उसका इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक उसे एक अनिवार्य बुराई समझ कर सहन किया जायगा । पर मैं जान बूझ कर इस बुराई की छूत स्त्रियों को नहीं लगाने दूँगा ।

## स्त्रियों का विशेष कर्तव्य

यूरोप संकट पर आपने जो लेख लिखा है, उसे मैंने बड़े चाव से पढ़ा। यह विलकुल स्वाभाविक था आप इस समय ऐसा लेख लिखें। जब मानवता सर्वनाश के गर्त पर हो, आप अपने को कैसे रोक सकते थे ?

प्रश्न यह है कि क्या संसार उस पर ध्यान देगा ?

हज़लैड से आये हुए मित्रों के पत्र व्यवहार देखने से पता चलता है कि उस भयानक सप्ताह में लोगों को अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ा। और मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि कुछ अंश तक यही बात संसार भर के लिए लागू है। पैशाचिक-साधनों, आधुनिक युद्ध के और उनके परिणाम स्वरूप जो भयानक पाशविकता और हत्या होती है, उसकी कल्पना मात्र से ही लोग पहले की अपेक्षा दूसरे ही ढङ्ग से सोचने लगे हैं। एक अंगरेज मित्र ने लिखा है “युद्ध के रुक जाने का समाचार सुन कर लोगों ने जो आराम की साँस ली और ईश्वर के प्रति हर प्राणी ने जो अनुग्रहपूर्ण विचार प्रकट किये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता।” फिर भी अकथनीय कष्टों का भय अपने निकटवर्ती सम्बन्धियों को खोने की आशंका अपने देश को पराजित देखने की मान हानि, ये ही ऐसे कारण हैं जिनसे लोग युद्ध से घृणा करते हैं। क्या दूसरे राष्ट्र के पराजय से युद्ध रुक जाने पर हम प्रसन्न हैं ? क्या यदि मर्यादा के त्याग की चर्चा हमसे की गयी होती तो हम और तरह से सोचते ? हम युद्ध से इसलिये घृणा करते हैं कि हम जानते हैं, भगवों के निर्णय का

यह अच्छा मार्ग नहीं है या हमारी यह घृणा हमारे भय और आगष्टा के कारण है ? यदि युद्ध को संसार से मिटाना है तो इन प्रश्नों का समुचित उत्तर मिलना आवश्यक है ।

“इस सकट के समाप्त होने पर हम क्या देखते हैं ? शस्त्रीकरण के लिये पहले से भी अधिक जोरदार जाति, सभी सुलभ साधनों—पुत्रपत्नी, धन, योग्यता, मस्तिष्क—का ऐसा विस्तृत और वृहत् अभूत-पूर्व संगठन जो युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है ।

कहीं से भी स्पष्ट घोषणा नहीं हो रही है कि “युद्ध नहीं टोगा ।” क्या यह बात का द्योतक नहीं कि युद्ध आज के लिये चाहे समाप्त हो गया हो, किन्तु टैमाकिरस की तलवार की तरह यह अब भी हमारे गिरो पर लटक रहा है । स्त्री की हैसियत से मुझे दुख है कि हमारी जाति ने संसार की शान्ति स्थापना में वह योग नहीं दिया जो उसे देना चाहिये था । यह जानकर मुझे बड़ा दुःख होता है कि युद्ध-भूमि पर सचमुच लड़ने के लिये स्त्रियों का संगठन किया जा रहा है और फिर युद्ध के दिनों में स्त्रियों ही का हृदय निचोड़ा जाता है और उन्हीं की आत्मार्थे विध्वंस होती है, जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती । इन सबका वर्णन नहीं किया जा सकता । हम लोगों ने हर युग में श्रेष्ठतर भाग क्यों नहीं चुना ? हमने निर्मम, पाशाविक, और निर्दय शक्ति के समक्ष घुटने क्यों टेके ? यह हमारा आत्मिक, विकास की दुःखद व्याख्या है । हमने उच्च आदर्श को नहीं समझा । मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि यदि स्त्रियों ने हृदय से



अहिंसा के महत्त्व और उसकी शक्ति को समझा होता तो संसार में शान्ति और सुख ही होते ।

‘आप हम भारतीय स्त्रियों का प्रोत्साहन और संगठन क्यों नहीं करते ? आप हमें दाहिना हाथ बनाने की ओर ध्यान क्यों नहीं देते ? कई बार मेरी इच्छा हुई कि आप केवल इसी काम के लिये एक बार भारतवर्ष भर का भ्रमण कीजिये । मुझे विश्वास है कि आपको स्त्रियों का आश्चर्यजनक सहयोग मिलेगा, क्योंकि भारतीय नारियोंका हृदय दृढ है और संसार में शायद ही किसी और देश की नारियों ने इतना सुन्दर त्याग किया हो । यदि आप हमें कुछ बनाएँ तो हम दुःख और शोक में डूबते हुए संसार को शान्ति का मार्ग बताने में ससर्थ हो सकेंगी’— एक महिला के इस पत्र को प्रकाशित करते हुए मुझे कुछ हिचक हो रही है । परन्तु मैं अपनी सीमाएँ जानता हूँ । मुझे लगता है कि मेरे भ्रमण-करने के दिन समाप्त हो गये अब तो मुझे चाहिये त्खों द्वारा जो कुछ कर सकता हूँ, करूँ, किन्तु मौन प्रार्थना में मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है । यह अपने तर्ह एक कला है और शायद सबसे ऊँचे जिसके लिए अत्यन्त परिष्कृत प्रयत्नों की आवश्यकता है । मैं मानता हूँ कि अहिंसा के सर्वोत्तम रूप का प्रदर्शन स्त्री ही का कार्य है । किन्तु एक स्त्री के हृदय को द्रवित करने के लिए पुरुष की क्या जरूरत । यदि यह पत्र केवल मुझे यह जानकर कि (जैसा माना जाता है) मैं अहिंसा का सामाजिक रूप से प्रयोग करने में सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भारतीय स्त्रियों को उपदेश देता फिरूँ । मैं अपने संवाददाता को यह विश्वास दिलाता कि मुझमें इच्छा

की कमी नहीं जो मुझे उसकी अपील के अनुगमन कार्य करने से रोक रही हो। मेरा विचार है कि यदि कांग्रेस के लोग अपना विश्वास अहिंसा में दबकर रहें और अहिंसात्मक कार्यक्रम पर पूर्णरूप से मन लगाकर चलते रहें, तो स्त्रियाँ स्वयं बढ़ल जायेंगी। और सम्भव है उन्हीं से से कोई ऐसी निकल आये जो मेरी अपेक्षा कहीं आगे निकल जाय, जहाँ पहुँचने की मुझे आशा भी न हो, क्योंकि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अहिंसा के विषय में खोज करने तथा निर्भीकता पूर्वक कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त है। जिस प्रकार मेरा विश्वास है, पाशविक गौरव में पुरुष स्त्री से बढ़कर है, उसी प्रकार आत्म त्याग में स्त्री पुरुष की अपेक्षा सदा कहीं बढ़कर है।”

## महिलाएँ और सैनिकता

यूरोप में यह प्रश्न पूछा गया कि स्त्रियाँ सैनिकता के विरुद्ध किम प्रकार लड़ें। इटली की एक ग्राइवेट में गांधी जी से कहा गया कि वे इटली की स्त्रियों को कुछ ऐसी बातें बतायें जो भारत की स्त्रियों से सीख सकें।

पेरिस में महात्मा जी ने कहा, “यदि स्त्रियाँ भूल जाय कि वे पुरुषों से कम शक्तिशाली हैं तो पुरुषों की अपेक्षा युद्ध के विरोध में कहीं अधिक कार्य कर सकती हैं। आप लोग स्वयं सोचिये यदि सिपाहियों और सेना नायकों की मातायें, स्त्रियाँ और बालिकायें उन्हें किसी भी रूप में युद्ध में भाग लेते हुए न देखना चाहें तो क्या हो ?”

लासेन ने उन्होंने कहा, 'मैं नहीं समझता कि मुझमें यूरोप की स्त्रियों को सन्देश देने की शक्ति है। यदि मेरे सन्देश को सुन कर वे क्रोधित न हो, तो मैं चाहता हूँ कि वे अपना ध्यान भारत की स्त्रियों की ओर ले जायँ जो गतवर्ष पूर्ण रूप से एकता पूर्वक लड़ने को खड़ी हुईं और मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि यूरोप को अहिंसा की शिक्षा उसकी स्त्रियों द्वारा ही मिल सकती है। यहाँ मैं इसका समर्थक हूँ कि नारी आत्मत्याग का साक्षात् रूप है किन्तु दुर्भाग्यवश आज उसे इसका ज्ञान नहीं रहा कि उसकी सत्ता पुरुष से कितनी ऊँची है। जैसा कि टाल्सटाय कहा करते थे "स्त्रियाँ पुरुष के वश में होकर चल रही हैं।" यदि वे अहिंसा की शक्ति को समझ ले तो उन्हें पुरुषों से शक्तिहीन समझा जाना कभी पसन्द न होगा।'

स्त्रियों की एक टोली से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अहिंसात्मक युद्ध का सबसे बड़ा गुण यह है कि स्त्रियाँ उसी प्रकार भाग ले सकेंगी जैसे पुरुष। अहिंसात्मक युद्ध में स्त्रियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं होती और स्त्रियों ने गत अहिंसात्मक युद्ध में पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली भाग लिया था। और इसका कारण बिल्कुल गीधा-सादा है। अहिंसात्मक युद्ध में अधिक से अधिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है और स्त्रियों से अधिक और पवित्र सहन शक्ति है किस में? भारतवर्ष की स्त्रियों ने परदे को फाड़ फेंका और वे राष्ट्र के लिये लड़ने को मैदान में आ गयीं। उन्होंने देखा कि देश उनसे गृहस्थी के कामों के अतिरिक्त कुछ और माँग रहा था। उन्होंने गैर कानूनी नमक बनाये,

विदेशी कपड़े और नगीली वस्तुओं की दृकानों पर धरने डिये और ग्राहकों तथा दृकानदारों दोनों को रोऊने की चेष्टा की। रात में वे पीने वालों के साथ बड़े साहस और उदारता के साथ उनके अट्टों पर गइं। उन्होंने जेल की सजायें काटी, और लाठियों की चोटे खाईं, और उनकी तरह साहस बहुत कम पुरुषों ने दिखाई थीं। यदि पाश्चात्य स्त्रियों पाशविकता में पुरुषों में जितना चाहती हों तो भारतीय स्त्रियों के पास कोई मदेश दा गिजा नहीं है। उन्हें अपने पतियों और बालकों को लोगों की हत्या करने के लिये भेजकर आनन्द नहीं अनुभव करना चाहिये और न उन्हें उस बहादुरी के लिये बधाई ही देनी चाहिये।”

— महादेव देसाई

## भारतवर्ष की महिलाओं से

दरती यात्रा के अवसर पर गांधी जी ने भारतवर्ष की स्त्रियों से निम्न अपील की थी —

कुछ बहनों में “इस पवित्र संग्राममें भाग लेने” की बड़ी उत्सुकता दिखाई देती है, यह बहुत स्वस्थ चिन्ह है। इससे यह पता चला कि नमक कर के विरुद्ध विदेशी आन्दोलन चाहे जितना आकर्षक क्यों न हो, उनके लिये इसमें अपने को सीमित करने ही के बदले में कोयला लेना है।

इस अहिंसात्मक संग्राम में उन्हें पुरुषों से कहीं अधिक भाग लेना चाहिये। स्त्रियों को पुरुषों से शक्तिहीन कहना उन पर दोषारोपण करना

है। यदि शक्ति का अर्थ पाशविकता से है तो सचमुच स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम पाशविक होती है, किन्तु यदि इससे चारित्रिक शक्ति का अर्थ हो तो स्त्री पुरुष से कहीं बढ़ कर है। क्या उसमें पुरुष से अधिक बुद्धि, साहस, आत्मत्याग और सहन शक्ति नहीं है? स्त्री के बिना पुरुष की सत्ता ही न होती। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य अहिंसा है, तो भविष्य का निर्माण स्त्रियों ही के हाथ में है।

यह विचार मेरे मन में बरसों से जमता रहा है कि जब कभी आश्रम की स्त्रियों ने पुरुषों के साथ चलना चाहा है तो मेरे मन में किसी ने कहा है कि वे नमक के कानून को तोड़ने की अपेक्षा कहीं बड़ा कार्य करने के लिए हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि वह कार्य मैं जान गया हूँ। सन् १९२१ में पुरुषों द्वारा विदेशी कपड़े तथा नशीली वस्तुओं की दूकानों पर दिया गया धरने को आशातीत सफलता प्राप्त हुई और उसकी असफलता बाद में इस लिये हुई कि उसमें हिंसा आ गयी। यदि एक वास्तविक प्रभाव पैदा करना है तो धरना देने का कार्य फिर प्रारम्भ करना पड़ेगा। यदि यह अन्त तक शान्त रहे तो लोगों को शिक्षा देने का सर्वोत्तम मार्ग होगा। इसके लिए बलात्कार से रोकने की नहीं, बरन् भावनायें बदलने की आवश्यकता होगी। और भावनाएँ बदलने के लिये स्त्रियों से अधिक प्रभाव कौन डाल सकता है?

नशीली वस्तुओं और विदेशी कपड़े का बहिष्कार अन्त में कानून

द्वारा ही होगा। किन्तु जब तक नीचे से जोर न लगाया जायगा, कानून बनेगा ही नहीं।

इससे किसी को विरोध न होगा कि ये दोनों राष्ट्र के लिए परम आवश्यक हैं। नशीली वस्तुओं से लोगों की चारित्रिक शक्ति क्षीण हो जाती है, विदेशी कपड़े से देश की आर्थिक दशा विगड़ती है और इससे लाखों आदमियों की जीविका छिनती है। प्रत्येक दशा में घर पर आपत्ति आती है और इसे स्त्रियों को ही सहना पड़ता है। वे स्त्रियाँ जिनके पति मद्यपान करते हैं जानती हैं कि इस आदत का कितना वातक परिणाम होता है। हमारे गाँवों की तमाम स्त्रियाँ यह भी जानती हैं कि बेकारी कैसी होती है। आज चर्खा सब में एक लाख से ऊपर स्त्रियाँ और दस हजार से कुछ कम पुरुष हैं।

भारत की स्त्रियों को चाहिये कि वे इन दोनों कामों को अपने हाथ में लें और उनमें विशेष ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार वे राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए पुरुषों से अधिक काम करेंगी। इससे उनमें शक्ति और आत्मविश्वास आयेगा, जिससे अब तक वे दूर रही हैं।

उनकी अपील से विदेशी कपड़े के दूकानदारों, ग्राहकों और नशीली पेय पदार्थों के रोजगारियों तथा उनका प्रयोग करने वाले लोगों का हृदय अवश्य ही पिघलेगा। कम से कम स्त्रियों से यह आशङ्का नहीं की जा सकती कि वे इन चारों में से किसीके साथ हिंसात्मक व्यवहार करेंगी या करने की इच्छा करेंगी और न सरकार ही इस प्रकार के शान्तिपूर्ण और से आख बचा सकती है।

इसकी विशेषता यह होगी कि इसके आरम्भ करने और चलाने का काम पूर्ण रूप से स्त्रियों के ही हाथ में होगा। जितनी भी सहायता वे चाहें या जितनी भी सहायता की उनको आवश्यकता हो, वे पुरुषों से प्राप्त करें, परन्तु पुरुष उनके नीचे कार्य करें।

इस काम में हजारों शिक्षित और अशिक्षित स्त्रियाँ भाग ले सकती हैं। ऊँची शिक्षा पायी हुई स्त्रियों को इस प्रकार जनता के साथ घुसने, मिलने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का अवसर मिलेगा।

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का अध्ययन करने पर उन्हें पता चलेगा कि खादी बिना यह असम्भव है। मिल-मालिक स्वयं स्वीकार करेंगे कि निकट भविष्य में मिले भारतवर्ष की आवश्यकता भर का कपड़े नहीं तैयार कर सकतीं। यदि अनुकूल वातावरण हो तो खादी हमारे गाँवों में असंख्य घरों में काती जा सकती है। स्त्रियों को चाहिये कि अपना पूरा बेकारी का समय सूत कातने में लगा कर अनुकूल वातावरण निर्माण करें। खादी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में सूत कातने पर ही निर्भर है। मार्च के पिछले दस दिनों में मैंने तकली में वह शक्ति पायी है जो कभी नहीं देखी थी हालाँकि बहुत सी असुविधाएँ थीं।

इसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है। खेल खेल ही में बिना किसी और कार्य में बाधा पहुँचाए मेरे साथियों ने प्रति दिन चार वर्ग गज कपड़ा बुनने भर को १२ काउण्ट खादी का सूत काता। युद्ध निरोध के रूप में खादी अजेय है।

दोनों सुधारों का नैतिक फल बहुत महत्वपूर्ण है और राजनैतिक परिणाम

भी कम महत्वपूर्ण न होगा। नगीली वस्तुओं का प्रयोग रोकने से २५ करोड़ लगान की कमी होगी और विदेशी कपड़े के बहिष्कार ने भारतवर्ष के करोड़ों आदमों मिल कर कम से कम ६० करोड़ की बचत करेंगे। नमक के कर से यह कहीं लाभदायक होगा। इन दोनों कामों की सफलता से नमक कर के रद्द हो जाने की अपेक्षा अधिक आर्थिक लाभ होगा। दोनों सुधारों के नैतिक मूल्य का अनुमान भी नहीं किया जा सकता।

लेकिन कुछ बहनें कह सकती हैं कि इसमें कोई उत्तेजना और साहसिकता नहीं है। यदि वे पूरा मन लगाकर काम करें, तो उन्हें काफी उत्तेजना और साहसिकता मिलेगा। आन्दोलन समाप्त कर करने के पहिले सम्भवत उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बहुधा उनकी मानहानि और शारीरिक आघात भी हो सकता है। इस प्रकार की मानहानि और चोट सहन करने का उन्हें राव होगा। ऐसी सहनशीलता से हमका अन्त भी शीघ्र ही होगा। यदि भारत की स्त्रिय मेरी अपील के अनुसार कार्य करना चाहती हैं, तो उन्हें शीघ्रता करनी चाहिये। यदि भारतवर्ष भर का कार्य एक साथ न उठाया जा सके, तो वे सूचे, जो मंगठन कर सकते हैं, करें। दूसरे सूचे भी जल्द उसका अनुकरण करेंगे।



## मद्यपान का अभिशाप

एक बहिन लिखती हैं —

गाँव में जाने पर जब मैंने सुना कि इन आदमियों में मद्यपान ने भयंकर उत्पात मचा रखा है, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। कुछ स्त्रियों की आँखों में आँसू भरे हुए थे। वे क्या कर सकती हैं? एक भी ऐसी स्त्री नहीं, जो हमारे बीच से सदा मद्य को बाहर निकाल देने को पसन्द न करती हो। यह न जाने कितने बरेलू दुःखों, गरीबी और गिरे हुए स्वास्थ्य और शरीर नाश का कारण है। हम मामूली स्त्री को ही पुरुष के इस दुर्व्यसन का बोझ उठाना पड़ता है। मैं स्त्रियों को क्या करने की सलाह दे सकती हूँ? क्रोध और उसके साथ निर्दयता का सामना करना बड़ा ही कठिन है। मैं कितना चाहती हूँ कि इस प्रान्त के नेता अपनी समस्त शक्ति, और दिमाग साम्प्रदायिक बटवारा के अन्याय पर खर्च करने की जगह इस बुराई को दूर करने में लग जाते। हम ऐसी मामूली चीजों के लिए असली बातों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देशवासियों की नैतिक मर्यादा में उन्नति होने पर अपने आप हल हो जा सकती हैं। बचा, आप मद्यपान के सम्बन्ध में लोगों से एक लिखित अपील नहीं कर सकते? इस व्याधि के कारण लोगों को पूर्णतः महानाश की ओर जाते देख कर महा शोक होता है।

जो पीते हैं, उनसे मैं अपील करूँगा तो वह व्यर्थ जायगी और ऐसा होना लाजिमी है। वे 'हरिजन' नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो

उपहास करने के लिए पढ़ते हैं। उन्हें मद्यपान की आदत में होनेवाली बुराई को जाननेकी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। वे उस बुराई से चिपटे हुए हैं। पर मैं इस बहिन को और उसके द्वारा हिन्दुस्तान की समस्त नारियाँ को याद दिलाना चाहूँगा कि दाँडीयात्रा के समय भारत की स्त्रियाँ ने मेरी सलाह सुनी थी। और मद्यपान के खिलाफ युद्ध करना और घरखा चलाना उनकी विशेषता बन गयी थी। इस लेखिका (बहिन) को यह बात याद करना चाहिये कि हजारों स्त्रियों ने निर्भय होकर शराब की दुकानों पर धरना दिया था और इस दुर्घटना में फँसे हुए लोगों से अपनी आदत छोड़ देने की उनकी अपील प्रायः सफल हुई थी। अपने स्वच्छापूर्वक अंगीकृत इस कार्य में उनको मद्यपतियों की गालियाँ सुननी पटीं और कभी-कभी उनके हाथ मार पीट भी खानी पटी। शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में मैकडों जेल गर्यीं। उनके उत्साहपूर्ण कार्य ने सारे देश पर अद्भुत प्रभाव डाला। पर दुर्भाग्य वश सविनय अवण के बन्द हो जाने से तथा उसके बन्द होने से पहले से ही, इस काम में डिलाई आ गयी। इस शिथिलता के कारण इसमें मैं आना नहीं चाहता। किन्तु इस काम के लिए आज भी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। स्त्रियों को प्रतिज्ञा अधूरी पटी है। वह एक खास अवधि के लिए नहीं ली गयी थी और वह तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि सारे देश में मद्यपाननिषेध की घोषणा न कर दी जाय। स्त्रियों का भाग उज्ज्वलतर था। पुन्य में जो श्रेष्ठतम है, उसे अपील करके शराब की दुकानों को सूनी कर मद्यनिषेध की सफ-

लता उनका काम था। अगर उन्होंने अपना काम जारी रखा होता, तो उनकी सद्भावना और शालीनता ने निश्चय ही पियक्कडो को उनके इस दुर्व्यसन से उबार लिया होता।

पर अभी कुछ गया नहीं है। आज भी स्त्रियाँ इस आन्दोलन का संगठन कर सकती हैं। जिनके सम्बन्ध में लेखिका ने लिखा है। उनकी पत्नियाँ यदि मद्यनिषेध के सम्बन्ध में सच्ची हैं, तो वे जरूर ही अपने पतियों का स्वभाव बदल देंगी। स्त्रियाँ नहीं जानतीं कि वे अपने पतियों पर अच्छी दिशा में कितना असर डाल सकती हैं। निःसन्देह वे अनजाने यह प्रभाव रखती हैं, पर इतना ही काफी नहीं है। उन्हें इसका ज्ञान भी होना चाहिये और यह ज्ञान उन्हें शक्ति देगा और बतायेगा कि वे उन्हें अपने जीवन सगी से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये। करुणा की बात यह है कि अधिकांश स्त्रियाँ अपने पतियों के कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेतीं। वे सोचती हैं कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। उनको यह नहीं समझ पड़ता कि उन्हें ठीक वैसे ही अपने पतियों के चरित्र की रक्षा करने का अधिकार है जैसे उनके पतियों को उनके चरित्र का अभिभावक होने का अधिकार है। इससे साफ बात और क्या हो सकती है कि पति और पत्नी एक दूसरे के गुण दोष में समान रूप से भागीदार हैं? पर सिवा स्त्री के दूसरा कौन पतियों में उनकी शक्ति और कर्तव्य का भाव जगा सकता है? यह तो असल में मद्यपान के विरुद्ध स्त्रियों के आन्दोलन का एक हिस्सा है।

ऐसी योग्य स्त्रियाँ काफी तादाद में होनी चाहिये जो मद्यपान

सम्बन्धी आकड़ों तथा जिन कारणों से मद्यपान की ओर प्रवृत्ति होती है, उनका और उनसे छूटने के उपायों का पूरी तरह अध्ययन करें। उन्हें पिछली बातों से सबक लेना चाहिये और जानना चाहिये कि पियक्कड़ों से मद्यपान छोड़ देने की अपील करने मात्र से स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस व्यसन को एक रोग समझकर इसकी चिकित्सा करनी चाहिये। दूसरे शब्दों में कुछ स्त्रियों की गोवी विद्याधियों का रूप ग्रहण करना होगा और इस विषय में अनेक प्रकार के शोध करने होंगे। सुधार की हरेक शाखा में लगातार अध्ययन की जिससे अपने विषय पर पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त हो जाय, जरूरत है। जिन सुधार आन्दोलनों की खूबियाँ स्वीकार की जा चुकी हैं, उनकी आंशिक या सम्पूर्ण असफलता के मूल में अज्ञान ही रहा है। क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए जो सुधार के नाम पर चलता है जरूरी नहीं कि वह इस नाम से पुकारे जाने के योग्य हो।

## नव विवाहितों से

हृदी में गांधी सेवा संघ की वार्षिक सभा में गांधीजी ने अपनी पोती और महादेव टेसाई के लडको का विवाह संस्कार किया संस्कार समाप्त होने पर उन्होंने नव विवाहितों से कहा —

तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मेरा सस्कारों में वही तक विश्वास है जहाँ तक वे हमारे भीतर कर्तव्य को जाग्रत करते हैं। जब से मैंने अपने

बारे में सोचना शुरू किया, मेरा यही विचार रहा है। तुम लोगों ने जिन मन्त्रों का उच्चारण किया है और जो प्रतिज्ञाएँ ली हैं, वे सभी संस्कृत में थीं और उनका अनुवाद तुम्हारे वास्ते किया गया। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा थी, क्योंकि मैं जानता हूँ, संस्कृत शब्दों में ऐसी शक्ति है कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है।

पति इस संस्कार के अवसर पर जो इच्छाएँ प्रकट करता है उनमें से एक यह है कि उसकी स्त्री सुन्दर और स्वस्थ पुत्र की माँ हो। इससे मुझे कोई धक्का नहीं लगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सन्तानोत्पत्ति आवश्यक है। परन्तु यह कि यदि संतानोत्पत्ति करनी हो तो धार्मिक रूप से विवाह संस्कार होना आवश्यक है। जिसे सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा न हो उसे विवाह करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं। वासना की तृप्ति के लिए किया विवाह ही नहीं है, व्यभिचार है। अतः आज के संस्कार का यही अर्थ है कि संभोग तभी किया जाय जब स्पष्टतः संतान की इच्छा हो। और ऐसा प्रार्थना के साथ करना चाहिये। इसके पहले का काम प्रेमाचार नहीं है जिसका उद्देश्य लैङ्गिक उत्तेजना और सुख की प्राप्ति है।

० इस प्रकार जीवन भर में स्त्री-पुरुष केवल एक बार संभोग कर सकते हैं, यदि उन्हें दूसरे सन्तान की इच्छा न हो। जो स्वस्थ नहीं हैं उनके संभोग करने की आवश्यकता नहीं और यदि वे ऐसा करें तो केवल व्यभिचार होगा। यदि तुमने यह समझा हो कि विवाह वासना-तृप्ति के लिए ही किया जाता है तो इसे भूल जाओ। यह एक अंध-

विश्वास है। सारे संस्कार पवित्र अग्नि के सामने किये जाते हैं। अग्नि को अपनी सारी वासना भस्म कर डालते हो। मैं तुमसे एक और प्रचलित अंधविश्वास से बचने को कहूँगा। यह कहा जाता है कि निरोध और आत्मसंयम ठीक नहीं और लैङ्गिक भूख की स्वतन्त्र तृप्ति तथा स्वच्छन्द प्रेम नितान्त स्वाभाविक है।

इससे अधिक भयानक अंधविश्वास कोई रहा ही नहीं। हो सकता है तुम आदर्श की प्राप्ति में असमर्थ हो, किन्तु इससे यह अर्थ नहीं कि तुम अधर्म को धर्म मानो, और आदर्श को अपवित्र करो। अपनी कमजोरी के समय में जो मैं कह रहा हूँ, उसे स्मरण करो। इससे तुम बच सकोगे और दृढ़ होगे। विवाह का उद्देश्य ही संयम और वासना का परिस्करण है। यदि इसका कोई और उद्देश्य है, तो वह विवाह नहीं और उसका उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति नहीं, बल्कि कुछ और ही है।

तुम विवाह द्वारा मित्रता और समानता के सूत्र में बँध रहे हो। यदि एक स्वामी है तो दूसरी स्वामिनी - दोनों जीवन में एक दूसरे का स्वामी, सहायक और सहयोगी है। मैं बालकों से यह कहता हूँ 'तुम लड़कियों में ऐसी भावना जगाओ, उनके सच्चे शिक्षक और मार्ग प्रदर्शक बनो। लेकिन कभी उन्हें रोकने या गलत रास्ता दिखाने की चेष्टा मत करो। अपने भीतर विचारों, शब्दों और कार्यों में साम्य रक्खो। तुम्हारी आत्मा एक हो, तुम्हारे वचन कुछ गोपनीय न रहे।

आडम्बर मत करो। जो तुम्हारे लिए असाध्य हो उसमें अपना स्वास्थ्य मत नष्ट करो। संयम से स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ता बल्कि बाह्य

उमन से आत्म संयत पुरुष को दिन प्रति दिन अधिक शक्ति और शान्ति प्राप्त होती है। सब से पहले विचारों का सयम होना चाहिये। अपनी कमी का अनुभव करो और जो तुम कर सको उतना ही करो। मैंने तुमको आदर्श बताया है और तुम इसे प्राप्त करने की यथाशक्ति चेष्टा करो। यदि तुम असफल रहे तो दुःख और लज्जा की बात नहीं। मैंने यही बताया है कि यज्ञोपवीत-संस्कार की भौति विवाह भी एक पवित्र संस्कार और नया जन्म है। मेरे कथन से तुम्हें कमजोरी और भय नहीं मानना चाहिये। विचार, शब्द और कार्य का पूर्णसामंजस्य प्राप्त करना ही सदा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये। विचारों को पवित्र रखो, फिर सब ठीक हो जायगा। विचारों से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। कवि शब्द का और शब्द विचार का अनुगामी है। सारा संसार एक महान विचार का परिणाम है और जब विचार महान है और पवित्र होता है तो उसका फल महान और पवित्र ही होता है। यह पवित्र आदर्श तुम्हारा कवच बने, यही मेरी कामना है और मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार की लालच तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकती और न किसी प्रकार की अपवित्रता ही तुम्हें छू सकती है।

जो तमाम संस्कार बताये गये हैं, उन्हें याद करो। मधुपर्क संस्कार ही को लो। सारा संसार मधुमय है और सबको अपने अपने भाग लेने पर तुम भी अपना भाग लो। इससे त्यक्त भाव के साथ भाग का बोध होता है।

उनसे एक वर ने पूछा क्या यदि सन्तानोत्पत्ति न करना हो, तो विवाह होना नहीं चाहिये।

निश्चय ही न होना चाहिये । मैं प्लेटो के मतानुसार किये गये विवाह में विश्वास नहीं करता । कुछ लोगों ने स्त्रियों की रक्षा के लिए विवाह किये थे, किन्तु उनका शारीरिक एकता का उद्देश्य न था और इस तरह के विवाह कम हुए भी हैं । पवित्र विवाहित जीवन के विषय में जो कुछ मैंने लिखा है, उसे तुम्हें पढ़ना चाहिये । मैं महाभारत में प्रतिदिन जो कुछ पढ़ता हूँ उसका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पट रहा है । ऐसा कहा गया है कि व्यास ने नियोग किया था वे सुन्दर नहीं, वरन् इसके विरुद्ध ही थे । ऐसा दिखाया गया है कि वे भयानक थे और उन्होंने संयोग के पूर्व अपने सारे शरीर में धी लगाया था । उन्होंने सभोग वासना के लिए नहीं बल्कि संतानोत्पत्ति के लिए किया था । सतान की इच्छा स्वाभाविक है और जब एक बार यह इच्छा पूरी हो जाय फिर पति पत्नी मिलन की आवश्यकता नहीं ।

मनु ने पहले बच्चे को धर्मज कहा है—कर्तव्य की भावना से उत्पन्न किया गया — और उसके बाद वालों को कामज लैङ्गिक सम्बन्धी नियमों का यह सार है और ईश्वर नियम के अतिरिक्त हे ही क्या ? नियम पूर्वक चलना ही ईश्वर की आज्ञा मानना है । याद रखो, तुमसे तीन बार दुहराने को कहा गया था । मैं किसी प्रकार नियमोंका उल्लंघन नहीं करूंगा । यदि थोड़े भी लोग नियम पूर्वक रहते तो एक हृष्ट पुष्ट और सच्चे पुत्रों और स्त्रियों की जाति बन जाती ।

याद रखो, मुझे अपने विवाहित जीवन का आनन्द तब मिला, जब मैंने 'वा' की ओर वासना की दृष्टि से देखना छोड़ दिया । मैंने उस समय



संयम की प्रतिज्ञा ली जब पूर्ण युवक था और समाज द्वारा स्वीकृत रूप से विवाहित जीवन का आनन्द ले सकता था। यकायक मुझे ज्ञात हुआ की मेरा जन्म एक विशेष संदेश देने को हुआ था। जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने ऐसा नहीं जाना था। लेकिन सचेत होने पर मैंने देखा कि विवाह जिस संदेश को लेकर मेरे पास आया था, विवाह उसी के लिए था। मैंने अपना धर्म पहचाना। हमें सच्चा सुख प्रतिज्ञा लेने के बाद ही मिला। वैसे तो 'दा, दुबली पतली दिखाई देती है, किन्तु उनका गठन सुन्दर है और वे सुबह से शाम तक काम करती हैं। यदि मैं उन्हें अपनी वासना का साधन बनाये रहता तो ऐसा वह कभी नहीं कर पाती।

फिर भी इस विचार से कि मैंने कुछ वर्ष तक विवाहित जीवन का भोग कर लिया था, मैं देर में सचेत हुआ। ठीक समय पर जगाये जा रहे हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है। मेरे विवाह के समय परिस्थितियाँ बड़ी बुरी थी और तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ बड़ी मंगल सूचक हैं। मुझसे एक ही चीज थी, मुझे रास्ता दिखाती रही और वह थी सत्यता। इसी ने मुझे बचाया। सत्य मेरे जीवन की नींव है। ब्रह्मचर्य और अहिंसावाद मे सत्य से ही आये। तुम कुछ भी करो, तुम्हें अपने और संसार के प्रति सच्चा होना चाहिये। अपने किचारों को मत छिपाओ। यदि उन्हें प्रकट करने में लज्जा आती हो तो उनको सोचना और भी लज्जाजनक है।

## आश्चर्यजनक निष्कर्ष

प्रकाशक की भूमिका के अनुसार विलियम थार धर्सटन मयुक्त राष्ट्र में एक मेजर थे, जिसमें उन्होंने दस साल काम किया था। और इतने समय में उन्होंने चीन इत्यादि कई देशों के विषय में विभिन्न अनुभव किये। उन्होंने अपनी यात्राओं में विवाह के नियमों और रीतिरिवाजों का अध्ययन किया और फलस्वरूप उन्हें इस पर एक पुस्तक लिखने की इच्छा हुई। इस पुस्तक में जिसका नाम 'विवाह के सम्बन्ध में धर्सटन के विचार' है और जो गतवर्ष न्यूयार्क के टिकेनी प्रेस से निकली है, केवल ३२ पृष्ठ हैं और वह एक घण्टे से कम में पढ़ी जा सकती है। लेखक ने विस्तृत रूप से तर्क वितर्क नहीं किया है, बल्कि कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो प्रकाशक के मतानुसार आश्चर्यजनक हैं। प्राक्कथन में लेखक ने यह निश्चित रूप से कहा है कि उनके निष्कर्ष, युद्ध के व्यक्तिगत अनुभवों, हकीमों के निरीक्षणों और सामाजिक स्वास्थ्य पाठ तथा औषधि सम्बन्धी गणना के आधार पर निकाले गये हैं। उनके निष्कर्ष ये हैं।

१—“प्रकृति सदा से यही चाहती है कि स्त्री अपने निवास और भोजन के लिए तथा सन्तानोत्पत्ति का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त करने के लिए पुरुष के साथ बँधी रहे और वह एक ही घर और शय्या सेवन करने को, चाहे वह अभिणी हो या न बाध्य रहे।

२—विवाहित जीवन में प्रतिदिन जो कलह और अशान्ति प्रचलित सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के कारण उत्पन्न होते हैं, उनसे ६०

प्रतिशत स्त्रियाँ अंशतः वेश्याओं का जीवन व्यतीत करती हैं । ऐसा केवल इसलिए होता है कि स्त्रियों को यह विश्वास कराया जाता है कि इस प्रकार का वेश्याजीवन नियमानुसार होने तथा अपने पतियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक होने के कारण उचित और स्वाभाविक है ।”

लेखक ने आगे चल कर असंयत और सतत संभोग के परिणाम दिखाये हैं, जिन्हें मैं निम्नलिखित रूप में रख रहा हूँ ।

(अ) ‘स्त्रियों के अधिक ...होने, असामयिक रूप से विकसित होने, रोगी, क्रोधी, अशान्त बाल-बच्चा की ठीक से देखभाल करने में असमर्थ होने का कारण यही है ।’

(ब) “गरीबों में इससे अनचाही संतान वृद्धि होती है ।”

(स) “सम्पन्न लोगों में असंयत संभोग का परिणाम संतति निरोध के कृत्रिम साधनों का प्रयोग और गर्भपात होता है ।”

“यदि बड़े पैमाने पर लोगों में संतति निरोध या किसी भी रूप में कृत्रिम साधनों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाय, तो सारी जाति रोगग्रस्त, चरित्रभ्रष्ट और अन्त में ब्रह्म नष्ट हो जायगी ।” \*

(द) “अधिक संभोग से सुन्दर जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक शक्ति का नाश होता है ।” “आजकल संयुक्तराष्ट्र में पुरुषों की अपेक्षा २० लाख स्त्रियाँ अधिक विधवा हैं । इनमें से युद्ध में मारे गये पुरुषों के कारण विधवाएँ कम हैं ।” \*

(य) “आजकल प्रचलित विवाह के नियमों और रीतियों में स्त्री और पुरुष दोनों में निम्सारता की भावना जागती है।” “संसार में आज जो निर्धनता और बड़े बड़े गहरों में जो अगान्ति और कष्ट फैला हुआ है, वह हमलिये नहीं कि करने के लिये अच्छे काम नहीं हैं, बल्कि इसी लिये कि वर्तमान विवाह के नियमों के कारण, असयत भोग विलास फैला हुआ है।” \*

(फ) “मनुष्य जाति के भविष्य के विचार में सब से भयानक गर्भ के दिनों का संभोग है।”

इसके बाद लेखक ने चीन और भारत के विषय में विचार प्रकट किये हैं जिस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वहाँ पहुँच कर पुस्तक का आधा समाप्त हो जाता है। दूसरे आधे में उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। उनमें मुख्य यह कि पति और पत्नी अलग कमरों में और अनिवार्य रूप से अलग अलग विस्तारों पर रहें और उन्हें तभी टकट्टा होना चाहिये जब उनकी और विशेष रूप से स्त्री की इच्छा हो। विवाह के नियमों में जिन परिवर्तनों को सुझाया गया है, उन्हें मैं नहीं लिखना चाहता। संसार भर में विवाह के नियमों में जो एक लगभग सर्वनिष्ठ बात है, वह है एक ही कमरे में और एक ही विस्तार का सेवन और इनकी लेखक ने तीव्र अलोचना की है। और यह ठीक है। हममें कोई सदेह नहीं कि हमारा बहुत कुछ वासना चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह धार्मिक

अन्धविश्वास है, कि विवाहित स्त्री पुरुष एक ही कमरे में और एक ही विस्तरे पर रहें। इस प्रकार के अन्धविश्वास से प्रभावित वातावरण में रहने के कारण हम इसके भयानक परिणाम को नहीं समझ सकते।

लेखक ने कृत्रिम साधनों का भी उतना ही तीव्र विरोध किया है।

लेखक के अन्य सुझावों में से बहुत से ऐसे हैं जो कार्य रूप में हमारे लिए अधिक लाभदायक नहीं और उनके लिए कानून की सम्मति भी आवश्यक है। किन्तु प्रत्येक पति और पत्नी यह दृढ़ निश्चय कर सकती है कि आज से अलग कमरों और विस्तारों का प्रयोग करेंगे और केवल उस पवित्र कार्य के लिए मिलेंगे जो पुरुषों और पशुओं दोनों के लिए है।

पशु इस नियम का पालन बराबर करता है। मनुष्य ने गलत रास्ता चुना और यह बड़े दुःख की बात है। कृत्रिम साधनों के प्रयोग करने से हर स्त्री इनकार कर सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों को यह समझ लेना चाहिये कि कामेच्छा के दमन से रोग नहीं पैदा होते, बल्कि स्वास्थ्य और स्फूर्ति मिलती है। यदि शरीर के साथ मन भी सहयोग दे।

लेखक का विश्वास है कि सप्ताह में फौली हुई तमाम खराबियों के लिए आजकल के विवाह के नियम ही उत्तरदायी हैं। मैंने जो दो सुझाव रखे हैं, उनके निर्णय के लिए लेखक की भाँति विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम स्त्री और पुरुष के सन्बन्ध पर स्वस्थ रूप से विचार करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने को संरक्षक समझें तो बहुत से कष्ट मिट जायेंगे।

## संतान निग्रह की एक समर्थक

गरीबों की सेवा में देने के लिए अपना सर्वस्व लेकर आने वाले उस गरीब के विपरीत श्रीमती टाऊमाटिन थीं। वे इंग्लैंड की थीं और संतान निग्रह आन्दोलन की उत्साही कार्यकर्ती थीं। वे अपना मंत्र हिन्दु-रतान की गरीब जनता की सहायता के लिए इंग्लैंड से लेकर आयी थीं और उनके आने का एक उद्देश्य यह भी था कि वे या तो गांधी जी को अपने विचारों का बनावें या स्वयं उनके विचारों की हो जायें। वे पहली बार हिन्दोस्तान में आयी थीं। गरीबों को उन्होंने पहले गायब ही देखा हो। इस लिए वे ब्रिटिश गरीब वस्तियों के बारे में अपने अनुभवों की जिक्र करती रहीं और 'वेचारी स्त्री' के पक्ष समर्थन में जोरदार दलीलें रखी जिसे बली पुरुष की इच्छा के समुत्त नत होना पड़ता है।

उनकी पहली ही बात पर महात्मा गांधी ने कहा, कोई वेचारी, स्त्री तो है ही नहीं। 'वेचारी स्त्री, पुरुष की अपेक्षा कहीं सबल है और यदि आप हिन्दोस्तात के गाँवों में चलीं, तो मैं आपको यह दिखा सकता हूँ। वह आपसे बतायेगी कि यदि वह इसे न पसन्द करे तो उसको बाध्य करनेवाला स्त्री या पुरुष कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह मैं अपनी पत्नी के सम्बन्ध में हुए अपने अनुभव द्वारा कह रहा हूँ और मैं उदाहरण थकेला नहीं। यदि दब जाने की अपेक्षा मर जाने का सकल्प हो, तो कोई दानव भी एक स्त्री को जीतने के लिए विवश नहीं करता। यह तो एक पारस्परिक समझौते की

वात है। पुरुष और स्त्री दोनों पाशविक और दैवी शक्तियों का मिश्रण है। यदि हम पाशविक शक्ति का दमन कर सकें, तो अच्छा ही है।”

“लेकिन यदि पुरुष अधिक सन्तान न पैदा करने के लिए दूसरी स्त्रियों के पास जाता है तो स्त्री के पास क्या चारा है ?”

“सो अब आप अपना तर्क बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बात अच्छी तरह न समझ लेंगे तो गलत निर्णय पर पहुँचना अनिवार्य है। बातों की कल्पना करके पुरुष को अपुरुष और स्त्री को अस्त्री बनाने की कोशिश न करे। अपने सिद्धान्त का आधार समझने में जब मैंने वह कहा था कि आपका सतान निग्रह प्रचार ही पर्याप्त भूमिका है, तो उस परिहास के पीछे एक गंभीर बात थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जो समझते हैं कि संतान निग्रह में ही उनकी मुक्ति है।”

श्रीमति हाऊ मार्टिन बोलीं, “मैं इसमें संसार की मुक्ति नहीं देखती पर मेरा कहना यह है कि बिना किसी प्रकार की संतान निग्रह के मुक्ति नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप इसके लिए एक मार्ग ग्रहण करें और मैं दूसरा। मैं आपके मार्ग का समर्थन करती हूँ, लेकिन हर अवसर पर नहीं। आप, ऐसा जान पड़ता है एक सुन्दर कार्य को निषेधपूर्ण समझते हैं। दो पशु जब वे एक नवजीवन की सृष्टि करने जाने लगते हैं तब वे दैविकता के अधिक निकट होते हैं। उस कार्य में कुछ बहुत ही सुन्दर है।”

“यहाँ भी अब फिर मुझमें है—गाँधी जी ने उत्तर दिया, “मैं स्वीकार करता हूँ कि नवजीवन की उत्पत्ति दैविकता के अधिक निकट है। मैं

सिर्फ यह चाहता हूँ कि मनुष्य उस कार्य के निकट एक दैविक भाव के साथ जाय। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री पुरुष का सम्मिलन केवल नव जीवन की सृष्टि की ही कामना से हो, दूसरी से नहीं। लेकिन यदि वे दोनों केवल प्रेमालिगन के लिए एक दूसरे के निकट जाते हैं, तो वे पाशविकता के अधिक निकट हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश आदमी यह भूल जाता है कि वह दैविकता के निकट है और पाशविक अन्तर्प्रेरणा के पीछे पड़ कर पशु के समान हो जाता है।”

“लेकिन आप पशुत्व से क्यों घृणा करते हैं ?”

“मैं नहीं करता। पशु अपनी प्रकृति के नियम को पूरा करता है। शेर अपने गौरव में एक सुन्दर जीवन है। मुझे खा लेने का उसे पूरा अधिकार है। लेकिन पंजे बढ़ा कर आप पर झपट पड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। उस स्थिति में, मैं अपने को नीचे गिरा देता हूँ और पशु से भी बदतर बन जाता हूँ।”

“श्रीमति हाक मार्टिन ने कहा, “मुझे खेद है कि मैंने अपनी बात इस धुरे ढङ्ग से कही। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि बहुत-सी स्थिति में इससे उसकी मुक्ति नहीं। लेकिन उच्च जीवन के लिये सहायक अवश्य होगा। मैं समझती हूँ, आप मेरा अभिप्राय समझ गये हों। यद्यपि मुझे भय है कि मैं अपने अभिप्राय को स्पष्ट नहीं कर सकती।”

“न, न, मैं आपसे कोई अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता। किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दृष्टिकोण के सम्बन्ध में समझ लें, आन्तियों के साथ न मोंगे। पुरुष को दो भागों में से एक को चुनना होगा—उन्नति-



शील या अधोशील किन्तु यदि उसमें पशुत्व है, तो वह अधोशील मार्ग को अधिक आसानी से चुनेगा। और विशेषतया जब कि वह मार्ग उसे एक सुन्दर आवरण के अन्दर पेश किया जायगा।

पाप को आसानी से स्वीकार करता है यदि वह सदाचार के आवरण के साथ हो और यही काम मेरी स्टोक्स आदि कर रहे हैं। यदि मुझे संभोग-कार्य का प्रचार करना होता, तो मैं जानता हूँ कि पुरुष इसे तुरन्त स्वीकार कर लेता। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे लोग स्वार्थ रहित जोश में अपने सिद्धान्त के लिये यदि गला फाड़ फाड़ कर चिछलाये तो प्रत्यक्ष रूप से आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आप निश्चित अंत भी प्राप्त करें। इसमें सन्देह नहीं जो हानि आप कर रही हैं उसका ज्ञान आपको न होगा। अधोशील अन्तर्प्रेरणा के लिये न तो किसी प्रकार के प्रचार की जरूरत है, न तर्क की। यह तो उनमें है ही। और आप इसे संयमित और नियंत्रित न करेंगी तो बीमारियों का खतरा है।'

श्रीमती हाजमार्टिन जो अभी तक ऐसा प्रतीत होता था कि दैविक और पाशविक के अन्तर को स्वीकार कर रही थीं, बोलीं कि उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है और जैसा कि लोग कल्पना करते हैं, उससे कहीं अधिक वे दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। वास्तव में संतान निग्रह के सिद्धान्त के पीछे यही बात है और उसके समर्थक यह भूल जाते हैं कि यही उनका आनन्द चरण है।

“सो आपका विचार यह है कि पाशविक और दैवी एक ही है। क्या आपको सूर्य में विश्वास है? और यदि आप विश्वास करती हैं, तो

क्या आप यही नहीं सोचती कि छाया भी होगा ?” गांधी जी ने पूछा।

“आप छाया को पाशविक क्यों कहते हैं ?”

“यदि आप चाहें तो इसे ‘अनीश्वर’ कह सकती हैं।”

“मैं यह नहीं समझती कि छाया में ‘अनीश्वर’ है। जीवन तो सब जगह है ?”

“जीवन के अभाव की सी एक चीज है। क्या आप जानती हैं कि हिन्दू शरीर में जीवन के निकल जाने के बाद अपने प्रिय से प्रिय जन के शरीर को जला कर राख कर देते हैं। सभी जीवों में एक अनिवार्य एकता है, लेकिन विरोध भी है और मनुष्य को उसे चीर कर एकता प्राप्त करनी पड़ती है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा नहीं मैं या कि आप करने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी होगी विस्तृत जागृति का अनुभव आप तब तक नहीं कर सकतीं जब तक कि आप बुद्धि, ज्ञान और शरीर को पूर्णतया अपने अविचार से न कर लेंगी।”

श्रीमती हाऊ मार्टिन परेशान दिखाई पड़ने लगीं और नम्र वीतता जा रहा था, लेकिन गांधी जी ने कहा—“नहीं, मैं आपको और अधिक समय देने को तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए आप वर्धा आँवें और मेरे पास ठहरें मैं भी आप ही की तरह इन्फ्रा समर्थक हूँ और जब तक आप मुझे अपने विचारों वाला न बना लें या मैं आपको अपने विचारों वाली न बना लूँ, तब तक आप हिन्दोस्तान से न जायें।”

दूसरे कामों के कारण यह वार्तालाप समाप्त हो गया, लेकिन जब मैं उस वार्तालाप को सुन रहा था तो मुझे असीसी के संत फासिस के यह

शब्द स्मरण हो आये—“प्रकाश ने नीचे की ओर देखा तो उसे अंधकार दिखाई दिया ‘मैं वहाँ जाऊँगा’ प्रकाश ने कहा। शांति ने नीचे की ओर देखा तो उसे यह दिखाई दिया और शांति ने कहा,—‘मैं वहाँ जाऊँगी, प्रेम ने नीचे की ओर देखा तो घृणा दिखाई दी। प्रेम ने कहा, मैं वहाँ जाऊँगा’ और यह शब्द मांस पिंड बनकर हमारे साथ रहने लगे।”

## श्रीमती सेंगर और संतति निग्रह

श्रीमती सेंगर ने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है :—

“अपने लेख (विदेशियों के नये नये हमले) में मेरे और गांधीजी के बीच हुई बातचीत देते हुए आप कहते हैं कि ‘इल्लस्ट्रेटेड वीकल’ के अपने लेख में मैंने उस बातचीत का सिर्फ एक ही पहलू रखा है। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है। उस लेख में, दरअसल, उसी पर मैं विचार भी करना चाहती थी।

मुझे यह भी बता देना चाहिये। उस लेख को छपने के लिये भेजने से पहले मैंने आपकी और गांधीजी की एक प्रिय और वफादार मित्र म्यूरि-यल लेस्टर को पढ़कर सुना दिया था—और जिसे आप “परदे की ओट में टर्भाव” कहते हैं, वह बात उन्होंने ही सुझाई थी। कृपया इस बातका यकीन रखें कि जो बहादुर स्त्री-पुरुष हिन्दुस्तानकी आजादीके लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन सबके प्रति मेरे मन में अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान का ही भाव

है। मैंने अभी तक जो कुछ किया है उस पर आप नजर डालें तो हिन्दुस्तान में आजादी प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों की मदद की गरज से सन् १९१७ में जो पहला दल अमेरिका में संगठित हुआ था, उसमें मेरा भी नाम आपको मिलेगा।

एक और बात भी आपके लेख में ऐसी है जिसमें मैं समझती हूँ, आप गलती पर हैं। वह यह कि आप उसमें यह जाहिर करते मालूम पड़ते हैं कि हमारी बातचीत में गांधी जी ने (ऋतुकाल के बाद के कुछ दिनों को छोड़कर) ऐसे दिनों में समागम के उपाय को स्वीकार कर लिया है, जिनमें गर्भ रहने की सम्भावना प्राप्त नहीं होती। मेरे ख्याल में आप टाइप किये हुए वक्तव्य को देखें तो उसमें उनका यह कथन आपको मिलेगा, यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है।" हालाँकि मैंने और निश्चित बात कहने का आग्रह किया। लेकिन इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी हालत में आपने सार्वजनिक रूप से जो कथन उनका बताया है, मेरे ख्याल में, वह आपने ठीक नहीं किया, और अन्त में आपने प्रचारकों के "व्यापार" की जो बात लिखी है, मैं नहीं समझती कि उसमें गांधी जी आपसे सहमत होंगे। वह क्या, और जिस भावना का वह सूचक है वह आप जैसे व्यक्ति के लायक नहीं है जिसने कि निःस्वार्थ भाव से जनसेवा का कार्य किया है।

संतति-निग्रह के कार्यकर्ता जिस बात को मानव स्वतन्त्रता एवं प्रगति के लिये मनुष्य मात्र का मौलिक स्वत्व मानते हैं उसके लिये

निःस्वार्थ भाव से और बिना किसी परिश्रम के उन्होंने संग्राम किया है और अभी भी कर रहे हैं। फिर जो अपना विरोधी हो उसके बारे में यों ही कोई ऐसी बात कह देना तो सर्वथा अनुचित असौजन्य पूर्ण और असत्य है, जो दरअसल विलकुल बे-बुनियाद हो।

इसमें जहाँ तक “पदों की ओट में दुर्भाव” से सम्बन्ध है, मैं प्रसन्नता से और कृतज्ञता पूर्वक अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। लेकिन यह मानना होगा कि जिस शोखी और तुनक मिजाजी के लहजे में वह लेख लिखा हुआ है उससे यही भाव टपकता है, हालाँकि अब मैं यह मान लेता हूँ कि उनका ऐसा भाव नहीं था।

दूसरी गलती के बारे में श्रीमती सेंगर को यह याद रखना चाहिये कि उन्होंने तो ‘वातचीत के सिर्फ एक पहलू को ही’ लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि यह कहकर कि ऋतुकाल के बाद के कुछ दिनों को छोड़कर ऐसे दिनों में समागम की बात गाँधी जी सहन कर लेंगे, जिनमें गर्भ रहने की सम्भावना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें आत्मसंयम की थोड़ी बहुत भावना तो है। मैंने उन्हें किसी ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो उन्हें पसन्द नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि अपने विरोधी की बात को भी जहाँ तक सम्भव हो, किस तत्परता के साथ गाँधीज स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने जिस कारण यह कहा कि “यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है” वह इस विषय में बड़ी सूझे की बात है। क्योंकि श्रीमती सेंगर के उपाय (कृत्रिम संतति निग्रह) से जहाँ मंहीने

के सभी दिनों में विषय भोग में प्रवृत्त होने की छुट्टी मिल जाती है, वहाँ इस विरोध उपाय से किसी हद तक तो आत्मसंयम होता ही है।

“ब्यापार” वाली बात मैं समझती हूँ, श्रीमती सेंगर को बहुत चुगी लगी है। लेकिन खुद श्रीमती सेंगर पर मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं किया न मेरा ऐसा कोई इरादा ही था। क्योंकि मुझे मालूम है, उन्होंने अपने उद्देश्य के लिये बड़ी बहादुरी और नि स्वार्थ भाव से लड़ाई लटी है। मगर यह बात बिलकुल गलत भी नहीं है कि संतति-निग्रह के लिये आजकल जो प्रचार हो रहा है वह तथा संतति-निग्रह के प्रायः सभी उत्साही समर्थकों के यहाँ विक्री के लिए इस सर्ववन्ध का जो प्राकर्षक साहित्य या औजार आदि होते हैं, वह सब मिलाकर बहुत भद्दा है। इन सबसे तो उस उद्देश्य को हानि ही पहुँचती है, जिसके लिये कि श्रीमती सेंगर नि स्वार्थ भाव से इतना उद्योग कर रही है।

## अरण्य-रोदन

“अभी हाल ही में संतति नियमन की प्रचारिका मिसेज सेंगर के साथ आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढ़ी है। इसका मुझ पर इतना गहरा असर हुआ है कि आपके दृष्टि बिन्दु पर संतोष और पसन्दगी जाहिर करने के लिये मैं आपको यह पत्र लिखने बैठा हूँ। आपकी हिम्मत के लिये ईश्वर सदा आपका कल्याण करें।

पिछले तीस साल से मैं लड़कों के पढ़ाने का काम करता हूँ मैंने हमेशा उन्हें देह दमन और नि.स्वार्थ जीवन बिताने के लिये तालीम दी है। जब मिसेज सेंगर हमारे आस पास प्रचार-कार्य कर रही थीं, तब हाई स्कूल के लड़के लड़कियाँ उनकी दी हुई सूचनाओं का उपभोग करने लग गये थे। और परिणाम का डर दूर हो जाने से उनमें खूब व्यभिचार चल पड़ा। अगर मिसेज सेंगर की शिक्षा कहीं व्यापक हो गयी तो सारा समाज विषय सेवन के पीछे पड़ जायगा और शुद्ध प्रेम का दुनिया से नामोनि-शान तक मिट जायगा। मैं मानता हूँ कि जनता को उच्च आदर्शों की शिक्षा देने में सदियों लग जायेंगे। पर यह काम शुरू करने के लिये अनु-कूल से अनुकूल समय अभी है। मुझे डर है कि मिसेज सेंगर विषय को ही प्रेम समझ बैठी है। पर यह भूल है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, विषय सेवन से इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

डॉ० एलेक्सिस केरल भी आपके साथ इस बात में सहमत है कि सधम कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगों के कि जो

दूसरी तरह अपने विषयों को उत्तेजित करते हैं और पहले से ही अपने मन पर काबू खो चुके हैं। मिसेज सॅगर का यह बनाया अधिकांश डाक्टर यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन से हानि होती है, बिल्कुल गलत है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ कई बड़े बड़े डाक्टर अमेरिकन सोशियल हार्डिजीन ( सामाजिक आरोग्य शास्त्र ) के विज्ञान शास्त्री ब्रह्मचर्य पालन को लाभदायक मानते हैं।

आप एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन-संग्राम के तमाम चढ़ाव उतारों का बहुत रसपूर्वक अध्ययन करता रहा हूँ। आप जगत में उन इने गिने व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के प्रश्न पर इस तरह उच्च आध्यात्मिक दृष्टि बिन्दु से विचार किया है। मैं आपको यह जताना चाहता हूँ कि महासागर के इस पार भी आपके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखनेवाला आपका एक साथी यहाँ पर है।

हम इस नेक काम को जारी रखें ताकी नवयुवक वर्ग सच्ची बात को जान लें, क्योंकि भविष्य उसी वर्ग के हाथों में है।

अपने विद्यार्थियों के साथ अपने एक सम्वाद में से मैं छोटा-सा उद्धरण यहाँ देना चाहता हूँ— निर्माण करो, हमेशा निर्माण करो। निर्माण प्रवृत्ति में से तुम्हें श्रेय मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उल्लास मिलेगा। पर अगर तुम अपनी निर्माणशक्ति को आज विषयवृत्ति का साधन बना लोगे तो तुम अपनी रक्षा-शक्ति पर अत्याचार करोगे और तुम्हारे आध्यात्मिक बल का नाश हो जायगा। रचना प्रवृत्ति-शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का नाम जीवन है, यही आनन्द



है। अगर तुम प्रजोत्पत्ति के हेतु के बिना या संतति का निरोध करके विषय सेवन द्वारा सिर्फ इन्द्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे, तो तुम प्रकृति के नियम का भंग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का हनन करोगे। इसका परिणाम यह होगा, कि अनिवार्य विषयान्निधन उठेगी और आखिर निराशा तथा असफलता में अन्त होगा। इससे तो हम कभी उन उच्च गुणों का विकास नहीं कर पायेंगे, जिनके बल पर हम उस नवीन मानव समाज की रचना कर सकें, जिसमें कि दिव्यात्मा स्त्री पुरुष हो।

मैं जानता हूँ कि यह सब पूर्वकाल के नवियों के “अरथ-रोदन” जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि यही सच्चा रास्ता है और मुझसे अधिक कुछ चाहे न भी बन पड़े पर मैं कम से कम उँगली दिखाकर तो अपना समाधान कर लूँ।

संतति नियमन के कृत्रिम साधनों का निषेध करने वाले जो पत्र मुझे कभी कभी अमेरिका से मिलते रहे हैं, उन्हीं में से यह भी एक है। पर सुदूर पश्चिम से हिन्दुस्तान में जो सामाजिक साहित्य आता रहता है, उससे तो पढ़ने वाले के दिल पर बिल्कुल जुदा असर पड़ता है मानो अमेरिका में तो सिवा वेबकूफो के कोई भी इन आधुनिक साधनों का विरोध नहीं करते हैं जो मनुष्य को उस अंधविश्वास से मुक्ति प्रदान करते हैं जो अब तक शरीर को गुलाम बनाकर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऐहिक सुख से मनुष्य को वंचित करके उसके शरीर को निष्प्राण बना देने की शिक्षा देता चला आ रहा है। यह साहित्य भी उतना ही क्षणिक नशा पैदा करता है

जितना की वह कर्म जिसकी वह शिक्षा देता है, और जिसे उसके साधारण परिणाम के खतरे से बचाकर करने को वह प्रोत्साहन देता है। पश्चिम से आने वाले केवल उन पत्रों को मैं हरिजन के पाठकों के सामने नहीं पेश करता जिनमें व्यक्तिगत रूप से इन साधनों का निषेध होता है तो वे साधक दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी हैं। साधारण पाठकों के लिए उनका मूल्य बहुत ही कम है। पर यह पत्र खास तौर पर एक महत्त्व रखता है। क्योंकि यह ऐसे शिक्षक का है, जिसे तीस वर्ष का अनुभव है। यह हिन्दुस्तान के उन शिक्षकों और जनता (स्त्री पुरुष) के लिए खास तौर पर मार्गदर्शक है, जो उस ज्वार के प्रबल प्रवाह में बहे जा रहे हैं। संतति नियामक साधनों के प्रयोग में शराब से अनन्त गुना प्रबल प्रलोभन होता है। पर इस मारक प्रलोभन के कारण वह उस चमकीली शराब की अपेक्षा अधिक जायज नहीं है और चूँकि दोनों का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, इस कारण निराश होकर न इनका विरोध करना भी छोड़ा जा सकता। अगर इनके विरोधियों को अपने कार्य की पवित्रता में श्रद्धा है तो उन्हें उसे बराबर जारी रखना चाहिए। ऐसे अरण्य रोदन से भी वह बल होता है जो मूढ़ जनसमुदाय के सुर से सुर मिलाने वाले की आवाज में नहीं हो सकता क्योंकि अरण्य में रोनेवाले की आवाज में चिन्तन और मनन के अलावा अटूट श्रद्धा होती है। वहाँ इस सर्वसाधारण के इस शोर की जड़ में विषय भोग की व्यक्तिगत लालसा और अनचाही सतति तथा दुखिया माताओं के प्रति झूठी और निरीभावुक सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं होता और

इस मामले में व्यक्तिगत अनुभव वाली दलील मे तो उतनी ही वृद्धि है, जितनी की एक शराबी के किसी कार्य में होती है। और सहानुभूति वाली दलील एक धोखे की टट्टी है, जिसके अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है। अनचाहे बच्चों के तथा मानृत्व के कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित सजायें और हिदायतें हैं। समय और इन्द्रिय नियमन के कानून की जो परवा नहीं करेगा, वह तो एक तरह से अपनी खुदकशी ही कर लेगा। यह जीवन तो एक परीक्षा है। अगर हम इन्द्रियों का नियमन नहीं कर सकते, तो हम असफलता को न्यौता देते हैं। कायरो की तरह हम युद्ध से मुँह मोड कर जीवन के एक मात्र आनन्द से अपने आपको वंचित करते हैं।

## सन्तति निग्रह

मेरे एक साथी ने जो मेरे लेखों को ध्यान के साथ पढ़ते रहते हैं, जब यह पढ़ा कि संतति निग्रह के लिये सम्भवतः मैं उन दिनों सहवाम करने की बात स्वीकार कर लूँगा, जिनमें कि गर्भ रहने की सम्भावना नहीं होती, तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि कृत्रिम साधनों से संतति निग्रह करने की बात/मुझे जितनी खलती है उतनी यह नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर वैवाहिक दम्पतियों के ही लिये। आखिर बहस बढ़ते बढ़ते इतनी गहराई पर चलती गयी जिसकी हम दोनों में से किसी को आशा न थी। मैंने देखा कि यह बात भी उन मित्र को कृत्रिम साधनों से संतति निग्रह करने जैसी ही बुरी प्रतीत हुई। इससे मुझे मालूम पड़ा कि यह मित्र स्मृतियों के इस बंधन को स्थाधारण मनुष्यों के लिये व्यवहार योग्य समझते हैं कि पति-पत्नि को भी तभी सहवास करना चाहिये, जब कि उन्हें सचमुच संतानोत्पत्ति की इच्छा हो। इस नियम को तो मैं जानता पहले से था, लेकिन उसे इस रूप में पहले कभी नहीं माना था जिस रूप में कि इस बातचीत के बाद मानने लगा हूँ। अभी तक तो पिछले कितने सालों से मैं इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हूँ जिस पर ज्यों का त्यों अमल नहीं हो सकता, इसलिए मैं समझता था कि संतानोत्पत्ति की स्वास इच्छा के वगैर भी विवाहित स्त्री-पुरुष जब तक एक दूसरे की रजामन्दी से सहवाम करें तब तक वे वैवाहिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए स्मृतियों के आदेश

का/भंग नहीं करते। लेकिन जिस नये रूप में अब मैं स्मृति की बात को लेता हूँ, वह मेरे लिये मानों एक इलहाम है। स्मृतियों का कहना है कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष इस आदेश को दृढता के साथ पालन करें, वे वैसे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे अविवाहित रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। उसे अब मैं इतनी अच्छी तरह समझ गया हूँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था।

इस नये रूप से, अपनी काम वासना को वृत्त नहीं करना, बल्कि सन्तानोत्पत्ति की सहवास का एकमात्र उद्देश्य है। साधारण काम पूर्तियों, विवाह की इस दृष्टि से भोग ही माना जायगा। जिस आनन्द को हम अभी तक निर्दोष और वैध मानते आये हैं, उसके लिये ऐसे शब्द का प्रयोग कठोर तो मालूम होगा, लेकिन प्रचलित प्रथा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस विवाह विज्ञान को ले रहा हूँ जिसे हिंदू ऋषियों ने बताया है। यह हो सकता है कि उन्होंने इसे ठीक ढङ्ग से न रक्खा हो, या वह बिल्कुल गलत ही हो, लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए तो जो स्मृतियों की कई बातों को अनुभव के आधारभूत मानता है, उनके अर्थ को पूरी तरह स्वीकार किये वगैर कोई चारा ही नहीं है। कुछ पुरानी बातों को उनके पूरे अर्थों में ग्रहण करके प्रयोग में लाने के अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी सचाई का पता लगाया जा सके, फिर वह जाँच कितनी ही कड़ी क्यों न प्रतीत हो और उससे निकलने वाले निष्कर्ष कितने ही कठोर क्यों न लगें। ऊपर मैंने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए कृत्रिम साधनों या ऐसे दूसरे

उपायो से संतति निग्रह करना बड़ी भारी गलती है। अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह समझते हुए मैं यह लिख रहा हूँ। श्रीमती मार्गरेट सेंगर और उनके अनुयायियों के लिये मेरे मन में बड़े आदर का भाव है। अपने उद्देश्य के लिये उनके अन्दर जो अद्भ्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह भी मैं जानता हूँ कि स्त्रियों को अन्चाहे वच्चों की सार सहाय्य और परवरिण करने के कारण कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए उनके मन में स्त्रियों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। साथ ही वह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम संतति-निग्रह का अनेक उदार धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और डाक्टरों ने भी समर्थन किया है, जिनमें बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता और मानता भी हूँ। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी जो मान्यता है, उसे अगर मैं पाठकों या कृत्रिम संतति निग्रह के महान् समर्थकों से छिपाऊँ तो मैं अपने ईश्वर के प्रति, जो कि सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, सच्चा साक्षित नहीं होऊंगा। और अगर मैंने अपनी मान्यता को छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलती को अगर मेरी यह मान्यता गलत हो मैं कभी नहीं जान सकूँगा। अलावा इसके उन अनेक स्त्री-पुरुषों की साक्षि भी मैं यह जाहिर कर रहा हूँ जो कि संतति निग्रह सहित अनेक नैतिक समस्याओं के बारे में मेरे आदेश और मत को स्वीकार करते हैं।

संतति निग्रह होना चाहिये इस बात पर तो वे भी सहमत हैं जो इसके लिये कृत्रिम साधनों का समर्थन करते हैं और वे भी जो अन्य उपाय बतलाते हैं। आत्म रक्षक से संतति निग्रह करने में जो कठिनाई होती

है उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मनुष्य जाति को अपनी किस्मत जगानी है, तो इसके सिवाय इसकी पूर्ति का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम साधनों से संतति निग्रह की बात सबने मंजूर कर ली तो मनुष्य जाति का बड़ा भारी नैतिक पतन होगा। कृत्रिम संतति निग्रह के समर्थक इसके विरुद्ध प्रायः जो प्रमाण पेश करते हैं उनके वावजूद मैं यह कहता हूँ।

मेरा विश्वास है कि मुझमें अन्धविश्वास कोई नहीं है। यह नहीं मानता कि कोई बात इस लिये सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है। न मैं यही मानता हूँ कि चूँकि वह प्राचीन है इसलिये उसे संदिग्ध समझा जाय। जीवन के आधारभूत कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम यह समझकर योही नहीं छोड़ सकते कि उन पर अमल करना मुश्किल है।

इसमें शक नहीं कि अक्ससयम के द्वारा संतति निग्रह है कठिन, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आया, जिसने सजीदगी के साथ उसकी उपयोगिता में सदेह किया हो या यह न माना हो कि कृत्रिम साधनों की वनिस्वत यह ऊँचे दर्जे का है।

मैं समझता हूँ जब हम सहवास को दृढ़ता से मर्यादित रखने के शास्त्रों के आदेश को पूर्णतः स्वीकार कर लें और उसको ही सबसे बड़े आनन्द का साधन न मानें तो यह अपेक्षाकृत आसान भी हो जायगा। जननेन्द्रियों का काम तो सिर्फ यही है कि विवाहित दम्पति के द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति करें। और यह तभी हो सकता है,

और होना चाहिये जब कि स्त्री पुरुष दोनों सहवास की नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से, जो कि ऐसे सहवास का परिणाम होता है, प्रेरित हों। अतएव सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बगैर सहवास करना अवैध समझा जाना चाहिये और उस पर नियंत्रण लगाना चाहिये।

## सन्तति निग्रह

हमारे समाज की आज ऐसी दशा है कि अत्ममयम की प्रेरणा ही उससे नहीं मिलती। शुरू से हमारा पालन-पोषण ही उम्रमे विपरीत दिशा में होता है। माता-पिता की मुख्य चिन्वा तो यही होती है कि जैसे भी हो अपनी सन्तान का व्याह कर दें जिससे चूहों की तरह वे बच्चे जनते रहें। और अगर कहीं लड़की पैदा हो जाय तब तो जितनी भी कम उम्र में हो सके बिना यह सोचे कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उसका व्याह कर दिया जाता है। विवाह की रस्म भी क्या है मानो टावत और फजूल रर्ची की एक लम्बी सरदरों ही है। परिवार का जीवन भी वैसा ही होता है जैसे कि पहले से होता आया है, याने भोग की ओर बढ़ना ही होता है। छुट्टियां और व्योहार ही इस तरह रखे गये हैं जिससे वैपयिक रहन सहन की ओर ही अधिक से अधिक प्रवृत्ति होती है। जो साहित्य एक तरह से गले चपेटा जाता है उम्रमे भी आमतौर पर विषयोन्मुख मनुष्यों का उसी ओर अग्रसर होने का प्रोत्साहन मिलता है। और अत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही



शिक्षा देता है कि विषय भोग ही कर्तव्य है और पूर्ण संयम एक पाप है ।

ऐसी हालत में कोई आश्चर्य नहीं कि कामपिपासा का नियंत्रण बिल्कुल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है । और अगर हम यह मानते हैं कि संतति निग्रह का अत्यन्त वाञ्छनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सर्वथा निर्दोष साधन आत्म संयम ही है तो हमें सामाजिक आदर्श और वातावरण को ही बदलना होगा । इस इच्छित उद्देश्य की सिद्धिका एकमात्र उपाय यही है कि जो व्यक्ति आत्मसंयम साधन में विश्वास रखते हैं वे दूसरों को भी उससे प्रभावित करने के लिये अपने अद्भुत विश्वास के साथ खुद ही इसका अमल शुरू कर दें । ऐसे लोगों के लिये मैं समझता हूँ, विवाह की जिस धारणा की मैंने पिछले सप्ताह चर्चा की थी वह बहुत महत्व रखती है । उसे भली भाँति ग्रहण करने का मतलब है अपनी मन रिथति को बिल्कुल बदल देना अर्थात् पूर्ण मानसिक क्रान्ति । यह नहीं कि कुछ चुने हुए व्यक्ति ही ऐसा करें बल्कि यह समस्त मानव जातियों के लिये नियम हो जाना चाहिये क्योंकि इसके भंग से मानव प्राणियों का दर्जा घटता है और अनचाहे बच्चों की वृद्धि, सदा बढ़ती रहने वाली बीमारियों की श्रृंखला और मनुष्य के नैतिक पतन के रूप में उन्हें तुरन्त ही इसकी सजा मिल जाती है । इसमें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा संतति निग्रह से नवजात शिशुओं की संख्या वृद्धि पर किसी हद तक अकुश रहता है और साधारण स्थिति के मनुष्यों का थोड़ा बचाव हो जाता है । लेकिन व्यक्ति और

समाज की जो नैतिक हानि इससे होती है। उमका पार नहीं। क्योंकि जो लोग भोग के लिये ही अपनी कामवासना की तृप्ति करते हैं, उनके लिये जीवन का दृष्टिकोण ही बिल्कुल बदल जाता है। उनके लिये विवाह धार्मिक सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन सामाजिक उच्चादशों का बिल्कुल घटल जाना जिन्हें हम अभी तक बहु-मूल्य निधि के रूप में मानते रहे हैं। निस्सन्देह जो लोग विवाह के पुराने आदर्शों को अन्धविश्वास मानते हैं, उन पर इस दलील का ज्यादा असर न होगा। इसलिये मेरी दलील सिर्फ उन लोगों के लिये है जो विवाह को एक पवित्र सम्बन्ध मानते हैं। और स्त्री को पाशविक आनन्द ( भोग ) का साधन नहीं, बल्कि सन्तान के धारण और संरक्षण का गुण रखने वाली माता के रूप में मानते हैं।

मैंने और मेरे साथी कार्यकर्त्त्यों ने आत्मसंयम की दिशा में जो प्रयत्न किया है, उसके अनुभव से मेरे विचार की पुष्टि होती है, जिसे कि मैंने यहाँ उपस्थित किया है। विवाह और प्राचीन धारणा के प्रसर प्रकाश में होने वाली खोज से इसे बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो गया है। मेरे लिये तो अब विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य बिल्कुल स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति बनकर स्वयं विवाह की तरह पुरुषामूली बात हो गयी है। संतति निग्रह का और कोई उपाय व्यर्थ और अकथनीय मालूम पड़ता है। एक बार जहाँ स्त्री और पुरुष में इस विचार ने घर किया नहीं कि जननेन्द्रियों का एकमात्र महान कार्य सन्तानोत्पत्ति ही है। सन्तानोत्पत्ति के प्रत्यावा और किसी उद्देश्य से सहवास करने को अपने रज-वीर्य की दृढनीय क्षति

मानने लगेंगे और उसके फलस्वरूप स्त्री में हीने वाली उत्तेजना को अपनी मूल्यवान शक्ति की वैसी ही दंडनीय क्षति समझेंगे। हमारे लिये सम्भ्राना बहुत मुश्किल नहीं है कि प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने वीर्य-रक्ष को क्यों इतना महत्व दिया है और क्यों इस बात पर उन्होंने इतना जोर दिया है कि हम समाज के कल्याण के लिये उसे शक्ति के सर्वोत्कृष्ट रूप में परिणत करें। उन्होंने तो स्पष्ट रूप में इस बात की घोषणा की है कि जो (स्त्री-पुरुष) अपनी काम-वासना पर पूर्ण नियंत्रण कर ले, वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है जो और किसी उपाय से प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऐसे महा ब्रह्मचारियों की अधिक संख्या क्या, एक भी ऐसा कोई हमें अपने बीच में दिखाई नहीं पड़ता। इससे पाठकों को घबड़ाना नहीं चाहिये। अपने बीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं, वे सचमुच बहुत अपूर्ण नमूने हैं। उनके लिये तो बहुत यही कहा जा सकता है कि वे ऐसे जिज्ञासु हैं जिन्होंने अपने शरीर का तो संयम कर लिया है, पर मज पर अभी संयम नहीं कर पाये हैं। ऐसे दृढ़ वे अभी नहीं हुए हैं कि उन पर प्रलोभन का कोई असर ही न हो। लेकिन यह बात इसलिये नहीं है कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति बहुत दुरूह है। बल्कि सामाजिक वातावरण ही उनके विपरीत है और जो लोग ईमानदारी के साथ यह प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश अनजाने सिर्फ इसी संयम का यत्न करते हैं। जब कि इसमें सफल होने के लिये उन सब विषयों के संयम का यत्न किया जाना चाहिये जिनके चगुल में मनुष्य फँस सकता है। इस तरह

किया जाय तो साधारण स्त्री-पुरुषों के लिये भी ब्रह्मचर्य का पालन असम्भव नहीं है। लेकिन यह याद रहे कि इसके लिये भी वैसे ही प्रयत्न की आवश्यकता है जैसा कि किसी भी विज्ञान के निष्पात होने के अभिलाषी किसी विद्यार्थी को करना पड़ता है। यहाँ जिस रूप में ब्रह्मचर्य को लिया गया है, उस रूप में जीवन-विज्ञान में निष्पात होना ही वस्तुतः उसका अर्थ भी है।

## अमेरिका की साक्षी

मोन्टाना (अमेरिका) से कुमारी मैवल ई० सिम्पसन ने 'हरिजन' के सम्पादक को लिखा है —

“मैं आपके पत्र की प्रशंसा करती हूँ। यह ठीक है कि आकार में यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ रहता है उससे इस अभाव की पूर्ति हो जाती है। गांधी जी ने सतति-निग्रह के विषय में सदा की तरह स्पष्टतापूर्वक जो लेख लिखा है, वह मुझे बहुत पसन्द आया। अगर वह बीस वर्ष पहले जब कि सतति-निग्रह से घृणा की जाती थी, और अब जब कि इसका बहुत जोर है, अमेरिका जाते तो वह यह जान जाते कि नैतिक दृष्टि से यह कितना पतनकारक है। लेकिन वह किसी को इस बात का विश्वास नहीं करा सकेंगे, क्योंकि वह मनुष्य को नैतिक और अध्यात्मिक दृष्टि से भी वचित कर देता है,

जिससे इस पथ पर चलने वालों के लिये उच्च नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित कर देता है, जिससे इस पथ पर चलने वालों के लिये उच्च नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिपूर्वक किसी बात का निर्णय करना असम्भव हो जाता है। इस सस्वन्ध में हिन्दुस्तान ने अगरे पश्चिम का अनुकरण किया, तो निश्चय ही वह अपने दो अत्यन्त अमूल्य और सुन्दर रत्नों को खो देगा—एक तो छोटे बच्चों के प्रति प्रेम और दूसरा माता-पिता के प्रति श्रद्धा। अमेरिका ने इन दोनों को गवाँ दिया है और इनका उसे कुछ पता भी नहीं। क्या आप ब्रह्मचर्य के अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? मुझसे इसके बारे में पूछा गया है। हालाँकि मेरे मन में इसकी कुछ कल्पना तो है, लेकिन वह इतनी निश्चित नहीं है कि मैं दूसरों को समझाने का प्रयत्न करूँ।”

पाठक और पाठिकाँ इस साक्षी का जो कुछ मूल्य आँकें, वह आँक सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने के विरुद्ध ऐसी साक्षी उन लोगों को साक्षी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इनके प्रयोग से फायदा उठाने का दावा करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इससे बच्चों की उत्पत्ति रुकती है, इस रूप में इसके फायदे से कोई इन्कार नहीं करता। कहा सिर्फ यह जाता है कि इसके प्रयोग से जो नैतिक हानि होती है, वह बेहिसाब है। कुमारी सिम्पसन ने हमें ऐसी हानि का भाव बताया है।

अब रही ब्रह्मचर्य के अर्थ की बात सो उसका मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है :—

वह आचरण कि जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्मा के सम्पर्क में आता है ।

इस आचरण में सब इन्द्रियों का सम्पूर्ण संयम शामिल है । इस शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है ।

वैसे आमतौर पर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रियों का शारीरिक संयम ही लगाया जाने लगा है । इस संकीर्ण अर्थ ने ब्रह्मचर्य को हलका कर के उसके आचरण को प्रायः विलकुल असम्भव कर दिया है । जननेन्द्रिय पर तब तक संयम नहीं हो सकता, जब तक की सभी इन्द्रियों का उपयुक्त संयम न हो, क्योंकि ने सब अन्योन्याश्रित हैं । मन भी इन्द्रियों में ही शामिल है, जब तक मन पर संयम न हो, खाली शारीरिक संयम चाहे कुछ समय के लिए प्राप्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता ।

## कृत्रिम साधनों से सन्तति निगूह

एक सज्जन लिखते हैं —

“हाल में हरिजन में श्रीमती सेगर और महात्मा गांधी की मुलाकात का जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

इस बातचीत में जिस खास बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया मालूम पड़ता, वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कलाकार और उत्पादक है। कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही वह संतोष नहीं करता, बल्कि सुन्दरता, रंग-विरंगापन और आकर्षण भी उसके लिये आवश्यक होता है। मुहम्मद साहब ने कहा है कि “अगर तेरे पास एक ही पैसा हा, तो उससे रोटी खरीद ले, लेकिन अगर दो हो, तो एक से रोटी खरीद और एक से फूल।” इसमें एक महान् मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है—वह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है। इसीलिये हम उसे ऐसे कामों के लिये भी प्रयत्नशील पाते हैं, जो महज उसके शरीर धारण के लिये आवश्यक नहीं। उसने तो अपनी प्रत्येक आवश्यकता को कला का रूप दे रखा है और उन कलाओं की खातिर मनो रूख बहाया है। मनुष्य की उत्पादक बुद्धि नयी नयी कठिनाइयों और समस्याओं को पैदा करके उनका तेल निकालने के लिये उसे प्रेरित करती रहती है। रूसी, रस्किन, टाल्सटाय, थोरो और गांधी उसे जैसा “सरल सादा” बनाना चाहते हैं वैसा वह बन नहीं सकता। युद्ध भी उसके लिये एक आव-

श्यक चीज है, और उसे भी उसने एक महान् कला के ही रूप में परिणत कर दिया है।

उसके मस्तिष्क को अपील करने के लिये प्रकृति का उदाहरण व्यर्थ है, क्योंकि वह तो उसके जीवन से ही विलकुल मेल नहीं खाती है। “प्रकृति उसकी शिक्षिका नहीं बन सकती।” जो लोग प्रकृति के नाम पर अपील करते हैं, वे यह भूल करते हैं कि प्रकृति में केवल पर्वत तथा उपत्यकाएँ और कुसुम क्यारियाँ ही नहीं हैं। बरिद वाद, भूस्फात और भूकम्प भी हैं। कट्टर निराकारवादी नील्से का कहना है कि कलाकार की दृष्टि से प्रकृति कोई आदर्श नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विकृतीकरण से काम लेती है और बहुत सी चीजों को छोड़ जाती है। प्रकृति तो एक आकस्मिक घटना है। “प्रकृति से अध्ययन करना” कोई अच्छा चिह्न नहीं है। क्योंकि इन नगण्य चीजों के लिये बूल में लोटना अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है। भिन्न प्रकार के बुद्धि के कार्य को, कला विरोधी मामूली बातों को, देखने के लिये यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि हम क्या हैं। हम यह जानते हैं कि जंगली जानवर अपने शरीर को बनाये रखने की आवश्यकतावश कच्चा मांस खाते हैं। स्वाद वग नहीं। यह भी हम जानते हैं कि प्रकृति में तो पशुओं में समागम की ऋतुएँ होती हैं। इन ऋतुओं के अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं। लेकिन उसी फिलासफर के अनुसार यह तो अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है, जो स्वभावतः मनुष्य अच्छा कलाकार है। इसलिये जब सन्तानोपत्ति की आवश्यकता न रहे तब मैथुन कार्य को बन्द कर देना या केवल संता-



नोत्पत्ति की स्पष्ट इच्छा से प्रेरित होकर ही मैथुन करना इतनी प्राकृतिक, इतनी भामूली हिसाब-किताब की सी बात है कि हमारे फिलासफर के कथनानुसार वह उसकी कला प्रेमी प्रकृति को अपील नहीं कर सकता। इसलिये वह तो स्त्री-पुरुष के प्रेम को एक विलकुल दूसरे पहलू से देखता है। ऐसे पहलू से जिसका सन्तान-वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं। यह बात हेवलाक एलिस और मेरी स्टोप्स जैसे आस पुरुषों के कथनों से उत्पन्न होती है। पर वह शारीरिक सम्भोग के बिना अपूर्ण रह जाती है। यह उस समय तक रहेगा जब तक हम इस अश को केवल आत्मा में पूरा नहीं कर सकते और उसके लिये शरीर यंत्र की आवश्यकता समझते हैं। ऐसे सहवास के परिणाम का सामना विलकुल दूसरी समस्या है। यही संतान निग्रह के आन्दोलन का काम आ जाता है। पर यह काम अगर स्वयं आत्मा की ही पुन. व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय और बाह्य-अनुशासन द्वारा आत्मसंयम के माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—तो हमें यह आशा नहीं होती कि उससे जिन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिये उन सबको वह सिद्ध कर सकेगा। न उससे बिना सुदृढ मनोवैज्ञानिक आधार के संतति निग्रह ही हो सकता है।

“अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं यह और कहूँगा कि आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य का महत्व मैं किसी प्रकार कम नहीं करना चाहता। वैषयिक निःत्रण को पूर्णता पर ले जाने वाली कला के रूप में मैं हमेशा उसकी सराहना करूँगा। लेकिन जैसे अन्य कलाओं की सम्पूर्णता हमारे जीवन में (और नीत्यो के अनुसार) हमारे सारे

जीवन में, कोई हस्तक्षेप नहीं करती, वैसे ही ब्रह्मचर्य के आदर्श को मैं दूमरी बातों पर प्रभुत्व पाने का सहाय नहीं बनने दूँगा—जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं के हल करने का साधन तो वह और भी कम है। हमने हमका क्रैमा हौआ बना डाला है, युद्ध कालीन बच्चों के बारे में तो हम जानते ही हैं। जिन सैनिकों ने अपना रून बहाकर अपने देश वामियों के लिये समर्पण में विजय प्राप्त की, क्या हम इसलिये उन्हें इसका श्रेय न देंगे, कि उन्होंने रणक्षेत्र से भी बच्चे पैदा कर डाले ? नहीं कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि इन बातों को महेनजर रूप कर ही शास्त्रों ( प्रश्नोपनिषद् ) में यह कहा गया है कि ' ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौगत्या मयुज्यते'—अर्थात् केवल रात्रि में ही ( याने दिन के असाधारण समय को छोड़कर ) सहवास किया जाय तो वह ब्रह्मचर्य ही जैसा है। यहाँ साधारण वैषयिक जीवन को भी ब्रह्मचर्य के ही समान बताया गया है। उसमें इतनी कठोरता तो जीवन के विविध रूपों में उलट फेर करने के फलस्वरूप ही आयी है।'

तो भी कोई ऐसी बीज हो, जिसमें कोरा शब्दाडंबर, गाली-गालौज या आरोप आक्षेप न हों उन्हे मैं सहर्ष प्रकाशित करूँगा, जिससे पाठकों के सामने समस्या के दोनों पटलू आ जायें और वे अपने आप किमी निरर्थक पर पहुँच सकें। इसलिये हम पत्र को मैं बड़ी खुशी के साथ प्रकाशित करता हूँ। युद्ध में भी यह जानने के लिये उत्सुक हूँ कि जिस बात के विज्ञान सिद्ध और तितकारी होने का दावा किया जाता है तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पक्ष

देखने की कोशिश करने पर भी मुझे वह क्यों इतनी खलती है ?

लेकिन मेरे सन्तोष की कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं होती जिससे मुझे इसका विश्वास हो जाय कि विवाह जीवन में मैथुन स्वयं कोई अच्छाई है और उसे करने वालों को उससे कोई लाभ होता है। हाँ, अपने खुद के तथा दूसरे अनेक अपने मित्रों के अनुभव पर से इससे विपरीत बात मैं जरूर कह सकता हूँ। हममें से किसी ने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक उन्नति की हो, यह मैं नहीं जानता। क्षणिक उत्तेजन और सन्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन इसके बाद थकावट भी जरूर हुई। और जैसे ही उस थकावट का असर मिटा नहीं कि मैथुन इच्छा भी तुरन्त ही जाग्रत हो उठी। हालाँकि मैं सदा से जागरूक रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरह मुझे याद है कि इस विकार से मेरे कामों में बड़ी बाधा पडा है। इस कमजोरी को समझकर ही मैंने आत्मसंयम का रास्ता पकडा और इसमें सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूप से काफी लम्बे-लम्बे समय तक मैं जो बीमारी से बचा रहता हूँ और शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो इतना अधिक और विविध प्रकार का काम कर सकता हूँ, कि जिसे देखनेवालों ने अद्भुत बताया है, उसका कारण मेरा यह आत्मसंयम या ब्रह्मचर्य पालन ही है।

मुझे भय है कि उक्त सज्जन ने जो कुछ पढा उसका, गलत अर्थ लगाया है। मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें तो कोई शक नहीं। सुन्दरता और रंग-विरंगापन उसे चाहिये ही। लेकिन मनुष्य की कलात्मक और उत्पादक प्रवृत्तियों ने अपने सर्वोत्तम रूप में उसे यही सिखाया

है कि वह आत्मसंयम में कला कला का और अनुत्पादक ( जो सन्तानोत्पत्ति के लिए न हो ) ऐसे सहवास में असुन्दरता का दर्शन करें । उसमें कलात्मक की जो भावना है उसने उसे विवेकपूर्वक यह जानने की शिक्षा दी है कि विविध रङ्गों का चाहे जैसा मिश्रण सौन्दर्य का चिह्न नहीं है, और न हर तरह का आनन्द ही अपने आप में कोई अच्छाई है । कला की ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि वह उपयोगिता में ही आनन्द की खोज करे याने वही आनन्दोपभोग करे जो हितकर हो । इस प्रकार अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने यह जान लिया था कि खाने के लिए ही उसे खाना नहीं खाना चाहिये जैसा हम में से कुछ लोग अभी भी कहते हैं । वरिष्ठ जीवन टिका रहे, इसलिये खाना चाहिये । वाद में उसने यह भी जाना कि जीवित रहने के लिये ही उसे जीवित नहीं रहना चाहिये वरिष्ठ अपने सहजीवियों और उनके द्वारा उस प्रभु की सेवा के लिये उसे जीना चाहिये जिसने उसे तथा उन सबको बनाया या पैदा किया है । इसी प्रकार जब उसने विषय सहवास या मैथुन जनित आनन्द की बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अन्तर प्रत्येक इन्द्रिय की भाँति जननेन्द्रिय का भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य यानी सदुपयोग इसी में है कि केवल प्रजनन या सन्तानोत्पत्ति के ही लिये सहवास किया जाय । इसके सिवाय और किसी प्रयोजन में किया जानेवाला सहवास असुन्दर है और ऐसा करनेवाले व्यक्ति और उनकी नस्ल के लिये उसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं । मैं समझता

## सुधारक बहनों से

एक बहिन से गम्भीरता पूर्वक मेरी जो बातचीत हुई उससे मुझे भय होता है कि कृत्रिम संतति निरोध सम्बन्धी मेरी स्थिति को अभी तक लोगों ने काफी अच्छी तरह नहीं समझा। कृत्रिम संतति-निरोध के साधन का मैं जो विरोध करता हूँ वह इस कारण नहीं कि वे हमारे यहाँ पश्चिम से आये हैं। कुछ पश्चिमी चीजें तो हमारे लिये वैसी ही उपयोगी हैं जैसी कि वे पश्चिम के लिये हैं और कृतज्ञता के साथ मैं उनका प्रयोग भी करता हूँ। अतएव कृत्रिम सन्तति निरोध के साधनों का मेरा विरोध तो केवल उनके गुणदोष की दृष्टि से ही है।

मैं यह मानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति निग्रह के साधनों का प्रतिपादन करने वालों में जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं वे उन्हें उन स्त्रियों तक ही मर्यादित रखना-चाहते हैं जो सन्तानोत्पत्ति में वचते हुए अपनी और अपने पतियों की विषय वासना को वृक्ष करना चाहते हैं। लेकिन, मेरे रयाल में, मानव-प्राणियों में यह इच्छा अस्वाभाविक है और इसको वृक्ष करना मानव कुटुम्ब की आध्यात्मिक प्रगति के लिए घातक है। इसके खिलाफ अन्य बातों के साथ अक्सर पेन के लार्ड डासन की यह राय पेश की जाती है।

“विषय सम्बन्धी प्रेम संसार की एक प्रचण्ड और प्रधान शक्ति है। हमारे अन्दर यह भावना इतनी तीव्र, मौलिक और बलवती होती है कि हमें इसके प्रभाव को तथ्य रूप में स्वीकार करना ही होगा। आप इसका

दमन नहीं कर सकते, थाप चाहें तो इसे अच्छे रूप में परिणत कर सकते हैं किन्तु इसके प्रवाह को रोक नहीं सकते। और यदि इसके प्रवाह का स्रोत अपर्याप्त या जरूरत से ज्यादा से ज्यादा प्रतिबन्ध युक्त हुआ तो यह अनियमित स्रोतों से निकल पड़ेगा। आत्म संयम में हानि की सम्भावना रहती है और यदि किसी जाति में विवाह होने में कठिनाई होती हो या बहुत देर में जाकर विवाह होते हों तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अनुचित सम्बन्धों की वृद्धि हो जायगी। इस बात को तो सभी मानते हैं कि शारीरिक सहवास तभी होना चाहिये जब मन आत्मा भी उनके अनुकूल हों। और इस बात पर भी सब सहमत हैं कि सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रधान उद्देश्य है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वारम्बार हम जो सम्भोग करते हैं, वह हमारे प्रेम का शारीरिक प्रदर्शन ही होता है, जिसमें सन्तानोत्पत्ति का कोई विचार या इरादा नहीं। तो क्या हम सब गलती ही करते आ रहे हैं ? या यह बात है कि धर्म का हमारे वास्तविक जीवन से आवश्यक सम्पर्क नहीं है, जिसके कारण उसके और सर्व साधारण के बीच खाई पट गई है ? जब तक किसी शासक या सत्ता का, और धर्माधिकारियों का भी मैं इन्हीं में शुमार करता हूँ, सब नोजवानों के प्रति अधिक स्पष्ट, अधिक साहस पूर्ण और वास्तविकता के अधिक अनुकूल न होगा तब तक उनकी वफादारी कभी प्राप्त नहीं होगी।'

फिर सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी विषय प्रेम का अपना प्रयोजन है। विवाहित जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए यह अनिवार्य

है। वैपयिक सहवास यदि परमेश्वर की देन है तो उसके उपयोग का ज्ञान भी प्राप्त करने के लायक है। अपने क्षेत्र में यह इस तरह पैदा किया जाना चाहिए जिससे न केवल एक बल्कि सम्भोग करने वाले स्त्री पुरुष दोनों की शारीरिक तृप्ति हो। इस तरह एक दूसरे को जो पारस्परिक आनन्द प्राप्त होगा उससे उन दोनों में एक स्थायी बन्धन स्थापित होगा। उससे उनका विवाह सम्बन्ध स्थिर होगा, अध्यात्मिक विषय प्रेम से उतने विवाह असफल नहीं होते जितने की अपर्याप्त और बेढंगे वैपयिक प्रेम से होते हैं। काम वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो किसी भी रूप में अच्छे हैं, काम भावना रखने में समर्थ हैं। काम भावना विहीन विषय प्रेम तो बिल्कुल बेजान चीज है। दूसरी और ऐयाशी पेट्रपन के सिवाय एक शारीरिक अति है। अब चूँकि “प्रार्थना पुस्तक” के परिवर्धन पर विचार हो रहा है, मैं यह बड़े आदर के साथ सुझाना चाहता हूँ कि उसके विवाह में यह और जोड़ दिया जाय कि—“स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाह का उद्देश्य है।”

“अब मैं यह सब छोड़कर सन्तति-निग्रह के सब से जरूरी प्रश्न पर आता हूँ। सन्तति निग्रह स्थायी होने के लिए आया है। वह तो अब जम चुका है—और अंछा हो या बुरा हो—उसे हमको स्वीकार करना ही होगा। इन्कार करने से उसका अन्त नहीं होगा। जिन कारणों से प्रेरित होकर अभिभावक लोग सन्तति निग्रह करना चाहते हैं, उनमें कभी कभी तो स्वार्थ होता है। लेकिन वे बहुधा आदरणीय और उचित

ही होते हैं। विवाह करके अपनी सन्तान को जीवन संवर्ष के योग्य बनाना, मर्यादित आय, जीवन विवाह का खर्चा विविध करों का बोझ— ये सब इसके लिए जोगदार कारण हैं। और फिर गिञ्चित वर्ग के अन्दर स्त्रियाँ अपने पतियों के काम धन्धों तथा सार्वजनिक जीवन में भी भाग लेने की भी इच्छा करती हैं। यदि वे बार बार गर्भवती होती रहें तो इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती। यदि सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का सहारा न लिया जाय तो देर में विवाह करने का तरीका करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होनेपर उसके साथ अनुचित (गुप्त) रूप से अपनी विषयेच्छा तृप्त करने के विविध दुष्परिणाम सामने आयेंगे। एक ओर तो हम ऐसे अनुचित सम्बन्धों की बुराई करें, और दूसरी ओर विवाह के मार्ग में बाधा उपस्थित करें, तो उससे कोई लाभ न होगा। बहुत से लोग कहते हैं सम्भव है कि सन्तति निग्रह आवश्यक हो परन्तु एकमात्र जिस उपाय से सन्तति निग्रह करका ठीक हो सकता है वह तो स्वेच्छा-पूर्ण समय ही है। लेकिन ऐसा समय या तो व्यर्थ होगा या यदि कोई उसका असर पढा तो वह अव्यवहारिक और स्वार्थ व सुख के लिए हानिकर होगी। परिवार के लिए, मान लो, हम चार बच्चों की मर्यादा बना लें तो यह विवाहित स्त्री पुरुष के लिए एक तरह का समय ही होगा, जो देर देर में सन्तानोत्पत्ति होने के कारण ब्रह्मचर्य के समान ही माना जायेगा, और जब हम इस बात पर ध्यान दें कि आर्थिक कठिनाई के कारण विवाहित जीवन के आरम्भिक वर्षों में बहुत कठोर सयम करना पड़ेगा। जब कि विषयेच्छा बहुत प्रबल रहती है तो मैं कहता हूँ कि



वह इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए उसका दमन करना असंभव होगा और यदि उसे जबरदस्ती दवाने का यत्न किया गया तो स्वास्थ्य और सुख पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और नैतिकता के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। यह तो विल्कुल अस्वभाविक बात है। यह तो वही बात हुई कि प्यासे आदमी के पास पानी रख कर उससे कहा जाय खबरदार से पीना मत। नहीं, संयम द्वारा सन्तति निग्रह से कोई लाभ न होगा। और यदि इसका असर हुआ भी तो वह विनाशक होगा।”

“यह तो अस्वभाविक और मूलतः अनैतिक बात कही जाती है। सभ्यता का तो काम यही है कि प्राकृतिक शक्तियों को वश में कर के उन्हें इस तरह परिणत कर लिया जाय कि मनुष्य अपने इच्छानुसार उनका उपयोग कर सके। बच्चा आसानी से पैदा करने के लिए जब पहले पहल औजारों से ( Instruments ) का प्रयोग शुरू हुआ तो यही शोर मचाया गया था कि ऐसा करना अस्वभाविक और अधार्मिक काम है। क्योंकि प्रसव पीडा सहने के लिये ही तो भगवान ने स्त्रियों को बनाया है। यही बात कृत्रिम साधनों से संतति निग्रह करने की है। उसमें भी इससे अधिक कोई अस्वभाविकता नहीं है। उनका प्रयोग तो अच्छा ही है। अलवत्ता दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्त में क्या मैं यह प्रार्थना करूँ कि धर्माधिकारी लोग हर ऋक्ष का विचार करते समय इस पुरातन परम्पराओं की परवाह नहीं करेंगे जो अब व्यर्थ सी हो गई है बल्कि ऐसे ही अन्य प्रश्नों

की तरह नये संसार की आवश्यकताओं और आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?”

यह कितने बड़े डाक्टर हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन डाक्टर के रूप में उमका जो बटुपन है। उसके लिए काफी आउर का भाव रखते हुए भी मैं डम पर सन्देह करने का माहस करता हूँ कि उनका यह कथन कहाँ तक ठीक है। खासकर उम हालत में जब कि यह उन स्त्री पुरुषों के अनुभव के विपरीत है जिन्होंने आत्म सयम का जीवन बिताया है, किन्तु उससे उनकी नैतिक वा शारीरिक हानि नहीं हुई। वस्तुतः बात यह है कि डाक्टर लोग आम तौर पर उन्हीं लोगों के सम्पर्क में आते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों का अवहेलना करके कोई न कोई बीमारी मोल ले लेते हैं। इसलिए बीमारों को अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिये। यह तो वे अक्सर सफलता के साथ बताने देते हैं लेकिन यह बात वे हमेशा नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री पुरुष किसी खास दिशा में क्या कर सकते हैं। अतएव विवाहित स्त्री पुरुषों पर सयम की तो असर पटने की बात लार्ड टासन कहते हैं, उसे अत्यन्त सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विवाहित स्त्री पुरुष अपनी विषय तृप्ति को स्वतः कोई बुराई नहीं मानते। उनकी प्रवृत्ति उन्में वैध मानने की ही है, लेकिन आधुनिक युग में तो कोई बात स्वयं सिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक चीज को धारिकी से छानबीन की जाती है। अतः यह मानना मरसम गलती होगी कि चूँकि अब तक हम विवाहित जीवन में विषय भोग करते रहे हैं इसलिए ऐसा करना ठीक ही है। या स्वास्थ्य के लिए उसकी आवश्यकता

है। बहुत सी पुरानी प्रथाओं को हम छोड़ चुके हैं और उसके परिणाम अच्छे ही हुए हैं। तब इस खास प्रथा को ही उन स्त्री पुरुषों के अनुभव की कसौटी पर क्यों न कसा जाय, जो विवाहित होते हुए भी एक दूसरे की सहमति से संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे नैतिक तथा शारीरिक दोनों तरह का लाभ उठा रहे हैं।

लेकिन मैं तो इसके अलावा विशेष आधार पर भी भारत में संतति निग्रह के कृत्रिम साधनों का विरोधी हूँ। भारत में नवयुवक यह नहीं जानते कि विषय दमन क्या है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहाँ की प्रथा है और विवाहित जीवन में संयम रखने को उनसे कोई नहीं कहता। माता-पिता तो अपने नाती पोते देखने के उत्सुक रहते हैं। बेचारी बाल-पत्नियों से उसके आस पास वाले यही आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो वे पुत्रवती हो जायँ। ऐसे वातावरण में सन्तति निरोध के कृत्रिम साधनों से तो कठिनाई और बढ़ेगी ही। जिन बेचारी लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने पतियों की इच्छा पूर्ति करेंगी, उन्हें अब यह और सिखाया जायगा कि वे बच्चे पैदा होने की इच्छा तो न करें पर विषय-भोग किये जायँ। इसी में उनका भला है। और इस दुहरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें सन्तति निरोध के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना होगा।

मैं तो विवाहित वहनों के लिए इस शिक्षा को बहुत घातक समझता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि पुरुष की ही तरह स्त्री की काम-वासना

भी अदम्य होता है। मेरी समझ में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए आत्म-संयम करना ज्यादा आसान है। हमारे देश में जरूरत इस इसी बात को है कि स्त्री अपने पति तक से 'न' कह सके ऐसी सुशिक्षा स्त्रियों को मिलनी चाहिए।

स्त्रियों को हमें यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने पतियों के हाथ की कठपुतली या औजारमात्र न बन जायें। यह उनके कर्तव्य का अङ्ग नहीं है। और कर्तव्य की ही तरह उनके अधिकार भी हैं जो लोग सीता को राम की आज्ञानुव्रतिनी दासी के रूप में ही देखते हैं वे इस बात को महसूस नहीं करते कि उनमें स्वाधीनता की कितनी भावना थी और राम हरेक बात में उनका फितना ख्याल रखते थे। भारत की स्त्रियाँ से सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधन अरितयाग करने के लिए कहना तो बिल्कुल उल्टी बात है। सबसे पहले तो उन्हें मानसिक दासता से मुक्त करना चाहिए, उन्हें अपने शरीर की पवित्रता की गिजा दे कर राष्ट्र और मानवता की सेवा में कितना गौरव है इस बात की गिजा देनी चाहिए। यह सोच लेना ठीक नहीं है कि भारत की स्त्रियों का तो उद्धार ही नहीं हो सकता और इसलिए सन्तानोत्पत्ति में रुकावट डालकर अपने रहे सहे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें सिर्फ सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधन ही सिखा देने चाहिए।

जो बहिन सचमुच उन स्त्रियों के दुःख से दुःखी है उन्हें इच्छा ही या न हो फिर भी बच्चों के झमेले में पडना पड़ता है, उन्हें अधीर नहीं होना चाहिए। वे जो कुछ चाहती हैं, वह एक दम तो कृत्रिम सन्तति

निरोध के साधनों के पक्ष में तो आन्दोलन से भी नहीं होने वाला है। हरेक उपाय के लिए सवाल तो शिक्षा का ही है। इस लिए मेरा कहना यही है कि वह हो अच्छे ढङ्ग की।

## आत्म संयम के विषय में और

आपने हाल ही में आत्म-संयम पर जो लेख लिखा था उसने लोगों को हिला दिया है। जो लोग आपके विचारों के पक्ष में हैं उनके लिए थोड़े समय के लिए भी आत्मसंयम करवाना कठिन हो गया है। उनका कहना है कि आप अपने अनुभव का प्रयोग सम्पूर्ण मनुष्य-समाज के लिए कर रहे हैं, और आपको मानते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्मचारी हैं क्योंकि आप पाशविक वासना से परे नहीं। और चूँकि आप विवाहित लोगों के लिये सन्तानों की सीमित संख्या चाहते हैं, सन्तति निरोध के कृत्रिम साधनों के प्रयोग के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय विरत जन समाज के लिये नहीं दीख पड़ता।”

मैंने अपनी सीमाएँ स्वीकार की हैं। आत्मसंयम बनाम सन्तति निरोध के कृत्रिम साधन के सम्बन्ध में मेरी सीमाएँ ही मेरे गुण हैं।

मेरी सीमाओं से पता चलता है कि मैं ससार के अन्य लोगों की भाँति पृथ्वी पर का ही मनुष्य हूँ और मैं किसी दैवी वरदान का बहाना नहीं कर सकता। मेरा आत्मसंयम से उद्देश्य विलकुल साधारण था मनुष्य समाज या देश की सेवा के लिये सन्तानों की संख्या सीमित

करने की इच्छा अपने देश या मनुष्य समाज की सेवा करने की अपेक्षा अधिक सन्तानों के पालन की असमर्थता होनी चाहिये। वर्तमान दृष्टिकोण से, मेरे ३५ वर्ष के सफल प्रयत्नों के होते हुए भी मेरे भीतर का पशु अब भी सतर्कता चाहते हैं इससे बहुत कुछ प्रकट होता है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ। अतएव मैं समझता हूँ जो कुछ मैं कर सका हूँ, उसे कोई भी प्रयत्नशील पुरुष कर सकता है।

मैं सन्तति-निग्रह के पक्ष में प्रचार करने वालों का इस बात पर विरोध करता हूँ कि वे यह क्यों मान लेते हैं कि वह साधारण आत्म-संयम नहीं करा सकता। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यदि वे ऐसा कर सकें तो उसे भी करना चाहिये। उन्मत्तों में पूर्ण विनम्रता और विश्वास के साथ कहता हूँ कि वे अपने विषय के कितने भी बड़े काल का बना आत्मसंयम के अनुभव बिना ऐसा कहते हैं। उन्हें मनुष्य की आत्मा को सीमित कराने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी बातों के लिये मेरे जैसे मनुष्य का उदाहरण यदि विश्वसनीय है तो अधिक महत्व की ही नहीं बल्कि अन्तिम है। यदि गम्भीरता-पूर्वक देखा जाय तो चूँकि मैं महात्मा के रूप में प्रचलित हूँ अतः मेरा उदाहरण निरर्थक मानना ठीक नहीं।

इससे भी अधिक जोरदार एक बहाना का तर्क है—“हम सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों का प्रचार करने वाले अभी हाल में ही सामने आए हैं। आप आत्मसंयमी लोग लगभग हजारों वर्षों से इस क्षेत्र पर अधिकार जमाए रहे ? आप अपनी कौन करतूत दिखा सकते हैं ? क्या संसार

ने आत्मसंयम सीख लिया ? आपने भार से दबे हुए परिवारों का दुःख हटाने के लिये क्या किया ? क्या हमने वायल मातृत्व की चीत्कार सुनी है ? आइये, अभी तक आपके लिए क्षेत्र खाली है । हमें आपके आत्म-संयम के प्रचार के प्रति कोई शिकायत नहीं । 'वल्कि हम आपकी सफलता भी चाहते हैं, यदि आप संयोग से, स्त्रियों को उनके पतियों के अनचाहे लोग से बचा सकेंगे तो' किन्तु आप हमारे कार्य की निन्दा क्यों करते है, जो मनुष्य की प्रत्येक कमजोरी और आदत का ध्यान रखता है और उचित प्रयोग करने से जिसकी सफलता लगभग सदा निश्चित है ।

यह प्रश्न बढ़ते हुए सन्तानों के भार से पीडित परिवारों की सहानुभूति द्वारा द्रवित हृदयवाली एक बहन ने किया है । मानुषिक पीडा पत्थर को भी पिघला देती है, फिर उच्चात्मा की बहनों को कैसे न प्रभावित करती । परन्तु यह लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, जिस प्रकार डूबते हुए की भाँति किसी के पैर उखड़ जाँय और वह किसी बहते तिनके को पकड़ ले ।

हम ऐसे समय में चल रहे हैं जब कि चीजों का महत्त्व बड़ी तीव्रता से बढ़ल रहा है । हमें धीमी गति वाले परिमाणों से सन्तोष नहीं होता । केवल अपनी जाति के या अपने देश के भले से ही सन्तोष नहीं होता हम सारे मनुष्य समाज के लिये महसूस करते हैं या करना चाहते हैं, यह मनुष्यता की अपने ध्येय की यात्रा में बहुत बड़ी सफलता है, कि वे पुरानी हैं लेकिन हम अपना धैर्य छोड़कर या प्राचीन वस्तुओं का केवल इसलिए कि मनुष्य समाज की बुराइयाँ नहीं छोड़कर ठीक मनुष्य

समाज की कर सकते। हमारी आँखों में जो स्वप्न जोग मार रहा है, सम्भवतः हमारे पूर्वजों में भी चाहे अनिश्चित रूप से ही रहें हों, वह स्वप्न श्रीर जो साधन उन्हांने उपयोग किए थे, सम्भवतः उनका प्रयोग दितिज तक जो आशातीत विस्तृत हो गया दीखता है, उपयोगी सिद्ध होगा।

श्रीर मेरा निष्कर्ष, जो मेरे अनुभव के आधार पर है यह है कि जिस प्रकार सत्य श्रीर अहिंसा कुछ चुने हुए लोगों के लिए तभी वलिक मनुष्य जाति के दैनिक जीवन के लिये है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मसंयम केवल कुछ महात्माओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त मनुष्य समाज के लिए, श्रीर इसलिए बहुत से लोग झूठे श्रीर अगान्त होंगे, मनुष्यता अपना स्तर तो नीचा नहीं करेगी। उसी प्रकार बहुत से लोगों के सहयोग न देने पर भी हम अपना स्तर नीचा नहीं कर सकते।

कोई भी चतुर न्यायाधीन झूठा निर्णय नहीं करेगा। वह गुला दिखाने के लिये जैसे उसका हृदय कठिन हो गया हो क्योंकि उसे ज्ञात है कि सच्ची उदारता द्वारा नियम बनने में नहीं।

हमें चाहिये कि अपनी शारीरिक भंगुरता को अपनी अमर आत्मा से न जोड़ें जो उसमें निवास करती है। हमें शरीर की आत्मा के नियमों को ध्यान में रखकर संयमित करना है। मेरी विनम्र राय में, ऐसे नियम थोड़े और अपरिवर्तनीय हैं। श्रीर सारा मनुष्य समाज उन्हें समझ सकता है और उनके ऊपर चल सकता है। उनके कार्यान्वित करने के



ढग में अन्तर नहीं हो सकता है। केवल उनमें कमी ज्यादाती हो सकती है।

यदि हमसे विश्वास हो, तो हम इसमें असफल नहीं हो सकते क्योंकि मनुष्यता को अपनी लक्ष्य-सिद्धि में लाख वर्ष लग भी सकते हैं। जवाहरलाल को भाषा में हभारा आदर्श यही होना चाहिए।

हमारी बहिन की चुनौती का उत्तर अभी नहीं मिला। आत्मसंयमी लोग बेकार नहीं हैं, वे अपना प्रचार कर रहे हैं। यदि सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग का प्रचार करने वालों से उनका ढंग भिन्न है, तो उसका प्रचार भी भिन्न है। आत्मसंयमियों को दवाओं की आवश्यकता नहीं, वे इसलिये कि यह बेचने या देने का कोई विषय नहीं, इसका प्रकाशन नहीं करना चाहते। किन्तु उनकी अलोचना (कृत्रिम साधनों की) और उनके प्रयोग के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देना, उनके प्रचार का अङ्ग है। उसका क्रियात्मक रूप वहीं रहा है लेकिन उसे लोगो ने देखा या पहिचाना नहीं। आत्मसंयम के पक्ष में प्रचार कार्य व भी स्थगित नहीं रहा। सबसे प्रभावशाली कार्य उदाहरण द्वारा होता है। आत्मसंयम का सफलता पूर्वक उपयोग करने वालों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, प्रचार का काम उतना ही प्रभावशाली होगा।

## ब्रह्मचर्य

एक सज्जन लिखते हैं :—

“आप के विचारों को पढ़ कर मैं बहुत समय से यह मानता आया हूँ कि सन्तति-निरोध के लिये ब्रह्मचर्य ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है, संभोग केवल सन्तानेच्छा से प्रेरित होकर ही होना चाहिये। बिना सन्तानेच्छा के भोग पाप है। इन बातों को सोचता हूँ तो कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। सम्भोग सन्तान के लिए किया जाय यह ठीक है पर एक दो बार के भोग से सन्तान न हो, पर आशा कहीं पियड़ छोड़ती है। इस प्रकार वीर्य का बहुत कुछ अपच्यय अनचाहे भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या यह कहा जाय कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण उसे भोग का त्याग कर देना चाहिये ? ऐसे त्याग के लिए तो बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आया है कि सन्तान सारी उमर न होकर उत्तरावस्था में हुई है इसलिए आशा का त्याग कितना कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब दोनों स्त्री और पुरुष रोग से मुक्त हों।

यह कठिनाई अवश्य है लेकिन ऐसी बातें मुश्किल तो हुआ ही करती हैं। मनुष्य अपनी उन्नति वगैरे कठिनाई के कौमे कर सकता है ? हिमालय पर चढ़ने के लिये जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कठिनाई बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर पर आज तक कोई पहुँच नहीं सका है। इस प्रयत्न में कई मनुष्यों ने मृत्यु की

भेंट की है। हर साल चढाई करने वाले नये नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं और निष्फल भी होते हैं, फिर भी इस प्रयास को वे छोड़ते नहीं। विषयेन्द्रिय का दमन तो हिमालय पहाड पर चढने से तो कठिन है ही लेकिन उसका परिणाम भी कितना ऊँचा है ? हिमालय पर चढने वाला कुछ कीर्ति पायेगा, क्षणिक सुख पायेगा। इन्द्रियजीत मनुष्य आत्मानन्द पायेगा और उसका आनन्द दिन प्रति दिन बढता जायगा। ब्रह्मचर्य शास्त्र में तो ऐसा नियम माना गया है कि पुरुष वीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं और होना ही नहीं चाहिये और जैसा पुरुष के लिये है वैसा ही स्त्री के लिये भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब मनुष्य अथवा पुरुष निर्विकार होते हैं तब वीर्य हानि असम्भवित हो जाती है और भोगेच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, और जब पति पत्नी की इच्छा करते हैं तभी एक दूसरे का मिलन होता है। और यही अर्थ गृहस्थाश्रमी के ब्रह्मचर्य का है। अर्थात् स्त्री-पुरुष का मिलन सिर्फ सन्तानोपत्ति के लिये उचित है, भोग वृत्ति के लिए कभी नहीं।

यह हुई कानूनी बात अथवा आदर्श की बात। यदि हम इस आदर्श को स्वीकार करें, तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छा की वृत्ति अनुचित है। और हमें उसका यथोचित त्याग करना चाहिये। यह ठीक है कि आज कोई इस नियम का पालन नहीं करता। आदर्श की बात करते हुए हम शक्ति का खयाल नहीं कर सकते। लेकिन आजकल भोग वृत्ति को आदर्श बताया जाता है। ऐसा आदर्श कभी हो नहीं सकता। यह स्वयं सिद्ध है। यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादा नहीं होनी चाहिये। अमर्या-

द्वितीय भोग से नाश होता है यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीनकाल से रहा है। मेरा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्य के नियमों को हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ी आपत्ति पैदा होती है और ब्रह्मचर्य पालन में अनावश्यक कठिनाई महसूस करते हैं अब जो आपत्ति मुझे पत्र लेखक ने बताया है वह आपत्ति ही नहीं रहती है क्योंकि सन्तति के ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है। अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री पुरुषों का मिलन होना ही नहीं चाहिये। इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक स्त्री ने गर्भ धारण नहीं किया तब तक प्रत्येक ऋतुकाल के बाद जब तक गर्भ धारण नहीं हुआ है तब तक प्रति मास एक बार स्त्री पुरुष का मिलन संभव हो सकता है और यह नियम भोगतृप्ति के लिये न माना जाय, मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य वचन से और कार्य से विकार रहित होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि का किसी प्रकार का डर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियों से भी मुक्त होते हैं और इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस वीर्य से मनुष्य जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न समग्र से अमोघ शक्ति होनी ही चाहिये। यह बात शास्त्रों में तो कही गयी है, लेकिन हर एक मनुष्य इसे अपने लिये यत्न से सिद्ध कर सकता है, और जो नियम पुरुषों के लिये है, वही स्त्रियों के लिये भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मन से विकारमय रहते हुए शरीर से विकार रहित होने की व्यर्थ आशा करता

है और अन्त में मनुष्य और शरीर दोनों को क्षीण करता हुआ गीता की भाषा में सूडात्मा और विध्याचारी बनता है ।

## धर्म सङ्कट

एक सज्जन लिखते हैं :—

करीब ढाई साल हुआ, हमारे शहर में एक घटना हो गयी थी, जो इस प्रकार है :—

एक वैश्य गृहस्थ की १६ बरस की एक कुमारी कन्या थी । इस लडकी का मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्ष की थी, स्थानीय कालेज में पढता था । यह तो मालूम नही कि कब से इन दोनों मामा और भौंजी में प्रेम था, पर जब बात खुल गयी तो इन दोनों ने आत्म हत्या कर ली । लडकी तो फौरन ही जहर खाने के बाद मर गयी, पर लडका दो रोज बाद अस्पताल मे मरा । लडकी को गर्भ भी था । इस बात की शुरू-शुरू में तो खूब चर्चा चली । यहाँ तक कि अभागे साँ-त्राप को शहर में रहना भारी हो गया । पर वक्त के साथ साथ यह बात भी दब गयी और लोग भूलने लगे । कभी जब ऐसी मिलती जुलती बात सुनने को मिलती है तब पुरानी बातों की भी चर्चा होती है और यह वाक्या भी दोहरा दिया जाता है । पर उस जमाने में जब सभी करीब-करीब लडकी को और लडके को भी

बुरा भला कह रहे थे, मैंने यह राय अर्धकी धी कि पेंसी हालत में समाज को विवाह कर लेने की इजाजत दे देनी चाहिए। इस बात में समाज में खूब बवंडर उठा। आपकी इस पर क्या राय है।”

मैंने स्थान का और लेखक का नाम नहीं दिया है, क्या लेखक नहीं चाहते कि उनका अधवा उनके शहर का नाम प्रकाशित किया जाय। तो भी इस ग्रन्थ पर जाहिर चर्चा आवश्यक है। मेरी तो यह राय है कि ऐसे सम्बन्ध जिसे समाज में त्याज्य माने जाते हैं वहाँ विवाह का रूप वे यकायक नहीं ले सकते। लेकिन किसी की स्वतन्त्रता पर समाज या सम्बन्धी आक्रमण क्यों करें? ये मामा और भौंजी सयानी उन्न के थे, अपना हित अहित समझ सकते थे। उन्हें पति-पत्नी के सम्बन्ध से रोकने का किसी को हक नहीं था। समाज भले ही इस सम्बन्ध को अस्वीकार करता, पर उन्हें आत्महत्या करने तक जाने देना तो बहुत बड़ा अत्याचार था।

उक्त प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है। इसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि कौमों में ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते—हिन्दुओं में भी प्रत्येक वर्ण में त्याज्य नहीं है। उन्नी वर्ण के भिन्न प्रान्त में भिन्न प्रथा है। दक्षिण में उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणों में ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसे प्रतिबन्ध रूढ़ियों से बने हैं। यह देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्विक निर्णय से बने हैं।

लेकिन समाज के सब प्रतिबन्धों को नवयुवक वर्ग छिद्र-भिस्र करके

फँक दें, यह भी नहीं होना चाहिये । इस लिये मेरा यह अभिप्राय है कि किसी समाज से रूढ़ि का त्याग करवाने के लिये लोकमत तैयार करवाने की आवश्यकता है । इस बीच व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिये । धैर्य न रख सके तो बहिष्कारादि को सहन करना चाहिये ।

दूसरी ओर समाज का यह कर्तव्य है कि जो लोग समाज-बन्धन तोड़ें उनके साथ निर्दयता का बर्ताव न किया जाय । बहिष्कारादि भी अहिंसक होने चाहिये । उक्त आत्महत्याओं का दोष जिस समाज में, वे हुई उस पर अवश्य है, ऐसा ऊपर के पत्र से सिद्ध होता है ।

## विवाह की मर्यादा

एक मित्र लिखते हैं .—

“हरिजन सेवक” अंक में ‘धर्म संकट’ नामक आपका लेख पढ़ा । उसमें आपने लिखा है कि “( उक्त प्रकार के अर्थात् मामा-माँजी के सम्बन्ध जैसे ) सम्बन्ध का प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है । ..ऐसे प्रतिबन्ध रूढ़ियों से बने हैं । यह देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्विक निर्णय से बने हैं ।”

मेरा अनुमान है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से लगाये गये हैं । इस शास्त्र के ज्ञाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्वों के मिश्रण से संतति अच्छी होती है इसलिये सगोत्र और सपिण्ड कन्याओं का पाणिग्रहण नहीं किया जाता ।

यदि यह माना जाय कि केवल रूढ़ि है तो फिर मगी और चंचरी बहनों के सम्बन्ध पर भी कैसे आपत्ति उठाई जा सकती है ? यदि विवाह का हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तानोत्पादन के ही लिये दम्पति का संयोग करना योग्य है, तो फिर वह कन्या के चुनाव के औचित्य की कसौटी सुप्रजनन की क्षमता ही होनी चाहिये। क्या और कसौटियाँ गौण समझी जायँ ? यदि हाँ, तो किस क्रम से यह प्रश्न सहाज उठता है। मेरी राय में वह इस प्रकार होना चाहिये।

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम।
- (२) सुप्रजनन की क्षमता।
- (३) कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा।
- (४) समाज और देग की सेवा।
- (५) आध्यात्मिक उन्नति।

आपका इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

हिन्दू शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति पर जोर दिया गया है। सधवाओं को आग्निर्वाह दिया जाता है “अष्ट पुत्रा सौभाग्यवती भव”। आप जो यह प्रतिपादन करते हैं कि दम्पती मतान के लिये संयोग करें तो दम्पती क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही सन्तान उत्पन्न करें, फिर वह लटका हो या लडकी वंशवर्धन की इच्छा के साथ ही पुत्र से नाम चलता है, यह इच्छा भी जुटी हुई मालूम होती है। केवल लटकी से इस इच्छा का समाधान कैसे हो सकता है ? वस्ति अभी तक समाज में ‘लटकी के जन्म’ का उतना स्वागत नहीं होता। जितना की लटके के जन्म का होता।



है। इसलिये यदि इन इच्छाओं को सामाजिक माना जाय तो फिर एक लडका और एक लडकी इस तरह दो संतति पैदा करने की छूट देना क्या अनुचित होगा ?

केवल संतानोत्पादन के लिये संयोग करने वाले दम्पती ब्रह्मचारीवत् ही समझे जाने चाहिये—यह ठीक है। यह भी सही है कि संयम जीवन में एक ही बार संयोग से गर्भ रह जाता है। पहली बात की पुष्टि में एक कथा प्रचलित है।

वसिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी। दूसरे किनारे विश्वामित्र तप करते थे। वसिष्ठ गृहस्थ थे। जब भोजन पक जाता, तो पहले अरुन्धती धाल परोस कर विश्वामित्र को खिलाने जाती, बाद की वसिष्ठ के घर पर सब लोग भोजन करते। यह नित्य क्रम था। एक रोज बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गयी। अरुन्धती उस पार न जा सकी। उसने वसिष्ठ से इसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा—जाओ, नदी से कहना मैं सदा निराहारी विश्वामित्र को विश्वामित्र को भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो। अरुन्धती ने इसी प्रकार नदी से कहा और उसने रास्ता दे दिया। तब अरुन्धती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र राज तो खाना खाते हैं फिर निराहारी कैसे हुए ? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, तब अरुन्धती ने उनसे पूछा—‘मैं वापिस कैसे जाऊँ,’ नदी में तो बाढ़ है। विश्वामित्र ने उलट कर पूछा—‘तो आई कैसे ?’ अरुन्धती ने उत्तर में वसिष्ठ का पूर्वोक्त नुसखा बतलाया। तब विश्वामित्र ने कहा—‘अच्छा, तुम नदी से कहना, सदा ब्रह्मचारी वसिष्ठ के

यहाँ से लौट रही हूँ, नदी मुझे रास्ता दे दो।' अरुन्धती ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया। अब तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। बसिष्ठ के सौ पुत्रों की तो वह स्वयं ही माता थी। उसने बसिष्ठ से इसका रहस्य पूछा कि आपको सदा निराहारी और सदा ब्रह्मचारी कैसे मानूँ? बसिष्ठ ने बताया—“जो केवल शरीर रक्षण के लिये ही ईश्वरार्पण बुद्धि से भोजन करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी ही है। और जो केवल स्वधर्म पालन के लिये अनासक्ति पूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह संयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है।”

परन्तु इसमें और मेरी समझ में तो शायद हिन्दू शास्त्र में भी केवल एक संतति फिर वह कन्या हो या पुत्र का विधान नहीं है। अतएव यदि आपको एक पुत्र और एक पुत्री का नियम मान्य हो, तो मैं समझता हूँ बहुतेरे दम्पतियों को समाधान हो जाना चाहिए। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना विवाह किये एक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो सकता है, परन्तु विवाह करने पर केवल सन्तानोत्पादन के लिए और फिर भी प्रथम संतति के ही लिए संयोग करके फिर आजन्म संयम से रहना उससे कहीं कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि “काम” मनुष्य प्रेरणा है। उसमें संयम सुसंस्कार का सूचक है। “संतति के लिए संयोग का नियम बना देने से सुसंस्कार, संयम या धर्म की तरफ मनुष्य की गति होती है, इसलिए यह वांछनीय है। सन्तानोत्पत्ति के ही लिए संयोग करने वाले संयमी

का आदर करूँगा। कामेच्छा की तृप्ति करने वाले को भोगी कहूँगा। पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा वातावरण ही पैदा करना ठीक होगा कि पतित समझ कर लोग उसका तिरस्कार करें। इस विचार में मेरी कही गलती होती हो, तो बतावे।”

विवाह में जो मर्यादा बाँधी गयी है, उसका शास्त्रीय कारण मैं नहीं जानता। रूढ़ि को ही, जो मर्यादा की वृद्धि के लिये बनाई जाती है। नैतिक कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सन्तान हित की दृष्टि से ही अगर भाई बहन के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध योग्य है, तो चचेरी बहन इत्यादि पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। लेकिन भाई बहन के सम्बन्ध या ऐसे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई प्रतिबन्ध धर्म में नहीं माना जाता। इसलिये रूढ़ि का जो प्रतिबन्ध जिस समाज में हो उसका अनुशरण उचित मालूम देता है। नैतिक विवाह के लिये जो पाँच मर्यादाएँ हमारे मित्र ने रक्खी हैं, उनका क्रम बदलना चाहिये। पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को अन्तिम स्थान देना चाहिये। अगर उसे प्रथम स्थान दिया जाय, तो दूसरी सब शर्तें उसके आश्रय में जाने से निरर्थक बन सकती हैं। इसलिये उक्त क्रम से आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान देना चाहिये। समाज और देश सेवा को दूसरा स्थान दिया जाय। कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा को तीसरा। पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को चौथा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस जगह इन प्रथम तीन शर्तों का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाय, तो वह सर्वोपरि बन कर दूसरों की अवग-

खाना कर सकता है और करता है। ऐसा आज कल के व्यवहार में देखने में आता है। प्राचीन और अर्वाचीन नवल कथाओं में भी यह पाया जाता है, इसलिये यह कहना होगा कि उपर्युक्त तीन शर्तों का पालन होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नहीं है, वहाँ विवाह त्याज्य है। सुप्रजनन की क्षमता को शर्त न माना जाय, क्योंकि यही एक वस्तु विवाह का कारण है, विवाह की शर्त नहीं।

हिन्दू शास्त्र में पुत्रोत्पत्ति पर अवश्य जोर दिया गया है। यह उस काल के लिये ठीक था जब समाज में शास्त्र युद्ध को अनिवार्य स्थान मिला हुआ था, और पुरुष वर्ग की बड़ी आवश्यकता थी। उन्नी कारण से एक से अधिक पत्नियों की भी इजाजत थी और अधिक पुत्रों में अधिक बल माना जाता था। धार्मिक दृष्टि से देखें, तो एक ही सन्तान 'धर्मज' या 'धर्मजा' है। मैं पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं करता हूँ। दोनों एक समान स्वागत के योग्य हैं।

वसिष्ठ विश्वामित्र का दृष्टान्त सार रूप में श्रद्धा है। उसे गन्धर्ग मृत्यु अथवा शवच मानने की आवश्यकता नहीं। उसमें इतना ही नार निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ संयोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है। कामाग्नि की तृप्ति के कारण किया हुआ संयोग त्याज्य है। उसे निन्द्य मानने की आवश्यकता नहीं। अमरय स्त्री पुत्रों का मिलन भोग के कारण ही होता है, और होता रहेगा। उनसे जो दुष्परिणाम होता रहता है उन्हें भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने जीवन को धार्मिक बनाना चाहता है। जो जीवमात्र की सेवा को आदर्श

समझ कर संसार यात्रा समाप्त करना चाहता है उसके लिये ही ब्रह्मचर्यादि मर्यादा का विचार किया जा सकता है। और ऐसी मर्यादा आवश्यक भी है।

## अश्लील विज्ञापन

एक मासिक पत्र में प्रकाशित एक अत्यन्त वीभत्स पुस्तक के विज्ञापन की कतरन एक बहिन ने मुझे भेजी है और लिखा है —

“—के पृष्ठों पर नजर डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखने में आया। मैं यह नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं। आपके पास जाता भी हो तो मेरे ख्याल में इसकी तरफ नजर डालने का आपको कभी समय नहीं मिलता होगा। पहले भी एक बार मैंने आप से “अश्लील विज्ञापनों” के बारे में बात की थी। मेरी यह बड़ी ही इच्छा है कि इस विषय में आप किसी समय कुछ लिखें। जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है इस किस्म की पुस्तकों का आज बाजार में बाढ़ सी आ रही है, यह विलकुल सच्ची बात है। पर—जैसे जवाबदार पत्रों के लिये क्या यह उचित है कि वे ऐसी गन्दी पुस्तकों की विक्री को प्रोत्साहन दें। इन चीजों से मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुखता है कि मैं सिवा आपके और किसी को लिख नहीं सकती। ईश्वर ने स्त्री को विशेष उद्देश्य के लिये जो वस्तु दी है, उसका विज्ञापन लंपटता को

उत्तेजन देने के लिये किया जाय, यह चीज इतनी हीन है कि इसके प्रति घृणा शब्दों से नहीं प्रगट की जा सकती . . . मैं चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख अखबारों और मासिक पत्रों की क्या जवाबदारी है उसके बारे में आप लिखें। आपके पास आलोचना के लिये भेज सकूँ, ऐसी यह कोई पहली ही कटिंग नहीं है।

इस विज्ञापन में से कुछ भी अश मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता। पाठकों से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उसमें के व्यजित लेखों का वर्णन करने में जितनी अश्लील भाषा का उपयोग किया जा सकता है उतना किया गया है इस पुस्तक का नाम "स्त्री के शरीर का सौंदर्य" है और विज्ञापन देने वाला फर्म पाठकों से कहता है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे "नववयु के लिये तथा ज्ञान और 'सभोग अथवा संभोगी को कैसे रिक्ताया जाय' नामक यह दो पुस्तकें मुफ्त दी जायेंगी।

इस किस्म की पुस्तकों का विज्ञापन करने वालों को मैं किसी तरह रोक सकता हूँ या पत्र सम्पादकों और प्रकाशकों से उनके अखबारों द्वारा मुनाफा उठाने का इरादा मैं छुड़वा सकता हूँ। ऐसी आशा अगर यह बहिन रखती है, तो वह व्यर्थ है। ऐसी अश्लील पुस्तकें या विज्ञापनों के प्रकाशकों से मैं चाहे जितनी अपील करूँ, उससे कोई मतलब निकलने का नहीं। किन्तु मैं पत्र लिखने वाली इस बहिन से और दूसरी ही ऐसी विदुषी बहनों से इतना कहना चाहता हूँ कि वे बाहर मैदान में आवें और जो काम खास करके उनका है और जिसके लिये उनमें खास योग्यता

है, उस काम को वे शुरू कर दें। अक्सर देखने में आया है कि किसी मनुष्य को खराब नाम दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा मानने लगता है कि वह खुद खराब है। स्त्री को "अवला" कहना उसे बदनाम करना है। मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अवला है। ऐसा कहने का अर्थ अगर यह हो कि स्त्री में पुरुष की जैसी पाश-विक वृत्ति नहीं है या उतनी मात्रा में नहीं है जितनी की पुरुष में होती है, तो यह आरोप माना जा सकता है। पर यह चीज तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा पुनीत बनाने वाली है। और स्त्री पुरुष की अपेक्षा तो पुनीत है ही। वह अगर आघात करने में निर्बल है तो कष्ट सहन करने में बलवान है। मैंने स्त्री को त्याग और अहिंसा की मूर्ति कहा है। अपने शील या सतीत्व की रक्षा के लिए पुरुष पर निर्भर न रहना उसे सीखना है। पुरुष ने स्त्री के सतीत्व की रक्षा की हो, ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मालूम नहीं वह ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। निश्चय ही राम ने सीता के या पाँच पाण्डवों ने द्रौपदी की शील की रक्षा नहीं की। इन दोनों सातियों ने अपने सतीत्व के बल से ही अपने शील की रक्षा की। कोई भी मनुष्य वगैर अपनी सम्पत्ति के अपनी इज्जत आवरु नहीं खोता। कोई नरपशु किसी स्त्री को बेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे उस स्त्री के शील या सतीत्व का लोप नहीं होगा। इसी तरह कोई दुष्ट स्त्री किसी पुरुष को जड़ बना देने वाली दवा खिला दे और उससे अपना मनचाहा कराये तो उससे उस पुरुष के शील या चारित्र्य का नाश नहीं होता है।

आश्चर्य तो यह है कि सांसारिक की प्रशंसा में पुस्तकें विलकुल नहीं लिखी गईं । तो फिर पुरुष की विषय वासना उत्तेजित करने के लिए ही साहित्य क्यों हमेशा तैयार होता रहे ? यह बात तो नहीं कि पुरुष ने स्त्री को विशेषणों से भूषित किया है, उन विशेषणों को सार्थक करना पसन्द है ? स्त्री को क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरीर के सांसारिक का पुरुष अपनी भोग लालसा के लिए दुरुपयोग करे ? पुरुष के आगे अपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा ? यदि हाँ, तो क्रिय लिये ? मैं चाहता हूँ कि यह प्रश्न सुशिक्षित बहनें खुद अपने दिल से पढ़ें । ऐसे विज्ञापनों और ऐसे साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इन चीजों के विरुद्ध अविराम युद्ध चलाना चाहिये, और एक क्षण में वे इन चीजों को बन्द करा देंगी । स्त्री में जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने की शक्ति है उसी प्रकार भला करने की, लोकहित साधन करने की शक्ति भी उसमें सोई हुई पड़ी है । यह भाव अगर स्त्री को हो जाय तो कितना अच्छा हो । अगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अश्लील है और पुरुष की खेलने की गुड़िया होने के ही योग्य है तो वह खुद अपना तथा पुरुष का—फिर चाहे वह उनका पिता हो, पुत्र हो—यापति हो—जन्म सुधार सकती है । और दोनों के ही लिये इस संसार को अधिक सुखमय बना सकती है । राष्ट्र के बीच पागलपन भरे युद्धों से और ज्यादा पागलपन भरे समाज नीति की नींव के विरुद्ध लड़े जानेवाले युद्धों से अगर समाज को अपना सहार होने नहीं देना है, तो स्त्री को पुरुष की तरह नहीं, जैसे कि कुछ स्त्रियाँ करती हैं । बल्कि स्त्री की तरह अपना योग देना



ही होगा। अधिकांशतः बिना किसी कारण के ही मानव प्राणियों के सहार करने की जो शक्ति पुरुष में है उस शक्ति में उसकी हमसरी करने से स्त्री मानव जाति को सुधार नहीं सकती। पुरुष की जिस भूल से पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी विनाश होने वाला है। उस भूल में से पुरुष को बचाना उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्री को समझ लेना चाहिये यह वाहियात विज्ञापन तो सिर्फ यही बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है। इसमें वैशर्मा के साथ स्त्री का अनुचित लाभ उठाया गया है। दुनिया की जंगली जातियों को स्त्रियों के शरीर सौंदर्य को भी इसने नहीं छोड़ा।

## स्त्रियों में देवीत्व का भ्रूण आरोप

अहमदाबाद में गुजराती साहित्यिक सम्मेलन के अवसर पर ज्योति सघ नामक आन्दोलन की संरक्षिका महिलाओं की ओर से गांधीजी को एक पत्र लिख गया था जिसमें उस प्रस्ताव को एक प्रति भी थी जो उन्होंने आधुनिक लेखकों की स्त्रियों के अश्लील चित्रण करने की प्रवृत्ति को तिरस्कृत करने के लिए—पास किया गया था। गांधीजी ने अनुभव किया कि प्रस्ताव में काफी शक्ति थी और उन्होंने कहा .—

उनकी शिकायत यह है कि आधुनिक लेखक स्त्रियों का भ्रूण चित्रण करते हैं। जिस भावुकता के साथ लेखक उन्हें चित्रित करते और उनके

शरीर का जिस अश्लीलता से वर्णन करते हैं उमंगे वे ठर गई हैं। न्या उनका सारा सौंदर्य और शक्ति पुरपों की वासना भरी दृष्टि को प्रसन्न कर पाने में ही है ? पत्र के लेखक ने पृच्छा है (और वह न्यायसगत है) कि उनका चित्रण सदा नम्र, और दुर्बल स्त्री के ही रूप में किया जाय जिसके लिये घर के सभी निम्नकोटि के कार्य रिजर्व रखे जाते हैं और जिनके देवता उनके पति ही हैं ? उनका वाम्बविक चित्रण क्यों नहीं किया जाता। लोग कहते हैं हम न तो आकाश की अप्सरायें हैं, न गुटियाँ हैं और न वासना और स्नायु के समूह ही हैं। हम उतना ही मानवी हैं, जितने पुरुष और हमारे भीतर स्वतन्त्रता की वैसी ही लहर है। मैं उन्हें और उनके मस्तिष्क को जानती हूँ। एक समय था जब दक्षिणी अफ्रीका में मेरे निकट केवल स्त्रियाँ ही रह गई थीं क्योंकि उनके पति जेल जा चुके थे। लगभग ६० स्त्रियाँ और बालिकाएँ थी और मैं उनके भाई और पिता सा हो गया था। मेरे सरक्षण में उन्होंने और संगठन प्राप्त किया। यहाँ तक कि अन्त में वे स्वयं जेल गईं।

लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा साहित्य स्त्रियों में देवी भावनाओं से भरा हुआ है। मैं कहती हूँ, यह बिल्कुल गलत है। आप जब उनके विषय में लिखने वाले होते हैं, तो उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं ? उम समय आपको उन्हें माँ के रूप में देखना चाहिये और मैं विश्वास दिलाता कि संसार को आपकी लेखनी से पवित्रतम साहित्य प्रवाहित होगा। इतना पवित्र जितना प्यासी धरती को सींचने वाला जलधार होती है। उनकी आत्मिक तृष्णा मिटाने की जगह कुछ लेखक उनकी वासना को और

उत्तेजित करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी निष्कलुष स्त्रियाँ इसमें परेशान रहती हैं। उपन्यासों में चित्रित किये गये रूप को किस प्रकार प्राप्त करें। क्या शारीरिक रूप का विमृत वर्णन साहित्य का आवश्यक अङ्ग है? मुझे इस पर आश्चर्य है। क्या आपको इस प्रकार की कोई बात उपनिषदों, कुरान और बाइबिल में मिलती है? और फिर आप जानते हैं कि बिना बाइबिल के अंग्रेजी साहित्य सूना हो जायगा। तीन अंश बाइबिल और एक अंश गेक्सपियर यही इसकी परिभाषा है। बिना कुरान के अरबी भूल जायगी और तुलसीदास को छोड़ कर हिन्दी के विषय में विचार करो। क्या आप को इसमें कोई ऐसी चीज मिलती है जैसी आधुनिक साहित्य में मिलती है?

## आत्म-रक्षा कैसे करें ?

पजाब के एक कालेज की लड़की का एक हृदयस्पर्शी पत्र लगभग दो महीने से मेरी फाइल में पड़ा हुआ है। इस लड़की के प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया, इसमें समय के अभाव का तो एक बहाना था। किसी न किसी तरह इस काम से अपने को मैं बचा रहा था। हालाँकि मैं यह जानता था कि इस प्रश्न का क्या जवाब देना चाहिये। इस बीच मैं मुझे एक और पत्र मिला यह पत्र एक ऐसी बहिन का लिखा हुआ है, जो बहुत अनुभव रखती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कालेज ली इस लड़की की जो वास्तविक कठिनाई है, उसका मुका-

बला करना मेरा कर्तव्य है, और उसकी श्रव मैं और अधिऊ दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुरतानी में लिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।

लडकियों और वयरक स्त्रियों के सामने उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे श्रवसर आ जाया करते हैं जब कि उन्हें अकेली जाने की हिम्मत करनी पडती है—या तो उन्हें एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर को जाना होता है। और जब वे इस तरह अकेली होती हैं, तब गन्दी मनोवृत्ति वाले लोग उन्हें तग किया करते हैं। और अगर भय उन्हें रोकता है तो इससे भी आगे बढ़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पर अहिंसा क्या काम दे सकती है, हिंसा का उपयोग तो है ही। अगर किसी लडकी या स्त्री में काफी हिम्मत हो, तो उसके पास जो भी साधन होंगे उन्हें वह काम में लायेगी और एक बार बदमाशों को सबक सिखा देगी। वे कम से कम हंगामा तो मचा सकती हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाय और गुण्डे वहाँ से भाग जावें, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इसके परिणाम स्वरूप विपत्ति सिर्फ टल जायगी, यह कोई स्थायी इलाज नहीं है। अगिष्ट व्यवहार करने वाले लोगों का अगर आपको पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अगर समझाया जाय तो वे आपकी प्रेम और नन्नता की बात सुनेंगे। पर उस आदमी के लिए आप क्या कहेंगे, जो साइकिल पर चढ़ा हुआ किसी लडकी या स्त्री को देखकर जिसके साथ कोई मर्द-

साथी नहीं है, गन्दी भाषा का प्रयोग करता है ? उसे दलील देकर आपको समझाने का मौका नहीं। आपको उससे फिर मिलने की सम्भावना भी नहीं। हो सकता है कि आप उसे पहचाने भी नहीं, आप उसका पता भी नहीं जानते। ऐसी परिस्थितियों में यह बेचारी स्त्री या लडकी क्या करे ? मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूँ। २६ अक्टूबर की रात की बात है। मैं अपनी एक सहेली के साथ ७॥ बजे करीब एक ख़ास काय से जा रही थी। उस वक्त किसी मर्द साथी को साथ ले जाना नार्मुकिन था। और काम इतना जरूरी था कि टाला नहीं जा सकता था। रास्ते में एक सिख युवक साइकिल पर जा रहा था, वह कुछ गुनगुनाता जाता था। जब तक की हम सुन सकें उसने गुनगुनाना जारी रखा। हमें यह मालूम था कि वह हमें लक्ष करके गुनगुना रहा है। हमें उसकी यह हरकत नागवार मालूम हुई। सड़क पर कोई चहल पहल नहीं थी। हमारे चन्द कदम जाने से पहले वह लौट पड़ा। मैं उसे फौरन पहचान गई, हालांकि वह अब भी हमसे काफी फासले पर था। उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई। ईश्वर जाने उसका इरादा उतरने का था, या छुँ ही हमारे पास से गुजरने का। हमें ऐसा लगा कि हम खतरे में हैं। हमें अपनी शारीरिक वहादुरी में विश्वास नहीं था। मैं एक स्वस्थ लडकी के मुकाबले शरीर से कमजोर हूँ। लेकिन मेरे हाथ में एक बड़ी सी किताब थी। यकायक किसी तरह मेरे अन्दर हिस्मत आ गई। साइकिल की तरफ हमने उस किताब को जोर से मारा, और चिल्लाकर कहा, “चुहल वाजी करने की तू फिर

हिम्मत होगी ?' वह मुश्किल में श्रान्तों को सम्भाल रहा और माट-  
 क्रिन्त की गफ्तार बढ़ाकर वहाँ में रफूचककर हो गया। श्रान्त श्रान्त में  
 उसनी माटक्रिन्त की तरफ क्रिन्त जोग में न मानी होनी, तो श्रान्त तक  
 वह इमी तरह अपनी गन्दी भाषा में हमें तग करता जाता। यह तो  
 एक मामूली बहिक नगण्य-सी बटना है, पर में चाटनी हूँ कि आप  
 लाहौर आते और हम हतभागिनी लडकियों की मुम्मीबतों का शान्तान  
 खुद अपने कानों सुनते। आप निश्चय ही हम समर्या का ठीक-ठीक  
 हल ढूँढ सकते हैं, मत्रमे पहले आप मुझे यह बतायें कि ऊपर जिन  
 परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया है, उनमें लडकियों श्रिटिया के मिद्धान्त  
 का प्रयोग किस तरह कर सकती हैं और कैसे अपने आपको बचा  
 सकती हैं। हमारे क्लियों को अपमानित करने की जिन युवकों को यह  
 बहुत बुरी आदत पट गई है उनको सुधारने का क्या उपाय है ? आप  
 यह उपाय न सुमाट्येगा कि हमें उम पीढ़ी के श्रान्तों तक उन्तजार करना  
 चाहिए और तब तक हम इस अपमान की चुपचाप बरदास्त करती रहे,  
 जिन पीढ़ी ने बचपन में ही स्त्रियों के साँ में अट्रोचित व्यवहार करने की शिगा  
 पाई होगी। सरकार की या तो इस सामाजिक दुर्गर्त का सुजाबला करने  
 की टच्छा नहीं या ऐसा करने में वह अममर्थ और तमार बड़े-बड़े  
 नेताओं के पास ऐसे प्रश्नों के लिए मसय नहीं। लुट लोग जब यह सुनते  
 हैं कि किसी लडकी ने श्रान्तता से पेश श्रान्तों वाले किन्हीं नवयुवक की  
 श्रच्छी तरह से मगमत कर ली है, तो कतने हैं, "जायास ऐसा ही सब  
 लडकियाँ को करना चाहिए।" कभी-कभी किमी नेता को हम

विद्यार्थियों के ऐसे दुर्बह्वहार के खिलाफ लच्छेदार भाषण करते हुए पाते हैं। मगर ऐसा कोई नजर नहीं आता, जो इस गरभीर समस्या का हल निकालने में निरन्तर प्रयत्नशील हो। आपको यह जानकर कष्ट और आश्चर्य होगा कि दीवाली और दूसरे ऐसे ही त्योहारों पर अखबारों में इस किस्म की चेतावनी की सूचनाएँ निकला करती हैं कि रोशनी देखने तक के लिए औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी एक बात से आप जान सकते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में हम कौसी मुसीबतों से फँसी हुई हैं। जो ऐसी सूचनाएँ लिखते हैं, न तो वे ही कुछ शर्म खाते हैं और न पढ़नेवाले ही। ऐसी चेतावनियाँ क्या उन्हें निकालनी चाहिए ?'

एक दूसरी पंजाबी लड़की को मैंने यह पत्र पढ़ने के लिये दिया था। उसने भी अपने कालेज-जीवन के निजी अनुभव के आधार पर इस घटना का समर्थन किया। उसने मुझे बताया कि मेरे सवादाता ने जाँ कुछ लिखा है, बहुत-सी लड़कियों का भी अनुभव वैसा ही होता है।

एक और अनुभवी महिला ने लखनऊ की अपनी विद्यार्थिनी मित्रों के अनुभव लिखे हैं। सिनेमा-थिएटरों में उनकी पीछे वाली लाइन में बैठे हुए लड़के उन्हें बहुत दिक् करते हैं, उनके लिये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्लील के सिवा कोई नाम नहीं दे सकता। उन लड़कियों के साथ किये जानेवाले भद्दे मजाक भी पत्र-लेखिका ने लिखे हैं। लेकिन मैं उन्हें उद्धृत नहीं करना चाहता।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षा का सवाल हो, तो इसमें सन्देह नहीं कि उस लड़की ने जो अपने को शारीरिक दृष्टि से कमजोर बताती है,

जो इलाज माइकिल के ख़ास पर जोर से किया मारकर किया, वह बिल्कुल ठीक है। वह बहुत पुराना इलाज है। मैं "हरिजन" में पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती करने पर उतारू टोना चाहता है, तो उसके रास्ते में शारीरिक कमजोरी भी नकार नहीं डालती भले ही उसके मुकाबले में शारीरिक दृष्टि से कोई बलवान विरोधी हो और हम यह भली-भाँति जानते हैं कि आजकल तो जिम्मानी ताकत इस्तेमाल करने के इतने ज्यादा तरीके ईजाद हो चुके हैं कि एक छोटी लेकिन काफी समझदार लड़की किसी की हत्या और विनाश तक कर सकती है। जिन परिस्थितियों का जिक्र पत्र लेखिका ने किया है, उन्हीं परिस्थितियों में लटकियों में आत्म-रक्षा के तरीके सिखाने का रिवाज आजकल बढ़ रहा है। लेकिन वह लटकियों में खूब समझती है कि भले ही वह उमर का आत्म-रक्षा के साधन के तौर पर अपने हाथ की किताब मारकर बच पायी हो, लेकिन इस बढ़ती हुई घुराई का यह कोई असली इलाज नहीं है। भले अश्लील मजाक के कारण बहुत घबराने या डर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी ओर से आँख मूँड लेना भी ठीक नहीं। ऐसे सभी मामले अखबारों में छपा देने चाहिए। इस घुराई के भयदाफोट करने में किसीका भी किसी प्रकार का लिताज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक घुराई के लिए प्रचल लोकमत-जैसा कोई इलाज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन मामलों को जनता बहुत उदासीन भाव में देखती है। लेकिन सिर्फ जनता को ही क्या छोड़ दिया जाय ? उसके सामने ऐसे गुस्ताखी के मामले भी तो आने चाहिए। चोरी के मामले का पता लगाकर छपा



मारा जाता है, तब कहीं जाकर चोरी कम होती है। इसी तरह जब तक ऐसे मामले दवाये जाते रहेंगे तब तक इस बुराई का इलाज नहीं हो सकता। पाप और बुराई भी अपने शिकार के लिए अन्धकार चाहते हैं। जब उन पर रोशनी पड़ती है, वे खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं।

लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकल की लड़की को भी तो अनेकों की दृष्टि से आकर्षक बनना प्रिय है। यह अति साहस को पसन्द करती है। मालूम होता है कि पत्र-लेखिका ने जिस साहस का जिक्र किया है, वह असाधारण है। आजकल की लड़की वर्षा या धूप से खचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही तरह-तरह के शडकीले कपड़े पहिनती है। वह अपने को रग कर कुदरत को भी मात करना और असाधारण सुन्दरी दिखाना चाहती है। ऐसी लड़कियों के लिये कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। मैं इन घृष्ठों में कई वार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदय में अहिंसा की भावना के विकास के लिये भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसा की भावना बहुत बड़ा प्रयत्न है, विचार और जीवन के तरीके में यह क्रांति उत्पन्न कर देता है। यदि पत्र-लेखिका या उस तरह का विचार रखने-वाली लड़कियाँ ऊपर बताये गये तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल डालें, तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्क में आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं लेकिन, यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्म पर हमला होने का खतरा है, तो

उनमें उम पशु मनुष्य के आगे आत्म-समर्पण करने के वज्रया मर जाने तक का साहस टोना चाहिये । कहा जाता है कि इम तरह कभी-कभी लडकी को बांधकर या युँट में कपटा टूँमकर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानी से मर भी नहीं सकती, जैसी कि मैंने मलाट दी है । लेकिन फिर भी मैं जोरा के साथ यह कहता हूँ कि जिस लडकी से मुकाबले का दृढ़ संकल्प है, वह असहाय बनाने के लिए बाधे गये सभी बन्धनों को तोड़ सकती है । दृढ़ संकल्प उसे मरने की शक्ति दे सकता है ।

लेकिन यह साहस और दिलेरी उन्हीं के लिये सम्भव है, जिन्होंने इसका अभ्यास कर लिया है जिनका अहिंसा पर दृढ़ विश्वास नहीं है, उन्हें रक्षा के साधारण तरीके सीखकर कायर युवकों के अश्लील व्यवहार से अपना बचाव करना चाहिये ।

पर बड़ा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिष्टाचार भी क्यों छोड़ दें, जिससे भली लडकियों को हमेशा उनसे सताये जाने का डर लगता रहे ? मुझे यह जानकर दुख होता है, कि ज्यादातर नौजवानों में बटाहुरी का जरा भी साहा नहीं रहा । उनमें एक वर्ग का टोने के नाते नामवरी पैदा होने की डह होनी चाहिये, उन्हें अपने साधियों में होनेवाली प्रत्येक ऐसी वारदात की जांच करनी चाहिये । यदि वे शिष्टाचार नहीं सीखते, तो उनकी बाकी सारी लियार्ह-पढ़ार्ह प्रर्थ है ।

क्या यह प्रोफेसरो और स्कूल-मास्टरो का फर्ज नहीं है कि जैसे, वे अपने विधाधियों की पढ़ार्ह के लिये लोगो के सामने जिम्मेवार बनते हैं, वैसे ही उनके शिष्टाचार और सदाचार के लिये भी उनकी पूरी जिम्मेवारी ले ?

## आधुनिक लड़कियां

ग्यारह लड़कियों का लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है। उन्होंने अपने नाम व पते उसमें दिये हैं। मैं उनके उक्त पत्र को नीचे उद्धृत करता हूँ।

“एक विद्याधिनी के पत्र का विवेचन करते हुए आपने हरिजन में ‘आत्म-रक्षा कैसे करें?’ शीर्षक का जो लेख लिखा है, वह खास ध्यान से पढ़ने योग्य है। मालूम होता है कि आधुनिक लड़कियों पर आपकी इतनी ज्यादा चिड़ है कि आपने उनके सम्बन्ध में यहाँ तक कह डाला है कि “आजकल की लड़कियों को तो अनेको (अमरों) की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है।” सामान्य स्त्री के सम्बन्ध में आपका यह विचार बहुत प्रेरणाप्रद या उत्साह-वर्द्धक नहीं।

-इन दिनों जब कि स्त्रियाँ घर या एकान्तवास छोड़कर पुरुषों की मदद करने और जिन्दगी के बोझों में समान हिस्सा लेने के लिए बाहर निकली हैं, सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि पुरुष अगर उन्हें विलकुल सताते हैं तो उसके लिए भी उन्हें ही बदनाम किया जाता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण बताये जा सकते हैं, जिनमें दोनों ही पक्षों का अपराध एक-सा साबित किया जा सकता है। पंसी भी कुछ लड़कियाँ हो सकती हैं, जिन्हें कि अनेको अमरों की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय हो। पर ऐसे उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि फूलों की शोध में सबको पर अमनेवाले अनेक अमर भी मौजूद हैं,

किन्तु यह कभी नहीं कहा जा सकता और न कहना चाहिये कि सभी आधुनिक लटकियों ऐसी ही हैं या आधुनिक युवक सभी भ्रमर हैं। आप खुद अनेक आधुनिक लटकियों के सम्पर्क में आये हैं। इन्हींलिए उनके दृढ निश्चय, त्याग और दूसरे स्त्रीत्व के सदगुणों की छाप आपके ऊपर पढ़नी ही चाहिये।

आपको पत्र लिखनेवाली बहिन ने जिम्म किस्म के अमन्य प्रताप का निदेश किया है, उसके खिलाफ लोकात्मत तैयार करने का काम लटकियों का नहीं है। इसका कारण भ्रूठी गर्म नहीं, बल्कि यह है कि उनके कहने पर कोई ध्यान नहीं देता।

लेकिन जब आप जैसे जगद्गन्ध महापुरुष ऐसी बात कहते हैं, तो इससे तो यहाँ बनि निकलती है कि "नारी नरक की रान" वाली जीर्ण शीर्ण और अनुचित लोकोक्ति का आप भी समर्थन करते हैं।

किन्तु ऊपर जो लिखा है, उससे यह न मान लाजिप्रेगा आधुनिक जमान की लटकियों में आपके प्रति आदर की भावना नहीं है। तब नर-युवक के मन में आपके प्रति जितना आदर है, उतना ही लटकियों में भा है। उनका कोई अपमान करे या उनके प्रति दया दिखाये, वह सब उन्हें बहुत ही घुरा लगता है। उनका अगर सचमुच कोई अपराध हो, तो वे अपना तौर-तरीका सुधारने के लिए तैयार हैं। अगर उनका कोई कसूर हो, तो उसे निश्चित रूप से माफित करने के बाद ही उन्हें क्षमा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में वे "अबला" होने के आश्रय का महाना नहीं लेना चाहती, न यही सहन कर सकती हैं कि न्यायाधीश उन्हें मनमाने

तौर पर अपराधी ठहराये और वे चुपचाप खड़ी रहें। जो सत्य हो, उसे स्वीकार करना ही चाहिए और आधुनिक लड़कियों में सत्य को स्वीकार करने की काफी हिम्मत है।”

पत्र लिखनेवाली इन बहिनों को गायद यह मालूम न होगा कि दक्षिण अफ्रिका में ४० वर्ष से ऊपर का समय हुआ जब कि उनमें से किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। उस वक्त मैंने भारत की महिलाओं की सेवा शुरू की थी। मेरा यह विश्वास है कि स्त्री-वर्ग के प्रति अपमान जनक कोई लेख मेरी लेखनी से निकल ही नहीं सकता। स्त्री-वर्ग के लिए मेरे मन में इतना अधिक आदर है कि यह विचार मेरे दिल में कभी आ ही नहीं सकता कि वे अवगुणों से भरी हुई हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि स्त्री पुरुष का उत्तम अर्द्धांग है। और मेरा वह लेख तो विद्यार्थियों की शर्मनाक करतूत को सामने रखने के लिए लिखा गया था, लड़कियों के दोषों को जाहिर करने के लिए नहीं। मगर इस रोग का निदान बताने में, यदि मुझे उचित इलाज बताना हो, तो यह रोग जिन कारणों से पैदा हुआ, उन सब चीजों का उल्लेख करना भी मेरा फर्ज था।

“आधुनिक लड़की” इस शब्द का एक खास अर्थ है। इसलिए यह कहने की जरूरत ही नहीं थी कि मेरा कथन असुक लड़की पर लागू होता है। अंग्रेजी शिक्षा पायी हुई सभी लड़कियाँ “आधुनिक लड़कियाँ” नहीं हैं। जिन्हें आधुनिक लड़की की भावना और रहन-सहन का जरा भी स्पर्श नहीं हुआ, ऐसी बहुत सी लड़कियों को मैं जानता हूँ। फिर भी

कितनी ऐसी भी हैं कि जो “आधुनिक लटकियाँ” बन गयी हैं। मेरे कहने का उद्देश्य हिन्दुस्तान के लटकियों को इतनी ही चेतावनी देने का था कि वे आधुनिक लटकों की नकल न करें और ऐसा करके जो प्रश्न घटा विकट और भयकर बन गया है, उसे और अधिक प्रटपटा न बना दें। क्योंकि इन बटनों का पत्र मुझे जब मिला, ठीक उन्ही समय आन्ध्र देश की एक विद्याधिनी का भी पत्र मिला। उसमें आन्ध्र के विद्याधियों के वर्ताव के बारे में बहुत बुरी तरह शिकायत की गयी है। उनके वर्ताव का जो वर्णन उसमें दिया गया है, वह तो लाहौर की लटकियों द्वारा लिखे गए वर्ताव से भी बढतर मालूम होता है। आन्ध्र देश की वह कन्या मुझे लिखती है कि उनकी सहेलियों की सादी वेश-भूषा उनकी कुछ भी रक्षा नहीं कर सकती। उन लटकों की बर्बरता दुनिया के सामने रख देने की हिम्मत नहीं, जो अपनी शिक्षा-संस्था के लिए कलक स्वरूप हैं। इस शिकायत की ओर मैं आन्ध्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ध्यान आकषिप्त करता हूँ।

उपर्युक्त पत्र लिखनेवाली ग्यारहों बहनों को मेरी सूचना यह है कि वे विद्याधियों के असभ्य व्यवहार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दें। जो अपने बल पर जूझते हैं, उन्हीं की ईश्वर मदद करता है। पुरुष की गुण्डाशाही से अपनी रक्षा करने की कला लटकियों को सीखनी ही चाहिए।

मैं सहमत हूँ कि इसके लिये आन्तरिक प्रकाश की आवश्यकता है, ब्रह्म की नहीं ।

प्रश्न—बच्चों का सामना करते समय क्रोध और हिंसा से कैसे बचाया जा सकता है ?

उत्तर—तुम्हें अपनी पुरानी ऊहावत याद होगी कि “पाँच वर्ष की अवस्था तक बच्चे के साथ खेलना चाहिये, १० वर्ष तक ताडना चाहिये १६ वर्ष का हो जाने पर उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए ।” परन्तु आपको दुःखी न होना चाहिए । यदि कभी बच्चे पर क्रोध आ जाय तो मैं उस क्रोध को अहिंसात्मक ही कहूँगा । मैं चतुर माताओं की बात कर रहा हूँ, मूर्खों की नहीं, जिन्हें माँ कहा भी नहीं जा सकता है ।

## ‘एक त्याग’

सन् १८९१ में इटलैण्ड से वापस आकर मैंने घर का भार अपने ऊपर ले लिया और बच्चा के साथ—जिनमें लटके और लटकिया दोनों थीं—उनके कंधों पर हाथ रखकर घूमने की आदत डाली। वे मेरे भाई के बच्चे थे। जब वे बड़े हो गये तब भी हमारी बत आदत बनी रही और परिवारों की उदती के साथ-साथ, बत इतनी बढ़ती गई कि लोग इसे गौर से देखने लगे।

बहुत समय तक, जब तक सावरमती आश्रम के एक वामी ने मुझे यह नहीं बताया कि मेरा बड़े लड़कों और लटकियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक जिष्टता के विरुद्ध है, मेरी उन बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। परन्तु उस वामी के साथ वाद-विवाद होने के बाद मैं वैसा ही करता रहा। दाल में ही दो सहकारियों ने जो बर्धा श्रायें वे कहा, कि मन्भव है, मेरी यह आदत समाज के सामने एक बुरा उदाहरण रह्ये। श्रव मुझे यह आदत छोड़ देनी चाहिये। वैसा तो न मित्रों की चेतावनी को प्रयत्नना की दृष्टि ने नहीं देखता, परन्तु उनका तर्क मुझे उचित न लगा। एसी हालत में मैंने आश्रम के पाँच वामियों की राय ली। उन्होंने कहा कि युनिवर्सिटी के विद्यार्थी के प्रभाव से एक छात्रा थी, वह हमसे बहुत तरह का स्वच्छन्द व्यवहार करता था और उदता था कि वह उम्मेदपनी पत्न की तरह मानता है। उस योग्य ऐस प्रदर्शन ने बच नकना उसके



लिए नितान्त असंभव है ऐसी किसी प्रकार की अपवित्रता को ध्यान कराने पर वह घृणा प्रदर्शित करता था परन्तु यदि मैं बताऊँ कि वह लडका क्या कर रहा था, तो पाठक देखेंगे कि उसकी सारी स्वच्छन्दता अपवित्र थी। जब मैंने उसका पत्र व्यवहार पढ़ा, तो मुझे तथा और लोगों को, जिन्होंने उसे देखा पता चला कि या तो वह पाखण्डी था या उसे अपने विषय में भ्रम था।

किसी प्रकार इस खोज से मैं सोचने लगा। मैंने पिछले दोनों सहकारियों की बात याद की और विचारा, यदि वह लडका अपने पक्ष के लिए मेरे उदाहरण का सहारा ले तो मुझे कैसा लगेगा? मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि वह लडकी, जो उस युवक की इच्छाओं का शिकार हो रही है, जो कि उसे पवित्र और भाई की तरह समझती है, उन व्यवहारों को पसन्द नहीं करती, बल्कि उनका विरोध करती है, परन्तु लडके के कार्यों को रोकने में असमर्थ है। इस घटना को लेकर अपने ऊपर विचार करने का परिणाम यह हुआ कि दो-तीन दिनों में मैंने अपनी आदत छोड़ दी और वर्धाआश्रम के वासियों को उसी महीने की १२ तारीख को सूचना भेज दी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे दुःख हुआ। इस आदत के कारण या आदत के रहते समय मेरे मन में कभी कोई अपवित्र विचार नहीं आया। मेरा व्यवहार खुला हुआ था। मेरा विश्वास है, यह एक माता-पिता की तरह का व्यवहार था और मेरे संरक्षण में रहनेवाली न जाने कितनी लडकियों में मेरा इतना विश्वास हो गया है, जितना शायद ही कभी

किसी का रहा हो। मैं ऐसे ब्रह्मचर्य का समर्थक नहीं हूँ, जिसकी रक्षा के लिए कोई दीवार खड़ी करनी पड़े और जो थोड़ी भी लालच से टूट जाय, परन्तु साथ-ही साथ मैं उन सतरो को भी जानता हूँ जो मेरी तरह की स्वच्छन्दता से उत्पन्न हो सकते हैं।

मेरी आदत चाहे जितनी भी पवित्र क्यों न रही हो, इस खोज से मुझे छोड़ देनी पड़ी। मैं एक ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, जिसमें नवत सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हजारों लोग मेरे हर काम को बड़े गौर से देखते हैं। मुझे ऐसे काम न करने चाहिए, जिनके पक्ष में बच्य करने की आवश्यकता हो। मेरा उदाहरण सबके लिए नहीं था। उस युवक की घटना मे चेतावनी मिली है। मुझे आशा है कि मेरा यह त्याग ऐसे सभी लोगों की रक्षा करेगा, जिन्होंने मेरी देग्नादेग्नी या स्वतः गलती की होगी। निष्कलुष यौवन एक असूत्र्य संपत्ति है, जिसे क्षणिक उद्रेक के लिए जो सुरत कटा जाता है बचाना नहीं चाहिये, और इस लड़कों की शक्ति जो शक्तिहीन हो, उन्हें चाहिए कि इस प्रकार के युवकों के व्यवहार का विरोध करने की क्षमता प्राप्त करें, चाहे वे निष्पाप ही क्यों न घोषित किये जायें। ये युवक या तो गुपटे टोते हैं, या इन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं।

## ‘उदार बहिनें बनो’

उदि विल लडकियों के कॉलेज जाफना में व्याख्यान देते हुए गांधीजी ने कहा .—

आज प्रातःकाल तुम लोगों से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मुझे तुम लोगों के छोटे-छोटे उपहार, जो अपने हृदय के उद्गार-स्वरूप तुमने एक बड़े उपहार के रूप में मिलाकर दिये हैं, ठीक नहीं लगे। मैं जानता हूँ, लडको की अपेक्षा अधिक संकोची होने के कारण तुम यह नहीं बताना चाहती कि तुमने मुझे कुछ भी दिया है, परन्तु मेरे भारत-वर्ष से हजारों लाखों लडकियों से मिलने के कारण, उनके लिये असम्भव है कि कोई अच्छा काम जो वे करें, मुझसे छिपा रखें।

कुछ ऐसी भी लडकियाँ हैं, जो अपने बुरे काम भी मुझसे कहने में नहीं हिचकतीं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित कोई भी लडकी कोई बुरा काम नहीं करती। मेरे पास इतना समय नहीं कि इसकी छानबीन करूँ, इसलिये मैं इस विषय में प्रश्नों से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन, यदि हमारे बीच में ऐसी लडकियाँ हैं, जो बुरे काम करती हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा व्यर्थ है।

माँ-बाप तुम्हें यहाँ गुडियाँ बनने के लिये नहीं भेजते, बल्कि उदार बहिनें बनने के लिये, जिसकी वेष-भूषा ही दूसरी होती है। जब से वह अपने से गरीबों और भाग्यहीनों के विषय में अधिक ध्यान देने लगती हैं और अपने विषय में कम सोचने विचारने लगती हैं, उसके बाद से तुरन्त

वह उदार बहन कहलाने लगती हैं। तुम उदार बहिनें बन गयी हो, क्योंकि तुमने ऐसे लोगों के लिये उपहार दिये हैं, जो तुमसे गरीब हैं।

थोड़ा धन देना सरल है, किन्तु स्वयं थोड़ा भी काम करना उससे कठिन है। यदि तुम्हें उन लोगों से सच्ची सहानुभूति है, जिनके लिये तुमने यह भेंट दी है, तो खादी पहनो जो उनकी बनाई हुई वस्तु है। यदि खादी तुम्हारे सामने लायी जाय और तुम यह कहो कि “खादी कुछ खुरदुरी है, हम इसे नहीं पहन सकतीं” तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारे भीतर आत्म-त्याग की भावना नहीं है।

यह इतनी सुन्दर चीज है कि इसमें छोटे-बड़े, छूत-अछूत का कोई भेद-भाव नहीं, और यदि तुम्हारा मन भी ऐसा ही चाहता है और अपने को कुछ लड़कियों से ऊँचा नहीं समझती, तो सचमुच बड़ा अच्छा है।

भगवान् तुम्हारा भला करे।

## छात्राओं को सलाह

अपने जाफना राम नाथन गर्ल्स कालेज के व्याख्यान में गांधीजी ने कहा था.—

जाफना के विभिन्न पाठशालाओं का दौरा समाप्त करने के लिए यहाँ आने में आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।

तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से, कि आज तुम अपना वार्षिक अधिवेशन करोगी और खादी के लिये धन एकत्र करोगी, मैं प्रभावित हुआ हूँ । मैं यह जानता हूँ कि यह झूठी प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि तुम धार्मिक रूप से इसकी पूर्ति करोगी । यदि वे करोड़ों लोग, जिनकी ओर से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, अपनी बहनो के इस दृढ़ प्रस्ताव को जान पाते, तो मैं जानता हूँ उनके दिलों को प्रसन्नता होती । परन्तु तुरहें यह जानकर दुःख होगा कि ये गूरे-गोडो लोग, जिनके लिए तुम लोगों ने तथा लड़का के लोगो ने तमाम उपहार दिये हैं, यदि उन्हें समझाने की चेष्टा करूँ, तो भी समझ नहीं पायेंगे । उनके दुःख-भरे जीवन का सम्भवतः ऐसा कोई वर्णन नहीं हो सकता, जो उसका सच्चा रूप तुम्हारे सामने रखे ।

इसके बाद तुरन्त मैं इस प्रश्न पर पहुँचता हूँ, कि तुम लोग इस तरह के लोगों के लिए क्या करोगी ? थोड़ी सादगी का सुझाव पेश करना आसान है, परन्तु यह तो इस प्रश्न के साथ खिलवाड़ करना होगा ।

इसी प्रकार के विचारों से मैं चरखे पर पहुँचा । जिस प्रकार मैं

तुमसे कह रहा है, वैसे ही अपने से कहा—“यदि तुम इन दलित लोगों और अपने बीच में एक श्रृंखला जोड़ सको, तो तुम्हारे लिए और ससार के लिए कुछ आशा है।”

इस पाठशाला में तुम्हें धार्मिक शिक्षा बढ़े अच्छे ढङ्ग से दी जाती है। यहाँ एक सुन्दर मन्दिर भी है। यहाँ के पाठ्य क्रम से यह भी पता चलता है कि दिन में सबसे पहले तुम पूजा करती हो, जो बड़ा अच्छा और उन्नतिशील है। लेकिन, यदि प्रति-दिन वह कार्यरूप में परिष्कृत नहीं किया जाता, तो बड़ी सरलता से यह एक रस्म-अदाई ही तक रह जायगा। इसी लिए मैं कहता हूँ कि पूजा को कार्य-रूप में लाने के लिए चर्खा का प्रयोग करो। आधे घण्टे उसे लेकर बैठो और इन कुराँजों आदमियों के विषय में सोचो और ईश्वर के नाम पर कहो कि मैं इन्हीं के लिए कातती हूँ।” यदि हृदय से और यह जानकर कि तुम इस कार्य में और सम्पन्न तथा विनम्र हो और यदि तुम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंगों को ढरने के लिए पहनोगी, तो तुम्हें खादी पहनने में और अपने तथा करोड़ों लोगों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई टिक्क न होगी।

यहाँ की लड़कियों से मैं केवल इतना ही नहीं कहना चाहता। अगर तुम यह चाहती हो कि सर रामनाथ ने तुम्हारा जो “गान रखा और तुम्हारे लिए जो कुछ किया तथा श्रीमती रामनाथ जो कुछ तुम्हारे लिए कर रही हैं उसके योग्य बने रहो तो तुम्हें और भी बहुत सी चीजें करनी होंगी। मैंने देखा है कि तुम्हारी पत्रिकाओं में पुराने स्कूलों में

जो काम लड़कियाँ कर रही हैं, उसको गर्व के साथ वर्णन किया गया है। मैंने इस तरह की भी नोटिस देखी है। अमुक ने अमुक से विवाह किया— ४ या ५ नोटिसों मेरा ऐसा विचार है कि जो लड़की २२ या २५ साल की अवस्था पर पहुँच गयी हो, उसके विवाह करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इन नोटिसों में एक भी ऐसी लड़की नहीं देखी, जिसने अपना जीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया हो। इसलिए मैं तुमसे वही कहना चाहता हूँ जो हिजहाईनेस महाराज कालेज बंगलौर की लड़कियों से कहा था कि शिक्षा के लिए जो प्रयत्न किया जाता है और यदि लड़कियाँ स्कूल छोड़ते ही जीवन से अलग हो जायँ और गुड़ियाँ बन जायँ तो हमें बहुत थोड़ी चीज मिलेगी। स्कूल और कालेज छोड़ने के साथ ही बहुत सी लड़कियाँ सामाजिक जीवन से अलग हो जाती हैं। इस जगह की लड़कियों को ऐसा न चाहिए। तुम्हें मिस एमरी तथा अन्य लोगों का उदाहरण न भूलना चाहिए, जो यहाँ स्रक्षण कर रही हैं। और यदि मैं झूठ न कहता होऊँ तो ब्रह्मचारिणी हैं।

हर लड़की हर हिन्दुस्तानी लड़की, विवाह करने के लिए ही नहीं पैदा हुई है। मैं बहुत-सी ऐसी लड़कियों को बता सकता हूँ, जिन्होंने एक पुरुष की सेवा की जगह अपना जीवन सेवा के लिए दे दिया है। यही समय है जब हिन्दू लड़कियाँ अपने में से पार्वती और सीता-जैसी स्त्रियाँ पैदा करें।

तुम अपने को 'सैविती' कहती हो। तुम्हें मालूम है, पार्वती ने क्या किया था? अपने पति के लिए उसने धन नहीं लगाया था और न

अपने को ही बेचा था और आज बड़ हिन्दू समाज में मात मतियों में से एक मानकर पूजा जाती है—इमलिफ़ नहीं कि उसने किसी विद्यालय में कोई डिग्री पायी थी, बल्कि अपना अभूतपूर्व तपस्या के कारण ।

मैं यहाँ देखता हूँ कि दहेज की घृणित प्रथा है । उसी कारण युवती स्त्रियों को उपयुक्त घर मिलना कठिन हो जाता है । बड़ी अवस्थावाली लड़कियों से तुम में से कुछ बड़ी हो गयी है—इस प्रकार की कुप्रथाओं के विरोध करने की आगा की जाती है । यदि करना पड़ा, तो तुम्हें जीवन पर्यन्त या कुछ समय तक कुमारा रहना पड़ेगा । फिर जब तुम्हें जीवन-साथी की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें ऐसे पुरुष की तलाश नहीं होगी जो धनवान, रूपवान प्रसिद्ध हो, बल्कि जिममें चरित्र का निर्माण करने वाले सभी अनुपम गुण हों । तुम्हें मालूम ह, नारदजी ने शिवजी के विषय में पार्वती से क्या कहा था—दुबला-पतला, भस्म लगा हुआ शरीर, शरीर में कोई मौन्दर्य नहीं, ब्रह्मचारी—आर पार्वती ने कहा, “हो वही मेरे पति होंगे ।” तुम्हें बहुत से शिव नहीं मिलेंगे, जतनक तुम में से कुछ लड़किया तपस्या करने को तैयार न होगा—पार्वती की भाँति हजारों वर्ष नहीं । हम दुर्बल प्रार्थना ऐसा नहीं कर सकते, परन्तु तुम जीवनभर तो ऐसा कर ही सकती हो ।

यदि तुम ये बातें स्वीकार करो तो तुम्हारा गुडियों की तरह दिखाई देना बन्द हो जाय और तुम्हारी इच्छा होगी कि पार्वती, माता, दमयन्ती सावित्री की भाँति सती बनो । मेरी विनम्र राय में उनी समय ( उमके पढ़ते नहीं ) इस तरह की सस्था के योग्य हो सकोगी ।



ईश्वर करे तुम्हारे हृदय में भी ऐसी इच्छाएँ जनों और यदि ऐसा हुआ तो वह इसे कार्य-रूप में परिणत करने में सहायक हो ।

## बाल-विवाह का शाप

मिसेज मारगरेट ई० कजिन्स ने मेरे पास एक दुर्घटना का समाचार भेजा है । मालूम पड़ता है कि यह दुर्घटना अभी हाल में बाल-विवाह के कारण सद्रास में हुई है । इस विवाह में 'वर' २६ वर्ष का तथा कन्या १२ वर्ष की थी । ये पति-पत्नी मुश्किल से १२ ही दिन साथ रह पाये होंगे कि लडकी जलकर मर गयी । ज्यूरी ने यह फैसला दिया है कि पति कहलानेवाले उस पुरुष के असहनीय और निर्दय बलात्कार के कारण उसने आत्महत्या की थी । लडकी के मरने के समय दिये हुए बयान से मालूम होता है कि उस 'पति' ने ही उसके कपड़ों में आग लगायी थी । कामातुर लोगों को विवेक और दया नहीं होती ।

परन्तु हमें यहाँ इस बात से सरोकार नहीं कि वह कैसे मरी, किन्तु इन बातों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि—

(१) उसका विवाह १३ वर्ष की आयु में किया गया था ।

(२) उसकी कामेच्छा तो थी ही नहीं, क्योंकि उराने पति की काम-चेष्टा का विरोध किया था ।

(३) उस पति ने उसके साथ जबरदस्ती ज़रूर की । और, वह लडकी अब संसार में नहीं है ।

हिंसी पाण्डितिक प्रथा की धर्म से पुष्टि करना धर्म नहीं, अधर्म है। स्मृतियों में परस्पर-विरोधी वाक्य भरे पड़े हैं। इन विरोधों में तो इत्मी-नान के काविल यही एरु नतीजा निकल सकता है कि उन वाक्यों को, जो प्रचलित और सर्वमान्य नीति के और यासकर स्मृतियों में ही लिखित आदेशों के विपरीत हैं, संपक समझकर छोड़ देना चाहिये। एरु ही पुरप एक ही समय में आत्म संयम का उपदेश देनेवाला और पशु-वृत्ति को उत्तेजित करनेवाला वाक्य नहीं लिख सकता। जिसे आत्मसंयम से उट भी सगेकार न हो और पाप से डूबा पडा हो, वही यह कह सकता है कि कन्या के श्रुनुमती होने के पूर्व ही उसका विवाह न करने में पाप लगाना है। मानना तो यह चाहिये कि रजस्वला होने के बाद भी उच्छ्र वरम तरु लटकी का विवाह करना पाप है। उसके पहले तो विवाह का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। रजस्वला होने के साथ ही लटकी स्तति उत्पन्न करने के योग्य इमी भोति नहीं हो जाती जैस कि मँछा के भम-राते ही कोई लटका मन्तान उत्पन्न करने योग्य नहीं हो जाता है।

बाल-विवाह की यह प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार में हानिकारक है। यह हसारी नीति की जट काटती है और हममें शारीरिक निर्वलता लाती है। ऐसी प्रथाओं को रतने देकर तम स्वराज्य और ईश्वर से दूर जाते हैं। जिस आदमी को नाजुक उमर की लटकी के बारे में उच्छ्र विन्ता नहीं है, उसे ईश्वर की भी कोई परवा न होगी। अध कचरे पुरपां में तो स्वराज्य के लिये लटने की और न उसे पाने पर कायम रखने की ही ताकत होती है। स्वराज्य की लनाई का पर्य देखल

राजनैतिक जागृति ही नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक जागृति है। सहवास की स्वीकृति देने की उमर का कानून से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अल्प-संख्यक लोगों के होश दुरुस्त करने के लिये यह ठीक हो सकता है, परन्तु कानून से कोई ऐसी सामाजिक कुप्रथा रोकी नहीं जा सकती है। इसे रोकनेवाला तो केवल जाग्रत लोक-मत ही है। ऐसे विषयों में कानून बनाने का मैं विरोध नहीं करता। परन्तु कानून से अधिक जोर मैं लोकमत तैयार करने पर अवश्य देता हूँ। मद्रास की ऐसी दुर्घटना होना असम्भव हो जाता, यदि वहाँ बाल-विवाह के विरुद्ध लोकमत जीता-जागता होता। मद्रास के इस मामले में वह युवक कोई अनपढ़ मजदूर नहीं है, वरन् पढा लिखा बुद्धिमान टार्डिपिस्ट है। यदि लोकमत नाजुक उमर की लड़कियों के विवाह या पति-सहवास का विरोधी होता, तो उसके लिये उस लड़की से विवाह करना वा सहवास करना असम्भव हो जाता। साधारणत १८ वर्ष से कम उमर की लड़की का विवाह कभी नहीं होना चाहिये।

## बाल-विवाह के समर्थन में

एक सज्जन लिखने हैं —

“२६ अगस्त मन् १९२६ के ‘यंग इंडिया’ में बाल-विवाह का भाष्य शीर्षक आपके लेख को पढ़ कर मुझे बड़ा ही दर्द पहुँचा। मनु के अनुमति होने के पूर्व लड़कों का विवाह न करने में पाप लगता है—यह तो वे ही लोग कह सकते हैं जो कि आत्म-सयम में अनभिज्ञ हैं और जो पाप में डूबे पड़े हैं।”

“मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप अपने से मुसल्लिफ राय रखनेवालों को आचार्य की दृष्टि से क्यों न देख सकें ? कोई यह प्रवचन कह सकता है कि बाल-विवाह के शास्त्र-विहित ठहराने में मनु ने मराम भूल की थी। परन्तु मैं यह कहना अनुचित मानता हूँ कि जो लोग बाल-विवाह पर दृढ़ हैं, वे पाप में डूबे पड़े हैं—यह कहना विवाह का शिष्टता की सीमाका उल्लंघन हो जाता है। वाम्बवमें मैंने पहले-ही-पहल बाल विवाह के विरुद्ध गुंसी दलील सुनी है। न तो हिन्दू समाज-सुधारकों ने और न ईसाई पाठरियों ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, कभी ऐसा कहा है। इसलिए जब मैंने इस दलील को महात्मा गांधी की लेखनी से आया हुआ पाया, ( महात्मा गांधी, जिन्हें कि मैं प्रतिद्वन्द्वी के प्रति उदारतरण पूर्ण व्यवहार करने में सम्पूर्ण पुरुष मानता हूँ। ) उस वक्त जा धर। मुझे पहुँचा उसको जरा खयाल कीजिए।

“आपने तो एक ठो को नहीं, बल्कि प्रायः प्रत्येक हिन्दू-शास्त्रकार

आपको यूरोपीय तथा भारतीय दोनों सभ्यता का अच्छी तरह ज्ञान है। आप यह जरूर बतला सकते हैं कि सब बातों को देखते हुए हिन्दुरतानी पतिव्रता अधिक पतिपरायण होती हैं या योरोप वाली, कि गरीब लोगों में हिन्दुस्तानी पति अपनी स्त्री के साथ रहमदिली का बर्ताव रखता है या योरोपीय, कि हिन्दुस्तानियों में क्लेशकारी विवाह बहुत कम होते हैं या योरोपियनों में और आया कि भारतीय समाज में विषय-सम्बन्धी आचार अधिक शुद्ध हैं कि योरोपीय में। यदि इन पहलुओं से यूरोपीय विवाहों की अपेक्षा हिन्दुस्तानियों के विवाह अधिक सफल है। तो बाल-विवाह को जो कि हिन्दुस्तानी विवाहों की एक विशेषता है बुरा न ठहराना चाहिए।

मैं यह नहीं मान सकता कि हिन्दू-शास्त्रकार बाल-विवाह का आदेश देते समय समाज के सार्वजनिक कल्याण के सिवाय और किसी विचार से प्रेरित हुए थे। मैं समझता हूँ कि बाल-विवाह हिन्दू समाज के उन लक्षणों में से एक है कि जिनके द्वारा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी शुद्धता कायम रही है, और जिन्होंने उसको छिन्न-भिन्न होने से बचाया है। शायद आप इन सबको सच न मानेंगे लेकिन हम यह आशा नहीं रख सकते कि आप अपनी उस धारणा को त्याग दें कि वे सब हिन्दू-शास्त्रकार, जिन्होंने कि अन्यायों के बाल-विवाह पर जोर दिया है, आत्म संयम शून्य थे और "पाप में डूबे पडे थे।"

आपने मद्रास वाले मुआमले का जो हवाला दिया है, वह बड़ा विचित्र है। ज्यूरी का ख्याल यह था कि उस लड़की ने आत्मघात कर

लिया था, लेकिन उस लटकी ने यह बयान दिया कि उसके पति ने उसके कपटों में आग लगा दी थी। इन परम्पर विरुद्ध बातों को देखते हुए यह मानना बहुत मुश्किल है कि जिन बातों को आप निर्विवाद मानते हैं, वे बातें सचमुच निर्विवाद हैं। १३ वर्ष से नीची उम्रवाली लाखों कन्याओं के विवाह हो चुके हैं, लेकिन पति की निर्दयतापूर्वक कामचेंपा के कारण की हुई आत्महत्या का एक भी नजिर पहले सुनने में नहीं आया। सम्भवतः इस मामले में कोई ग्यास बातें थीं, जिनको हम जानते नहीं हैं और उस लटकी की मृत्यु का सार्व कारण बाल विवाह नहीं था ?”

कविवर टैगोर ने ठीक कहा है—उन घटनाओं के आघात को जो छिपे हुए किसी की आत्मा को चोट पहुँचाती हैं, कम करने के निमित्त किसी मौजूँ फिलसफे के गढ़ देने में गाँठ से बहुत कम जाता है। ‘बंग इंडिया’ के ये ‘पाठक’ तो एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। इन्होंने एक मौजूँ फिलसफे को ही नहीं गढ़ा है बल्कि हकीकतों को भी मुला दिया है और गैर सचूत वाले बयानात पर अपनी दलील उठा कर खड़ी कर दी है। अनुदारता वाले इलजाम के बारे में मैं कुछ लिखना नहीं चाहता यदि और किसी कारण से नहीं तो महज इसीलिए ही कि मैंने गान्धारा पर दोषारोपण नहीं किया है बल्कि मैंने तो उन लोगों पर चुगई धोपी है जो कि मातृत्व भार न सम्भाल सकने वाली अवस्था में विवाह कर देने पर आग्रह करें, अनौदार्य का प्रश्न तो उठता है जब कि कोई धन्युक्त भाव का नाहक इलजाम किसी जीवित मनुष्य पर लगावे, न कि उसपर

जिसका अस्तित्व न हो, परन्तु मैं पूछता हूँ कि इस पत्र लेखक के पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसके बिना पर वह यह कह सकता है कि जिन स्मृतिकारों ने आत्म-सयम का उपदेश दिया था, उन्होंने ही उन्हीं स्मृतियों से बालिका विवाह की आज्ञा दी थी। ऋषि लोग दुराचारी नहीं थे और न शारीरिक विकास के नियमों से अनभिज्ञ थे। क्या यह मान लेना अधिक उदार न होगा ? लेकिन यदि बाल विवाह ( न कि कम उम्र का विवाह, क्योंकि यह तो २५ के पूर्व तक का किया हुआ सबन्ध भी हो सकता है ) की आज्ञा देनेवाले ग्रन्थ भी प्रामाणिक पाये, तो हमको चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से उनका त्याग कर दें। मैं लेखक के इस वाक्य की राचाई पर सन्देह प्रकट करता हूँ कि बाल-विवाह हिन्दू-समाज से सर्वत्र प्रचलित है। मुझे अवश्य दुःख होगा, अगर यह बात सच निकले कि लाखों बालिकाएँ विवाहिता हो जाती हैं यानी ये जब कि स्वयं वच्चियाँ ही हैं, पत्नियों की तरह रहने लगती हैं। यदि हिन्दू-समाज में लाखों कन्याओं का विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हो जाया करते तो हिन्दू लोग जाति की हैसियत से कभी के नष्ट हो गये होते।

और न उससे यही बात सिद्ध होती है कि यदि माता-पिता अपनी कन्याओं के पति पसन्द करना जारी रखना चाहें, तो सगाई और विवाह जल्दी हो जाने चाहिये और इसमें तो और भी कम सत्यता है कि यदि लड़कियों को अपनी पसन्दगी करनी है तो सवरण ( Courtship and flirtation ) या भ्रष्टाचार का होना लाजिमी ही है। आखिर

यूरोप से भी तो संवरण सर्वत्र प्रचलित नहीं है और हजारों हिन्दू-कन्याओं का विवाह १५ वर्ष के बाद होता भी है और उनके माता-पिता ही उनके लिये वर पसन्द करते हैं। मुसलमान मां-बाप तो हमेशा अपनी सयानी लड़कियों के खवाबिन्द खुद ही पसन्द करते हैं। यह पसन्दगी स्वयं लड़की करे या उसके माता-पिता यह बिस्कुल दूसरा ही बात है और यह बात रिवाज के अद्वितीय में है।

इस पत्र के लेखक ने इस बात के समर्थन में कोई सख्त पेश नहीं किया कि मर्यादा उन्नत में व्याही हुई कन्याओं का मन्तानें बालिकावस्था में विवाहितान्धियों की ओलाओं से कमजोर होती हैं। भारताय तथा योरोपीय दोनों समाजों के मेरे अनुभवों के हाते हुए भी मैं उनके आचार की तुलना करना नहीं चाहता। वहम के लिए जरा दर में यदि मान भी लिया जाय कि यूरोपीय समाज के आचार हिन्दू-समाज के आचार से निकृष्ट हैं, तो क्या उसमें यही स्वानाधिक अनुमान हो सकजा है कि यह निकृष्टता सिनेवलूमियन के बाद सार्थी करने के कारण ही है।

अन्त में सद्रामवाला मामला पत्रप्रकरकों कुछ सट्ट नहीं पहुँचाता है; प्रत्युत उसका उमें प्रयोग करना तो उनका हकीमत को वाला तार कर कर जल्दवाजी के साथ किया नतीजे पर पहुँच जाना चाहिए करता है। अगर वे मेरे इस लेख को फिर उठा कर देखेंगे तो उनको पता चानगा कि मैं अपने नतायज पर साचित शुद्ध बातों से ही पहुँचा हूँ। मेरा निर्णय तो मृत्यु के कारण से जरा भी लगाव नहीं रखता, यह सिद्ध किया गया था कि :—



- (१) लडकी कमसिन थी ।
- (२) उसकी कामेच्छा तो थी ही नहीं ।
- (३) उसके पति ने काम-चेष्टा में जबरदस्ती जरूर की ।
- (४) वह लडकी अब इस संसार में नहीं है ।

लडकी ने यदि आत्मघात किया तो बुरा किया, लेकिन यदि उसे उसके पति ने जलाकर मार डाला—चूँकि वह उसकी पशु-वृत्ति को सन्तुष्ट न कर सकी, तो और भी बुरा हुआ । उस लडकी की वह उम्र तो खेलने और सीखने पढने की थी—न कि पत्नी का बर्ताव करने की और अपने नाजुक कन्धो पर गृहस्थी का भार उठाने की या “स्वामी” की गुलामी करने की ।

ये लेखक समाज में एक प्रतिष्ठित पुरुष है । भारत-माता अपने उन लडके और लडकियों से अधिक अच्छी बातों की आशा रखती है जिन्होंने उदार शिक्षा पाई है और जिनसे राष्ट्र के लिए ही सोचने-समझने तथा कार्य करने की आशा रखी जाती है । हममें बहुत-सी बुराईयाँ मौजूद हैं—वे नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सब ही प्रकार की हैं । उनके लिए धैर्य युक्त अध्ययन, सपरिश्रम अनुसन्धान और सावधानी से काम करने की जरूरत है । बयान में सत्य और उस पर विचार करते समय स्वच्छ विचार की जरूरत तथा गाम्भीर्य-पूर्ण और निष्पक्ष निर्णय भी दरकार हैं और तब हम यदि जरूरी हो, तो आपस में जमीन-आसमान का मत-भेद रख सकते हैं परन्तु यदि हम सचाई को गहराई तक पहुँचने की और फिर चाहे जो हो जाय उसपर डटे रहने की कोशिश

नहीं करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने-अपने धर्मों, अपने देश और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचावेंगे।

## बाल-विवाह के भयानक परिणाम

बाल-विवाह-विरोधी कमेटी ने बाल-विवाह पर एक लाभदायक और खोजपूर्ण नोट निकाला है। मैं उसके कुछ पैराग्राफ, जो विगेष महत्व रखते हैं, दे रहा हूँ।

हिन्दुस्तान की १९३१ की मर्तुमशुमारी की रिपोर्ट के अनुसार १५ वर्ष से कम अवस्था में निम्नलिखित सरया लड़कियों में व्याही गयी—

अवस्था	प्रतिशत विवाहित
०—	८
१—	१२
२—	२०
३—	४२
४—	६६
५—१	१९३
१०—१	३८१

इस प्रकार १०० पीछे लगभग एक लटकी १ वर्ष से कम अवस्था में व्याही गयी और यह भयानक बात १५ वर्ष के नीचे हर अवस्था में होती रही।

इसका एक परिणाम यह हुआ कि इस देश में बाल-विधवाओं की संख्या इतनी बढ़ी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता :—

अवस्था	विधवाओं की संख्या
०—१	१५१
१—२	१७८
२—३	३४८
४—५	६०७
५—१०	१५०१
१०—१५	१०५४८
	१८५३३

कहा जाता है कि बाल-विवाह की प्रथा परिमाण में छोटी है और सभी जगह नहीं है, लेकिन अगर विधवा बालिकाओं की संख्या ऊपर दी गयी संख्या का सौवाँ हिस्सा हो तो भी कोई मानुसिक जन-समाज या सरकार बिना इसका अन्त किये न मानेगी। इस सिलसिले में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसमें से बहुत सी बालिकाओं के लिए पुनर्विवाह असम्भव है।

दूसरा परिणाम बाल-माताओं की बड़ी संख्या है, जिनका सन्तान होने में ही देहान्त हो जाता है। इस प्रकार की मृत्यु का माध्यम भारत में २००००० प्रतिवर्ष है। इससे हर घण्टे २० मृत्यु होती है और इनमें से बहुत-सी तो २० साल से नीचे ही मर जाती हैं। सर जान मेगा के कथनानुसार हर १००० युवती माताओं पर १०० ऐसी हैं, जो स्वाभा-

विकृत: सन्तानोत्पत्ति समाप्त होने के पूर्व ही सन्तानोत्पत्ति में मर जाती हैं। माताओं की मृत्यु की हमारे पास कोई सही तादाद नहीं, परन्तु भारत में हर हजार में ०४५ होती है जब कि इंग्लैंड में केवल ४५।

आखीर में बाल-विवाह से माँ के ऊपर ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बच्चे पर भी और इस प्रकार जाति पर भी पड़ता है। हमारे देश में हर १००० पैदा हुए बच्चों पर १८१ मर जाते हैं। यह तो शोचनीय है, जहाँ शौचत १०० पीछे ४०० तक पहुँच जाता है। इस मामले में यहाँ की पिछड़ी हुई हालत का पता जापान या इंग्लैंड की शिशु मृत्यु की सरकारी रिपोर्ट से मिलान करने पर स्पष्ट हो जाती है, जहाँ यह २४ प्रति तथा ६० प्रतिशत ही है। इस बात को देखते हुए यह प्रथा बन्द की जा सकती है, यह बड़ा ही भयानक भी है और हमारा अशिक्षित समाज ही इस बुराई के बढ़ाने का उत्तरदायी है।

सबसे दुःख की बात तो यह है कि इस दिशा में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए १९२१ ई० में १ साल से कम अवस्था का ६०६६ पत्नियाँ थीं। १९३१ ई० में यह संख्या ४४०८० हो गई इस प्रकार ५ गुनी बढ़ती हो गयी और आजादी केवल दसवाँ हिस्सा ही बढ़ा। फिर १९०१ में एक वर्ष से कम अवस्था वाली ७५६ विधवाएँ थीं और १९३१ में १५१५ हो गई लगातार गणना देखने से बढ़ा आश्चर्यजनक बात मिलती है। इस प्रकार की बुराईयों के रोकने की अपेक्षा आवादी कहीं अधिक गति से बढ़ती जा रही है। अतएव उनके रोकने की आजकल की तरह शायद ही कभी जरूरत रही हो और सरकार को इस विषय में सचेत करने तथा

समाज को जगाने से अधिक महत्वशाली एवं आवश्यक दूसरा कोई कार्य भारतीय महिला-आन्दोलन के लिये नहीं हो सकता ।

इस संख्या को देख कर हमारा सिर लज्जा से झुक जाना चाहिए, परन्तु इससे यह बुराई दूर नहीं होगी। कम-से-कम बाल-विवाह का रोग देहातो में उसी प्रकार फैला है, जैसे शहरों में । इसको रोकने का दायित्व विशेषकर स्त्रियों का ही है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुरुषों को भी अपना भाग पूरा करना है लेकिन जब कोई पुरुष पशु का रूप धारण कर लेता है, तो वह तर्क की परवाह नहीं करता । मताओं को ही शिक्षित करने तथा उनके कर्तव्यों के प्रति जाग्रत करने की आवश्यकता है ताकि वे ऐसे बुरे कार्यों से इन्कार कर दें । यह स्त्रियों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है ? अतएव मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय महिला-संस्था को अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए देहातों में जाना होगा । ये नोट बड़े मूल्यवान हैं और वे कुछ पढ़े-लिखे अंग्रेजी जाननेवाले शहर में ही, रहनेवालों तक पहुँचते हैं । इसके लिए तो देहाती स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता है । यदि ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाय तो भी काम सहल नहीं हो जायगा । परन्तु कभी भी इस प्रकार के परिणाम के लिए ऐसे काम करने ही पड़ेंगे । क्या अखिल भारतीय महिला-संघ और अखिल भारतीय बी० आई० ए० एक दूसरे का सहयोग करेंगे ।

किसी भी गाँवों में काम करनेवाले स्त्री या पुरुष को केवल सामाजिक सुधार के लिये देहात में जाने की आवश्यकता नहीं । ग्राम्य जीवन

के हर क्षेत्र से सम्पर्क रखना होगा, मैं फिर दुहराना चाहता हूँ कि देहात में काम करने का तात्पर्य पढ़ना-लिखना या हिसाब-किताब की ही शिक्षा नहीं, बल्कि देहात के लोगों में अच्छे जीवन की आवश्यकताओं की शिक्षा देना तथा उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे चेतन प्राणी कहे जा सकें।

## असहाय विधवाएँ

एक दुखी मित्र ने एक दर्द-भरा पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने एक १७ साल की लड़की के बारे में लिखा है कि छोटे से भूकम्प में जिसके पति, दो माह के बच्चे, ससुर और पति के छोटे भाई का देहान्त हो गया, यानी ससुराल के सार परिवार का नाश हो गया है। मेरे सवाददाता लिखते हैं कि वह सुरक्षित बच निकली थी और केवल अपने शरीर पर कपड़ों के साथ वापस आयी। वह उनके चचा की लड़की हैं और उन्हें यह समझ नहीं पड़ता कि वह जी कैसे बटलाये या उसे क्या करें। उसे स्वयं भी कुछ चोट आयी है। पैरों में घाघात पहुँचा है, और भाग्यवश दृढ़डियो ठीक स्थान पर हैं। सवाददाता ने प्राणिक में लिखा है —

“मैंने उसे उमकी माँ के पास लातौर में छोड़ दिया है। मैंने विनम्रता से उससे और सम्बन्धियों से उसके पुनर्विवाह का जिक्र किया। कुछ ने तो मेरी बात महानुभूति-पूर्वक सुनी, परन्तु औरों ने मेरे प्रस्ताव

के प्रति घृणा प्रकट की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत-सी लड़कियों ने इस प्रकार का कष्ट सहन किया होगा। क्या आप इन विधवाओं के प्रोत्साहन के लिये कुछ शब्द कहेंगे ?”

सुभे मालूम नहीं, जिन विषयों में युगों से प्रचलित निषेधों का सम्बन्ध हो, मेरी लेखनी या मेरी वाणी क्या कर सकेगी ? मेरे कई वार कहा है विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को। स्वेच्छा से वैधव्य हिन्दू-समाज का असूत्य वरदान है, परन्तु ऊपर से लादा हुआ वैधव्य अरि गाप है। और सुभे विश्वास है कि हिन्दू विधवाएँ जनमत के भय से मुक्त हो, तो वे बिना हिचक के पुनर्विवाह कर लेंगी। यत सभी विधवाओं को जो इस क्वेटा चाली बहन की परिस्थिति में हों, उन्हें पुनर्विवाह के लिये राजी करना चाहिये और उन्हें विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि पुनर्विवाह कर लेने पर उनके विरुद्ध कोई अपमान जनक बात न कही जायगी तथा उनके लिये उचित बर दूँ देना चाहिये। यह किसी संस्था का काम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सुधारकों तथा इन विधवाओं के सम्बन्धियों द्वारा किया जानेवाला कार्य है। उन्हें अपने क्षेत्र में शक्तिशाली प्रचार करना चाहिये और जब वे सफल हों, उसको ज्यादा-से ज्यादा लोगों के निगाह में लाना चाहिये। केवल इसी प्रकार भूकरूप से विधवा हुई लड़कियों को उचित सहायता दी जा सकती है। शोक की स्मृति बनी रहने पर भी लोगों की सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है और एक वार भी विस्तृत रूप से सफल हो जाने पर जो लड़कियाँ स्वाभाविक रूप से विधवा हो जाती हैं, वे भी यदि चाहें तो विवाह कर सकेंगीं।

## आरोपित वैधव्य

आरोपित ने विमली के डायोडोरम की 'युनिवर्सल टिन्ट्री' से वैधव्य पर निम्नलिखित उदाहरण दिया है, जो अतिव्यक्त नीजर के समय से हुआ था।

"भारतीयों से यह प्राचीन नियम था कि जब युवक और युवतिवा विवाह करना चाहते थे तो वे माता-पिता के निर्णय के प्रचुर विचार नहीं करते थे, बल्कि आपस की ही स्वीकृति से। लेकिन जब उस समय वाला मैं विवाह होता था तो बहुत पारंपरिक रीति-रिवाज और अनुचित निराले थे और दोनों ओर से प्रथम समय पर परस्पर करने के बाद बहुत सी स्थितियों का आचरण किए जाता था, जो कि हमें प्रेम करने लगता था। फिर जब वे पाने की बातें और उचित विचार करना चाहती, तब कि विषयों पर हमें बातें करनी थीं। जो लोगों को मारने का एक उच्च पार विषयों के लिए है, कि हमें अस्त की समान पाणागतक वस्तु उद्योग में ही, यही दुर्गमता से सिद्ध जाता था। इन वस्तुओं से बहुत स्वार्थता तथा कि उनका कुछ भीजन या पीने की चीजों से बात देने से ही मृत्यु हो जाती है। किन्तु जब प्रचलन बहुत बढ़ गया और बहुत से लोग मृत के शिवाय ही कुछ पार जब किसी चीज को देख देने से दुर्गमता पर कोई प्रभाव पड़ता, तो उनके बहुत पर नियम बनाया गया कि यदि कोई स्त्री गर्भवती या पक्षे वाली न हो, तो उसे मृत पति के साथ निहित किया जाय। पार



यदि वह इस नियम का उल्लंघन करे तो उसे अनीवन विधवा रखा जाय और अपवित्र होने के कारण सभी यज्ञों तथा संस्कारों से उसका वहिष्कार कर दिया जाय ।

यदि उपर्युक्त वर्णन इन दो भयानक रीतियों का सही चित्रण है, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि हमारे ऊपर सतीत्व रोकने के लिये कानून लादा गया । बाहर से आरोपित की गयी कोई चीज हिन्दू-समाज से ऐसी लडकियों का वैधन्य नहीं हटा सकता, जो यह भी नहीं जानतीं कि विवाह है क्या ? ऐसे सुधार के लिये सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि हिन्दुओं में उदार और शिक्षित जनमत हो और दूसरे, माता पिता को अपनी विधवा बालिकाओं के पुनर्विवाह का औचित्य बताया जाय । निश्चय है कि यह उनके बारे में कहा जा रहा है, जो कम अवस्था की हैं । जब विधवाएँ बड़ी हो जाँय और विवाह न करना चाहें, तो उनको केवल यही कहना चाहिये कि कुमारी कन्याओं की ही तरह वे विवाह करने को स्वतन्त्र हैं ।

जब कैदी अपनी जखीरों को आभूषण समझ कर उसे अपनाये रखना चाहे तो उसे छुड़ाना कठिन है, जैसा कि लडकियाँ और बड़ी स्त्रियाँ तक अपने चाँदी सोने की जखीरों और अँगूठी को आभूषण मान कर करती हैं ।

## बीसवीं सदी की सती

ब्राह्मकोष से एक बहिन लिखती है —

“बम्बई समाचार” के ता० २३ अप्रैल के एक प्रकाशित बीसवीं सदी की लुप्तजा जाति की सती की बात सच हो, तो उस बहिन की पति-भक्ति बन्दनीय है। हम कार्य के सम्बन्ध में अपनी राय नवजीवन द्वारा प्रकट करेंगे, तो विशेष जानकारी टामिल होगी।

मुझे आशा है, यह समाचार सच नहीं है। अगर वह बहन सती है तो किसी रोग से या आरुमिक बटना से मरी है, आत्महत्या करने नहीं। बीसवीं सदी या किसी दूसरी भी गतादि की सती के लक्षण एक ही प्रकार के होने चाहिए। सती बहू है जो पति के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद सत्य-परायण रह कर सेवा करे और मन से, प्रचन से तथा कर्म से निर्विकार रह। पति के पीछे आ साम्या करने से ज्ञान नहीं अज्ञान है। ऐसा करने में बड़ा अज्ञान तो आत्मा के गुरु के विषय में है। आत्मा-मात्र अमर वह सर्वव्यापक है। एक देह के टूटने पर दूसरा देह निर्माण करती है। और यों करते करते अन्त से देहान्त हो जाती है। यह बात सच है अनुभव-मिद है। और आज अनुभव गम्य है। ऐसी दशा में पत्नी के पति के साथ मरने से क्या लाभ ?

और विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का है। अगर विवाह शरीर ही का हो, तो पति के मरने पर मोम के पुतले या फोटो से ही सतीप रखा न कर लिया जाय। अगर विवाह एक विशेष शरीर धारी जीव के साथ

का ही सम्बन्ध है, तो उस शरीर के नष्ट होने पर विवाह का भी अन्त हो जाता है। और आत्महत्या करने से वह शरीर पुनः मिल नहीं सकता। एक के नाश के साथ दूसरे शरीर का नाश करना तां "दोनों दीन से गये पाण्डे" वाली मसल को चरितार्थ करना है।

विवाह शरीर द्वारा आत्मा का होता है और एक आत्मा की भक्ति से अनेक आत्मा की आर्थात् परमेश्वर की भक्ति सिद्ध करने की कला सीखने का भेद विवाह में छिपा हुआ है। इसी कारण अमर मोरा मर चुकी है —

‘मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई’ यानी सती स्त्री ही दृष्टि में विवाह-विकार तृप्त करने का साधन नहीं होता, बल्कि ‘एक की दवा दो’ इत न्याय से पति से लीन होकर सेवा-शक्ति बढ़ाने का साधन है।

इसलिए सच्ची सती अपना सतीत्व सप्त-पदी के समय से ही सिद्ध करती है। वह साध्वी बनती है, तपस्विनी बनती है। पति की, कुटुम्ब की और देश की सेवा करती है। वह घर-घृहस्थी में फँस जाने और भोग भोगाने के बजाय अपना ज्ञान बढ़ाती है। त्याग-शक्ति बढ़ाती है। और पति में लीन होकर जगत-मात्र में लीन होना सीखती है।

ऐसी सती-पति की मृत्यु पर दुःख नहीं करती, पागल नहीं बनती, बल्कि पति के समस्त सद्गुणों को वह अपने में प्रकट करेगी, और उसे अमर बनायेगी। और यह सोचकर कि सम्बन्ध आत्मा से था वह फिर से व्याह करने का विचार तक न करेगी।

पाठक देखेंगे कि मेरी कल्पना की सती विवाह के आरम्भ से ही

निविकार है, इमलिण वह सन्तान उत्पन्न करेगी। विषय भोग न करेगी। ऐसी सती विवाह-बन्धन में बंधे क्यों ? कोई यह सवाल पूछे, तो वह उचित होगा। परन्तु हिन्दू समाज में विवाह के बारे में स्त्री या पुरुष की पसन्द का कोई सवाल ही नहीं होता, और आजकल के उन भले-बुरे सुधारों के युग में कुछ लोग मयम के हेतु से द्याद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके नूल में सुधम मन्दा-मोह है। फिर भी कुछ ऐसे पाये जाते हैं, जो निश्चय करने का निश्चय करके सम्बन्ध जोड़ते हैं। ऐसा एक उदाहरण मुझे अपने अनुभव से इन समय याद आ रहा है। विवाह करते समय भोग की इच्छा थी, परन्तु बाद में समय-वृत्ति के प्रबल होते ही निश्चय जीवन प्रिताने का प्रयत्न करने वाले दरपति के एक से ज्यादा उदाहरण मेरी आंखों के सामने हम वक्त तैर रहे हैं। प्रत पाठक यह न समझें कि मेरी कल्पना की तकावर में स्त्री स्थान ही नहीं है।

परन्तु साधारण विवाह का विचार करें तो सती स्त्री की जिन शक्ति का ऊपर गिना चुका है, उसे प्रजा पालन की शक्ति का प्रदान करना। यानी सती स्त्री गर्भाशय में रह कर सन्तान की उत्पत्ति के कार्य में भाग लेगी और बालक या बालिका का उचित प्रकार से लायन-पालन करने उन्हें सुनिश्चित बनाकर देश की सेवा-धन में वृद्धि करेगी।

जो बातें ऊपर मैं सती स्त्री के विषय में कह चुका है, वे सब पति के लिए भी लागू होती हैं, अगर स्त्री को पति के प्रति बर्ताव सिद्ध करना आवश्यक है। हमने स्त्री के साथ पति को जलते हुए नहीं सुना

इसलिये हम यह मान लेते हैं कि पति के साथ पत्नी के जल मरने की प्रथा चाहे जब शुरू हुई हो, वह अज्ञान-मूलक है, और किसी समय उसमें कभी रहस्य था, ऐसा साबित हो सके, तो भी इन दिनों तो उसमें घोर अज्ञान ही है। इस सम्बन्ध में कोई भी बहन अपने मन में सन्देह न रखे। स्त्री पति की दासी नहीं, उसकी सहचारिणी है, अर्द्धांगिनी है, मित्र है, इसलिए उसके साथ बराबर हक भोगनेवाली है, उसकी सह-धर्मिणी है। इस कारण एक-दूसरे के प्रति और जगत् के प्रति दोनों के प्रति दोनों के कर्तव्य समान ही है।

अतएव अगर उक्त लुहाणा बहन मरी हो, तो उसने व्यर्थ ही आत्म-हत्या की है। वह जरा भी अनुकरणीय नहीं। कोई कहेगा कि उसके मरने की क्षमता की स्तुति तो करें ? मेरा मन वैसा करने से भी इन्कार करता है। क्योंकि दुष्ट कर्म करनेवाले में भी मरने की शक्ति हम देखते हैं। परन्तु उस शक्ति की स्तुति करने का धर्म हम स्वीकार नहीं करते। ऐसी दशा में इस अज्ञान बहन के मरने की स्तुति करके भ्रम में पड़ी हुई बहनो को अनजान में भी भ्रम में डालने का पाप मैं क्यों अपने सिर लूँ ? सतीत्व के मानी हैं—पवित्रता की पराकाष्ठा। यह पवित्रता आत्महत्या करके सिद्ध नहीं की जा सकती। जीकर उसका कठोर पालन किया जाना चाहिए।

## आदशाँ का दुरुपयाग

बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह पर मेरे पान आये हुए एक पत्र में मैं निम्नलिखित अंग उद्धृत करता हूँ —

“२३ वीं सितम्बर के बग इंडिया” में आगरे के (वी) मरोदय के पत्र के उत्तर में कहा है कि बाल-विधवाओं के माता-पिता को चाहिये कि वे उनका पुनर्विवाह कर दें। यह बात उन लोगों के बारे में कैसे सम्भव है, जो कि कन्यादान करते हैं, यानी जो शास्त्रोक्त विधि में अपनी कन्याओं का विवाह करते हैं? निश्चय ही यह उन माता पिताओं के लिए असम्भव है, जिन्होंने अपनी पुत्री पर अपने सम्पूर्ण हक संजीवनी के साथ और धार्मिक रीति में दामाद को माप दिये हैं कि वे उसकी मृत्यु के पश्चात् दृग्गरे व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दें। अगर वे चाहें तो स्वयं पुनर्विवाह कर सकती हैं, लेकिन वह चूंकि अपने माता-पिताओं द्वारा दामाद को दान-स्वरूप दी गयी थी, इसलिए उनका पुनर्विवाह करने का एक सत्सर में किसी को भी प्राप्त नहीं है। अगर हमारी बजा से उस बाल-विधवा को भी अपना पुनर्विवाह करने का कोई हक नहीं है। इसलिए अपने पति से उसकी मृत्यु के समय स्पष्ट आज्ञा पाये बिना अगर वह अपना पुनर्विवाह करती है, तो वह अपने परलोक वामी पति के साथ विश्वासघात करती है, और उसे धोखा देती है। अतएव तर्क की दृष्टि से ऐसी विधवा के लिए पुनर्विवाह करना अशक्य है, चाहे वह बालिका हो या युवती या वृद्ध जिसका कि विवाह “कन्यादान” प्रथा

के अनुसार क्रिया गया है। जो कन्यादान प्रणाली अधिकांश सनातनी हिन्दुओं के यहाँ प्रचलित है। और जिसने अपने पति की मृत्यु के पूर्व उसकी सम्मति प्राप्त न कर ली हो। लेकिन कोई सच्चा सनातनी हिन्दू पति ऐसी इजाजत देने का खयाल तक नहीं सहन कर सकता। वह अपनी पत्नी से सती होने की अगर वह हो सकती है तो—भले ही रजामन्दी दे दे, नहीं तो कम-से-कम वह तो यही पसन्द करेगा कि मेरी स्त्री अपने शेष जीवन को मेरी चिंतना से, अथवा यां कहो कि ईश्वराराधना में बितावे। ऐसा करने में उसकी एकमात्र इच्छा या धार्मिक भाव यही होगा कि हिन्दू-समाज के विवाह और वैधव्य के (जो कि एक दूसरे के पूरक हैं न कि परस्पर में स्वतन्त्र उच्च आदर्शों की रक्षा हो।”

मैं इस प्रकार की दलील को उच्चादर्श का दुरुपयोग मानता हूँ। इसमें शक नहीं कि पत्र लेखक की मनशा अच्छी है, लेकिन स्त्रियों की पवित्रता के बाग़े में उनकी अतिशय चिन्ता ने उन्हें सोलिक न्याय का विस्मरण करा दिया है। छोटे-छोटे वच्चों के विवाह में कन्यादान के क्या मानी हैं? क्या किमी को अपने वच्चों के ऊपर अरितीयार अतिक्रयत प्राप्त है। वह उनका सरक्षक-मात्र है, न कि स्वामी। और जब वह अपनी कन्या की स्वतन्त्रता को रैर के हवाले करन को तय्यार करता है, तब वह उस सरक्षण के स्वत्व को खा देता है। और फिर उस वच्चे को कोई दान कैसे दिया जा सकता है, जो कि उस दान को प्राप्त करने के अर्था अयोग्य है।

जहाँ ग्रहण-शक्ति का अभाव हो, वहाँ दान ही ही कैसे सकता है ?

नि.सन्देह कन्यादान एक रहस्यमय धार्मिक प्रथा है, जो कि आध्यात्मिक महत्त्व रखता है। ऐसे शब्दों का विलकुल शाब्दिक अर्थ में ही प्रयोग करना भाषा और धर्म का दुरुपयोग करना है। अगर उन शब्दों के अर्थ लगाने में उदारता से काम नहीं लिया जाता, तो पुराणों की विचित्रता का भी इसी प्रकार अर्थ किया जा सकता है—जैसे पृथ्वी चपटी धाली के मानन्द है, जिसे कि सहस्र फन वाले शेषनागजी साधे हुए हैं और नारायण क्षीर-सागर में उन्हीं शेषनाग की शय्या पर आनन्द से शयन कर रहे हैं।

जिस माता-पिता ने अपनी नन्हीं बच्ची का प्यार के कारण किसी बूढ़े को या किसी १६-१७ वर्ष के बालक को ब्याह दिया है, कम-से-कम उस माता-पिता का कर्तव्य यह है कि वे अपनी उस बच्ची का विवाह उसके विधवा होने पर करके पाप से मुक्त हों, जैसा कि मैं किसी पिछले अंक में अपनी टिप्पणी में कह चुका हूँ। ऐसी शादियों शुद्ध से ही रह मानी जानी चाहिए।



## विधवाओं का पुनर्विवाह

एक मित्र ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है :—

“आप हमारी विधवाओं के विषय में कुछ प्रभावशाली बात क्यों नहीं कहते हैं ? उनके कष्टर संरक्षक या माता-पिता तर्क की कभी परवाह न करेंगे । विधवाओं को ही कदम बढाने के लिए प्रोत्साहित क्यों न किया जाय ? और फिर हमारे यहाँ बहुत-सी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे, दहेज की प्रथा, विवाह और मृत्यु के पश्चात् दिये जानेवाले भोज इत्यादि ।”

विधवा-विवाह कुछ सीमा तक आवश्यक है । और यह सुधार तभी हो सकता है, जब कि हमारे युवक अपने को पवित्र कर लें । क्या वे पवित्र हैं ? या उनकी शिक्षा को क्यों दोष दें ? हमारे भीतर बचपन से ही गुलामी की भावना भरी जाती है । और जब हम स्वतंत्र होकर सोच नहीं सकते तब स्वतन्त्र होकर कार्य कैसे कर सकेंगे ? हम साथ-ही-साथ जाति, विदेशी शिक्षा तथा विदेशी सरकार के गुलाम हैं । हमारे लिए जो भी सुविधा दी गयी है, वह हमारी जजोर है । हमारे भीतर बहुत से शिक्षित युवक हैं, परन्तु उनमें से कितनों ने आत्म-विश्वास प्राप्त किया है और जाति की कुरीतियों के विरुद्ध लडे हैं ? अपने घरों में कितनों ने विधवाओं की बात सोची है ? कितनों ने अपनी वासना संयमित की है ? कितने ऐसे हैं, जो उन्हें माँ-बहन की तरह मानकर उनकी रक्षा करते हैं ? बेचारी विधवा स्त्री किसके पास जाय ? मैं उसे क्या आराम दे सकता हूँ ? उनमें से कितनी है, जो ‘नव-जीवन’ पढती है ? कितनी

एंगी पढ़नेवाली है, जो उसे पढ़कर थमज कर सकती है ? फिर भी 'नवजीवन' में मैंने विधवाओं के विषय में लिखा है और आशा करता हूँ कि अक्सर मिलते रहने पर लिखता रहूँगा। तबतक मैं ऐसे लोगों से शील करता हूँ, जिनके सरक्षण में कोई बाल विधवा है कि उसका पुनर्विवाह करना अपना कर्तव्य जानें।

सवादवाता ने हमारे समाज पर डुँधला प्रज्ञा डाला है। परगुत्र सम्रचा ढाँचा ही उखड़ा तो, तो कुछ यहाँ बला के टुकटामे से कैसे मतोप हो सकता है ? देहान्त के पश्चात् का भोज असंयतापूर्ण होता है और विवाह के पश्चात् का उसमें कम नहीं होता है। विवाह के पश्चात् द्रव्य गये भोज को हम कम असंयतापूर्ण इसलिए अवश्य मान सकते हैं कि सारे संसार में विवाह का धार्मिक सरक्षण कुछ कमी-वेशी के साथ खर्चीला होता है। परन्तु मरने के बाद भोज की प्राप्ति केवल हिन्दुओं ने अपना रखी है। इसकी ओर इस तरह की दूसरी चीजाँ की ओर ध्यान देना परमावश्यक है। परन्तु पूर्ण सुधार तो तभी होगा, जब हमारी जनता में चेतनापूर्ण जाग्रति हो और उनके विचारों में स्वतन्त्रता हो। जबतक हमारे स्वतन्त्र कार्य विचार और इस तरह टुकटे-टुकटी के सुधार निरर्थक से नहीं होते, घुरे होंगे।

## दलित मनुष्य जाति

मनुष्यों में केवल अस्पृश्य ही ऐसे नहीं हैं, जिन पर अत्याचार होता है। हिन्दू-समाज में अल्पवयस्का विधवा पर भी कुछ कम अत्याचार नहीं होता है। बंगाल से एक सज्जन लिखते हैं—

‘मुसलमानों में विधवा-विवाह की कोई मनाही नहीं है। बल्कि पुरुषों को चार स्त्रियों से सी विवाह करने का हक है। सच पूछो, तो अधिकांश मुसलमानों को अनेक पत्नियाँ होती हैं। इस प्रकार एक भी मुसलमान पुरुष अविवाहित नहीं रह जाता है। तो यह क्या सच नहीं है कि जहाँ विधवा विवाह की कुछ रोक नहीं है, पुरुषों से स्त्रियों की संख्या वहाँ अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में यों कहिये कि जिस समाज में विधवा-विवाह प्रचलित है, उसमें क्या बहुपत्नीत्व का भी अधिकार देना ही चाहिये ? हिन्दुओं में विधवा-विवाह का यदि प्रचार हो जाय, तो नवयुवती विधवाएँ क्या युवकों को लुभाकर उनसे विवाह न कर लेंगी ? और कुमारियों के लिए वह हूँदना क्या कठिन वरन् असम्भव ही नहीं हो जायगा ! तो फिर आज जो पाप विधवाएँ करती हैं, या जिसका दोष उन्हें लगाया जाता है, वे ही पाप क्या वे कुमारियों भी नहीं करेंगी, अगर हमने हिन्दुओं को एकाधिक विवाह करने का अधिकार नहीं दिया ? मैं जानबूझ कर प्रेम की, पुण्यमय गृहस्थी की, पतिव्रत-धर्म की वा ऐसी और बातों की याद दिलाना नहीं चाहता, जिनका विचार विधवा-विवाह का समर्थन करते समय करना होगा।

विधवाओं का विवाह रोकने के उत्साह में पत्र लेखक ने कितना ही

बातों की उपेक्षा कर दी है। मुसलमानों को एकाधिक पत्नी रखने का अधिकार है मनी, परन्तु अधिकांश मुसलमानों को एक ही पत्नी है। मालूम होता है कि, शायद पत्र-लेखक को उसका पता नहीं है कि दुर्भाग्य-वश हिन्दुओं में बहुपत्नीत्व की मान ही नहीं है। ऊँची में ऊँची श्रेणी के हिन्दुओं ने अनेक स्त्रियों से विवाह किया है। बहुत राजाओं ने न मालूम कितने विवाह किये हैं। पत्र-लेखक यह बात भी भूलते हैं कि केवल ऊँची श्रेणी के हिन्दुओं में ही विधवा-विवाह मना है। अपने नीची श्रेणी के बहुसंख्यक लोगों में विधवाएँ आमतौर पर पुनर्विवाह करती हैं और कभी-कभी उससे दुरा परिणाम नहीं हुआ है। यद्यपि उन्हें एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु साधारणतः वे एक समय में एक ही सहचरी से मन्तुष्ट रहते हैं।

इस विचार से कि विधवाएँ सभी युवकों पर कब्जा कर लेगी प्रायः कुमारियों के लिए वर नहीं मिलेंगे, पत्र लेखक से विवेक के अत्यन्त अभाव का पता लगता है। नवयुवती तटस्थियों की परित्रता के विषय में इतनी चिन्ता से लेखक के ही रोगी दिमाग का परिचय मिलता है। पुनर्विवाह करनेवाली थोड़ी विधवाएँ कभी भी बहुत कुमारियों को अविवाहित नहीं छोड़ देंगी। खैर, यदि कभी यह समस्या उपस्थित भी होगी, इसका कारण आज का बाल-विवाह ही होगा। उसकी समुचित दवा तो बाल-विवाह की रोक ही करी जा सकती है।

कम उमर की विधवा के विषय में प्रेम, गृहस्थ-जीवन की परित्रता आदि बातों का नाम न लेना ही अच्छा होगा।

परन्तु पत्र-लेखक ने मेरा मतत्व बिलकुल ही नहीं समझा है। मैंने सभी विधवाओं के विवाह का समर्थन कभी नहीं किया है। सर गगाराम के हँटे हुए अंक, जिनका इस पत्र से साराग टिया गया है, १५ वर्ष से उमर की विधवाओं का है। ये गरीब दुखिया पतिव्रत धर्म को क्या जानें ? प्रेम उनके लिए अज्ञात वस्तु है। सच्ची बात तो यह कहनी होगी कि उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं था। विवाह को अगर सचमुच ही धार्मिक संस्कार बनाना है, इसके द्वारा एक नये जीवन में प्रवेश करना है, तो जिनका विवाह होता है, उन लड़कियों को खूब उन्नति करने देना चाहिये। जीवन-भर के लिए साथी को चुनने में उनका भी कुछ हाथ होना चाहिये और वे जो काम करने जा रही हैं, उसका फलाफल ही उन्हें समझना चाहिये। ईश्वर के दरवार में और मनुष्य के सामने हम पाप करते हैं, अगर हम बच्चों के सयोग को विवाह का नामधारी पति के सर जाने पर उस बालिका के लिए आजीवन वैधव्य का दण्ड देते हैं।

मेरा विश्वास है कि सच्ची हिन्दू-विधवा एक रत्न है। मनुष्य जाति को हिन्दू-धर्म की वह एक भेंट है। रामावाई रानडे ऐसी ही भेंट थी। परन्तु बाल विधवाओं का अस्तित्व हिन्दू-धर्म के ऊपर एक कलंक है, जिसके लिए एक रसावाई कुछ प्रायश्चित्त स्वरूप नहीं हो सकती।

## बाल-पत्नियों और बाल-विधवाएँ

मद्रास के पत्रिआपा कालेज में भाषण देने हुए गांधीजी ने कहा—  
 ए. विद्वान तामिल ने मुझे लिखा है कि मैं विद्याधिया से बाल-विध-  
 वाओं के विषय में कुछ कहूँ। उसका मत है कि तमारी प्रेन्सीडेन्सी  
 में दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बाल-विधवाओं की कहीं बुरी दशा है। मैं  
 इस बात की सच्चाई अभी तक नहीं जान सका हूँ। इस विषय में  
 तुम्हें मुझ से ज्यादा मालूम होगा। लेकिन नौजवानों में कुछ बराबरी  
 चाहता हूँ। यदि तुम्हारे भीतर बराबरी आ जाय, तो मैं तुम्हें बहुत  
 से काम बताऊँ। मेरा अनुमान है कि तुम में से बहुत से लोग  
 अधिवाहित और काफी लोग ब्रह्मचारी भी हैं। मैं काफी शब्द का  
 इसलिये प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विद्याधिया को जानता हूँ। जो  
 विद्यार्थी लड़कियों को वाग्दत्ता नहीं दृष्टि से देखता है, वह ब्रह्मचारी  
 नहीं है। मैं चाहता हूँ, तुम लोग प्रतिज्ञा करो कि किसी एसी लड़की  
 से विवाह न करोगे, जो विधवा न हो। तुम विधवा लड़कियों को देखो  
 और यदि न मिलें, तो विवाह ही न करो। ऐसा निश्चय करके नगर  
 को बताओ, अपने मो-नाप को ( यदि वे हों ) बताओ, या अपनी बतनों  
 को बताओ। मैं सुधार के लिये उनके बाल विधवा बनता हूँ, क्योंकि मेरा  
 विश्वास है कि जो लड़की १०-१५ साल की अवस्था में अपनी सम्पत्ति  
 दिये बिना ब्याही जाय और जो कभी अपने पति के साथ न रही हो, उस  
 अकारण विधवा घोषित कर दी जाय, वह विधवा नहीं। वह उस शब्द

का, भाषा का अपमान और अपवित्र करना है। हिन्दुत्व में विधवा के साथ पवित्रता की सुगन्ध होती है। मैं स्व० रमाबाई रानाडे जैसी विधवाओं की उपासना करता हूँ, जो जानती हैं कि विधवा होना क्या है। परन्तु ६ वर्ष की बच्ची को क्या मालूम कि पति क्या होता है। यदि इस प्रेसीडेन्सी में ऐसी बाल-विधवाएँ नहीं हैं तो मैं हार मानता हूँ, लेकिन अगर है, तो तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य है कि इस पाप से मुक्त होने के लिए उनसे विवह करने का निश्चय करो। मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार के जो पाप कोई जाति करती है, पार्थिव रूप से उस पर प्रभाव डालते हैं। मेरा विचार है कि इस प्रकार के सभी पापों ने हमें गुलामी में बाँध रखा है। यदि तुम्हें 'हाउस ऑफ कामन्स' में उत्तम से-उत्तम मिले तो भी यहाँ तब तक ब्रेकार होगा, जब तक कि इसे चलाने के लिए उपयुक्त पुरुष और स्त्रियों न होंगी। क्या तुम यह सोचते हो कि जब तक हमारे भीतर एक भी ऐसी विधवा है, जो अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना चाहती है, परन्तु जबरदस्ती रोक दी जाती है, तब तक हम अपने को ऐसा मनुष्य कह सकते हैं, जो अपने ऊपर या दूसरों पर राज्य कर सकता है, या जो ३० करोड़ वाले राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर सकता है। यह धर्म नहीं, अधर्म है। मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि हिन्दुत्व का सार मुझमें है। ऐसा मत समझो कि मेरे भीतर पश्चिमी विचारधारा काम उर रही है। मैं अपने को पवित्र भारतवर्ष की आत्मा से लवरेज होने का दावा करता हूँ। मैंने पश्चिम से बहुत सी चीजें सीखी हैं, परन्तु इसे नहीं। इस प्रकार के वैधव्य का हिन्दू धर्म में कोई समर्थन नहीं।

मैंने बाल विधवाओं के विषय में जो कुछ कहा है, वह निश्चित रूप से बाल-पत्नियों के विषय में भी लागू है। तुम्हें अपने ऊपर इतना अधिकार होना चाहिए कि १६ वर्ष में कम की लटकी में विवाह न करो। यदि सम्भव होना, तो मैं निचली सीमा २० वर्ष रखता। लटकियों के तीव्र विकास का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, भान्तवर्ष की जगजायु पर नहीं। मैं ऐसी लटकियों को जानता हूँ, जो २० वर्ष की हैं, फिर भी पवित्र हैं और अपने आस-पास के पूरे वातावरण में मुक्त हैं। हमें इस तीव्र गति को न अपनाना चाहिए। कुछ प्राण्य विद्यार्थियों से कहता हूँ, यदि तुम्हारे लिए आत्म-संयम संभव नहीं तो अपने को ब्राह्मण मत ममको। ऐसी १६ साल की लटकी चुनो जो बाल-विधवा हो गयी हो। यदि ब्राह्मणी विधवा न मिले तो जो भी लटकी तुम्हें पसन्द हो, चुन लो। मैं बताता हूँ, हिन्दुओं का भगवान् उम लटके को, जो १० साल की लटकी बर्बाद करने की प्रेरणा अपनी जानि से बाहर विवह करता है, समा करेगा। पर तुम अपनी वाग्दना पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो तुम्हें शिक्षित नहीं करा जा सकता। हमने अपनी सस्था को प्रमुख संस्था बना है। मैं जानता हूँ चर्च में अनेकी विद्यार्थियों को पैदा करके तुम इस नाम को मार्धक करो। विना चर्च में शिक्षा और विना प्रारम्भिक पवित्रता के चर्च व्यर्थ है। मैं प्रत्यक्ष ही पता करता हूँ, मैंने वर्णाश्रम-धर्म का समर्थन किया है। किन्तु ऐसे प्रत्यक्ष से जो अष्टमी कुमारी विधवाओं व पुमारियों को मान जानि की शिक्षा सहन कर सकता है, मेरा इस घुटा है। प्रत्यक्ष इसमें कटोर है। मैं



चाहता हूँ कि मेरे ये विचार तुम्हारे मन में बैठ जायँ। मैं बोलने के साथ-साथ लडकों को देखता जा रहा हूँ और यदि कोई भी लडका मेरे हृदय के उद्गार प्रगट करते समय किसी भी तरह का शब्द करता है, तो मुझे कष्ट होता है। मैं यहाँ तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि हृदय को। तुम देश की आशा हो और जो मैंने कहा है, वह तुम्हारे लिए विशेष महत्व रखता है।

## रोष-भरा विरोध

एक बंगाली स्कूल के हेडमास्टर लिखते हैं :—

“आपने मद्रास के विद्यार्थियों को विधवा लडकियों में ही शादी करने की सलाह देने हुए जो भाषण दिया है, उससे हम भयभीत हो रहे हैं। और मैं उससे अपना नाम परन्तु रोष-भरा विरोध जाहिर करता हूँ।

विधवाओं के जिस आजन्म ब्रह्मचर्य के पालन के कारण भारत की स्त्रियों को संसार में सबसे बड़ा और ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है, उसके पालन करने की वृत्ति को ऐसी सलाहें नष्ट कर देंगी और भौतिक सुखों के दुष्ट मार्ग पर उन्हें ढटा कर एक ही जन्म में ब्रह्मचर्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की उनकी सुविधा को मिटा देगी। इस प्रकार विधवाओं के प्रति ऐसी तीव्र सहानुभूति दिखाना उनकी असेवा होगी और कुमारियों

के प्रति जिनके विचार का प्रश्न आज बड़ा पेचीला और मुश्किल हो गया है, बड़ा अन्याय होगा, विचार सम्बन्धी आपके इन विचारों में हिन्दुओं के पुनर्जन्म और मुक्ति के विचारों की इमारत गिर जायगी और हिन्दू समाज भी दूसरे समाजों के वैसा ही, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते, बन जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है। परन्तु हमें हिन्दू आदर्श के प्रति हमारी दृष्टि खुली रखनी चाहिये और उसे उस आदर्श के अनुकूल मार्ग दिखाना चाहिए। हिन्दू-समाज को अद्विष्टावादी, रानी भवानी, बटुला, सीता, मावित्री दमयन्ती के उदाहरणों से शिक्षा मिलनी चाहिए और हमें भी उनकी के आदर्श के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि शाप-न विषयों के प्रश्नों पर अपनी ऐसी राय जाहिर करने से रुक जायें और समाज को जो बात उचित समझें वहीं करने दें।'

इस रोप-भर विरोध से मेरे नविचार बदले हैं और मैं मुझे कोई पश्चात्ताप ही हुआ है। कोई भी विधवा, जिसमें अच्छा बल है और जो ब्रह्मचर्य को समझकर उसका पालन करने पर तुली हुई है, मेरी इस सलाह से अपना इरादा छोड़ न देंगी। परन्तु यदि मेरी सलाह पर पसन्द किया जायगा, तो उसमें उन छोटी-छोटी लड़कियों को जरूर सात मिलेगी जो शादी के समय, शादी जिसे कहते हैं, यह भी सम्भव नहीं। उनके सम्बन्ध में विधवा शब्द का उपयोग इस पवित्र नाम का अपयोग है। मुझे पत्र लिखनेवाले उन महाशय के मन में जो शक है उम्मीद खयाल से तो मैं देश के युवकों को या तो उन नाम वाले विधवाया

## ‘विवाह को हटा दो’

एक सवाददाता ने जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक प्रश्न उठाया है और वह केवल तर्क के लिये है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे विचार उनके निजी हैं। “क्या हमारी आज की नैतिकता अस्वाभाविक नहीं?” यदि यह स्वाभाविक है तो हर युगमें हर जगह एकसी होती है। परन्तु जाति और समाज के व्याह के अपने-अपने अलग नियम रहे हैं, और पुरुषों ने उनके लिए अपने को पशुओं से भी गिरा दिया है, क्योंकि जो रोग पशुओं में अकसर नहीं होते, वे मनुष्यों में होते हैं। बाल मृत्यु, गर्भपात, बाल-विवाह जो पशु-जगत् में असम्भव है, ऐसे समाज के अभिशाभ हैं, जो विवाह को धार्मिक संस्कार मानता है और जिसको हम नैतिकता के नियम समझते हैं, उनसे कोई बुरे परिणाम नहीं होते।

हिन्दू-विधवाओं की भयानक दशा—इसका कारण आज के विवाह के नियमों के अतिरिक्त और क्या है? हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन क्यों करें और पशु सृष्टि का एक पृष्ठ क्यों न स्वीकार करें?

मुझे ज्ञात नहीं है कि स्वच्छन्द प्रेम के समर्थक पश्चिमी लोग उपर्युक्त तर्क को मानते हैं या इससे भी दृढ़ तर्क देते हैं। परन्तु इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि विवाह की प्रथा को जंगली समझना यहाँ पश्चिम की ही देन है यह तर्क पश्चिम से लिया गया है तो इसके खण्डन में कोई कठिनाई नहीं।

मनुष्य और पशु की समता करता भूल है। यही समता तर्क को

उटा देती है। नैतिक और भावनाओं के विषय में मनुष्य पशु से ऊँचा है। दोनों के लिए दो भिन्न प्रकृति के नियम हैं। मनुष्य में तर्क श्रद्धे-युग की पहचान और स्वतन्त्र वृद्धि होती है, परन्तु पशु में ऐसा कुछ नहीं। यह स्वतन्त्र गति नहीं रखता और न भले-बुरे की पहचान ही कर सकता है। परन्तु पुरुष स्वतन्त्र गति रखने में अपना भेद जानता है और अपने ऊँचे स्वभाव का पालन करते समय पशु से ऊँचा दिखाई देता है और नीचे स्वभावों के पालन करते समय पशु से नीची बात भी कर सकता है। जो जानिया मिलहुल प्रसभ्य मानो जाती है, वे भी लैङ्गिक सम्बन्ध में कुछ नियम मानती हैं। यदि यह माना जाय कि प्रच्छिन्न ही जगली है, तो हर वृद्धि से मुक्त होना ही आदर्श का कानून होना चाहिये। यदि सभी लोग इस अनियंत्रित नियम का पालन करें, तो २४ घण्टे पूर्ण अशान्ति मच जायगी। स्वभावतः पशुओं में अधिक वामना-युक्त होने के कारण इस अनियंत्रण में, व रोज-धाम की वामना की चिनगारी मारी पृथ्वी पर फैल जायगी और समस्त मानव-समाज को नष्ट कर देगी। मनुष्य वहीं तक पशु से ऊँचा है जहाँ तक योग और नियंत्रण कर सकता है, जिसमें पशु अग्रगण्य है।

बहुत से रोग जो आजकल फैले हुए हैं, ऐसे हैं जिनका विवाह की प्रथा से आ गयी बुराई है। मैं एक भी विवाहित पुरुष का नाम जानना चाहता हूँ जो विवाह के सभी नियमों और बन्धनों का पालन करने पर भी ऐसे रोगों का शिकार हुआ हो, जो सवाइसता के दिमाग में हैं। जल-

मृत्यु बालविवाह और इस प्रकार के रोग विवाह के नियमों के तोड़ने से भी होते हैं। क्योंकि कानून कहता है कि स्त्री या पुरुष पूर्ण विकसित हो जाने पर स्वस्थ और नियंत्रण में समर्थ तथा संतति उत्पन्न करने की इच्छा होने पर ही साथ बंधे। जो इस नियम का पालन करते हैं तथा विवाह को संस्कार समझते हैं, कभी दुःखी और विपन्न नहीं होते। जहाँ विवाह संस्कार है, वहाँ किसी की मृत्यु से भी यह सम्बन्ध नहीं टूटता यह सम्बन्ध शारीरिक नहीं, आत्मा का होता है और जब आत्माओं का सम्बन्ध हो तो स्त्री या पुरुष के मरने पर भी दूसरा विवाह अनुचित, अनिवार्य और असत्य है। जहाँ विवाह के नियमों का पालन न किया जायगा, वहाँ विवाह की संज्ञा ही असत्य है। आज सच्चे व्याह बहुत कम होते हैं, परन्तु उसकी जिम्मेदारी विवाह-संस्कार पर नहीं, बल्कि इसकी प्रथा पर है और उसी का सुधार होना चाहिए।

संवाददाता ने समझा है कि विवाह कोई नैतिक या धार्मिक बन्धन नहीं, बल्कि एक रिवाज है, सो भी धर्म और नीति के विरुद्ध। अतः इसे खत्म कर देना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि विवाह वह घेरा है जिससे धर्म की रक्षा होती है। यदि यह घेरा न हो तो धर्म के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। धर्म नींव-नियंत्रण है और विवाह नियंत्रण के अनिश्चित है और क्या। जो मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता, वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। यह मैं मानता हूँ कि किसी अनीश्वरवादी या भौतिकवादी को नियंत्रण की आवश्यकता सिद्ध करना असंभव है। परन्तु जो जानता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा

श्रमर, वह जानता है कि आत्म नियंत्रण और मगडन के बिना आत्म-ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर या तो वाग्मना का क्रीडा-स्थल होगा या आत्मज्ञान का मन्दिर। यदि यह आत्मज्ञान का मन्दिर है, तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता और अशिष्टता को स्थान नहीं। आत्मा शरीर पर सदा स्वयं रम्यगी।

जब नियंत्रण नहीं रखा जायगा और विवाह-प्रबन्ध टोला होगा, तो स्त्रियाँ धृष्टता की पात्री होंगी। यदि पुनः उन्नी प्रकार अनियंत्रित रहे तैस्ये पशु, वे नष्ट ही हो जायेंगे। मंग प्रियाम है जितने रोग मयादवाजा ने बतारें है, वे सब विवाह की प्रथा कर देने से नहीं, परन्तु उनके नियमों को समझाने और पालन करने से ही दूर होंगे।

मे मानता है कि कुछ जातियों में अपने निम्न सम्प्रदायों के पदा शार्दी व्याप्त होता है और दूसरी जातियाँ से इसका निषेध है। कुछ जातियों में बहुविवाह की आज्ञा है और कुछ से नहीं, जहाँ चाहे हुए कि सभी जातियों में समान नियम हाने, है उस विभिन्नता का यह अर्थ नहीं होता कि सभी प्रकार के नियंत्रण नष्ट कर टिपे जाये।

तैस्ये तैस्ये हम अनुभवशील होते जायेंगे, हमारे भीतर नान्य प्राता जायगा। आज भी नैतिक नमान एवं पनीत्र ही का समर्थन है और कोई भी धर्म बहु-विवाह को अनियमित नहीं मानता। नसय और स्थान के अनुकूल नियंत्रण में कुछ परिवर्तन कर देने पर भी आदर्श तैस्ये ही रहता है।

## एक विचार-दोष

एक भाई लिखते हैं :—

आपने अपने एक लेख में एक जगह कहा है—“विवाह धर्म-सम्बन्ध है, इसलिए वह अकेले शरीर का ही सम्बन्ध नहीं, बल्कि आत्माओं का ऐक्य भी है, या होना चाहिए। ऐसा सम्बन्ध साथी की मौत के बाद भी कायम रहता है। जहाँ आत्माओं का सच्चा मेल हो चुका हो, वहाँ विधवा विधुर के पुनर्विवाह की गुंजाइश ही नहीं रह सकती यही नहीं, बल्कि उनका पुनर्विवाह करना अनुचित और अनीति-पूर्ण भी होगा। मगर उसी लेख में आप दूसरी जगह कहते हैं—‘मैं बाल-विधवा के पुनर्विवाह को इष्ट मानता हूँ। यही नहीं, बल्कि ऐसी विधवा कन्याओं का पुनर्विवाह करना माता-पिता का परमधर्म है।’ आप इन दो भिन्न बातों की एक वाक्यता कैसे सिद्ध करते हैं ?”

मुझे इन दो विचारों में कोई विरोध नहीं देख पड़ता। अगर कोई निर्दय माता-पिता किसी नन्हीं-सी बालिका को स्वार्थ या अज्ञान के कारण, उसके हिताहित का विचार न करके उसकी इच्छा और सम्मति के बिना ही किसी को सौंप दें, तो इस तरह का सम्बन्ध विवाह-सम्बन्ध हो नहीं सकता। यह सम्बन्ध तो आध्यात्मिक किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। अतएव ऐसी बालिका का पुनर्विवाह कर्तव्य बन जाता है। सच पूछा जाय, तो ऐसे विवाह को पुनर्विवाह कहना ही अनुचित है, क्योंकि ऐसी कन्या का विवाह होता ही नहीं। अतएव ऐसी बालिका

के नामधारी पति की मृत्युके बाद उसके लिए कोई योग्य पति ढूँढ देना  
माता-पिता का सहज धर्म है ।

## एक युवती विधवा

जब हम लोग बेजवादा से पलोर जा रहे थे तो मुझे पता चला कि एक लड़की अभी-अभी विधवा हुई थी । वह मुझे अपने १४०० रुपये के जेवरात देना चाहती थी और उसकी इच्छा थी कि मैं उसके गांव जाऊँ, जो पदापट्ट से जहाँ हमें जाना था, दो मील से कम ही था । उसकी जाति वाले पर्दा रखते थे और वह किसी भी प्रकार किसी सभा में नहीं जा सकती थी । मुझे जेवरों का आकर्षण नहीं था और सच पूछा जाय, तो मुझे विश्वास नहीं था कि कोई विधवा लड़की सम्भवतः अपने सभी बहु मूल्य आभूषण मुझे देना चाहेगी । लेकिन उसका युवती होना तथा तुरन्त ही विधवा हो जाना (मुझसे कहा गया कि वह कुमारी विधवा थी) मुझे उसके घर ले जाने के लिए परास था । और वहाँ जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । लड़की का नाम सत्यवती देवी है और वह २० वर्ष से कम अवस्था की है । उसका पति एक सुन्दर शिक्षित राष्ट्रीयतावादी था । लड़की स्वयं तेलगु अच्छी तरह जानती है । मैंने उसे साहस-शील और दृढ़ निश्चय की लड़की पाया । उसके मा-प्राप जीवित हैं । उस लड़की ने सभी जेवरात (जहाँ



तक मुझे मालूम है, ) मेरे हाथ में रख दिये और मुझे उनका मूल्य १४०० ठीक ही लगा। उसने मुझे एक नोट दिया, जिसका अर्थ थ कि मैं उसे आश्रम तक ले जाऊँ। उस समय उसके माँ-बाप भी उपस्थित थे। और उन्होंने खादी के लिये सत्यवती के गहनों के समर्पण का समर्थन किया। मैंने उनसे कहा कि उस लड़की को घर ही के घेरे में न बन्द रखें और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें, जैसे घर की अन्य लड़कियों के साथ। मैंने सत्यवती देवी को बताया कि केवल विधवा हो जाने से जेवरो के समर्पण करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु वह अपने निर्णय पर दृढ़ थी। उसके लिए ये निरर्थक थे। मैंने यह भी कहा कि यदि माँ-बाप राजी हों, तो खुशी के साथ मैं उसे आश्रम ले चलूँगा। उन्होंने वादा किया है कि वे इस पर ध्यान देंगे और लड़की को हर प्रकार की आशा दिलाई है कि उसे मेरे साथ आश्रम भेज देंगे। उसका पिता, जो संतर्क और चुप था, अपनी लड़की की ओर बड़ा उदार मालूम हुआ। अधिक सान्त्वना न दे सकने के लिए मुझे बड़ा दुःख रहा और अलग होते समय मेरा मन बड़ा भारी था।

इसलिए पदापटु में मेरा व्याख्यान सत्यवती देवी पर ही हुआ। मैंने लोगों को बताया कि पदों को समाप्त कर देना चाहिए और यदि कोई विधवा विवाह करना चाहे, तो माँ-बाप भी सहायता देना अपना कर्तव्य समझें। जब १८ वर्ष का लड़का पत्नी के देहान्त हो जाने पर विवाह कर सकता है, तो किसी भी ऐसी अवस्था की विधवा को क्यों अधिकार न दिया जाय ? किसी भी जाति के लिए स्वेच्छाकृत वैधव्य गौरव है और

आरोपित वैधव्य मान-हानि । लोगों ने मेरी बात बड़े गान और आदर से सुनी । लडकी का पिता मभा में था और उसमें मुझे यह पता चला कि जेवरात देने की लडकी कि अपनी इच्छा थी और उसका पुनर्विवाह का बिलकुल विचार न था । मुझे यह भी बताया कि राष्ट्र के विचार से उसकी अध्ययन करने की इच्छा थी । यदि यह सचमुच उम्मीद दृढ़ निश्चय है तो सत्यवती के लिए बड़े गौरव की वस्तु है । हिन्दू-समाज को चाहिए कि यदि ऐसी विधवाएँ विवाह करना चाहें तो उनके लिए मार्ग खुला होना चाहिये । सत्यवती की कहानी मैकड़ों हिन्दू घरों में प्रति दिन होती है । जबतक विधवाएँ हिन्दू-समाज में अज्ञान ग्रन्थन में रानी जायेंगी, और उनकी पुनर्विवाह करने की इच्छा सामाजिक प्रथा की रूढ़ि से दबी रहेंगी, तब विधवा का धाप हिन्दू समाज पर लगेगा ।

----

## स्त्रियों को मुक्त कर दो

डाक्टर एस मुथुलक्ष्मी ने जो मद्रास के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे एक लम्बा खत लिखा है, जिसका आधार मेरा आन्ध्र का एक व्याख्यान है। उस खत का कुछ हिस्सा मैं नीचे दे रहा हूँ :—

“आपने अपनी बेजवाह्मी से गुरनार की यात्रा में, जनता को दैनिक आदतों में स्वस्थ परिवर्तनों तथा सुधारों की जो परम आवश्यकता अनुभव की है, वह मुझे बहुत अच्छी लगी।”

“मैं परम विनम्रता-पूर्वक स्वीकार करती हूँ कि स्त्रियों में डाक्टर की हैसियत से मेरा आपसे पूर्ण साम्य है। किन्तु क्या आप कृपया मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे कि यदि शिक्षा से सामाजिक सुधार, सुन्दर स्वास्थ्य और सफाई आयेगी तो स्त्रियों की शिक्षा से ही ?”

“क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आजकल के समाज में बहुत कम स्त्रियों को शिक्षा-पूर्ण शारीरिक और दिमागी विकास तथा आत्मव्यंजन का अवसर मिलता है।”

“क्या आप नहीं मानते कि उनका सारा व्यक्तित्व विश्वासों और प्रथाओं के भार से बुरी तरह कुचला जा रहा है ?”

“क्या बाल-विवाह शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकासजड को नष्ट नहीं करता ?”

‘क्या बाल-स्त्रियों की दुःख-पूर्ण कहानी और हमारी विधवाओं और

परिव्यक्ता पत्नियों का असीम दुःख हमें शीघ्र कदम उठाने को बाध्य नहीं करते ?”

“क्या हिन्दू-समाज के लिए ऐसे नियमों का पालन करना या उनकी ओर से उदासीन रहना जो धर्म के नाम पर निष्कटुप लडकियों को तिरस्कृत करें, और उन्हें आजीवन बुराइयों और अपमान में डोबे रहें ही न्यायसंगत है ?”

“क्या आप नहीं मानते कि सामाजिक अत्याचार के कारण भारत की स्त्रियों ( कुल्लू को छोड़ कर ) का माहस, शक्ति और स्वतन्त्र विचार सब मिट गये हैं, और इन्होंने प्राचीन काल में मैत्रेयी, गार्गी तथा मावित्री को स्वयं कदम बढ़ाने को प्रेरित किया था और आज भी हमारी बहुत सी स्त्रियों को, जो ब्रह्म-समाज आर्य-समाज, ध्योसोफी-जैसे स्वतन्त्र विचारवाले सगठन से सम्बन्धित हैं, प्रेरणा देता है और यही हिन्दू-समाज का निरर्थक रीति-या, प्रथाओं तथा संस्कारों का परिरक्षित रूप है ?”

“क्या काँग्रेसी लोगों में इन सामाजिक बुराइयों को शीघ्र एटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये जो सारी राष्ट्र की कमजोरी और मानहानि का कारण हैं या कम से-कम आज जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, जिससे वे अपनी स्त्रियों को बन्धनों में मुक्त करें, जो उन पर डाले गये हैं ताकि उनका पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक तथा आत्मिक विकास हो ? इस प्रकार वे समाज के सामने साहस और बुद्धि का नमूना रखेंगी और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि

स्त्रियों और माताओं के रूप में वे भारत के भावी प्रबन्धकों के संगठन, मार्ग-प्रदर्शन और निर्माण का पवित्र कर्तव्य पूर्ण करेंगी।

“यदि कांग्रेसी लोगों का विश्वास है कि स्वतन्त्रता हर राष्ट्र और व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार है और यदि वे किसी भी दशा में उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें सबसे पहले अपनी स्त्रियों को बुरी रीतियों और विश्वासों से स्वतन्त्र नहीं करना चाहिये जिनके कारण उनका स्वास्थ्य-विकास मारा जाता है ? और यह तो उन्हीं ( कांग्रेसी लोगों के ही ) हाथों में है।”

हमारे कवियों सन्तो और ऋषियों सभी ने यही कहा है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है जो देश या राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह कभी बड़ा नहीं हुआ और न भविष्य में ही हो सकता है। तुम्हारे राष्ट्र के पतन का मुख्य कारण यही है कि इन शक्ति की सजीव मूर्तियों का तुम आदर नहीं करते थे। यदि स्त्रियों का उत्थान (जो देवी माताओं की अवतार हैं) तो मत समझो कि तुम्हारी उन्नति का कोई और मार्ग हो सकता है।

“श्वर्गीय सर्वमान्य भारती ने भी, जो तामिल के महाकवि थे, यही कहा है।”

“अतः क्या आप अपनी यात्रा में लोगों को स्वतन्त्रता का सीधा और निश्चित मार्ग अनुसरण करने की सलाह देंगे ?”

डा० मुथुलक्ष्मी की कांग्रेस के लोगों से इस कार्य के भार-वहन की आशा बिलकुल ठीक है। बहुत से कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत रूप से और

संगठित रूप में भी हम दिशा में विशेष प्रयत्नशील हैं। हम बुगई की जटिल मैत्री विप्लव पट्टी है, उसमें ऋती गहरी है। केवल स्त्री-शिक्षा ही हमारे लिए दोष नहीं, हमारा शिक्षा-क्रम भी दूषित है। और निर्मात्रा विशेष को तिरस्कृत करने में काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वीकृत सामाजिक कुरीति पर चलनेवाली शक्ति को ही टटाना पड़ेगा। अन्त में तिरस्कार तो शहर में रहनेवाले मजसूरों के लोगों का यानी गांधी के १५ फीसदी का ही करना है। देश में रहनेवाले लोगों में बात-विवाद नहीं होता और न उनके विधवा-विवाह का ही निषेध है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें और दृश्य बुगईयाँ, जो उनके पितामहों की प्राधा पहुँचाती हैं।

शिक्षा का समूचा टाँचा ही दुरुस्त करना पड़ेगा और उसे जनता के उपयुक्त बनाना पड़ेगा। जो भी शिक्षा प्रोग्राम के लिए प्रयत्न की तरफ नहीं देंगे वह नहीं चल सकती। उसके प्रतिरिक्त प्रति ग्राम्य भाषाओं को उचित स्थान न दिया जाय तो ऐसी शिक्षा भी उस प्रश्न को सुलझा नहीं सकती। और यह काम तो आज की पटी लियी जाय ही कर सकती है। इसलिए किन्हीं भी प्रिन्सिपल सुधार के प्रानों के पहले शिक्षित-वर्ग के विचार बदलने होंगे। और मैं डा० सुशुभराम ने का भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए भारतवर्ष की कुछ शिक्षित गियों को परिश्रम की ऊँचाई से उतर कर भारत के मैदानों में गाना पड़ेगा। स्त्रियों की श्रवहेलना या उनके दुरप्रयोग की जिम्मेदारी पुरुषों पर ही है, और उन्हें हमसे लिए उचित तपस्या करनी होगी। परन्तु जिन गियों ने

अन्धविश्वास कर गये हैं और जो बुराई की जननी हैं, उन्हें सुधार में क्रियात्मक कार्य करना पड़ेगा। स्त्रियों की स्वतन्त्रता, भारत की स्वतन्त्रता अछूत का रोग मिटाना, आम जनता की आर्थिक दशा का सुधार इत्यादि कार्यों के लिए लोगों को शहरों में जाकर देहाती जिन्दगी में ही सुधार करना पड़ेगा।

## हमारी पतित बहनें

सबसे पहले आन्ध्र प्रान्त के कोकोनाडा शहर में मुझे वे स्त्रियाँ देखने को मिलीं, जो अपनी रोटी के लिए अपनी इज्जत बेचती हैं। मुझे उनमें केवल आधे दर्जन के साथ कुछ मिनट की मुलाकात हुई। दूसरी बार मैंने उन्हें बरीसाल में देखा। एक सैकड़ से अधिक संख्या में वे मुझसे मिलीं। उन्होंने मुलाकात के लिए एक खत पहले से ही लिखा था और उस पत्र में यह भी कहा था कि कांग्रेस की सदस्य हो गयी है और तिलक-स्वराज-फण्ड में चन्दा भी दे चुकी हैं, परन्तु उनकी समझ में मेरी यह बात न आयी थी कि वे विभिन्न कांग्रेस-कमेटियों में पद न ग्रहण करें। उन्होंने शुरू में पूछा था कि भविष्य में क्या करें। जो सज्जन पत्र लाये थे, मुझे देने में बहुत हिचके, क्योंकि वे यह न जानते थे कि मैं इससे प्रसन्न हूँगा या अप्रसन्न। मैंने विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार इन बहनों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है।

मैंने जो दो घण्टे इन बहनों के साथ बिताये, चिरस्मरणीय है।

उन्होंने बताया कि लगभग २०००० पुरुषों स्त्रियों और बच्चों के बीच में उनकी संख्या ३:० से अधिक है। वे बरीसाल के अपमान हैं और जितनी जल्दी बरीसाल इससे छुटकारा पाये, उतना ही अच्छा है। मुझे भय है कि जो बरीसाल के विषय में सत्य है, वह और भी शहरों के विषय में सत्य है। इस लिए मैं बरीसाल को केवल एक मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ। इन बहनों की सेवा का गौरव कुछ बरीसाल के नवयुवकों को है। मुझे आशा है कि इस बुराई को मिटाने का श्रेय भी बरीसाल को होगा।

जितना भी बुराइयों के लिए मनुष्य उत्तरदायी है, उनमें से कोई भी इतनी अपमान-जनक, दुःखद और पाशाविक और नहीं, जितनी इस पाषाण मानव जाति, जो मेरे विचार में दुर्बल नहीं है, की मानवता है। स्त्री शत्रु भी पुरुषों से उत्तम है, क्योंकि वह आज भी शान्तिपूर्वक सहन करना विनम्रता और त्याग की अवतार है। स्त्री की बुद्धि भी पुरुषों की अपेक्षा जो अपनी उत्तम जानकारी की डींग मारा करते हैं, अच्छी होती है। राम के पहले सीता का, और कृष्ण के पहले राधा का नाम रखने का यही तात्पर्य है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उस बुराई ने हमारे विकास में कोई योग दिया है, क्योंकि वह चारों ओर घूमती हुई है और सभी योरोप में कहीं-कहीं संगठित रूप से प्रचार की जाती है। हमें इस आधार पर भी भारतमें यह बुराई रती है, इसे नहीं प्रपनाना चाहिए जिस समय हम अच्छाई और बुराई को अलग न कर सकें और अतीव बिना ठीक से जाने उस पर चलें, क्योंकि ऐसा चला गया है, उम्



समय हमें खत्म हो जाना चाहिए। हमारे भीतर जो भी सुन्दरतम रहा है, हम उसपर गर्व करने वाले उत्तराधिकारी हैं। और अपने पूर्वजों की गलतियाँ दुहराकर अपने को अपमानित न करना चाहिए। क्या आत्म-सम्मान करनेवाले भारतवर्ष से हर स्त्री के गुणों का हर मनुष्य से वैसा ही सम्बन्ध नहीं जैसा अपनी बहिन के गुणों का १ स्वराज का अर्थ है भारत-वर्ष के हर निर्वासी को अपने भाई या बहन की तरह मानना।

अतः इन बहनों के सामने मनुष्य होने के नाते सिर लज्जा से झुक गया। कुछ अधिक अवस्था की थी, अधिकतर २० से ३० वर्ष की थी, और २ या तीन १२ साल से भी कम थी। उन सबों के बीच ६ लड़कियाँ और लड़के थे, जिनमें से सबसे बड़ा उन्हीं में से एक से विवहित था, और जबतक कोई और उपाय न हो, वह लड़कियाँ भी उनकी ही तरह पाली जाती। इनके भीतर यह विचार आना कि इनका सुधार असम्भव है, जीवित पुरुष के लिए कुठाराघात की भाँति था। फिर भी वे विनम्र और बुद्धिमान थी। उनकी वातचीत गंभीर थी और उनके उत्तर स्पष्ट और सीधे होते थे। और कुछ क्षण के लिए उनके निश्चय उतने ही दृढ़ थे जितने किसी भी सत्याग्रही के। ११ ने प्रतिज्ञा की कि अपना पेशा छोड़कर कातना-बुनना सीखेंगी, वशर्ते कि उन्हें सहायता मिली। दूसरों ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगी, क्योंकि वे मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी।

इस क्षेत्र में बरीलाल के युवकों के लिए काम है, यहाँ भारतवर्षके हर सच्चे सेवक के लिए काम है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यदि २००००

की आवादी में ३५० दुःखी बहनें हैं, तो भारतवर्ष भर में ५२५०००० होंगी। लेकिन यह मोचकर कि भारत की आवादी का जो ५ भाग गाँवों में रहता और खेती पर निर्भर करता है उस पर इस बुराई का असर कोई नहीं है, मे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार भारतवर्ष-भर में कम-से-कम १०५०००० स्त्रियाँ ऐसी हैं, जिन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए इज्जत बेचनी पड़ती है। इसके पहले कि उन्हें इससे छुटकारा मिले, दो शर्तें पूरी करनी होंगी, हम पुरुषों को अपनी वामना पर नियंत्रण करना चाहिये और इन स्त्रियों को ऐसा रोजगार दिया जाय कि सम्मान-पूर्वक अपनी रोट्टी कमा सकें। यदि असहयोग-आन्दोलन हमारी वासनाओं को नहीं रोकता और हमें पवित्र नहीं बनाता, तो यह कुछ भी नहीं है और कातने बुनने के अलावा ऐसा कोई पेशा नहीं, जिसे सब अपना सकें। इन बहनों में से बहुतों को विवाह की बात न सोचनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे ऐसा कर ही नहीं सकती थीं। अतः निश्चय पूर्वक उन्हें भारत की सच्ची सन्याग्निनी बनना था। सेवा के अतिरिक्त अपने जीवन की और परवाह न होने के कारण वे जी भर कर कात सकती थीं। १०५०००० स्त्रियाँ आठ घण्टे परिश्रम से बुनें, तो गरीब भारतवर्ष को प्रतिदिन काफी धन प्राप्त हो। इन्होंने बताया कि इन्हें दो रुपये तक तो प्रतिदिन की आमदनी होती है। परन्तु कातने का काम करने पर वे अपनी बहुत आदर, जो मनुष्य की वासना की तृप्ति के लिए करनी पड़ती थी, छोड़ सकती थी और इस प्रकार वे स्वाभाविक जीवन धारण करती। मेरी-उनकी बातचीत समाप्त होने पर बिना मेरे कटे ही

उन्हें मालूम हो गया कि अप्रना पेशा छोड़े बिना वे कांग्रेस-कमेटियों में पदाधिकारी क्यों नहीं हो सकती थीं। कोई भी अपवित्र हृदय और अपवित्र हाथों से स्वराज की वेदी पर कार्य नहीं कर सकता था।

## हमारी अभागिना बहनें

दक्षिण में मुझे जो भी मानपत्र दिये गये, उनसे सबसे करुण देवदासियों का था.....। इस मान-पत्र को..... जहाँ से यह बहनें लायी गयी थी। उस मानपत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि भीतरी सुधार हो रहे थे परन्तु विकास की गति बड़ी धीमी थी। जो सज्जन उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आमतौर से जनता इन सुधारों के प्रति उदासीन थी। सबसे पहला धक्का मुझे कोकोनाडा में लगा और मैंने वहाँ के लोगों से स्पष्ट भी कर दिया। दूसरा बरीसाल में, जहाँ मुझे बहुत-सी अभागिनी बहनें मिलीं। चाहे उनका नाम देवदासी रखा, जाय या कुछ और, परन्तु समस्या एक ही है। यह बड़े-दु ख और अपमान की बात है कि मनुष्य की वासना की तृप्ति के लिए स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचनी पड़े। पुरुष ने ( जो नियामक है ) स्त्रियों का जो अपमान किया है, उसके लिए उसको कठिन दण्ड भोगना पड़ेगा। जब स्त्री अपनी पूरी शक्ति से पुरुष के जाल से बच कर उसके नियमों और संस्थाओं के विरुद्ध आन्दोलन करती है, तो वह हिंसात्मक ही क्यों न हो, कम प्रभावशाली नहीं होता। भारतवर्ष के पुरुषों को चाहिये उन

हजारों स्त्रियों के विषय में गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, जो इनकी नियम विरुद्ध और अनैतिक वासना के लिए अपनी इज्जत देवती हैं। दुख तो यह है कि जो लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनमें से अधिकांश विवाहित पुरुष हैं, अतएव वे दुगुना पाप करते हैं, वे अपनी स्त्रियों के प्रति पाप करते हैं, जिनके साथ वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं और उन बहनों के साथ भी जिनकी पवित्रता की रक्षा अपनी सगी बहनों की ही भाँति करने को बाध्य है। यह ऐसी बुराई है, जो एक दिन भी नहीं चल सकती वरतें कि हम भारत के पुरुष अपने सम्मान को पहचानें।

यदि कुछ बड़े आदरणीय जन इस पाप में भाग न लेते होते, तो भूरे आदमी के केले चुराने या पैसा चाटनेवाले किसी बच्चे द्वारा गिरह-कटी करने से बड़ा दोष माना जाता। स्त्री की सम्पत्ति चुराने और किसी स्त्री की इज्जत चुराने में से अधिक बुरा और समाज के लिए हानिकारक है? मैं यह नहीं सुनना चाहता कि अपनी सतीय की विधवा में उसी प्रकार एक वेश्या जिम्मेदार है, जिस प्रकार कि छुट्टी में जाने-वाला एक लखपती। एक पेशेवर जेब काटने वाले द्वारा अपने जेब के काटे जाने का जिम्मेदार है। कौन बुरा है, जो जेब काटता है, वह बड़भास लड़का या गुण्डा जो अपने शिकार को मिलाकर उसकी सारी सम्पत्ति हटप लेता है। क्या पुरुष पहले अपनी वारसिक प्रावृत्तों से स्त्री की उत्तम भावनाएँ नष्ट करके फिर उसके विरुद्ध पाप करने में भागी नहीं बनता? या क्या कुछ स्त्रियाँ पंचमा की भाँति पतित जीवन के लिए जन्म लेती हैं? मैं हर विवाहित नवयुवक से अपनी लिखी बात पर गौर

करने को कहता हूँ । इस सामाजिक रोग, नैतिक कुष्ठ के विषय में जो मैं जानता हूँ, सब नहीं लिखना चाहता, उसकी कल्पना ही गेष बातों की पूर्ति करे और फिर यदि वह स्वयं इस रोग का शिकार हो तो भय और शर्म से उससे दूर हो जाय । और हर मनुष्य चाहे जहाँ हो, अपने पडोस को पवित्र बनावे । मुझे मालूम है कि दूसरा हिस्सा लिखने के लिए ज्यादा आसान है, परन्तु करने के लिए कठिन । यह एक वारीक विषय है । इसकी वारीकी के ही कारण सभी विचारवान लोगों को इधर ध्यान देने की आवश्यकता है । अभागी वहनों के बीच में काम करने का भार सिद्धहस्त सुधारकों पर छोड़ना चाहिए । मेरा इशारा, वहाँ काम करने की ओर है, जहाँ इन बढनाम वरों में जानेवाले बसते हैं ।

## भारतवर्ष की महिलाओं से एक अपील

विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए गांधीजी ने भारतवर्ष की स्त्रियों के नाम निम्नलिखित अपील निकाली—

प्रिय वहनों,

अखिल भारतीय काँग्रेस-कमेटी ने आगामी ३० सितम्बर को विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-ग्रान्दोलन के लिए अन्तिम तारीख निर्धारित करके एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जिसका आरम्भ वस्त्रई में ३१ जुलाई को लोक मान्य तिलक की स्मृति में यश की अग्नि जलाकर किया गया था अभी तक जिसेतुम लोगों ने उत्तम तथा सुन्दर समझा था, ऐसी साडियों तथा

अन्य बहुमूल्य वस्त्रों के एक बहुत बड़े ढेर में आग लगाने का सोभाग्य मुझे मिला था। मेरा विचार है कि उन बटनों के लिये, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वस्त्र दिये थे, एसा बिलकुल उचित था। इसका जला डालना ही सुन्दर आर्थिक उपयोग था जो तुम कर सकती थी। जिस प्रकार प्लेग की बीमारी से सम्पृक्त वस्तुओं का नाश ही सर्वोत्तम उपयोग है। जहर सम्पूर्ण शरीर को ही न बरबाद कर डाले, इसके लिये यहाँ एक मार्ग निकाला गया था।

भारतवर्ष की स्त्रियों ने मातृभूमि के लिये पिछले चारह महीने में आश्चर्यजनक कार्य किये हैं। उदारताकी देवियोंकी भांति तुमने गान्ति-पूर्वक कार्य किये हैं, तुमने अपनी नकद सम्पत्ति दान की है और बहुमूल्य जेवरों की छोट-छोटी चीजें हैं। चन्दे प्रमूल करने के लिए, तुम घर-घर घूमती रही। तुम तागा से से उठने से तो धरने देने से भी सावधान की है। उठने से तो जो बहुमूल्य और तासीक साजी पानने से आधी थी और दिन से गर्म वा प्रदलती थी, वह मोटी परन्तु पवित्र वा श्रेष्ठ स्वरूप की साठी पहनायी है जो आन्तरिक पवित्रता की शोभा है। तुमने हमने भारत-माता के सिद्धन्त के लिए और पता के लिए किया है। तुम्हारे शब्दों या कार्यों से किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तुमने क्रोध-रहित तथा पवित्र सबसे उत्तम त्याग किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्नेहाकृत और स्नेह-युक्त कार्य ने मुझे विश्राम करा दिया है कि ईश्वर हमारे साथ है। भारतवर्ष की लाखों स्त्रियों हमारे आन्दोलन की सहायता कर रही हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी और प्रमाण की

हमें यह सिद्ध करने के लिए आवश्यकता नहीं कि हमारा आन्दोलन आत्म-पवित्रता का है।

इतना देने पर भी तुम से बहुत कुछ मिलने की आवश्यकता है। तिलक-स्वराज-फण्ड के चन्दे में पुरुषों का विशेष हाथ था। परन्तु स्वदेशी प्रोग्राम सम्भवतः तभी पूर्ण होगा, जब तुम सबसे अधिक हिस्सा लो। जब तक तुम अपना सारा विदेशी वस्त्र न रखोगी, सब बहिष्कार असम्भव है। जब तक तुम्हारी यह चाह बनी रहेगी, तब तक त्याग असम्भव है। और बहिष्कार का उद्देश्य है पूर्ण त्याग। हमें उन्हीं वस्त्रों से संतोष करना चाहिये कि जिन्हें भारतवर्ष बना सकता है, जैसे हम उन्हीं वस्त्रों पर संतोष करते हैं जिन्हें भगवान् हमें देता है। अगर वस्त्र किसी बाहरी आदमी को बुरा लगे, तो भी मैंने किसी माँ को उसे बाहर फेंकते नहीं देखा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय भारत की स्त्रियों को यहाँ के वस्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए। और तुम्हारे लिये केवल भारत का कला और बुना ही यहाँ की उत्पत्ति है। फिलहाल तो तुम्हें भट्टी और मोटी खादी ही पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। फिर इसकी उन्नति के लिये अपनी सारी कला और रुचि इसमें लगाओ। और अगर तुम कुछ महीने मोटी खादी पर ही सन्तुष्ट रह गयीं, तो भारतवर्ष को पूर्ण आशा है कि यहाँ का प्रचीन, सुन्दर, महीन और उत्तम वस्त्र फिर बनने लगेगा, जिससे देखकर सारे संसार को ईर्ष्या और निराशा होती थी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि छ. महीने के त्याग में यह मालूम हो जायगा कि जिसे हम कलात्मक मानते हैं और सच्ची कला दिखावट पर ही निर्भर

नहीं है बल्कि उसके पीछे छिपी भावना पर भी । ऐसी भी कला है, जो मार सकती है और ऐसी भी जो जीवन देख सकती है । वह सुन्दर वस्त्र जो पश्चिमी देशों या सुदूर-पूर्व से यहाँ आये, उन्होंने हमारे लाखों भाइयों और बहनों को मार डाला और हजारों बहनों का सम्मान ले लिया । सच्ची कला वह है, जो आनन्द दे शान्ति दे और पवित्रता दे । ऐसी कला को हमारे बीच आने के लिए वर्तमान समय में खादी का प्रयोग करना आवश्यक है ।

और स्वदेशी प्रोग्राम के लिए केवल खादी का प्रयोग ही आवश्यक नहीं बल्कि तुम सब का खाली समय में कातना भी । मैंने लड़कों और पुरुषों को भी कातने के लिए सुझाया है । मैं जानता हूँ कि उनमें से हजारों प्रतिदिन कात रहे हैं । परन्तु कातने का विशेष भार, प्राचीन काल की भाँति तुम्हारे कंधों पर होना चाहिए । दो सौ साल बीते जब यहाँ की स्त्रियों अपनी ही आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी कातती थीं । वे मोटी खादी ही नहीं, बल्कि सतार के अचतक के बारीक-से-बारीक सूत कातती थीं । हमारे पूर्वज जितना महीन सूत कातते थे उतना महीन किसी मशीन ने नहीं काता है । तो यदि हम खादी की माँग की पूर्ति दो माह और उसके बाद करना चाहते हैं तो तुम्हें चाहिए कि खादी क्रय बनाओ, कताई की प्रतियोगिता स्थापित करो और भारत के बाजारों में हाथ की कताई हुई खादी की बाढ़ ला दो । इसके लिए तुम लोगों में से कुछ को कातने में तथा चरखा ठीक करने में सिद्धहस्त होना चाहिये । इसका अर्थ है लगातार परिश्रम ।



तुम कातने को रोजी का जरिया न समझो। मध्यम वर्ग के लिए इससे घर की आमदनी बढ़ सकती है और निस्सन्देह बहुत गरीब स्त्रियों को इससे रोजी भी मिलेगी। विधवा स्त्रियों के लिए तो चरखा एक प्रेमी साथी की भाँति होना चाहिए। परन्तु तुम्हारे लिए, जो इस अपील को पढोगी, यह एक धर्म, कर्तव्य है। यदि भारत की सभी सम्पन्न स्त्रियाँ कुछ मात्रा में प्रतिदिन कातें, तो सूत सस्ता हो जाय और अधिक से-अधिक उत्तमता भी आ जाय।

इस प्रकार भारत की आर्थिक तथा नैतिक मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है, भारत का भविष्य तुम्हारे घुटनों पर है, क्योंकि आगामी पीढ़ी का पालन करोगी। तुम्हीं भारत की सन्तानों को सादा, ईश्वर से भय माननेवाली तथा बहादुर पुरुष और स्त्रियों के रूप में ला सकती हो। और कमजोर, डरपोक तथा विदेश की धारीक और बहुमूल्य वस्तुओं का चाहनेवाला भी बना सकती हो और अन्त में इस आदत का छूटना असम्भव हो होगा। आगे के कुछ सप्ताहों में पता चल जायगा कि भारत की स्त्रियाँ किस वस्तु की बनी हैं। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि तुम क्या पसन्द करोगी। तुम्हारे हाथों से, ऐसी गवर्नमेन्ट की अपेक्षा, जो भारतवर्ष के साधनों को चूसती रही है और जिसका अब अपने में ही कुछ विश्वास नहीं रह गया है, भारत का भाग्य कहीं अधिक सुरक्षित है। हर स्त्रियों की सभा में मैं इस राष्ट्रीय प्रयत्न के लिए शुभ आर्कादाएँ माँगता रहा हूँ और मैंने ऐसा केवल इसी विश्वास से किया है कि तुम पवित्र, सादी तथा दैवी हो और दूसरों को भी ये सब गुण दे सकती

हो। अपनी शुभेच्छा की सफलता का निश्चय विदेशी वस्त्र बहिष्कार तथा खाली समय में लगातार देश के लिए सूत कात सकती हो।

## महिलाओं का कर्तव्य

कलकत्ते की स्त्रियों ने वहाँ के लोगों के लिए खादी बेचने के प्रयत्न से रोड़े पैदा कर दिये हैं और अखबारों के एक तार मुताबिक वे गिरफ्तार भी कर ली गई हैं। इसमें आगामी प्रेसिडेन्ट ( देशबन्धु सी० आर० दास ) उनकी विधवा बहन और उनकी भतीजी भी हैं। मुझे आशा थी कि प्रारम्भिक दशा में स्त्रियों को जेल जाने का गौरव न प्राप्त होगा। उन्हें उग्र सत्याग्रही नहीं बनना था, परन्तु बंगाल गवर्नमेन्ट ने पुरुषों और स्त्रियों में भेदभाव न करने के जोश में, तीन स्त्रियों को यह गौरव प्रदान किया है। आशा है कि सारा भारतवर्ष इसका सम्मान करेगा कि स्त्रियों का स्वराज्य प्राप्त करने में उतना ही हाथ होना चाहिए जितना पुरुषों का, संभवतः उस शान्ति युद्ध में वे पुरुषों की अपेक्षा मीलों आगे रह सकती हैं। हमें ज्ञात है कि वे पुरुषों की अपेक्षा धार्मिक उपासना के विषय में कहीं श्रेष्ठ हैं। गौरवपूर्ण सहनशीलता उनकी चिह्न है और जब कि बंगाल गवर्नमेन्ट ने उन्हें घसीटकर आग में ला खड़ा किया है, तो मुझे आशा है कि सारे देश की महिलाएँ इस चुनौती को स्वीकार करेंगी और अपने को सगठित करेंगी। बहुत से पुरुषों के गिरफ्तार हो जाने पर अपनी नीति की दृढ़ता रखने के लिए उनकी जगह भरने की

स्त्रियाँ बाध्य थीं, परन्तु अब उन्हें चाहिए कि पुरुषों के साथ-साथ जीवन के उद्देश्य की कठिनाइयों को सहन करें। ईश्वर उनके सम्मान की रक्षा करेगा। जब मानो पुरुषों पर व्यग्र करने के नाते द्रौपदी की रक्षा उसके स्वभाविक संरक्षक न कर सके, तो उसकी अपनी ही पवित्रता ने किया। और ऐसा सदा ही होगा। यहाँ तक कि जो शारीरिक रूप से सबसे दुर्बल है वह भी अपनी इज्जत बचा सकता है। पुरुषों को स्त्रियों के बचाने में गौरव अनुभव करना चाहिए, परन्तु साथ ही पुरुष की अनुपस्थिति में या पुरुष द्वारा उसकी रक्षा के पवित्र कर्तव्य के न करने में अपने को असहाय न समझना चाहिए। जो मरना जानता है, उसे अपने सम्मान की रक्षा में किसी प्रकार के भय की आशङ्का न होनी चाहिए।

मैं भारत की स्त्रियों को चाहता हूँ कि वे तुरन्त शान्तिपूर्वक उन लोगों का नाम इकट्ठा करें, जो इस ज्वालामुखी में कूदने को प्रस्तुत हैं। वे अपना नाम बङ्गाल की स्त्रियों को भेजें और बङ्गाल की स्त्रियाँ यह महसूस करें कि उनकी और दूसरी जगह की वहनें उनके उत्तम उदाहरण पर चलने को तैयार हैं। सम्भव है, जेल-जीवन ग्रहण करने या इसके जो कुछ भी बर्ताव उनके साथ हो, उसे मुगतने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ न आवें। परन्तु यदि राष्ट्र को पहली बार थोड़ी भी संख्या में स्त्रियाँ मिलेंगी, तो उसके लिए लज्जा की बात न होगी।

## स्त्रियों के हाथों स्वराज्य

अब चूँकि बर्किंग कमेटी ने कताई को सत्रिनय अवज्ञा की एक अनिवार्य शर्त के रूप में मान लिया है, भारतवर्ष की स्त्रियों को देश-सेवा का दुर्लभ अवसर मिला है। नमक-सत्याग्रह के कारण वे हजारों की संख्या में चहारदीवारी से बाहर निकल आयी थीं। उन्होंने दिखा दिया कि वे भी मर्दों के बराबर ही मुक्त के काम आ सकती हैं। उम्मीदों पर प्रामीण स्त्रियों को बड़ा गौरव मिला जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। साम्राज्य के जुग से आजाद होने के लिए हिन्दुस्तान के शान्त आन्दोलन में कताई को फिर से अपना केन्द्रीय स्थान मिल जाने से यहाँ की स्त्रियों को एक खास दर्जा हासिल हो जाता है। कताई में उन्हें पुरुषों की अपेक्षा स्वाभाविक सुविधा है।

अनादि काल से ही स्त्री और पुरुष के बीच भ्रम-विभाजन रहा है। हजारत आदम युनवे ये और हजारत रब्बा कातती थीं। यह भेद प्राय तक मौजूद है। कातनेवाले पुरुष अपवाद स्वरूप हैं। जब मैं सन् १९२०-२१ में पञ्जाब के मर्दों से कातने की कहता था, तो वे जवाब दिया करते थे कि वह उनकी शान के खिलाफ है और शर्मनाक काम है। आजकल पुरुष गौरव के आधार पर आपत्ति नहीं करते। हजारों पुरुष ऐसे हैं, जो यज्ञार्थ कातते हैं। जब मैं पुरुष देश-सेवा की भावना से कातने लगे हैं, तभी से कताई एक विज्ञान बना है और उसमें भी दूसरे क्षेत्रों की तरह बहुत से आविष्कार हुए हैं। यह मत्र होते हुए भी अनुभव यही बताता है कि कताई स्त्री की विशेषता रहेगी। न मानता

हूँ कि इस अनुभव का एक सबल कारण है। असल में कतार्ई धीमी और एक दूसरों से शान्त क्रिया है। स्त्री त्याग की और इसीलिए अहिंसा की मूर्ति है। इस कारण उसका काम युद्ध की अपेक्षा शान्ति के अधिक सहायक होना चाहिए। और है भी। अगर आज उसे हिंसात्मक युद्ध के कामों में घसीटा जा रहा है, तो यह मौजूदा सभ्यता के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। मुझे जरा भी शक नहीं है कि हिंसा स्त्री के लिए इतनी अशोभनीय चीज है कि वह बहुत जल्द अपनी भूल-प्रवृत्ति पर इस तरह बलात्कार किये जाने के विरुद्ध विद्रोह कर उठेगी। मुझे लगता है कि पुरुष भी अपनी इस मूर्खता पर पछताएगा। स्त्री-पुरुष को समानता का यह अर्थ नहीं है कि उनके काम भी एक-से ही हों। स्त्री के शिकार खेलने या भाला चलाने पर कोई कानूनी रूकावट भले ही न हो, परन्तु सहज ही उसे ऐसे काम से अरुचि होती है, जो मर्द के करने का है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग-अलग इसलिए बनाया है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, उनकी आकृतियों की तरह उनके कार्य भी निश्चित कर दिए गये हैं।

लेकिन मेरे मतलब के लिए यह जरूरी नहीं कि स्त्री-पुरुष का अलग-अलग काम होना साबित किया जाय। यह बात तो है ही और भारत में तो हर हालत में है कि लाखों स्त्रियों कातने को अपना स्वाभाविक काम समझती हैं। बकिङ्ग कमेटी के प्रस्ताव से पुरुषों का भार अपने आप स्त्रियों के कंधों पर चला आया है और उन्हें जौहर दिखाने का मौका मिला है। मुझे यह देखकर कितनी खुशी होगी कि मेरी भारी

सेना में पुरुषों ने स्त्रियों कहीं अधिक है। उस दशा में अगर लड़ाई आयी तो मैं उसका बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वागत कर सकूँगा। पुरुषों की अधिकता ही तो यह निश्चिन्तता न दोगी, मुझे उनकी हिंसा का डर रहेगा, जब कि स्त्रियों हिंसा से कूट पटने के विन्द मेरी हाल होगी।

## चरखा और स्त्रियाँ

विहार के ग्वाटी पर गोलने समय लोग का ध्यान विभिन्न देशों में लोगों की प्रतिदिन प्रति-पुरुष की ग्रामदनी की और आर्द्धपित करने हुए गांधीजी ने बना—

देखो यह लन्दी लाल रेखा, जो अमेरिका की ग्रामदनी प्रतिदिन प्रतानी है, भारत की ग्रामदनी वाली रेखा से दितनी प्रकी है। पहली १४ रुपया प्रतिदिन है और दूसरी ११ आना प्रतिदिन। दूसरे रेखा की ग्रामदनी से सुकायिला करो—इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जो क्रमानुसार ३ रुपया ६ रुपया और ५ रुपया प्रतिदिन है और यहाँ का यह देश प्रायः भी मध्यम है। यदि कुछ वैरिन्टों, करोड़पतियों, तनराज्याले मन्त्रियों तथा कांसिलवाले लोगों को छोड़कर कुछ लोगों की ग्रामदनी हमसे भी कम होगी। मैं पूर्ण विनम्रता से पूछता हूँ, इस धाँदाँ ग्रामदनी की प्रति का कोई तरीका बनाओ। मैं मध्यमे पूछता हूँ, पर कोई सुझाव नहीं मिलता। बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करते करोड़ों लोगों के समर्थ में

रहने के परिणाम-स्वरूप मैंने सुझाया है कि चरखा ही ऐसा है, जिससे यह आमदनी पूरी हो सकती है।

फिर उन्होंने खादी के उत्पादन और विक्रय का चार्ट लेकर विहार की बढ़ती हुई खादी की मात्रा तथा उसकी विक्री की कमी की ओर ध्यान दिलाया।

इस उत्पादन का अर्थ है ३०००० रुपये का ३०००० विहार की निर्धन स्त्रियों में विभाजन। मेरे साथ दरभंगा के खादी-केन्द्रों में आओ और देखो। चरखे ने हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियों में कितना सुख और शान्ति भर दिया है। यदि इसे और लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो यह मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। यदि तुम्हें उनके हाथों की बनायी हुई चीज खरीदने का ध्यान नहीं है, तो यह काम नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे हर गज खहर खरीदने से उन स्त्रियों को कुछ पैसा मिलता है। कुछ ही पैसे ज्यादा नहीं। परन्तु इसका अर्थ है कि जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता था, वहाँ कुछ पैसा पहुँचता है। मैंने बरिसाल और गजामाण्डी की पतित बहनों को देखा। एक युवती लडकी आयी और बोली “गांधी, तुम्हारा चरखा हमें क्या दे सकता है? जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, वे कुछ मिनटों के लिए ५) से लेकर १०) तक देते हैं।” मैंने उनसे कहा, “चरखा तुम्हें उतना धन तो नहीं दे सकता, परन्तु यदि वे इस अपमान-जनक कार्य को छोड़ दें, तो मैं तुम्हें कातना और बुनना सिखा सकता हूँ और इस प्रकार सम्मानपूर्वक अपनी रोज पैदा करने में सहायता करता हूँ।” उसकी बात सुन कर मेरा दिल बैठ गया और मैंने भग-

वान् से कहा मैं भी स्त्री ही क्यों न पैदा हुआ ? लेकिन अगर मैं स्त्री पैदा नहीं हुआ तो वन मक्ता हूँ और भारत की स्त्रियों के ही लिए, जिनमें से बहूता को एक आना प्रतिदिन भी नहीं मिलता, मैं अपना चरखा और भिन्ना-झोली लिए हुए देश-भर में घूम रहा हूँ ।

## बुढ़ापे में जवानी का उत्साह

एक अंग्रेज बहूत लिखती है —

मुझे आपसे एक प्यारी स्त्रिय बुढ़िया की बात कहनी है । उसकी उम्र ७० वर्षों से भी अधिक है, पर फिर भी वह 'विलेनिज' के नामसे अपना सारा समय चरखा चलाती और बुनती रहती है, मेरे पत्र के जवाब में वह ( फ्रेंच भाषा ) में लिखती है — "जाते का आरम्भकाल है, जब पढ़ना आरम्भ हो गया है जो मर्तीना हमारे साथ होगा और मुझे अब कठिने पर काम करने के लिए काफी समय मिलना होगा । ५१ मिनट के दो टुकड़ तैयार करने के लिए मेरे पास कई दिन से फरमाहम रखा हुआ है । उन्हें तैयार करने के लिए मुझे ऐसे ही लम्बे समय की जरूरत थी, क्योंकि अब ( २५ साल ) की अवस्था में मैं जर्डी, गल्टी धक जाया करती हूँ ।" उस बुढ़ी से का जीवन मनुष्य और शान्तिमय जीवन का एक बढ़िया-से बढ़िया नमूना है, जो कि प्रत्येक जियान का होना चाहिए । गर्मी के मौसम में वह चेता में काम करती है । हा, कभी कभी पुरन्त मिलने पर या वारिश या जाने पर वह बीच बीच में चरखा या करवा



भी चलाती रहती हैं। पर जाड़े में जब कि जमीन बरफ से ढक जाती है, वह सारा दिन यही कताई बुनाई करती है। आप उससे यह करधा और चरखा छुड़ा लीजिये और उसकी दशा बिगाड़ी। पर इस उद्यम के कारण उस पहाड़ी के सब किसानों में वह सबसे अधिक सुखी और आनन्दमय प्राणी है। क्यों ? इस लिए कि उन सब में केवल उसीने इस पुराने उद्यम को पकड़े रखा और इसलिए केवल उसी का जीवन सम्पूर्ण और सच्चा भी है। उसकी एक छोटी-सी-तस्वीर मैं आपके पास भेजती हूँ।

“एक लकड़ के डूँड पर बैठी हुई वह अपने एक बकरे को प्यार कर रही है। इससे आपको उसके प्यारे, बृद्धे प्रसन्न चेहरे की कुछ कल्पना हो सकेगी। पास खड़ी हुई युवती उसकी पतोहू है।”

यह सुन्दर तस्वीर मेरे पास है। पर मैं इसे ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित नहीं कर सकता। तस्वीर की न्यूनता को पाठक अपनी कल्पना से ही पूर्य कर लेंगे। ध्यान देने की बात है कि यन्त्रों के प्रभाव के नीचे दबे हुए उन पश्चिमी देशों में भी ऐसे लोग हैं, जो चरखे और करघे द्वारा जो कि एक समय प्रधान और सार्वभौम गृहोद्योग थे, सच्ची शान्ति प्राप्त कर सकते हैं और जब कि यह वृद्ध महिला इस ७५ वर्ष की अवस्था में भी इस उद्यम के कारण जपानी के उत्साह को अनुभव करती है और उससे केवल आजीविका ही नहीं, बल्कि शान्ति भी प्राप्त कर रही है, तब भला, उस उद्यम की इस देश में कितनी अधिक आवश्यकता है, जहाँ विरली ही स्त्रियाँ ७५ वर्ष तक पहुँचती हैं। जहाँ अधिकांश वहाँ ५८ वर्ष की अवस्था में ही जयरदस्ती बूढ़ी हो जाती हैं और जहाँ

देश की करोड़ों बहनों को घर बैठे निर्दोष काम करके मिलनेवाली शान्ति की ही नहीं बल्कि उस भूख के भेड़िये को भगाने के लिए ही किसी आजीविका की चेष्टा जरूरत है।

इसपर वह अज्ञानी निन्दक पूछता है, यदि ऐसा है तो वे भी क्यों नहीं उस प्यारी स्विज बुढ़िया की तरह चरखा चलातीं, और शान्ति को प्राप्त कर लेतीं ? उन्हें यह करने से कौन रोकने जा रहा है ?

१८८६ या ६० के करीब-करीब इसी प्रकार का एक प्रश्न इन्हें कष्ट किन्तु असम्भव दिखाई देनेवाले अंग्रेज ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से पूछा था, जब वे अंग्रेजों की किसी सभा में व्याख्यान दे रहे थे। बाबू सुरेन्द्रनाथ से—बंगाल के तत्कालीन प्रेताज के राजा से—ठस भले आदमी ने जो कि जानबुल ग्रेण्ड कम्पनी का एक सदस्य था, पूछा कि यदि यह ठीक है कि भारत स्वाधीनता चाहता है, तो उसे कौन रोक रहा है ? या वैसी बात है कि उन्हाने (शक्तिशाली जानबुल कम्पनी के जाने सदस्यों से से किसी ने भी) सिर फुटोवाल की तो बात बुर गनी, निर्मात्या की तो फोड तरु की बात नती पुनी, जैसा की वे (सम्भव) अपने लिए वास्तु न मिलने पर ऐसे साका पर दिखा करने ह। जानता मुक्त पाठ है, असमारा ने वक्ता के उत्तर का नती छापा है, शोनागा के नीच से केवल "क्या कही" "क्या कही" की भाषा का उल्लेख है। किन्तु उन सच्चे अंग्रेज ने सुरेन्द्रनाथजी ने जो सवाल किया था वही भाषा भी पूछा जा सकता है, और साथ ही यह भी हम जानते हैं कि यह सवाल स्वाधीनता की पुकार का जवाब नहीं हो सकता। यात्रा हम स्वाधीनता

की प्राप्ति के मार्ग को न भी जानते हों? या उसे जानकर भी उस पर अमल करने की हम में इच्छा या शक्ति ही न हो। फिर भी स्वाधीनता की पुकार तो न्याय और स्वाभाविक ही है और चाहे वह कितनी ही नाकामयाब हो, वह स्वाधीनता की पहली सीढ़ी तो जरूर है।

पर जब इन करोड़ों के भूखे मरने की बात कही जाती है, तब ये अज्ञानी निन्दक इस बात को भूल जाते हैं कि वे करोड़ों गरीब तो काम या रोजी के लिए पुकार मचाना भी नहीं चाहते। इसीलिये तो अंग्रेज इतिहासकार के साथ साथ हम भी उन्हें 'गूंगे' कहते हैं। और इसीलिए हमें (और निन्दकों को भी) उनकी ओर से आवाज उठानी पड़ती है। हमें उन करोड़ों गूंगों को पहला पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। और वे नहीं, हम ही उनकी इन भयंकर गरीबी और अज्ञान के लिए जिम्मेदार हैं। वे तो बेचारे यह जानते भी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वे जीते हुए भी मरे के समान हैं।

उन अस्पृश्यों से यह कहने की किसी में हिम्मत है, कि यदि तुम स्वाधीनता चाहते हो, तो ले लो, तुम्हें कौन रोकता है? परमात्मा बड़ा शान्तिशील और चिरसहिष्णु है। जालिम को वह उसकी कब्र खोदने देता है। हाँ समय-समय पर वह मृत्यु की चेतावनी बराबर दे दिया करता है।

हम कह सकते हैं, और न्यायपूर्वक कह सकते हैं कि यद्यपि उस अंग्रेज का ताना सैद्धान्तिक दृष्टि से ठीक ही है। परन्तु अंग्रेजों के मुँह से यह प्रश्न शोभा नहीं दे सकता जब कि हममें से हर एक आदमी

अपनी लाचारी को महसूस करते हुए भी स्वाधीनता को प्राप्त करने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को प्रकट कर रहा है।

## एक बहन की कठिनाई

एक बहन लिखती है —

“साल भर हुए मैंने आपको हर एक के लिए खादी पहनने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुना था और फिर तब किया कि उसपर अमल किया जाय। लेकिन हम लोग गरीब हैं। मेरे पति कहते हैं कि खादी कीमती होती है। महाराष्ट्र में रहने के कारण मुझे २ गज लम्बी साड़ी पहननी पड़ती है। यदि मैं अपनी साड़ी ६ गज से ६ गज लम्बी कर लूँ तो बहुत बचत होगी, पर बुर्जुग लोग ऐसी बात सुनना भी नहीं पसन्द करेंगे। मैं उनसे वादविवाद करती हूँ कि खादी पहनना सचमें महत्त्वपूर्ण है, पहनने के दम और उमरका लम्बाई का कोई महत्त्व नहीं, परन्तु सब बेकार। वे कहते हैं, मैं सुपत्नी होने कारण उन नयी विचार-धारा को अपनाती हूँ। लेकिन मेरा मतलब है कि यदि आप मेरे पान खादी पहनने पर जोर देते हुए (पहनने के दम का विचार न करके हुए) लिख, तो वे मान जायेंगे।”

मैंने बहन को उत्तर भेज दिया है। लेकिन उस कठिनाई के बारे में यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की

कठिनाई बहुत-सी और बहनें भी कर रही हैं। यह खत लेखिका की देशभक्ति का प्रभाव है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ नहीं हैं, जो स्वयं पहनने के ढङ्ग को महत्व न देने की ओर रिवाजों के खिलाफ चलने के लिए कदम बढ़ायें। ऐसी बहनो और भाइयों की संख्या बहुत अधिक होगी कि प्रसन्नतापूर्वक स्वराज्य हासिल करना चाहेंगे, यदि वह बिना किसी प्रकार के कष्ट सहन किये या खर्च के और अपनी पुरानी प्रथाओं को मानते रहकर भी—चाहे वे उचित हो या नहीं—प्राप्त किया जा सके।

परन्तु स्वराज्य ऐसी सस्ती वस्तु नहीं है। स्वराज्य प्राप्त करने का अर्थ है—अपने भीतर आत्म-त्याग। प्रान्तीयता की भावना का त्याग करते हुए का अभ्यास है। प्रान्तीयता राष्ट्रीय स्वराज्य प्राप्त करने के ही मार्ग से बाधक नहीं, परन्तु प्रान्तीय राज्य के प्राप्त करने से भी पुच्छों की अपेक्षा स्त्रियाँ ऐसी भावनाओं के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। वैविध सीमा तक अच्छा है, लेकिन यदि सीमा पार कर जाय और लस्कार और प्रथाएँ विविधता के नाम पर प्रदर्शित किए जायें तो वह राष्ट्रीयता को दमन करनेवाला होगा।

दक्षिणी साड़ी एक सुन्दर वस्तु है, परन्तु ऐसी सुन्दरता राष्ट्र का बलिदान करने से मिले, तो उसे समाप्त कर देना होगा। यदि पंजाबी आधी या छोटी साड़ी पहनने का कच्छ का ढङ्ग खादी को सस्ता बनायें और सब के लिए सुगम करें, तो उसे ही कलात्मक समझना चाहिये। दक्षिणी, गुजराती, कच्छी, बंगाली सभी साड़ी पहनने के राष्ट्रीय ढङ्ग हैं और इनमें

से हर एक उतना ही राष्ट्रीय है जितना दूसरा। ऐसी दशा में जिन दशकों में, जिष्टता का ध्यान रखते हुए, कम खाती हों, उसे अच्छा समझना चाहिए। कच्छी दशक ऐसा है कि उसमें तीन हों गजकपटा लगता है जो गुजराती लम्बाई का लगभग आधा ही है। इस बात का ध्यान जोड़ दिया जाता है कितना कम भार डोना पड़ता है। यदि पच्छेदों या पेट्रीकोट एक ही रंग के हों, किसी को तुरन्त नहीं ज्ञात हो सकता कि केवल पच्छेदों है या पूरी सारी। ऐसे राष्ट्रीय दशकों की घटला बढ़ला वांछनीय है।

सनादत लोग अपने पाम सभी प्रकार के प्रांतीय दशा वाले कपड़े रख सकते हैं। यदि गुजराती लोग बंगाली श्रुतिधियों का स्वागत बंगाली पोशाक में और बंगाली लोग गुजराती श्रुतिधियों का स्वागत गुजराती पोशाक में करें, तो बड़ा अच्छा और राष्ट्रीय लगेगा, परन्तु ऐसा केवल सनादत राष्ट्रीयतावादी ही कर सकते हैं। गरीब और मध्यमवर्ग के राष्ट्रीयतावादी लोग, उनी प्रांतीय दशक का प्रयोग करते हैं जो सस्ता पड़े और खादी को सुगम बनाये। उसमें भी उन गरीब-से गरीब श्रुतिधियों के पहनने का दशक का ध्यान रखना चाहिये।

स्वदेशी का अर्थ यह नहीं कि अपने ही गण्डे तालाब में दूधे बरतन से समुद्र की शारदा बनाये, जिसे राष्ट्र कहा जाता है। यह सभी सम्भव है जब यह पवित्र रहे। अतएव ऐसे ही प्रांतीय या स्थानीय श्रुतिधियों को राष्ट्र भर में विकसित करना चाहिये जो सपवित्र या शूनैतिक

न हों। और फिर ऐसा हो जाने पर राष्ट्रीयता मनुष्यता में परिवर्तित हो जाती है।

जो बात पहनावे के मामले में लागू है, वही भाषा-भोजन के भी विषय में। उचित अवसर पर जैसे हम दूसरे प्रान्तों के पहनावे ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार भाषा या अन्य वस्तुएँ भी। परन्तु आजकल तो जान कर या येजाने अंग्रेजी को अपनी मातृ-भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व देने के निरर्थक विनाशकारी और असम्भव कार्य में तमाम शक्ति बर्बाद हो रही है। दूसरे प्रान्तों की भाषाओं की अपेक्षा तो अंग्रेजी को कहीं अधिक महत्व दिया जाता है।

## तामिल स्त्रियों के विषय में

तिरपती से एक बहन लिखती हैं :—

मद्रास के आन्दोलन की सफलता में सबसे अधिक बाधा डालने-वाली स्त्रियाँ हैं। उनमें से बहुत सी प्रतिक्रियावादी हैं। और बड़े घरों की बहुत सी ब्राह्मण स्त्रियाँ पश्चिमी दुर्गुणों का शिकार हो चुकी हैं। वे दिन से कम-से-कम तीन वार कॉफी पीती हैं और इससे भी ज्यादा पीना फैशनेबुल समझती हैं। पहनावे के मामले में भी उनकी हैसियत इससे अच्छी नहीं। उन्होंने घरेलू सस्ते कपड़े पहनने छोड़ दिये हैं और कीमती विदेशी कपड़ों का प्रयोग करती हैं। जवाहिरात के मामले में ब्राह्मण

स्त्रियाँ सभी ने आगे हैं। ब्राह्मणों में श्रवैण्यसमये ज्यादा पाप करती हैं। जब कि पुरुष पवित्र जीवन ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, हमारी स्त्रियाँ और भी सर्चाली होती जा रही हैं। पूजा के लिए मन्दिर जाने समय उन्हें साड़ी और सादे पहनावे का स्थान नहीं होता। वे अधिक-से अधिक सर्चालि जवाहिरात और उममे भी सर्चालि फीते उन्नेमान करती हैं। मैं ऐसी बहुत-सी स्त्रियों को जानती हूँ, जो केवल उमलिये मन्दिर नहीं जाती कि उनके पास चेशकीमती कपड़े और जवाहिरात नहीं हैं।

मुझे यह सोचने की इच्छा नहीं कि उपर लेखक ने जो लिखा है (तो स्वयं एक श्रमत्यागी है, वैष्णवी वर्गील हैं) वह पूर्णतः स्वयं से, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं कि तामिल स्त्रियाँ औरों की अपेक्षा तटस्थ भद्रक प्रमन्न करने में आगे हैं। फिर भी यह पत्र तामिल स्त्रियाँ के लिये एक चेतावनी दोनों चाहिये। उन्हें चाहिये कि प्राचीन सादगी से और चले और निश्चय ही ईश्वर तद्वत्-भद्र के पानायेवालों नियमों का अपेक्षा उनसे अधिक प्रमन्न होगा जो आन्तरिक पवित्रता के पोतर रूप से पवित्र साड़ी की साड़ी पहनेगी। हमारे मन्दिर विनाश के लिए नहीं हैं, अधिक सादगी और विनम्रता प्रदर्शित करने के लिये, जो उपासना की भावना प्रकट करते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्त्रियों के बीच लगातार जिस घुराई की शिकायत की गयी है उसके बारे में प्रचार होना चाहिये।



## तामिल बहनों के विषय में और

एक दक्षिणी भारत के वकील ने लिखा है :—

“तामिल में खादी का उतना प्रचार नहीं है जितना और जगहों में है, क्योंकि वहाँ की स्त्रियाँ खादी नहीं पहनतीं। इसीलिए चर्खा भी अधिक नहीं दिखाई देता। यहाँ विवाहित स्त्रियाँ सादे सफेद कपड़े नहीं पहन सकतीं। वे सिर्फ रंगी हुई साड़ियाँ ही पहन सकती हैं। प्राचीन काल में स्त्रियाँ सूती कपड़े ही पहनती थीं। और उनमें सबसे गरीब खोगों को छोड़ कर, वे सूती साड़ी से नफरत करती हैं और सिल्क की साड़ी पहनती हैं। पहले तो कोरानाडू में सिल्क की साड़ियाँ बनती थी, और फिर काँजीवरम में भी और वे भारतीय रंग में रंगी जाती थीं। उनका मूल्य १०) से ३०) तक होता था। उनका कभी-कभी प्रयोग होता था। बाद में बंगलौर की साड़ियाँ जो अँग्रेजी या जर्मन रंगों से रंगी जाती हैं, सारे बाजारों में छा गयी, जिनकी कम-से-कम कीमत ५०) होती है। इसकी वजह से ब्राह्मण गृहस्थों को बड़ी परेशानी है, क्योंकि घर के सभी परिवारों के पहनने के लिये यही लेना पड़ता है, और रोजाना यही पहनने के लिये तो कई एक साड़ियाँ खरीदनी पड़ती हैं। शादी के मौके पर भेंट करने के लिये उपयुक्त साड़ी का दाम कम-से-कम १००) तक पहुँच जाता है। खासकर इसी कारण बहुत से घर मिट जाते हैं। और यह विनाशकारी रोग, जो ब्राह्मणों तक ही सीमित था, अब और जातियाँ में भी फैल गया है।

स्त्रियों के अलावा दूसरा भी दृष्टिकोण है। आगम और महत्त्व का सिद्ध न सोचनेवाला और भारी कपटा है, पहनकर खाना बनाना या काम करना मीत का ही सामना है। बटों पर एक या दो महीनों को छोड़कर सदा गर्मी रहती है और कौमत्ती माटियों की ज्यादा धोया भी नहीं जाता है, क्योंकि इसमें उनका रंग गहरा हो जाता है और वे निकुट भी जाती हैं। पर्सों और उमकी बदन तो भयानक होती है।

बहुत से घर जो बर्बादी के करीब हैं, आपने बड़े अनुग्रहित होने, यदि आप लोगों को माडगी धाराम और मितव्ययिता का और ले जायें।

मे सबाउदात्ता मे सत्मत है कि तामिल स्त्रिया अपनी सिद्ध की माड़ी को जरूरत से ज्यादा चारती हैं। सदास जैसा गर्म जलवायु वाले प्रांत के लिये मिल्क मे अधिक हानिकारक कोई वस्तु नहीं है, और भारतवर्ष जैसे गरीब देश के लिये १००) की सारी व्यय करना एक अपराध है। पुन्य उनके अन्दे नहीं। वे हाथ के पुने हुए कपड़ों (पगडी, धोती और उपर) पर गर्व करते हैं और यह नहीं सोचते कि जो सूत इनमें लगवा है, यह सारा-का सारा विदेशी होता है। लोगों को अजनबी मालूम दागा, पर सारी जो शोषक होता है, उन वस्त्रों की अपेक्षा जिसे लोग इतना पसन्द करते हैं, कहीं ठण्टी होता है। भरा शाशा टाक तामिल-नैतिकता की उच्च धारणा स्पष्टेशी क कठिन विषय में भी फल-श्रुत हागा पर लोग विदेशी वस्त्रों को पूर्ण बहिष्कार की नैतिक आवश्यकता का सम-

भेंगे और चरखे को अपनाएँगे। मद्रास और आन्ध्र के धूप से पिघलते हुए मैदानों में चरखा-संचालन से अधिक उपयुक्त कोई व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। द्रविड प्रदेश से बहुत से लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बहुत से लोग निर्धन भी हो गये हैं। चरखे के आ जाने से यह बन्द हो जायगा। यदि कुछ भी लागत न हो, तो भी भारत के गरीब किसानों का पालन केवल खेती नहीं कर सकती है।

## एक सुन्दर सेविका इस संसार से उठ गयी

सन् १९२१ में वेजवाडा की एक बड़ी स्त्रियों की सभा में मैंने अकेले खहर पहने एक लडकी देखी थी, जो सभा का सरक्षण कर रही थी, शान्ति स्थापित कर रही थी और बड़ी दृढतापूर्वक इधर उधर आ जा रही थी। सबसे पहले उसीने अपने जेवरात, कंकण, एक भारी सोने का हार दिये थे। "तुमने अपने माँ-बाप की आज्ञा ले ली है ?" मैंने पूछा जब कि वह अपने जेवरात मुझे दे रही थी। उसने उत्तर दिया, "मेरे माता-पिता मुझे नहीं रोकते और मैं जैसा चाहती हूँ, वैसा करने देते हैं।" अन्नपूर्णा देवी अंग्रेजी खूब बोल लेती थीं। उसे वेथ्युन कालेज, जलकत्ता में शिक्षा मिली थी। स्त्रियों की उस बड़ी सभा में वह घूमती थी और चन्दे तथा जेवरात ले आती थी। उस समय से लगा-तार वह इस आन्दोलन में थी वरिष्ठ उसने अपने को इसीलिए समर्पित

कर दिया था। कोकोनाडा की श्री स्वयं-सेविकाओं की यह कर्मांतर थी और उसमें 'आश्चर्यजनक कार्यों' को लोगों ने बड़े सम्पूर्ण गन्तों में वर्णन किया है। अभाग्यवश वह हम समय अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थी। उसका विवाह श्रीयुत सगुन्ती बायीं नौहूरी ० एम-सी० में हुई थी। कोयम्बटूर में एकाएक उसके देहान्त के कई दिनों बाद मुझे एक वार मिला कि वह इस संसार में चल रही थी। और श्री नौहूरी का एक पत्र भी मिला है जिसमें ये उद्धरण मैं दे रहा हूँ —

“आखिर मैं जिसकी सम्भावना थी, वह घटना घटी ही। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पहला पत्र आपके पास आपके विशेष, दार्ढ्यना और मेरे साथी अन्तर्दृष्टि की अस्मादिक सृष्टि का दुर्घट समाचार लेकर पहुँच रहा है। आपके आखिरी मद्राम भ्रमण के दौरान मैं हम लोग जब श्रीनिवास एंगर के घर पर आपसे मिलने गए थे, तो (मुझे अच्छी तरह याद है) आपने मुझसे उसके स्वास्थ्य के विषय में प्रशान्त करने की कहा था। और उसे टवा कराने के लिए, अमशयान्त भोजन की सलाह दी थी। लेकिन मैं उसके स्वास्थ्य के विषय में आपको चिन्तित करना नहीं चाहता था। आपने हम लोगों की जो सलाह दी थी। (मेरे लिए उसका सुन्दर सेवक होना, उसके लिये अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना और माहम रखना) उसे हम निरन्तर पालन करने रहे। जो भी मनुष्य के लिये सम्भव है, मैंने सब किया, परन्तु व्यर्थ !

“उसके देहान्त से आपके अमहयोग आन्दोलन का एक विशेष हास है। उसने अपना सत्र कुछ बेगदीमती बन्तुओं को तब कि वह

अँगूठी जो मैंने उसे विवाह से दी थी—शादी की सम्पत्ति सुन्दर वस्त्र, तबकीली-भडकीली आदतें, साहित्यिक रुचियाँ, स्वास्थ्य और अब अपना जीवन भी देश को समर्पित कर दिया।

“उसका आपमें जो अनन्त विश्वास था, उसीके कारण वह आपके स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का पालन करती रही। आपकी असतुलित फलों की खूगक से, जिसे वह ६ महीने धार्मिक रूप से सेवन करती रही, उसकी सुन्दर शारीरिक गठन गिरने लगी और फिर कभी ठीक न हो सकी।

“महात्माजी, मैं इतना निर्दयी नहीं कि आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ। एन० सी० ओ० आन्दोलन में प्रचार का कार्य करने में ही उसका ध्यान स्वास्थ्य को ओर से हट गया था। उसने अपनी गलती जानी, परन्तु तब काफी देर हो चुकी थी, जिससे उसे अपने ग्राह्य देने पड़े। आपने उसे एक खत में लिखा था।”

“मैं सदा जानता था कि खहर प्रचार के लिये तुम वडे 'चाव से काम करोगी।' मेरे सयुक्त-राष्ट्र से वापस आने पर मेरे पैरो पडकर उसने सबसे पहली प्रार्थना मेरे खहर पहनने के लिए की। अपने सुट, कमीज, निकर तथा अन्य विदेशी वस्त्रों को मैं नहीं अपना सकता था। मुझे इतनी भी आज्ञा न थी कि उन्हें एलोर में अपने घर में रहने दूँ। अमरीका के एक पत्र में उसने विदेशी वस्त्रों के वहिष्कार करने की तथा आजीवन खहर पहनने की प्रतिज्ञा का जिक्र किया था। उसे सफ़लता भी मिली। आधी प्रतिज्ञा का पालन अब मेरे लिये है। जब वह चमड़े

और गरीर तक ही रह गयी थी और उसे मोटी सड़क की माटी ने बड़ा कष्ट हो रहा था, तब भी उसने सड़क न छोड़ा। सोभाग्यवश उसकी अन्त्येष्टि क्रिया भी सड़क में ही लपेटकर की गयी (जैसा कि हमारी जाति का रिवाज है)। सम्भवतः वह दूसरे लोक में भी इसका प्रचार करना चाहती थी।

“जब मैं अमेरिका जा रहा था, तब उसने मुझसे कहा था, आप चाहे मुझे भूल जायें, लेकिन अपने देश को न भूलियेगा।” यदि वह अपने भयङ्कर रोग से अछूटा होना चाहती थी तो अपने देश की सेवा के लिये, अपने पति की सेवा के लिये नहीं। यही लक्ष्य था, जिसके पल पर हम लोगों के निराग हो जाने पर भी वह महीनों जीती रही। अन्त तक उसे आशा थी। आखिरी क्षण में भी (‘दन्तोग्रन’ ने होश जाने पर) वह डाक्टर को चुनौती देती रही कि वह बच जायगा, किसी भाँषा में न मरेगी। वह देश पर मरने के लिये जीवित रही और जीवित रहने के लिये मरी।

“हम चाहते हैं, उसने जो कुछ स्त्रियों पर लिखा है, रामरुग के उपदेशों का रँगला मे अनुवाद तथा उसके कुछ पत्रों को उचित प्रकाशन मिले।

“हमारा छोटा-सा कामो गहरा ही, जो क्रांती की तत्पश्चात् की याद दिलाता है, हमारी गेप आशा और आलाप का साधन है। यह सोचती थी वहाँ जाने से उसे विशेष स्वागत-परिवर्तन होगा, और नृषा भी पर उसके देहावसान के रूप में।

“आपकी ऐसी शिष्या न रही और मेरी ऐसी आदर्श संगिनी । मेरी अर्धाङ्गिनी ने मुझे शोक-ग्रस्त निराश और वियोगी छोड़ दिया और उसकी कभी कभी पूर्ति नहीं हो सकती ।”

इसमे सन्देह नहीं कि मेरा एक भक्त-शिष्या से कहीं बड़ा हास हुआ है । मुझे भारतवर्ष भर में जिन पुत्रियों पर अधिकार का सौभाग्य प्राप्त है, उनमें से एक न रही, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ । और वह इनमें से श्रेष्ठतम पुत्रियों में से एक थी । वह कभी अपने विश्वास से न डिगी, और पारितोषिक अथवा प्रशंसा की आशा किये बिना कार्य करती रही । मैं चाहता हूँ कि बहुत सी पत्नियाँ अपनी पवित्रता और एकाग्र भक्ति से अपने पतियों पर वैसे ही अधिकार स्थापित करेंगी जैसी अन्नपूर्णा ने किया था । उन्होंने जो उलाहना, देश के लिए सेवा करने में अनपूर्णा के अपने प्राण अर्पण करने के वास्ते मुझे दी है, उसे मैं पसन्द करता हूँ । मुझे सन्देह नहीं कि पूर्व इसके कि भारतवर्ष फिर पुरातन काल की भाँति, जैसा करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, पवित्र और स्वतन्त्र हो । बहुत से युवक पुरुषों और स्त्रियों को इसका अनुकरण करना होगा और अपने प्राण समर्पित करना पड़ेंगे ।

## स्त्रियाँ और जवाहिरात

एक तामिल स्त्री टाइटल ने एक पत्र और भेंट भेजी है, जिसका जिक्र उस खत में आया है। वह पत्र भेंट का सदर बरतना है और दूसरों के लिये उदाहरण का काम दे सकता है। मैं मक्षेप में नीचे इसे लिखा रहा हूँ, (समर्पण करने वाले, राज और म्हास का नाम छोट दे रहा हूँ।)

“कुछ पक्षियों आपके पास बत बनाने के लिए लिख रही हैं कि मैंने हीरे की अँगूठी और एक जोड़ी 'डायमंड' जो १० वर्ष पहले मुझे राजकुमार की उत्पत्ति के प्रवचन पर राज में मिली थी, का पासल भेजा है। मुझे यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि राजा का उर्म म्हास ने गुजरने होने पर भी आपको उलाने का साहस न हुआ। मुझे पता चला कि पत्नी गवर्नमेंट के डर से हुआ। आप सोच सकते हैं, जब आपको जाने के बाद उन जवाहिरातों को जो मेरे साथ हैं, देकर मेरे हृदय में कैसी भावनाएँ उत्पन्न हुई होंगी। उन्हें देखकर मेरा जी गुम्मे से भर गया और फिर वह गुस्सा लागा। भूरी जनता के प्रति सरलभृति में परिवर्तित हो गया, जिनके विषय में यहाँ आप बोले थे। मैंने अपने से कहा, “क्या ये जवाहिरात गरीबों के पैरों से नहीं गने हैं? मुझे उन्हें अपने पास रखने का कौन अधिकार है? फिर मैंने उनमें आपके पास भेज देने का निश्चय किया। आप उन्हें खाती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो मेरे चक्र के कौनों में पट रहने की अपेक्षा नहीं उन्नत उपयोग



है। एक मित्र ने उनका मूल्य २००) लगाया है, इसलिए उनकी उतने की बीमा की गयी है। मुझे आशा है कि परिस्थिति में ये आपके पास भेजे गए हैं, उन्हें जानकर कोई सज्जन और अधिक मूल्य देंगे। इस पत्र को आप जैसा चाहें, वैसा उपयोग करें।

जहाँ भय का कोई कारण न हो, वहाँ भी हमारे भीतर भय की कैसी कल्पना होती है, यह बड़ी विचित्रत बात है। बहुत से राजा ऐसे हैं, जिन्होंने खुलेआम और स्खेच्छा से खादी का समर्थन किया है। और इस प्रकार उन गरीबों के भी मसले पर भी जोर दिया है, जिनसे उन्हें अपनी सम्पत्ति मिली है। इसमें सन्देह नहीं कि खादीका राजनैतिक महत्व है, परन्तु हम ऐसी दशा में कभी नहीं पहुँचे हैं कि गवर्नमेंट आसानी से उसे गैर-कानूनी घोषित कर दे। हर मनुष्य का भला चाहनेवाला आन्दोलन राजनैतिक रूप में लाया जा सकता है, लेकिन उस दशा से भी भला चाहनेवाले रूप का बहिष्कार हो तो बड़े दुःख की बात होगी। यह भी सत्य है कि केवल यही ऐसे राजा नहीं, जो खादी का समर्थन करने और मेरे जैसे जनता के सेवक के प्रति उदारता प्रदर्शन करने से डरते हों। यह भी अच्छा है कि राजा द्वारा किये गये मेरे बहिष्कार से यह भेट मिली। किन्तु मैं चाहता हूँ कि जो बहनों मेरे इस लेख को पढ़ें, वे यह अनुभव करें कि दान करनेवाली इस खी को अलग रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे उसको इस बात का भौका मिलता है कि भूखो मरनेवाले लाखों मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्य का वह अनुभव कर सके। बिलकुल साफ है कि जबतक बेकारी के कारण लाखों आदमी और औरते भूख से मरते रहेंगे, बहनों को कोई

अधिकार नहीं कि अपने शरीर के सजाने के लिए या सिर्फ अधिकार के ही लिए बहुमूल्य जवाहिरात का प्रयोग करें। यदि भारत की केवल सम्पन्न स्त्रियों ही सभी तरहकीली-मढ़कीली सजावट छोड़कर सादी का प्रयोग करने लगे, तो उन्हीं से सादी आन्दोलन की धन की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। मैं उस नैतिक परिणाम की बात नहीं कह रहा हूँ, जो भारत की धनी स्त्रियों का यह कदम राष्ट्र या भूमि जनता पर डालेगा।

## स्त्री और आभूषण

एक अखबार में हम बात की कड़ी टीका की गयी है कि मैं जहाँ नहीं स्त्रियों से जेवर हत्यादि भेंट करने की अपील करता हूँ और उन प्रकार दान में मिली चीजों को नीलाम कर देता हूँ। वास्तव में, मैं तो यह पक्का कहूँगा, कि समाजों में उपस्थित होनेवाली हजारों बहनें, अगर सारा नहीं तो अपना ज्यादा-से-ज्यादा जेवर उतार कर मुझे दे दें। इन देणों में जहाँ करोड़ों आदमी पेट की ज्वाला से चल रहे हैं, अधभूखे रहते हैं, जहाँ लगभग ८० फीसदी लोगो को पंचेष्ट पुष्टिकर भोजन नर्मात्र नहीं मिलता, यहाँ आभूषणों का पहनना स्त्रियों को एक अपराध की तरह नटकता है। भारत में स्त्री के पाम पंजी नकद सम्पत्ति बहुत ही कम होती है, जिसे वह अपनी कह सके, जो आभूषण वह पहनती है उसके कहे तो जाते हैं पर उन्हें भी वह अपने स्वामी की अनुमति के बिना दे नहीं सकती, उसे देने का

साहस ही नहीं होता । एक उत्तम कार्य के निमित्त अपनी खास चीज का दान उसे ऊँचा उठा देता है । इसके अलावा अधिकतर यह आभूषण कलाविहीन ही होते हैं । कुछ तो निश्चय ही भद्दे और मैल भरनेवाले होते हैं । कढे, गले की भारी-भारी हँसलियाँ, सिर के आभूषण और पहुँची से लेकर कुहनी तक चूड़ियों पर चूड़ियाँ, ऐसे ही गहनें हैं । सिर के आभूषण घालो को सँवारने के लिए नहीं, बल्कि उम्ले-पुल्ले के बिना धुले और बहुधा बदबू मारते हुए बालों के शृंगार के लिए ही वे पहने जाते हैं । मेरी राय में, कीमती गहने पहनने से देश को साफ ही नुकसान पहुँचता है । इन गहनों से मुल्क की भारी पूँजी रुक जाती है । या इससे भी खराब बात यह होती है कि यह पूँजी दिन-दिन कम होती चली जाती है । मेरा मत है कि आत्म-शुद्धि के इस आन्दोलन में स्त्री या पुरुष के आभूषण-दान से देश का स्पष्ट ही हित होता है । जो बहनें गहने देती हैं, वे राजी-खुशी से ही देती हैं । मेरी यह शर्त अवश्य रहती है कि जो आभूषण-दान कर दे वह फिर न बनवाया जाय । वास्तव में बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैंने उन्हें उन व्यर्थ की चीजों से छुटकारा दिला दिया, जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था । और बहुत से पुरुषों ने भी मुझे धन्यवाद दिया है कि उनके घरों में सादगी लाने का मैं एक साधन रहा हूँ ।

## सिंहाली स्त्रियों से

सिंहाली स्त्रियों की एक सभा में गार्धीजी ने भारत के लाखों भूत-  
लोगों के विषय में कहा था —

‘जब महेन्द्र लका प्राये थे, तो ग्रामिक या शारंगिक न्य से मातृ-  
भूमि की सन्तानें भूरी नहीं थी। उस समय हमारा मित्रारा बुलन्डी पर  
था और तुम लोगों ने भी उस गाँव में भाग लिया था। प्रातः वे भूतों  
संग रहे हैं और उनकी शोर से मैं अपनी भिजा की कोली लेकर यहाँ  
आया हूँ। और अगर तुम अपने को उनसे अलग नहीं मानते, प्रकृत  
उनसे सम्बन्ध स्थापित करने में गौरव अनुभव करने हो, तो तुम मुझे  
केवल अपना धन ही नहीं, बल्कि जेवरगन भी दो जैसा कि और जगहों  
में वहनों ने किया है। जब मैं वहाँ को जेवर से लड़ी हुई दृष्टा हूँ,  
तो मेरी भूरी श्रोत्रों उनपर गौर से देखती हैं। और उनके जेवरगन सांगने  
में मेरा एक अलग उद्देश्य है कि उनके जेवरों के पाँच पागन होने के  
रोग से बचाऊँ। मैं जैसे आजादी के साथ शोर यनों से व्यवहार करता  
हूँ, वैसे ही तुमसे पढ़ता हूँ, “बत कौन-सी चीज है जिसे स्त्रियाँ पुरुषों  
की श्रेष्ठा करने की अधिक सजाती हैं ?” मेरे कुछ महिला मित्रों ने  
कहना है कि वे ऐसा पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये करती हैं तो न  
तुमसे कहता हूँ, यदि तुम समाज से कुछ करना चाहती हो तो पुरुषों के  
प्रसन्न करने के लिए अपने को सजाना छोड़ दो। अगर मैं ही हूँगा  
तो पुरुष के किसी भी ऐसे विचार के विरुद्ध जो स्त्री को अपना पिता

समझें, आवाज उठाता। बौद्धिक रूप से तुम्हारे दिलों में पहुँचने के लिए मैं स्त्री हो गया हूँ। अपनी स्त्री के प्रति मैं जैसा व्यवहार करता रहा था, उसके विरुद्ध व्यवहार करने का जब तक निश्चय नहीं किया, मैं उसके दिल में नहीं पहुँच पाया। अतः मैंने पति होने के कारण जो अधिकार अपने वश में कर रखे थे, छोड़ दिये और उसे उसके सारे अधिकार दे दिये। और आज तुम उसे वैसा ही सरल और सादा देखती हो जैसा मुझे। उसके शरीर पर कोई हार या बहुमूल्य वस्तु नहीं है। मैं तुम्हें भी उसी प्रकार करना चाहता हूँ। अपनी भक्त या भावनाओं के गुलाम मत बनो और न पुरुषों के ही। अपने को मत सजाओ और सुगन्धित वस्तुओं तथा 'लेबैंडर' इत्यादि का खरीदना छोड़ दो। यदि तुम्हें सच्ची सुगन्ध की चाह है तो अपने हृदय से सुगन्ध उत्पन्न करो और फिर मनुष्य नहीं, मनुष्यता तुम से प्रसन्न होगी। वह तुम्हारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। पुरुष स्त्री से उत्पन्न हुआ है। वह उसके मांस से अपना मांस, उसकी हड्डियों से अपनी हड्डियाँ पाता है। तुम अपनी स्थिति को पहचानो और फिर अपना सन्देश दो।

इसके पश्चात् गान्धीजी ने उनके सामने सीता की पतिव्रता का उदाहरण रखा और मिस श्लोसिन की कहानी बतायी, जिन्होंने अपनी पतिव्रता और निर्भीकता के बल से दक्षिणी अफ्रीका में (पठानों, डाकुओं और सदिग्ध चरित्रवाले लोगों को मिलाकर) हजारों को सुसज्जित और संगठित किया था और अन्त में यह बताया कि सच्चा सम्मान किसमें है।

तुम्हें सत्य है नेवो और बगीचों में काम करनेवाली तुम्हारी बहनों की कैसी भयानक अवस्था है ? उन्हें अपनी बहन जान कर उनके बीच में जाओ और अपने स्वास्थ्य तथा सफाई के सान से उनकी सेवा करो। ऐसा समझो कि तुम्हारा गौरव उनकी सेवा में है और क्या सेवा का कार्य तुम्हारे निकट नहीं है, गुंमे लाग है जो गुच्छे हैं, पानेवाले जो समाज के लिए घातक है। उनके बीच में निर्भीकता-पूर्वक जाओ और उनकी घुरी आदतें दूर करो। जिस प्रकार 'सुक्ति-सेना' का कुछ लडकियाँ चोरो, गुच्छों, जुआडियों और मधयों की गुफाओं में जाकर उनके पैरों पड़ती है और अपने नाना प्रकार के यत्नों से उन्हें ठीक रास्ते पर लाती है। इस प्रकार की सेवा तुम्हारे जेवरों और बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षणा अधिक सुमजित करेगा। फिर तुम जो रुपया बचाओगी और गरीबों में बाँटोगी, मैं उसका सरपक बनूंगा।

मेरी प्रार्थना है कि मेरा यह सन्देश तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बनाये।

## निश्चित त्याग करो

गांधीजी के हरिजन दौरे के दरमियान मद्रास में उनके हस्ताक्षर के लिए एक लडकी ने ५) का नोट दिया ।

गांधीजी ने कहा, “नहीं एक कंकण ।” उस लडकी ने अपने दोनों कंकण उतार डाले और ५) का नोट भी दिया ।

गांधीजी ने पूछा, “क्या इसे देने के लिए तुमने अपने माँ-बाप की आज्ञा ले ली है ? अगर तुम चाहो, तो अपने कंकण ले लो ।” लडकी ने यह कह कर कि उसे वह निशानी के रूप में रखेगी, एक ले लिया ।

“क्या तुम अपने माँ-बाप से नया कंकण नहीं माँगोगी ?”

लडकी ने दृढतापूर्वक उत्तर दिया, ‘नहीं’ ।

‘तो मुझे ले जाने दो’ और लडकी मुस्कराती हुई चली गयी ।

एक दूसरी लडकी ने कहा ‘बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं कोई वस्तु कैसे दूँ ?’

‘नहीं देना चाहिए, परन्तु क्या तुम्हारे पिता स्वयं सारी स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं, तुम्हें नहीं देते ?’

एक नवविवाहिता लडकी ने कहा, “मैं आपको रुपया दूँगी, परन्तु अपने जेवरात नहीं, क्योंकि यदि कोई जेवर दूँ तो निश्चय ही उसकी जगह दूसरा मिल जायगा जो कि आप न पसन्द करेंगे । मैं अपने जेवरात तभी दूँगी, जब हमेशा के लिए उनसे अलग हो सकूँ ।”

“तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारा रुपया नहीं चाहता । रुपया तो

तुम्हारे बाप से पा सकता है, तुमसे तो जेवर ही लेना चाहता है। और गर्त यह है कि उनकी जगह दूसरे न आयें। मैं गर्तिपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करूँगा, जब तुम स्वयं आकर मेरे हाथों में उन्हीं रखोगी ?”

विजगापट्टम में मंत्रियों से त्याग करने के लिये जो शब्द कहे थे, वे विशेष गम्भीर भावनाओं से पूर्ण थे। उन्होंने कहा —

‘हरिजन का प्रश्न आग है। आग में जितना भी घी डालो, उतना ही और चाहती है। इसी प्रकार हम कार्य के लिए जितना ही द्यो, उतना ही और चाहिए। जो इसके लिए देते हैं, वे लाभ उठाते हैं, उनकी हानि नहीं होती। और जो नहीं देते वे, मरते हैं। देने से तुम्हें यश मिलता है। और न देने से तुम अपने को ही मरोती हो। क्योंकि तुम्हें से स्वर्ग हिन्दू हरिजनों को उवाते चले आये हैं और अब यदि हमारे घुरे दिन आये हैं तो हरिजनों के प्रति किया गया व्यवहार हमारे लिए छोटा कारण नहीं है, यह मेरा विश्वास है। इसलिए भारत की गियों से हम शत्रु के भूत को अपने हृदय से निकाल भगाने को कहता हूँ। यह गन्त है। पाप है कि हम कुछ लोगों को अपने से नीचा समझें। भगवान की धरता पर कोई उँचा-नीचा नहीं है। हम सब उसीके प्राणी हैं, और जिस प्रकार मा पाप की निगाह में सभी बच्चे समान होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की आँखों में सभी प्राणी बराबर समान होते हैं। हम-लिये मैं कहता हूँ कि मेरे कथन से विन्यास करो कि धर्म में अट्टा के लिये कोई समर्पण नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने पाप से हरिजन को अपने हृदय से निकाल दो अपने घरों से हरिजन बचाओ और आग



करो । हरिजनों के घर में जाओ, उनकी देखरेख करो और हरिजन स्त्रियों से अपनी बहनों की तरह बात चीत करो ।

यह हरिजनों का प्रश्न विशेषकर भारत की स्त्रियों के लिए है । मुझे आशा है कि तुम इस स्थान की हिन्दू-स्त्रियाँ, अपना कर्तव्य करोगी । मैं आशा करता हूँ कि तुमसे जो अंशतः या पूर्णरूप से अपने जेवर देना चाहें, देंगी । अगर तुम कोई भी चीज दो, तो उसकी जगह दूसरी न लेना चाहिए । मैं चाहता हूँ, तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करो कि तुमने इस काम के लिए कुछ दिया है जो रुपया या नोट से नहीं कर सकती, क्योंकि वे तुम्हें माँ-बाप से या पति से मिलते हैं । परन्तु जेवर तुम्हारी अपनी सम्पत्ति है । जब तुम बिना दूसरा लेने की इच्छा के अपने जेवर मुझे देती हो तो यह निश्चित रूप से तुम्हारा निजी त्याग है । तुममें से जिन्होंने मेरे सन्देह का भाव समझ लिया है, मैं चाहता हूँ कि वे ऐसा निश्चित त्याग करें । '

## स्त्रियों का सच्चा आभूषण

हरिजन दौरे में मैसूर की एक सभा में गांधीजी ने कहा —

“स्त्री का सच्चा आभूषण उसका चरित्र है। धातु और पत्थर कभी सच्चे आभूषण नहीं हो सकते। अपने गुणों के कारण सीता और दमयन्ती हमारे लिये अभी तक पवित्र हैं, (यदि पहनती भी रही हों तो भी) अपने आभूषणों द्वारा नहीं। तुम्हारे जेवर मॉगने में मेरा धीर भी उद्देश्य है। बहुत सी बहनों ने कहा है कि अपने जेवरों से अलग होने पर उन्हें और आनन्द मिलता है।” दूसरी सभा के पहले उन्होंने कहा, “मैंने इसे कई प्रकारसे सुन्दर कार्य समझा और कहा है। जबतक अपनी सम्पत्तिका पर्याप्त अंश गरीबों और असहायों को न दे दे, किसी भी स्त्री को धन रखने का अधिकार नहीं है। यह एक धार्मिक और सामाजिक अनुग्रह है, और भगवद्गीता में इसे त्याग कहा गया है। जो त्याग नहीं करता, वह चोर है। गीता ने कई प्रकार के त्याग कहे हैं, और गरीबों तथा असहायों की सहायता से बढ़कर कौन सा त्याग हो सकता है? हमारे लिए तो नीच-ऊँच का भेद भूल जाने से तथा सभी मनुष्यों को एक-सा समझने से बढ़कर कोई त्याग नहीं है। मैं भारत की स्त्रियों को घता देना चाहता हूँ कि शरीर को धातु और पत्थरों से सादने से सजावट नहीं होती बल्कि हृदय को पवित्र करने तथा आत्मा का सौंदर्य बढ़ाने में।”

एक अन्य अवसर पर उन्होंने अन्नपूर्णा देवी के त्याग का उदाहरण

दिया जो सेवा और त्याग की मिसाल अपनी वहनों के सामने रखने में सबसे प्रथम थीं, और बोले, “जिस दिन वे मुझसे मिलीं, उसी दिन अपने सारे जेवर उतार डाले। स्त्रियों ने यह दृश्य देखा, वे आश्चर्य में पड़ गयीं कि क्या हो रहा था और फिर जेवरों की वर्षा होने लगी। क्या तुम्हारा यह विचार है कि जेवरों के उतार डालने पर वे कम सुन्दर लगती थीं ? मुझे तो और अधिक सुन्दर मालूम पड़ती थीं। अँग्रेजी में एक कहावत है, “सुन्दर वह है जो सुन्दर कार्य करे।”

---

## कौमुदी का परित्याग

अपने अनुभव पूर्ण व्यस्त जीवन में मुझे कई एडव ड्रावक दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। परन्तु यह लिखते समय मुझे हरिजनो के प्रश्न से अधिक करण दृश्य नहीं याद आ रहा है। चादागारा में मैंने अभी अभी स्त्रियों से जेवरात भेंट करने के लिये अपील कर चुका था। उन भेंटों को व्याख्यान के बाद मैं रेंच रहा था, कि कौमुदी जो एक १६ साल की लड़की थी, धीरे से प्लेटफार्म तक आयी। उसने अपना एक ककण उतारा और मेरा हस्ताक्षर माँगा। मैं उसके लिए तैयारी ही कर रहा था कि दूसरा ककण भी निकल आया। हर हाथ में एक-ही-एक थे। मैंने कहा, “तुम्हें दोनों देने की आवश्यकता नहीं। मैं एक ही से हस्ताक्षर दे दूँगा।”

उसने अपने सोने के हार से मेरी बात का उत्तर दिया। यह कोई साधारण कार्य न था। इसे लम्बे गालों के प्लेट में अलग करना था। किन्तु मालचार लड़की जैसी होती है, कौमुदी को हजारों पादमिया और औरतों की आश्चर्य-भरी सभा में ऐसा करने में कोई कृती लज्जा नहीं आयी। “परन्तु तुमने अपने मां-बाप की आज्ञा ले ली है ?” मैंने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अभी तक अपना त्याग पूर्ण नहीं किया था। उनके हाथ स्वतः कानों पर पट्टेचे और जनता की गूँजती हुई आवाज के बीज में उसने अपने घेगकीमती ‘हपरिंग’ कानों में निक्काट लिये। (जनता की हर्षध्वनि अच रू नहीं सकती थी।) मैंने पूछा

कि क्या उसे ऐसे त्याग के लिये माँ-बाप की सम्मति मिल गई थी। इसके पहले कि उस शर्मिली लड़की से मुझे कोई उत्तर मिले, मुझे किसी ने बताया कि उसके पिता उस सभा में थे और नीलाम की चीजों के बेचने में सहायता कर रहे थे और वे अच्छे कामों के लिए वैसे ही उदार थे जैसे उनकी लड़की। मैंने कौमुदी को याद दिलाया कि इनकी जगह नये जेवर न लिये जायँ और उसने दृढ़ता पूर्वक शर्त मान ली। उसे अपने हस्ताक्षर देते समय मैं उस पर यह नोट देने से अपने को न रोक सका, “तुमने जो जेवरात उतारकर अलग कर दिये हैं, तुम्हारा त्याग उनसे कहीं सुन्दर आभूषण है।” ईश्वर करे उसका यह त्याग सच्ची हरिजन-सेविका होने का उद्गार हो।

## कौमुदी का महत्वपूर्ण निर्णय

गांधीजी ने एक सोलह साल की मलाचारी लड़की, कौमुदी के त्याग के विषय में लिखा है। कालीकट में गांधीजी के रहने के आगिरि दिन वह अपने पिता के साथ उनसे मिलने आयी। मैं प्रागादारा न जाने के कारण, मैंने कौमुदी को प्रथम बार देखा। इसमें कोई दिग्बाधा न था। वह सज्जनतापूर्वक बात करती थी और गम्भीर थी। उसने इटरमीडिएट तक की शिक्षा पायी थी और वार्तालाप ठीक से समझ लेती थी। गांधीजी उसके त्याग के विषय में थोर जानना चाहते थे। वह यह जानना चाहते थे कि वह सभा में यह त्याग करने का निश्चय करके प्राची थी, या वहीं सभा में ही ऐसा निश्चय किया था।

उसके पिता बोले, घर ही पर उसने ऐसा निर्णय किया था और उसे हम लोगों की सम्मति मिल गयी थी।

“परन्तु क्या उसकी माँ उसको बिना जेवरों के देखकर छुगी न होगी।”

“वह दु सरी होगी पर मेरा विश्वास है कि फिर जेवर पहनने की विवश न करेंगी।”

“परन्तु कुछ समय बाद जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारे पति तुम्हें बिना जेवर के देखना शायद ही पसन्द करें। तब तुम क्या करोगी ? मेरे सामने नैतिक कठिनाई है। मैंने उन लेख में लिखा है कि तुम फिर

कभी जेवर न पहनोगी। अगर तुम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हो तो मुझे लेख के इस अंश को बदलना पड़ेगा या तुम्हें अपने पति का घोर विरोध करना पड़ेगा। तुम एक मलाबारी लड़की कर सको या तुम्हें ऐसा पति चुनना होगा जो तुम्हें बिना जेवरों के ही देखने में सन्तुष्ट रहे। स्पष्ट करो, तुम क्या महसूस कर रही हो।”

कौमुदी ने गाँधीजी का पूर्ण उद्देश्य समझा। उसके सामने एक बड़ा पेचीदा प्रश्न था। उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय करना था। कुछ समय तक विचार करने के पश्चात् उसने एक ही वाक्य कहा, “मैं ऐसा पति चुनूँगी, जो मुझे जेवर पहनने की विवश नहीं करेगा।”

गाँधीजी की आँखें प्रसन्नता से चमक उठीं। मैं अन्नपूर्णा को जानता हूँ। वह विवाहिता थी, फिर भी उसने सभी जेवरात छोड़ दिये थे। और उसने जीवन-भर अपने व्रत का पालन किया था। अब तुम मिली हो। उसके बाद स्त्रियों से कौमुदी के त्याग की चर्चा करते वे कभी नहीं थकते थे।

## कौमुदी का त्याग

हरिजन-मेवक के गवाँर में गांधीजी उम्मी मलाचारी पोटगी के आभूषण-संन्यास के विषय में एक सुन्दर लेख लिख चुके हैं। कालीकट से जिन दिन हम लोग चलनेवाले थे। उस दिन कौमुदी अपने पिता के साथ गांधीजी का दर्शन करने आयी, बरगरा में बापू के साथ में नहीं था, इसमें मैंने पहले ही बार कौमुदी बदन को देखा। छल-कपट तो वह जानती ही नहीं थी। उसने बड़ी नम्रता से बात की। वह मितभाषिणी थी। इन्टरमीडिएट तक वह अंग्रेजी पढ़ी है। बातचीत अच्छी तरह समझ लेती है। उसके त्याग के विषय में गांधीजी और अधिक जानना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा—क्या तू घर से ही आभूषण त्याग का निश्चय करके चली थी ? या उम्मी एण वहाँ सभा में बह निर्णय कर लिया था ?”

कौमुदी के पिता ने जवाब दिया, “घर में ही यह निश्चय करके आयी थी। हम लोगों से हमने पूछ लिया था।”

“पर यह तो बता, तेरी मां तुम्हें हम प्रकार आभूषण-निर्णय देगाइर नाराज तो नहीं हुई ?”

“नाराज भले हो, पर मुझे विश्वास है कि मरी माता गहने पहनने के लिए मुझे कभी नहीं बाध करगी।”

“लेकिन विवाह तो अब होगा ही, तब तेरे पति दो शायद तेरा यह आभूषण-संन्यास अच्छा न लगे। उस अवस्था में तू क्या करेगी ? मेरे



सामने एक नैतिक कठिनाई है। तेरे इस आभूषण-त्याग पर मैंने “हरिजन” के लिए एक लेख लिखा है। मैंने उसमें लिखा है कि अब कौमुदी कभी आभूषण न पहनेगी। अगर तू ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो उस लेख का वह अंश मैं बदल दूँगा। दो बातें हैं—या तो अपने भावी पति की इस इच्छा का तुझे सामना करना पड़ेगा। एक मलावारी वाला के लिये यह कठिन नहीं है। या फिर तुझे अपने लिए ऐसा वर ढूँढना होगा, जो तेरे आभूषण-संन्यास का विरोधी न हो। स्पष्ट बात जो हो, मुझसे कह दे।”

कौमुदी ने कुछ देर तक गांधीजी के शब्दों को सुन कर मन में गुना। बात बढ़ी थी। उसे उसी क्षण निश्चय करना था थोड़ी देर सोच-विचार कर उसने केवल एक वाक्य कहा—हाँ, मैं ऐसे ही वर को पसंद करूँगी जो मुझे गहने पहनने के लिए बाध्य न करेगा।”

गांधीजी की आँखें डबडबा आर्यीं। उन्होंने कहा—“अब तक अन्न-पूर्णा को ही मैंने ऐसा पाया था। उसका विवाह हो चुका था, फिर भी उसने अपने त्याग के अनन्तर आभूषणों का कभी स्पर्श तक नहीं किया। अन्तकाल तक उसने अपना वचन निभाया। आज मैंने कौमुदी तुझे पाया।” उस दिन से जिस किसी महिला सभा में गांधीजी जाते हैं, वहाँ कौमुदी वहन के आभूषण-संन्यास का बखान करते वह कभी थकते ही नहीं।

## महिलाएँ और अस्पृश्यता

गांधीजी के हरिजन दारे के दमियान कई सभाओं के  
व्याख्यानो से उद्घृत किये गये टुकड़े —

### विलासपुर में

बहनां, मैं चाहती हूँ कि विलासपुर में हरिजनों के लिए जितना दे  
सको दो। तुमने अपने मान-पत्र में पृच्छा है कि तुम हरिजना की सेवा  
किस प्रकार कर सकती हो ? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने दिल में  
अस्पृश्यता को जड़ से मिटा डालो और हरिजन-लड़कों और लड़कियों की  
जैसी ही सेवा करो जैसी अपनी की। तुम्हें चाहिये कि उन्हें अपने मन्त्र-  
न्धियों, भाइयों, बहनों पर एक ही भारत माँ की सन्तानों की भोति स्नेह  
करो। मैंने त्याग और सेवा की सजीव मूर्ति की भोति स्त्री-उपासना की  
है। प्रकृति ने तुम्हें जो निस्वार्थ त्याग की भावना दी है उसमें पुण्य  
कभी तुम्हारी समता नहीं कर सकता। स्त्री का हृदय बहुत नम्र होगा  
है, जो दुःख को देख कर पिघल जाता है। यदि तुम्हारा हृदय हरिजना  
का दुःख देखकर द्रवित हो जाता है और तुम उसे छोटे-दटे के भेद-भाव  
के साथ मिटा दो, तो हिन्दुत्व पवित्र हो जाय और धार्मिक विकास का  
जोर काफी बढ़ जाय। अन्त में हमका अर्थ मारे भारत यानी ३५ करोड़  
जनता का भला होगा। और सारी मनुष्य जाति के पाचों हिस्से के पवित्र  
होने से सारी मानवता पर बहुत उत्तम प्रतिक्रिया होगी। हम आन्दोलन  
में ऐसे दूर ले जाने वाले परिणाम हैं। यह एक बड़ा आन्दोलन है

आत्म-पवित्रता का । मैं आशा करता हूँ कि तुम पूर्णरूप से इसमें अपना भाग लोगी ।

## दिल्ली में

८

ईश्वर जो सभी प्राणियों का कर्ता है, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है । यदि उसे नीच-ऊँच में कोई भेद-भाव होता तो उनमें बाह्य अन्तर होता । उदाहरण के लिए जैसे हाथी और चींटों में होती है । परन्तु उसने सभी मनुष्यों को एकता-रूप और एक ही स्वाभाविक आवश्यकताएँ दी हैं । यदि तुम हरिजनो को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा के कारण अछूत समझते हो, तो कौन माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं करती ? हरिजनों को, जो समाज के सबसे उपयोगी सेवक हैं, अछूत और जाति से वहिष्कृत समझना अन्याय की हद है । मैं हिन्दू-बहनों के भीतर इस पाप के विषय में चेतना जाग्रत करने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ । हम किसी भी मनुष्य को अपनेसे छोटा समझें, यह तो कभी अच्छा काम नहीं हो सकता । हम सब उस ईश्वर के उपासक हैं, जिसे विभिन्न नामों से हम पूजते हैं । अतएव हम अपनी एकता का अनुभव करें और अछूत के साथ-साथ मनुष्यों के बीच ऊँच-नीच का भेद-भाव भी छोड़ दें ।

## मद्रास में

यहाँ मैं तुमसे एक माँग करने आया हूँ । यह बिलकुल भूल जाओ कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हैं । यह भी भूल जाओ कि कुछ स्पृश्य

श्रीर कुछ अस्पृश्य हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ही भाँति तुम सब ईश्वर से विश्वास करते हो और पुरुष-पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच में भेदभाव करने तक की क्रूरता भगवान् में नहीं हो सकती। यह अमृत हिन्दुत्व पर मरने बड़ा धन्ना है और मैं यह कहने से नहीं हिचकता कि यदि यह रह गया, तो हिन्दुत्व समाप्त हो जायगा। यदि कोई ईश्वर के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग करे तो ईश्वर हमारे साथ बहुत शान्त रहा है। परन्तु मुझे यह मानने में हिचक नहीं कि भारत में हिन्दू लोग जो या अत्याचार करते रहे हैं, उसे देखकर उमका वैद्य भी टूट जायगा।

### बङ्गलौर में

जब हम किसी मनुष्य को अपने से नीचा समझें, तो हमारे भीतर बहुत बड़ी जुगई है। अगर यह जुगई रह गई, तो हमें ही मरना पड़ेगा। एक भी हिन्दू तपस्या करने तक को नहीं रह जायगा और यह हमारे लिए उचित होगा। मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यही चेतावनी देने के लिए दौरा कर रहा हूँ। इसलिए तुम हरिजनों को सगा भाई बहन समझने लगे, तो बहुत बड़ा कार्य होगा।

कुछ हरिजन बस्त्रों देवने के बाद, जो मैसूर की असेम्बली वहाँ पुरी राजत में थीं, उन्होंने दूसरी सभा में कहा —

मेरी हम बहावत से विश्वास है कि हमें दूसरा के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा हम उनसे अपने प्रति प्रार्थना करते हैं। फिर भारतियों को हमने अभी देखा है, वे मनुष्यों के लिए बिल्कुल अस्पृश्य हैं।

है। रहने का एक ऐसा भी धरातल है, जहाँ मनुष्यता को धक्का पहुँचाये बिना हम आ सकते। ये वस्तियाँ उससे भी नीची कोटि की हैं। मैं चाहता हूँ कि उस स्थान पर एक सुन्दर स्थान कहा जाता है, यह धब्बा सबसे पहले मिटाया जाय। मैंने सुना है कि इन भाइयों और बहनों को रहने की अच्छी जगह देने का प्रबन्ध पहले से हो रहा है। परन्तु तुम मुझसे सहमत होगे कि ऐसा करने में समय का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को ऐसा कहने का अवसर न दो कि ये वस्तियाँ ( जो तुम बनवा रहे हो ) देर से बनीं।

## महिलाओं से दो बातें

वनारस की सी-सभा में, जो गांधीजी के हरिनन्द द्वारे का आन्वित व्याख्यान था, उन्होंने अपृष्टता के विषय में अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट की :—

“यह बड़ी दुःखद बात है कि आज हमारे लिए धर्म का अर्थ यही है कि हम किसी को ऊँचा नीचा समझें और उनके माने-पाने पर रोक धाम करें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने प्रतीकोई भूल नहीं हो सकती। जन्म और कुछ रीति रिवाज किसी को ऊँचा या नीचा नहीं बनाते, बल्कि चरित्र ही के बल से कोई ऊँचा या नीचा हो सकता है। ईश्वर ने किसी को उँच नीच के निशान के साथ नहीं बना दिया है और कोई भी धर्मिक प्रथा जो जन्म से किसी मनुष्य को ऊँचाई-निचाई का निर्धारण करता हो, उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते। यह तो ईश्वर पारमार्थिक का जो ईश्वर है, अप्रतिश्रुत है। ईश्वर जो सत्य और सत्य का पालन है, ऐसे किसी भी धर्म या नियम को नहीं स्वीकार कर सकता जो हमारे पापों या पापों को अज्ञान माने। अतएव मना जाता है कि वह वैधानिक प्रथा को छोड़ दो। जैसे मनुष्य मनुष्य ही परमेश्वरता को नहीं मानता है। यह हम सभी के लिए लागू है। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य को अपनी सफाई कर लें, जैसे ही हम मनुष्य परमेश्वरता नहीं मानें। परन्तु कोई कर्म या व्यवहार किसी मनुष्य को मनुष्य के लिए अयोग्य नहीं कर सकता।

हममें से सभी कुछ कमवेश पापी है। और सभी धार्मिक पुस्तकें (गीता, भागवत, तुलसी-रामायण इत्यादि) कहती हैं कि जो भी उस भगवान की शरण में जाता है, उसका नाम लेता है वह पाप से मुक्ति पा जाता है। यह नियम सभी के लिए है।

इस प्रश्न के लिए एक और परख मैं बता रहा हूँ। हर मनुष्य या उससे छोटी जाति में कुछ विभाजक चिह्न है, जिससे मनुष्य को पशु से और कुत्ते को गाय से भिन्न माना जाता है। क्या अछूतों में भी कोई इस प्रकार का चिह्न है कि वे अछूत समझे जायें? वे उतने ही मानवी हैं, जितने हम में से कोई और। मनुष्यों से निम्न-कोटि के सभी प्राणियों को हम अछूत नहीं मानते। फिर यह पैशाचिक अन्याय क्यों से और कैसे आता है? यह धर्म नहीं है, बल्कि घोर अधर्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम पाप छोड़ दो (यदि तुम्हारे भीतर यह हो)।

सदियों के इस पाप को मिटाने का एक ही मार्ग है। तुम हरिजनों की बस्तियों में जाओ, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनी छाती से लगाओ, उनकी भलाई में दिलचस्पी लो। यह मालूम करो कि उन्हें खाने-भर को भोजन, पीने को स्वच्छ पानी मिलता है या नहीं, उन्हें रोशनी और हवा जिसे तुम अपना अधिकार समझकर उपयोग करते हो, उन्हें भी मिलता है या नहीं। दूसरा तरीका है, कातने का काम शुरू करो और खादी की प्रतिज्ञा लो, जिससे इन लाखों दवाये गये लोगों को सहायता मिलती है। कातने के काम से तुममें और उनमें कुछ समता आयेगी और जो खादी का हर गज तुम पहनोगे, उससे इन हरिजनों

श्रीर गरीबों को कुछ पैसा मिलेगा। आखिरी बात यह है कि हरिजन फण्ड को चन्दा दो, जिसका उद्देश्य इन हरिजनों की भलाई से है।

## पदों को फाड़ फेंको

जब कभी मैं बंगाल, बिहार और मध्यप्रान्त में गया है मैंने वहाँ पदों की प्रथा का और जगहों से अधिक बड़ा पालन देखा है। मगर जब कि मैंने दरभंगे में, रात के समय, शोरगुल से दूर और प्रमुख भागों में अलग, एक सभा में भाषण किया तो मेरे सामने पुण्य ये और और पदों की आद में औरों थीं, जिनका पता मुझे तब तक नहीं चला जब तक कि मुझे बतलाया नहीं गया। यह सभाशेठ था एक प्रनाथालय को खोलने के सम्बन्ध में, मगर मुझे पद के भीतर की महिलाओं ने भाषण करने को कहा गया। उस पद को देखकर जिसके पीछे मेरी श्रोता-मण्डली थी, जिनकी सख्या का मुझे कुछ पता न था, मुझे शोक हुआ। हमसे मुझे बहुत दुःख हुआ और मेरी जितलत हुई। मैंने पुण्यों की ओर से पदों को बचाये रखकर हिन्दुस्तान की गियों पर दिये जाने हुए व्यथाचार पर विचार किया। चाहे किसी जमाने में हमका कुछ भी मतलब न रहा



हो, मगर अब तो यह पाशाविक प्रथा वित्कुल बेकार है। इससे देश को असंख्य हानि हो रही है। आखिरी १० वर्षों में हमने जो कुछ शिक्षा पायी है, हम पर उसका कुछ भी असर न पड़ा-सा मालूम होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शिक्षित परिवारों में भी पर्दा बचा हुआ है और इसलिए नहीं कि वे शिक्षित पुरुष इसमें विश्वास करते हैं, किन्तु वे इसकी मर्दानगी से विरोध न करेंगे और इसे एकवारगी ही मार न भगावेंगे। स्त्रियों की सैकड़ों सभाओं में हजारों स्त्रियों से मुझे बोलने का सुअवसर मिला है, मगर वहाँ के शोर-गुल के कारण सभा में आयी हुई स्त्रियों से बोल कर कुछ प्रभाव डालना असम्भव हो जाता है। जब तक वे अपने आँगन और घर के पिंजरे में बन्द हैं, उनसे और किसी अच्छी बात की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए जब वे अपने को एक बड़े कमरे में जमा पाती हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे व्याख्याता का भाषण सुनें। जब शान्ति छा जाती है, तब भी रोजमर्रा की साधारण बातों में भी उनकी रुचि पैदा करना कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्हें कभी स्वतन्त्रता की ताजी हवा का साँस लेने तो दिया नहीं गया। मैं जानता हूँ कि यह चित्रकुछ बड़ा कर खींचा गया है। इन हजारों बहनों की जिनसे मुझे बोलने का अवसर दिया जाता है, बहुत ऊँची सुसंस्कृति को मैं खूब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि पुरुषों की स्थिति तक वे चढ़ आ सकती हैं। मुझे यह भी मालूम है कि उन्हें बाहर आने का भी अवसर मिलता है। मगर यह पुरुषों के लिए तारीफ की बात नहीं है। सचाल यह है कि वे और बाहर क्यों

नहीं आया है ? हमारी स्त्रियों को भी वह स्वतन्त्रता क्यों नहीं प्राप्त है, जो पुरुष भोगते हैं ।

पवित्रता कुछ पदों की आड में रखने से ही नहीं पनपती बाहर से यह लादी नहीं जा सकती । पदों की दीवार से उनकी रक्षा नहीं की जा सकती । उसे तो भीतर से ही पैदा होना होगा । और अगर उसका कुछ मूल्य होना है, वह सभी प्रकार के बिना बुलाये आकर्षणों का सामना करने योग्य होनी चाहिये । वह तो सीता की पवित्रता सी उद्धत होगी । अगर वह पुरुषों की नजर को सहन न कर सके, तो उसे बहुत ही साधारण चीज कहना होगा । मर्दों को अगर मर्द होना है, तो उन्हें इस लायक बनाना होगा कि अपनी औरतों का वे वैसा ही विश्वास कर सकें जैसा कि औरतों को उनका करना पड़ता है । हमारे एक प्रग में पूरा या अधूरा ही सही, मगर लकड़ा मारे टुण्ड न होना चाहिए । राम का कही ठिकाना न लगता, अगर सीता भी उन्हीं जैसी स्वतन्त्र और स्वाधीन नहीं होतीं मगर स्वतन्त्रता के लिहाज से द्रौपदी का उदाहरण शायद उपादे माकूल होगा । सीता कोमलता का अवतार थीं, वह नाजुक फूल थी, द्रौपदी थीं विशाल बट वृक्ष, अपनी प्रदम्य रक्षा के प्राणे भीम को उसने मुँहा दिया । उसके लिए भीम भयकर थे, मगर द्रौपदी के सामने वह भी शान्त गाय बन जाते थे, पारउवो में से किन्ही की भी रक्षा की उसे जरूरत न थी । हिन्दुस्तान के खींच के विज्ञान का आज हम विरोध करके हिन्दुस्तान के पुरुषत्व के विकास को रोक रहे हैं । अपनी स्त्रियों और पट्टा के प्रति हम जो कर्मार्ह करने हैं, पही

हजार गुना बढ़कर हमारे आगे आती है। हमारी निर्बलता, अनिश्चयता, संकीर्णता और बेवस का यह एक कारण है। इसलिए हम एक बार महान प्रयत्न करके इस पदों को फाड़ फेंकें।

## पदों की कुप्रथा

बिहार के बहुत से प्रभावशाली पुरुषों और लगभग उतनी ही स्त्रियों द्वारा हस्ताक्षर की गयी एक अपील, पदों को बिल्कुल समाप्त कर देने के लिए अभी अभी निकाली गयी है। पचास से अधिक स्त्रियों ने उसपर हस्ताक्षर किये हैं। यही प्रकट करता है कि यदि जोरदार काम किया गया, तो बिहार से पदां भूतकाल की चीज हो जायगी। यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिन स्त्रियों ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं वे पश्चिमी रोशनी से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि कट्टर हिन्दू। यह निश्चित रूप से तय करता है —

“हम लोग चाहती है कि इस प्रान्त में स्त्रियाँ घूमने फिरने और जाति के जीवन में अपना उचित काम लेने के लिए उतनी ही स्वतन्त्र हों, जितनी कर्नाटक, महाराष्ट्र और मद्रास में भारतीय बहनें बिना न रङ्ग में रंगा करती हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आरोपित

परतन्त्रता को छोड़कर पाश्चात्य ढङ्ग का लाना जलती कढ़ाई में से निकल कर आग में कूटना होगा और साथ ही पट्टों को अवश्य ही समाप्त करना है, यद्यत् कि इन स्त्रियों को भारतीय आदर्शों के ढङ्ग से विकसित होना है। अगर हम चाहते हैं कि वे जीवन को गति और मार्तण तथा जीवन में और इसका नैतिक स्तर ऊँचा करें, अपने पति की सहायक-सहिनी बनें, घर की सुन्दर प्रबन्धक और जाति की उपयोगी सदस्या हो तो जिस रूप में हैं, अवश्य ही मिट जाना चाहिए। असल में जब तक चूँचट न हटाया जायगा, कोई भी स्वाम कदम उनकी भलाई के लिए नहीं उठाया-जा सकता। और हमारा विश्वास है कि यदि एक बार हमारी आधी आवादी को जो कैद है, आजाद कर दिया गया, तो पूर्ण शक्ति उत्पन्न होगी, जो ठीक पध-प्रदर्शन करने पर हमारे प्रान्त के लिए अपरिमिति उपयोगी होगी।”

मैं जानता हूँ, बिहार में पट्टे ने कितनी हानि की है। और यह आन्दोलन ठीक ही समय पर प्रारम्भ किया गया है।

हम आन्दोलन का प्रारम्भ प्रायः शीघ्र ही शुरू है। प्रायः समानन्त मिश्र जो एक स्वामी के काम करनेवाले हैं अपनी स्त्री को पट्टे से बचना चाहते थे। जैसे चूकि लोग लड़की को आश्रम (मार्तणनी) जाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने आश्रम से दो लड़कियाँ अपनी स्त्री की सहिनी के रूप में लीं। उनमें से एक राधाप्रहल, मगननाल गाँधी की लड़की हमकी मिदिका होनेवाली थी और उनके साथ स्वर्गीय उत्तरदाता (गिरि जी) लड़की दुर्गा देवी थी। विवाहित लड़की के माता-पिता यह नहीं चाहते

थे कि श्रीमती मिश्रा को पर्दे से अलग किया जाय। उन लडकियों ने सभी कठिनाइयाँ झेली। इस बीच मगनलाल गाँधी अपनी लडकी को देखने तथा उससे, चाहे वह कितना ही हठ करे, वहाँ से छिपाकर हटा ले आये। वे उसी गाँव में जहाँ राधावहन काम कर रही थी, बीमार हुए और पटना में उनका देहान्त हो गया। अतएव बिहार के लोगों ने पर्दे के विरुद्ध लड़ने के लिए (यह उसके सम्मान की रक्षा थी) तैयार हो गये। राधावहन अपना सन्देश आश्रम लायी उनके वहाँ आने से खलबली मच गयी और उनके पति विवश हो गये कि और भी जोश के साथ इस युद्ध में भाग लें, वैसे तो वे पहले से ही तैयार थे। इस प्रकार यह आन्दोलन व्यक्तिगत आधार पर स्थित होने के कारण बहुत आशा-पूर्ण दिखाई पड़ता है इसके आगे बिहार का वह सैनिक, राजेन्द्र बाबू हैं, जो कई संग्रामों में नेता रह चुके हैं। मुझे एक भी ऐसा आन्दोलन याद नहीं आता जिसका उन्होंने नेतृत्व किया हो और वह बुझ गया हो।

अपील से दूसरी आठ जुलाई तारीख निश्चित की गई है जब इस प्रथा को दूर करने के लिए प्रभावशाली संग्राम छिड़ेगा जिसके कारण बिहार की आधी आबादी पर सामाजिक सेवा में योग देने के लिए प्रतिबन्ध है और जिसके कारण उन्हें बहुत-सी स्वतन्त्रता जैसे प्रकाश और वायु तक की नहीं मिलती। जितनी ही जल्द यह महसूस किया जायगा कि ये सामाजिक प्रथाएँ हमारे स्वराज की ओर के विकास को रोकें हैं, अपने उद्देश्य की ओर हमारी उतनी ही उन्नति होगी, और स्वराज मिलने तक के लिए समाज-

सुधार रोक रग्ने का अर्थ 'स्वराज' का अर्थ न जानना है। यदि हम अपनी आधी आजादी को इसी प्रकार शक्तिहीन बनाये रहें, तो किसी भी जाति से अपनी रक्षा या उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकते।

हम लिण्ड विहार के नेताओं को पट्टे के विरुद्ध संग्राम में भाग लेने के लिए प्रधाई देता हूँ। नाम तौर से सुधारों की सफलता जैसे ही सभी सुधारों की काम करनेवालों की पवित्रता पर निर्भर है। बहुत कुछ तो उन स्त्रियों पर निर्भर होगा जिन्होंने अर्पील पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि वे पट्टे को हटा देने पर भी भारतीय शील को सुरक्षित रखेंगी और सभी दृष्टिनाटकों का व्यावहारिक सुकायला करेंगी, तो सफलता बहुत गीघ्र मिलेगी। यदि पट्टे का आन्दोलन ठाक स चलाया जाय, तो विहार की स्त्रियाँ और पुरुषों को दोनों प्रकार की दक्षिण जिजा भी मिलेगी।

## बिहार में पर्दा

एक मित्र ने अपने पत्र में लिखा है कि पर्दों के विरोध में जो प्रदर्शन बिहार के बड़े-बड़े केन्द्रों में इसी माह की आठवीं तारीख को किया गया था, उसका आशातोत परिणाम हुआ। पटना की 'सर्चलाइट' की रिपोर्ट इस प्रकार है :—

“इसी ८ जुलाई रविवार को राधिका सिनहा इन्स्टीट्यूट में स्त्रियों और पुरुषों का बड़ा सुन्दर सम्मिलित दृश्य देखने में आया। घनघोर वर्षा होने पर भी जो सभा के ठीक समय पर बन्द हो गयी, भीड़ आशा से अधिक थी। उस बड़े हाल का आधा हिस्सा स्त्रियों से भरा था, जिनसे से ३ ऐसी थीं, जो एक दिन पहले नहीं, एक घण्टे पहले पर्दों में थी।”

वहाँ निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया .—

“हम पटना के पुरुष और स्त्री, जो यहाँ एकत्र हैं, उस पर्दा की घातक कुप्रथा को बहिष्कृत कर चुके हैं, जिससे देश की विशेषकर स्त्रियों को अपरिमित हानि हुई है और हो रही है, और अन्य प्रान्तों की स्त्रियों से जो सुविधे में हैं, हमारी अपील है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इसे समाप्त कर दें, और इस तरह अपना स्वास्थ्य और शिक्षा विकसित करें।”

पर्दों के विरुद्ध जोरदार प्रचार करने के लिए एक अस्थायी कमेटी बनाई गयी थी। स्त्री-शिक्षा-प्रसार के लिए भी एक कमेटी बनी थी। एक तीसरे प्रस्ताव द्वारा हर नगर और गाँव में महिला-समितियाँ बनायी

गई थीं। और एक चौथे प्रस्ताव में पास किया गया था कि विभिन्न स्थानों पर महिला स्कूल खुलें, जहाँ कुछ समय स्त्रियाँ रहें और उन्हें अच्छी पत्नी, योग्य माताएँ, और देश की उपयोग नेत्रिकाएँ बनने की शिक्षा दी जाय। उसी स्थान पर ५०००) देने के चाहे हो गये, और मैं देखता हूँ कि स्त्रियाँ में से बहुत-सी ऐसी चन्दा देनेवाली थीं, जिन्होंने २५०) और २५) के बीच में कुछ धन भी दिया था। इस पत्र ने विहार के कई स्थानों की ऐसी सभाओं की रिपोर्टें ड़ापा हैं। यदि या आन्दोलन सुसंरक्षित है और दिलचस्पी से किया गया तो पढ़ाई भूत का चीज हो जायगा। यह कोई अंगरेजी सीखे से बला आन्दोलन नहीं है। यह हमें कष्टर लोगों का हार्दिक आन्दोलन है, जो स्वभावतः कष्टरों, फिर भी हिन्दू समाज की सुराहिया को जानते हैं। चाणू वृजकिशोरप्रसाद और राजेन्द्रप्रसाद जो दूर लन्दन से ध्यानपूर्वक हमें देख रहे हैं, और इसका समर्थन कर रहे हैं, भारतीय मनुष्यता के पक्ष में मानने नहीं। वे पढ़ाई हिन्दू और भारतीय मनुष्यता और परिपाटी के माननेवाले हैं। वे पश्चिम के अन्व अनुकरण करनेवाले नहीं हैं, फिर भी उनमें जो धरदाई है, उसे लेने में सकोच नहीं करते। इसलिए कारण और विचार करने वालों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि यह आन्दोलन उनकी हिन्दूत्वानी संस्कृति, विशेषकर स्त्रियों के नादर्य और गाल के लिए किसी प्रकार हानिकारक सिद्ध होगा।



## बर्मा की महिलाओं से

गांधीजी ने मौलमीन की एक सभा बर्मा के लोगों को सुझाया कि वे यदि स्वावलम्बी तथा सुखी होना चाहें, तो चरखा चलायें और औरतों से उन्होंने कहा, इस समय तुम जिस प्रकार स्वतन्त्रता से रह रही हो, वैसी कहीं की भी स्त्रियाँ नहीं रह रही हैं। अपनी कुशलता और व्यवसाय के लिए तुम प्रसिद्ध हो। तुम्हारे भीतर संगठन की बड़ी शक्ति है और यदि तुम अपनी विदेशी बहुमूल्य वस्तुओं की रचि में सुधार कर लो और सादगी को अपना लो, जैसा करने के लिए मैंने अभी कहा है, तो तुम्हारे जीवन में क्रान्ति हो जाय।

धूम्रपान के भयानक रोग के विषय में कहने का मुझमें साहस ही नहीं। परन्तु मैं समझता हूँ, बर्मा में मुझे कोई स्त्री या पुरुष इससे बचान मिलेगा। हम लोग जो भारतवर्ष से आये हैं, सुन्दर बर्मा की सुन्दर स्त्रियों को चुरुट और सिगरेट से अपने मुँह खराब करते देखकर दुःखपूर्ण आश्चर्य करते हैं। किन्तु मैं जानता हूँ कि ऐसी बुराई के विषय में कुछ कहना ही कठिन है, जो सारी दुनिया में छाई हुई है। अगर तुमने टॉल्स-टाय का नाम सुना है, तो मैं उन्हीं का शब्द दुहराता हूँ, जो एक बड़े धूम्रपानी थे, और उन्होंने अनुभव किया कि तम्बाकू से लोगों का दिमाग भटा हो जाता है और दूसरी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाती हैं। सचमुच उन्होंने उदाहरण के साथ सिद्ध किया है कि कुछ बड़े बड़े जुर्म धूम्रपान के

मावों में पटक कर किये गये हैं और अपनी एक कहानी में एक मनुष्य को उन्होंने खून करते हुए दिखाया है और ऐसा मद्यपान करके उसने नहीं किया, वल्कि धूम्रपान करके जो कि धूम्रपान के कुछ बड़े बुद्धिशाली लोग हैं। इसके विरोध में भी एक शक्ति लड़ रही है और उसमें पश्चिम के बहुत उच्चकोटि के नैतिक व्यक्ति हैं।

## पुरुष और स्त्रियाँ

प्रश्न—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप पुरुष या स्त्री-सभ्यताग्रहियों का स्वच्छन्दता पूर्वक मिलना जुलना और उनका एक साथ काम करना पसन्द करेंगे अथवा अलग-अलग दृष्टियों के रूप में उनका संगठन करना और हरेक के कार्य-क्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित कर देना प्रच्छा होगा ? मेरा अनुभव तो यह है कि पहले बड़ा से निर्धन रूप से पर्याप्त परिणाम में अनुशासन हीनता तथा भ्रष्टता पैदा होगी, और ऐसा हुआ भी है। अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो हम मन्भवनीय बुराई का मुकामला करने के लिए आप कोन सा नियम सुझावेंगे ?

उत्तर—मैं तो अलग-अलग संगठन ही पसन्द करूँगा। औरतों के पास औरतों के बीच करने के लिए काफी से ज्यादा काम है। हमारा स्त्री वर्ग बुरी तरह अपेक्षित है, और उनके बीच काम करने के लिये विशुद्ध सचाई वाली सैकड़ों बुद्धिमती स्त्री कार्यकर्त्रियाँ की जरूरत है। सिद्धान्त की दृष्टि से भी मैं स्त्री-पुरुष दोनों को अलग-अलग अपना

काम करने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बन सकता। दोनों के बीच में सम्बन्ध पर विवेक का नियन्त्रण होना चाहिये। दोनों के बीच कोई अन्तराय न होना चाहिये। उनका परस्पर का व्यवहार प्राकृतिक और स्वेच्छा-पूर्ण होना चाहिये।

## स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है

प्रश्न—क्या अविरोध अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के सम्मुख हार मानना नहीं है ?

उत्तर—निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों के लिए है, परन्तु जिस प्रकार के प्रतिरोध के लिए मुझे विलकुल नया नाम निकालना पडा था, वह शक्तिशालियों के लिये है। इसका उद्देश्य समझाने के लिये मुझे नया नाम निकालना पडा था। परन्तु इसका अनुपम सौन्दर्य इसी में है कि जो कि यह शक्तिशाली व्यक्ति के लिये है, फिर भी शारीरिक रूप से दुर्बल अवस्था के कारण शक्तिहीन यहाँ तक कि बच्चों के भी प्रयोग के लिये है, वशतें कि उसका हृदय शक्तिशाली हो। और चूँकि सत्याग्रह में प्रतिरोध स्वयं कष्ट सहन करके किया जाता है, स्त्रियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। गत वर्ष यह देखा गया कि स्त्रियाँ कई जगहों पर सहन-शक्ति में अपने भाइयों से कहीं अधिक सफल रहीं। और दोनों ने उस आन्दोलन में बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि स्वयं सहन करने की भावना औरों में भी फैली और लोगों ने आत्म-निराकरणके आश्चर्य-जनक कार्य किये। मान लीजिये कि योरोप की स्त्री और बच्चे मानव के

प्रति ऐस की भावना में भर जाये तो वे पुरखों को तृप्तन की तरह प्रपन्न में समेट लेंगे और बहुत थोटे समय में सैनिकवाद को नष्ट कर देंगे। इसका रहस्य यह है कि स्त्रियाँ बच्चे और दूसरे लोगों में एक आत्मा समान शक्ति के साथ काम करती हैं। प्रश्न केवल मात्र ही अर्थात् शक्ति को बाहर लाने का है।

## स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता

प्रश्न—जायदाद पर विवाहित स्त्रियों के अधिकार-सन्ध्या दानों के सुधार का चन्द्र लोग इस विना पर विरोध करते हैं कि स्त्रियों का आर्थिक स्वतन्त्रता से उनमें दुर्गन्ध फैलेंगा, और गृहस्थ जीवन हटकर विचर जायगा, इस सवाल पर आपका क्या उत्तर है ?

उत्तर—मैं इस सवाल का जवाब एक दूसरा सवाल पृष्ठ पर दूंगा ? क्या पुण्यपुत्री स्वतन्त्रता और मिल्लियन पर उनके प्रभाव ने पुरखों में दुर्गन्ध का प्रचार नहीं किया है ? अगर तुम उसका जवाब 'हां' में देते हो, तो फिर औरों के साथ बर्तन घटित होने दो और जब औरों को भी मिल्लियन के अधिकार तथा दानों में भी उनकी पुण्या जैसे एक मिल्ल जायेगे, तब यह पता चलेगा कि ऐसे अधिकारों के उपयोग पर उनके पाप-पुण्य की जिम्मेदारी नहीं है। जो सदाचरण विधि पृथक् या मूर्खों का निस्महायता पर निर्भर है, उनमें प्रशंसा के योग्य कोई बात नहीं है। सदाचरण तो हमारे हृदयों की शुद्धता एवं निर्मलता में प्रकट होता है।

## समाज में स्त्रियों की स्थिति

प्रश्न—भारतीय स्त्रियों की राजनैतिक तथा नागरिक जागृति के कारण उनके अबतक के घरेलू कर्तव्यों के बीच संघर्ष उपस्थित हो गया है। अगर कोई स्त्री जनता की सेवा में व्यस्त रहे, तो सम्भव है कि वह अपने बच्चों की ओर तथा घरेलू धन्धों की ओर ध्यान न दे सके। यह गुत्थी कैसे सुलझाई जाय ?

उत्तर—अक्सर स्त्रियों का बहुत-सा समय आवश्यक घरेलू कार्यों में नहीं, बल्कि अपने अपने मालिक तथा अपने पति के अहम्पूर्ण सुख की तृप्ति करने में ही बीतता है। मेरे विचार से स्त्रियों की यह गुलामी हमारी असभ्यता का अवशेष है। यही समय है कि हमारा स्त्री-समाज इस बन्धन से मुक्त हो जाय। स्त्री का सारा समय घरेलू कार्यों में नहीं लगाना चाहिये।

## एक विधवा की कठिनाई

प्रश्न—मैं एक बङ्गाली विधवा हूँ। अपने रँडापे के दिन से—  
२४ सालों में—अपने भोजन के बारे में कठोर नियमों का पालन करने का मुझे अभ्यास है। अपने ही कुटुम्ब के बीच थी। मुझ विधवा का एक अलग चौका है और बर्तन भी मेरे अलग अलग हैं। मैं आ' के सत्य वा अहिंसा के आदर्श में विश्वास रखती हूँ। सन् १९३० से आदतन खादी पहनती हूँ। ढाका के एक हरिजन गाँव में हमारे महिला समाज ने एक हरिजन-स्कूल खोल रखा है। मैं वहाँ जाती और हारजनों में शरीक होती हूँ। मैं अपनी मुसलमान बहनों से भी खुले तौर पर मिलती-जुलती हूँ, जिनके लिये मेरे हृदय में शुभेच्छा है। लेकिन मैं हरिजनों या दूसरे अत्राह्यण जातियों के साथ खा पी नहीं सक्रती, क्या मेरी जैसी कष्ट विधवाएँ सत्याग्रहियों, निष्क्रिय या सक्रिय में नहीं भरती हो सकती ?

